त्रयोदश माला, खंड 12, अंक 19

FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2000
23 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No ...51...
Date ...8/1/2003...

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्राणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

अंक 19, गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2000/23 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361, 362, 364 और 365	2-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25-263
तारांकित प्रश्न संख्या 363 और 366 से 380	25-39
अतारांकित प्रश्न संख्या 3916 से 4145	39-263
सभा पटल पर रखे गए पत्र	263-272
लोक लेखा समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	272
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण	273
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	273
याचिका समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	273
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
की-गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन	274
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
छियालीसवां प्रतिवेदन	274
याचिका का प्रस्तुतीकरण	274
कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	275
नियम 377 के अधीन मामले	290-297
(एक) गुजरात में अंकलेश्वर से राजपिपला और भरूच से दहेज के बीच रेल सेवाएं पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता श्री मनसुखभाई डी. वसावा	290

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

(दो) सरदार सरोवर परियोजना के "रिवर बेड पावर हाउस" को आयात शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता
श्री पी.एस. गढ़वी 290-291

(तीन) सीमा पार से चलाई जा रही आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए म्यांमार से जुड़ी सीमा पर बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता
श्री अनादि साहू 291

(चार) राजस्थान में भिवाड़ी को रेलमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता
श्री गिरधारी लाल भार्गव 291-292

(पांच) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की सूची की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता ताकि इस सूची में शामिल न किए जा सके लोगों को इसमें शामिल किया जा सके
डा॰ संजय पासवान 292

(छह) बिहार में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता
श्री राजो सिंह 292-292

(सात) कानपुर, उत्तर प्रदेश में टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि॰ को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 293

(आठ) उड़ीसा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता
श्रीमती हेमा गमांग 293

(नौ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता
श्री टी. गोविन्दन 293-294

(दस) आन्ध्र प्रदेश में वन भूमि में कॉफी बागान लगाने की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति 294

(ग्यारह) स्वदेशी लघु उद्योगों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता
श्री रामजीलाल सुमन 294-295

(बारह) मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल भराव की निकासी के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री ब्रह्मानन्द मंडल 295

(तेरह) केरल सरकार की कोम्बई-केरल और देवरम-केरल लिंक रोड परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन 295-296

(चौदह) देश में ईंधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता
श्री नवल किशोर राय 296

विषय	कॉलम
(पन्द्रह) देश में कृषि क्षेत्र के लिए राजसहायता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री जोरा सिंह मान	296-297
नियम 184 के अधीन प्रस्ताव	297-410
बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले मे तीन-कैबिनेट मंत्रियों को हटाने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह	
कुमारी ममता बनर्जी	297-302
श्री चन्द्रशेखर	302-306
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	306-318
श्री के. येरननायडू	318-324
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	324-334
श्री त्रिलोचन कानूनगो	340
डा. गिरिजा व्यास	340-349
श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम	349-357
श्री जी. एम. बनातवाला	359-367
श्री देवेन्द्र सिंह यादव	368-370
कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह	370-371
श्री अमर राय प्रधान	371-372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	373-387
श्री एस. जयपाल रेड्डी	388-394

लोक सभा

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2000/23 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

....(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड के हजारों लोग कल से धरना देकर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला क्वश्चन आवर का नहीं है। आप क्वश्चन आवर के बाद बोलिये।

....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): 18 महीने हो गऐ हैं और 18 महीनों से वे लगातार सरकार से संपर्क करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने इस प्रश्न को जीरो आवर में रेज करने का नोटिस दिया है, आप क्वश्चन आवर में कैसे रेज करेंगे?

....(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम मानते हैं आपकी बात सही है। लेकिन 4000 श्रमिक कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठे हैं। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप जीरो आवर के लिए नोटिस देते हैं और क्वश्चन आवर मे रेज करते हैं, यह कैसे चलेगा? प्र॰ सं. 361

11.40 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मोटे कपड़े का उत्पादन

***361. चौधरी तेजवीर सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गरीबों के उपयोग के लिए राज्यवार कितनी मात्रा में मोटे कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मोटे कपड़े की राज्यवार मांग और आपूर्ति कितनी थी;

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बड़ी संख्या में ऐसी मिलें रुग्ण पड़ी हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार हथकरघा तथा पावरलूम क्षेत्र के उच्च विकेन्द्रीकृत स्वरूप के कारण राज्यवार मोट कपड़े के उत्पादन हेतु कोई संबंधित आंकड़े तैयार नहीं किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र में 82 कम्पोजिट वस्त्र मिलें मोटे विभिन्न फैब्रिक के उत्पादन में लगी हैं। कोई एन. टी. सी. मिल मोटे कपड़े के उत्पादन में नहीं लगी हैं। बी. आई. एफ. आर. के पास पंजीकृत विभिन्न प्रकार के मोटे सूती कपड़े का 4 निजी मिलें उत्पादन कर रही हैं। उसकी टिप्पणियों के आधार पर बी.आई.एफ.आर. ने कृत कार्रवाई प्रस्तावित की है।

[हिन्दी]

चौधरी तेजवीर सिंह: आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अत्यधिक विकेन्द्रित प्रगति के कारण हथकरघा एवं विद्युत करघा से मोटे कपड़े के उत्पादन के बारे में जानकारी देने में वे असमर्थ हैं, लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि हथकरघा, विद्युत करघा एवं हौजरी जो गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान करती है, आज बुरी हालत में है और उसका उत्पादन दिनोंदिन गिरता जा रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री काशीराम राणा: आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी ने हैन्डलूम और पावरलूम में जो मोटे कपड़े का उत्पादन है, वह घट रहा है इसकी बात बताई है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों की जो फिगर्स मेरे पास हैं, उनसे पता चलता है कि मोटे कपड़े का उत्पादन बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में हैंडलूम के कपड़े का उत्पादन 6,792 मिलियन स्क्वेयर मीटर था और 1999-2000 में 7,352 मिलियन स्क्वेयर मीटर था। इसी पकार से पावरलूम के कपड़े का उत्पादन 1998-99 में 20689 मिलियन स्क्वेयर मीटर था और 1999-2000 में 23,187 मिलियन स्क्वेयर मीटर था। इसी तरह से हौजरी में 1998-99 में 6,277 मिलियन स्क्वेयर मीटर था जो 1999-2000 में 6,374 मिलियन स्क्वेयर मीटर हो गया।

जहां तक हथकरघा के क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन का सवाल है, उस क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए और हमारे जो हथकरघा बुनकर हैं, उनके कल्याण के लिए हमने एक नई स्कीम "दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन" योजना प्रारंभ की है। मेरी तो राज्य सरकारों से गुजारिश है कि इस योजना की ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर वे अपने राज्यों में हथकरघा का विकास और सुधार कर के बुनकरों के लिए इस स्कीम का उपयोग अधिक से अधिक करें।

चौधरी तेजवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उदारीकरण की वजह से आज देश के मजदूर और गरीब बुरी तरह से पिसते चले जा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती चली जा रही है क्योंकि गरीबों को कपड़ा सस्ती दर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग अत्यधिक परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबों को मोटा कपड़ा उपलब्ध कराया जाता था, लकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें मोटा कपड़ा सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बाजार से मंहगी दरों पर उन्हें कपड़ा खरीदना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि स्थिति को सुधारने के लिए और उदारीकरण के कारण जो कपड़े की सरकारी मिलें बन्द हो गई हैं या बन्द होने वाली हैं उनके उद्धार के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, जो कोर्स क्लाथ यानी मोटा कपड़ा है, उसे देश के गरीबों तक पंहुचाने के लिए और वह भी एफोर्डेबल प्राइसेस पर पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास करती है और मैं ऑगस्ट हाउस को बताना चाहूंगा कि वह कपड़ा चाहे हैंडलूम का हो या पावरलूम का हो, इन दोनों में बने हुए मोटे कपड़े की कीमतों में ज्यादा अन्तर नहीं आया है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से देखा जाए, तो मोटे कपड़े की कीमत उस हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए।

जहां तक मजदूरों की स्थिति का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि हथकरघा बुनकरों या पावरलूम वीवरों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी वैलफेयर स्कीमें शुरू की गई हैं। जो हमारे हथकरघा बुनकर हैं उनके लिए वर्क्स एंड हाउसिंग की स्कीम भी लागू की गई है। उनके लिए हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम की भी शुरूआत की गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, उदारीकरण का जो इफैक्ट इस क्षेत्र में हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बहुत थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी हैंडलूम और पावरलूम में बना जो मोटा कपड़ा है उस पर बहुत ज्यादा इफैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा देश गांवों में बसता है और हमारे देश की 70 प्रतिशत गांवों में रहने वाली जनता मोटा कपड़ा इस्तेमाल करती है।

श्री राजो सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि :

> "सरकार द्वारा हथकरघा तथा पावरलूम क्षेत्र के उच्च विकेन्द्रीकृत स्वरूप के कारण राज्यवार मोटे कपड़े के उत्पादन हेतु कोई संबंधित आंकड़े तैयार नहीं किए जाते हैं।"

मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी देश में दो तरह से कपड़े तैयार होते हैं, एक तो महीन और दूसरा मोटा कपड़ा। हमारे साथी ने जो सवाल पूछा था वह यह पूछा था कि जैसे चादर बनती है, धोती हैंडलूम की बनती है, यह सारा कपड़ा छोटे तबके, मजदूर तपके के लोग खरीदते हैं, लेकिन सरकार के जवाब के मुताबिक यदि सरकार के पास उसके आंकड़े ही नहीं हैं, तो सरकार किस आधार पर यह कह रही है कि "दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना" के तहत राज्य सरकारें सहयोग करें?

उसके माध्यम से गरीब लोगों को कपड़ा दिया जाये। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मोटा कपड़ा तैयार करने के लिए जो कि देश के गरीब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, उस योजना में आप क्या करने वाले हैं?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, मोटे कपड़े की जो व्याख्या है, उसको अगर हम समझ लें तो अच्छा होगा। उसकी व्याख्या यह है कि जो 20 काउंट या उससे नीचे का कपड़ा सूत से बनता है, उसको हम मोटा कपड़ा कहते हैं। वैसे तो हम राज्यवार जानकारी यहां पर रखना

चाहते हैं लेकिन ओवरऑल पूरे देश का जो उत्पादन है वह यह है कि जो एक काउंट से 10 काउंट तक का उत्पादन है, वह 53.62 मिलियन किलोग्राम का हुआ जबकि 11 काउंट से लेकर 20 काउंट तक बना हुआ मोटा कपड़ा है, वह 58.95 मिलियन किलोग्राम हुआ है। अभी जैसा कि माननीय सांसद ने मोटे कपड़े के बारे में बताया है तो सरकार इसके लिए आवश्यक कदम समय-समय पर उठाती रही है।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न एन.टी.सी. मिल से संबंधित है। अगर आप एलाऊ करें तो मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। मैं कम्पोजिट मिल्स के बारे में पूछना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में 285 कम्पोजिट मिल्स हैं जिसमें से 157 मिलें बंद हो गयी हैं। आपने जो नयी पालिसी निकाली हैं, उसमें वर्कर्स को काम देने के लिए कोई सौल्यूशन नहीं है और न ही उसकी रिवाइवल स्ट्रेटजी हैं। इन मिलों को चलाने के लिए सत्यम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। वह रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हमें पता नहीं है लेकिन हमें पता चला हैं कि उसने इस संबंध में कुछ सजेशन्स दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एन.टी.सी की रिवाइवल स्ट्रेटजी के लिए आपकी क्या पालिसी है? हमने यह भी सुना था कि सरकार 119 मिलें बंद करने जा रही है। आप कितनी मिलें और बंद करेंगे? जिन मिलों में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग चल सकती है, वे मुम्बई शहर ही मिलें हैं। मेरा कहना है कि क्या आप उन्हें चलायें? इसी तरह मुम्बई शहर में सरप्लेस लैंड से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को आप मुम्बई में लगायेंगे? मैं वी.आर.एस. के बारे में भी पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले प्रश्न देखिये।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: वे बी.आई.एफ.आर. में चले जायेंगे।... मुम्बई पैटर्न में दिया हुआ है, उस पर आप विचार करेंगे? हम गुजरात पैटर्न तो मानते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसमें बी.आई.एफ.आर. कहां होगा?

...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने सत्यम कमेटी का यहां पर जिक्र किया है। एन.टी.सी. के टर्म्स ऑफ रेफरैंस का मामला सत्यम कमेटी की रिपोर्ट में नहीं था और ऐसी कोई सिफारिश सत्यम कमेटी ने नहीं भेजी है। लेकिन एन.टी.सी. के बारे में सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह यह है कि जो 119 मिलें हैं, उसमें मैक्सिमम मिलें चलें। इसीलिए अभी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, वह यह लिया है कि फिर से हम यूनिटवाइज, मिलवाइज सबकी वायेबिलिटी चैक करेंगे और इस तरह का एक अप्रोच बी.आई.एफ.आर. को पेश किया है। बी.आई.एफ.आर. से जब एप्रूवल मिल जायेगा तब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जहां तक मुम्बई की मिल्स का सवाल है तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि 119 मिलों में से 25 मिलें ऐसी हैं जो फुली चलती हैं और 51 ऐसी हैं जो पार्शियली चलती हैं। मुम्बई की इन मिलों को चलाने की कोशिश इस सरकार की हमेशा रहेगा । अगर हमें मुम्बई की मिलें क्लोज करनी पड़ी या जिन मिलों की एक्सेस लैंड बेचनी पड़ी तो उसका जो भी रेवन्यू होगा, उसे हम वहां की मिलों को माडर्नाइज करने में इन्वेस्ट करेंगे। हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वह हमें एक छूट दें। हम बहुत जल्दी माडर्नाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और वहां कि मिलों को चालू करवायेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि एन.टी.सी. की जितनी सिक मिल्स हैं, उनकी यूनिटवाइज स्टडी करेंगे और इसको बी.आई.एफ.आर. में भेज दिया है।

लेकिन हाल में अखबार में आया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में टैक्सटाइल मिनिस्टर ने वहां पांच सबसीडियरीज को बंद करने का प्रस्ताव रखा है। हम जानना चाहते हैं कि एन.टी.सी. की जो पांच सिक सबसीडियरीज हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या सिद्धान्त लिया है? यदि सरकार ने यूनिटवाइज स्टडी करने का सिद्धान्त लिया है तो क्या उसे शुरू किया है और वह स्टडी करने के लिए किस संस्था को दिया है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मिनिस्ट्री ने क्या प्रस्ताव रखा है?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो बात बताई है, वह सही नहीं है। जी.ओ.एम. या सरकार ने कभी भी पांच सबसीडियरीज को बंद करने का फैसला नहीं किया है।

श्री वसुदेव आचार्य: अखबार में आया है।

श्री काशीराम राणा: मैं हाउस में बता रहा हूँ। ऑन दी कौन्ट्रेरी पांच सबसीडियरीज - गुजरात, महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, आसाम और यू.पी. को बंद करने के लिए बी.आई.एफ.आर. ने वाइंडिंग अप नोटिस 1995 में दिया था। लेकिन फिर से मिल वाइज उसकी वॉयबिलिटी चैक करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इससे जो मिलें वाइंडिंग अप नोटिस के अंदर हो गई थी, हो सकता है कि यदि वॉयबिलिटी हो तो वह भी शुरू हो सकती हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले ऐग्रीकल्चर पर एक सवाल था कि देश में कॉटन का उत्पादन कितने बेल्स होता है, मैंने उस पर स्पैसीफिकली महाराष्ट्र और शोलापुर के लिए प्रश्न पूछा था। एक तरफ कॉटन की कीमतें बढ़ी हैं, बेल्स का उत्पादन कम हो रहा है और शोलापुर रेनफैड एरिया है। लेकिन शोलापुर में हथकरघा और पावरलूम की बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं और उनमें छोटे लोग काम करते हैं। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में के तहत गरीबों की साड़ियां देने के लिए बीस काउंट के नीचे के धागे पर सस्ता कपड़ा देना तय किया था। आज वह बंद हो गया है आपने दीनदयाल हथकरघा स्कीम नहीं निकाली। मैं स्वागत करता हूं, नाम किसी का भी हो, हम नाम नहीं जानना चाहते

लेकिन सूत का भाव काफी बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि हथकरघा में जो छोटे लोग काम करते हैं, क्या आप उनके लिए दीनदयाल स्कीम में सुविधा देकर सस्ते दाम में कॉटन देने का काम करेंगे या स्कीम में आधारित ऐसी कुछ स्कीम हैं जिससे हैंडलूम वीवर्स के लिए कुछ फायदा हो सकेगा?

श्री काशीराम राणा: इस देश में कॉटन का उत्पादन जैसा पिछले साल हुआ था, इसी तरह इस वर्ष भी करीब 160 लाख बेल्स का उत्पादन होगा। वैसे गुजरात ऐसा एरिया है जहां सूखा होने की वजह से उत्पादन कम हुआ है लेकिन कई और राज्य ऐसे हैं जहां ज्यादा कॉटन हुआ है यानी उत्पादन कम नहीं हुआ। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बात सही है कि जनता क्लॉथ स्कीम थी। लेकिन सब लोग जानते हैं कि वह स्कीम 1998 में बंद हो गई क्योंकि उसमें कुछ स्कैंडल हुआ जिसकी सी.बी.आई. इन्क्वारी हो रही है। लेकिन अभी भी हथकरघा का कोर्स कपड़ा गरीबों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी तरह सूत के भाव के बारे में जो सवाल किया है, सूत भी मिल गेट प्राइस से वहीं पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। इतना ही नहीं, हमने यार्न बैंक भी खोला है। जो राज्य सरकारें जमीन देती हैं, वहां हम बैंक खोल देते हैं। अगर कोई कोआपरेटिव आए तो उसे वहां परमीशन दे देते हैं। बुनकरों को जितना सूत चाहिए, वह सही दाम पर मिले, इसीलिए सरकार ने मिल गेट प्राइस पर यार्न बैंक खोल कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

[अनुवाद]

समुद्री तट पर्यटन का बढ़ावा देना

***362. श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समुद्री तट पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान परियोजना-वार उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या समुद्रतटीय राज्यों विशेषकर उड़ीसा में समुद्री तटों और आस-पास के कस्बों में उपलब्ध संभावनाओं का समुचित दोहन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) समुद्री तट पर्यटन सहित पर्यटन के विकास एवं संवर्धन का उत्तरदायित्व मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से, प्राथमिकता प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान, देश में समुद्री तट पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु 4.11 करोड़ रुपये की राशि की 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु 4.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 17 परियोजनाओं को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यों के संबंध में वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के साथ-साथ वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न अनुबन्ध में दी गई है।

समुद्री तटों तथा तटवर्ती नगरों सहित विभिन्न गंतव्य स्थलों का नियमित संवर्धन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार भी अपने विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न गंतव्य स्थलों का संवर्धन करता है तथा उसने विभिन्न प्रकार का प्रचार-साहित्य भी निकाला है जिसमें समुद्री तट पर्यटन संबंधी सूचना दी गई है।

अनुबंध

पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वीकृत एवं वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या दर्शाते हुए विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वीकृत राशि	वर्ष 2000-2001 के लिए प्राथमिकता प्रदत्त राशि
1	2	3	4
1.	**आंध्र प्रदेश (2000-2001)**		
	1 विशाखापटनम में संकेतक		20.00
2.	**गोवा (1999-2000)**		
	1 कारनजालेम समुद्रतट में जन-सुविधाएं	10.00	
	2 बांबोलिम में जन-सुविधाएं	10.00	
	3 आरामबोल समुद्रतट में जन-सुविधाएं	10.00	
	4. माजोरडा समुद्रतट में जन-सुविधाएं	10.00	

1	2	3	4
	5. पालोलेम समुद्रतट में जन-सुविधाएं	10.00	
	6. केवलासिम में जेट्टी का निर्माण	50.00	
	गोवा (2000-2001)		
	1. अंजना, वेगेटर तथा कालंगूट समुद्रतटों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास		60.15
	2. बाइना समुद्रतट, मारमागाओ तालुक में जन-सुविधाएं		10.00
	3. कोलवा तथा कालंगूट समुद्रतटों पर सुलभ थेमोफिल्कि एयूबिलिक कम्पोजिटर प्रारंभ करना		15.00
3.	**कर्नाटक (2000-2001)**		
	1. देव बाग समुद्रतट रिजार्ट कारवार, कर्नाटक में आयुर्वेदिक ट्रीटमैंट एंड रिजुवैनेशन थेरेपी सैंटर की स्थापना		56.00
	2. कारवार समुद्रतट पर जन-सुविधाएं एवं पेयजल सुविधाएं		7.20
4.	**केरल (1999-2000)**		
	1. कोवलम समुद्रतट में एकीकृत विकास	71.19	
5.	**महाराष्ट्र (1999-2000)**		
	1. गणपतिफुल्ले में जल-क्रीड़ा उपकरण	24.90	
6.	**पांडिचेरी (2000-2001)**		
	1. करकाइकल पर्यटक गृह में अतिरिक्त ब्लाक		10.00
	2. चुनाम्बर रिजार्ट में विमान मार्गस्थ सुविधाओं का विस्तार		10.00
7.	**तमिलनाडु (1999-2000)**		
	1. नागपट्टीनम समुद्रतट में पैदलपथ का भूदृश्यांकन एवं लाइट व्यवस्था	9.00	
	2. एलियट्स समुद्रतट, चेन्नई में पैदलपथ का भूदृश्यांकन एवं लाइट व्यवस्था	15.00	
	तमिलनाडु (2000-2001)		
	1. मामल्लापुरम में पार्किंग का प्रावधान		16.00
	2. मामल्लापुरम में अवसंरचना सुधार		40.00
	3. मामल्लापुरम में नृत्य उत्सव		05.00
	4. मुत्तुकाडु बैंकवाटर (विशेष पर्यटन क्षेत्र) में बोट जेट्टी का सुधार एवं बोटों की खरीद		20.00
8.	**उड़ीसा (1999-2000)**		
	1. सतपाडा में विद्यमान यात्री निवास में अतिरिक्त आवास	32.19	
	2. बालाहरचण्डी में पर्यटक परिसर	50.00	
	3. सतपाड़ा में जलक्रीड़ा उपकरण	20.00	
	उड़ीसा (2000-2001)		
	1. चाँदीपुर समुद्रतट का एकीकृत विकास		60.00
	2. चाँदीपुर समुद्रतट का प्रदीप्तिकरण		12.00
	3. पर्यटक केन्द्र, पुरी का एकीकृत विकास		60.00
	4. पीतरकनिका/गाहिरमाथा में वाचटावर		24.00
	5. उड़ीसा पर विशेष अभियान		25.00
9.	**पश्चिम बंगाल (1999-2000)**		
	1 डायमंड हार्बर में रिवर फ्रंट का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	89.00	
	कुल	411.28	450.35

श्री प्रभात सामन्तराय: महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गये। लिखित उत्तरों का अध्ययन करने के बाद मैंने यह पाया कि मैंने जो प्रश्न पूछा है, ये उससे संबंधित नहीं हैं।

माननीय मंत्री जी की आसानी के लिए मैं अपना प्रश्न पढ़ना चाहूंगा, "प्र.1 (क) क्या सरकार का समुद्री तट पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई विचार है, ..." महोदय, पिछले तीन वर्षों से जब कभी माननीय सदस्यगण माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें इस सभा में अथवा राज्य सभा में एक ही तरह के रटे रटाये उत्तर दिये जाते हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे देश विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। इस क्षेत्र के लिए इतनी कम राशि निर्धारित की गई है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार पर्यटन, विशेष रूप से समुद्री तट पर्ययन का विकास करने की इच्छुक नहीं है। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हांगकांग और सिंगापुर के पर्यटन को दिये गये प्रोत्साहन की तुलना में भारत सरकार का देश में और विशेषत: उड़ीसा में पर्यटन, खास तौर पर समुद्री तट पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा देने का विचार है ।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, पहली बात यह कि हम सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते।

श्री प्रभात समान्तराय: हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

श्री अनन्त कुमार: पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि वे ऐसा गंतव्यस्थल हैं जहां घूमने के लिए एक-दो दिन पर्याप्त हैं। हमारे देश में 2.48 मिलियन विदेशी पर्यटक आते हैं और जो विदेशी यात्री भारत में भ्रमण हेतु आते हैं, वे यहां औसतन 31 दिन तक ठहरते हैं जबकि सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस और अन्य यूरोपीय गंतव्य स्थलों में वे केवल 1-2 दिनों तक ही ठहरते हैं।

दूसरी बात, हमारे देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक अर्थात 175 मिलियन हैं। यह पिछले वर्ष की 168 मिलियन की संख्या से बढ़कर अब 175 मिलियन हो गई है। समुद्री तट पर्यटन के विकास के संबंध में भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। हमने यू एन डी पी और डब्ल्यू टी ओ द्वारा अंडमान द्वीपसमूह के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया है। हमने 'पर्यटक संभावना संबंधी क्षमता अध्ययन' (कैरीइंग केपेसिटी स्टडी) भी किया है। और उड़ीसा के लिए पर्यटन विकास योजना भी है। पिछले वर्ष ए. के. दवे एंड कंपनी नामक एक एजेंसी से सलाह-मशविरा करके हमने पश्चिमी तट पर्यटन विकास संबंधी अध्ययन किया है जिसमें ऐसे तटीय स्थलों की पहचान की गई है जहां उनका विकास किया जा सकता है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यह सम्मानीय सभा भी इस बात को समझती है कि केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन के बुनियादी विकास के लिए कुल मिलाकर मुश्किल से 350 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये आंबटित किये जाते हैं। जबकि हम 13.50 हजार करोड़ रुपये की रिकार्ड विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। पर्यटन के माध्यम से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों में हमारा तीसरा स्थान है ।

हमने एक अध्ययन किया था और उस अध्ययन के अनुसार, हमें इस देश की पर्यटन संभावना के विकास हेतु 44.50 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है जो कि केवल निजी और सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से ही संभव है।

उड़ीसा से संबंधित प्रश्न के दूसरे भाग पर आता हूँ, भारत सरकार ने इस बार उड़ीसा में पर्यटन विकास हेतु मात्र 4 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। पिछले वर्षों में समुद्री तट विकास हेतु निर्धारित 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की तुलना में इस बार यह समुद्री तट पर्यटन के लिए निर्धारित अंडमान के पर्यटन हेतु कुल आबंटन का 45 प्रतिशत रहा है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यदि सभा सहमत है तो प्र. सं. 362 और 365 को एक जैसा होने के कारण मिलाया जा सकता है। मंत्री महोदय, क्या यह ठीक रहेगा?

श्री अनन्त कुमार: महोदय, प्र. सं. 365 बिल्कुल अलग प्रश्न है क्योंकि यह भारत और म्यांमार के बीच पर्यटन के विस्तार से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

अब आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रभात सामन्तराय: अब, मैं अपने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) पर ध्यान केंद्रित करूंगा जिसका सभापटल पर रखे गये आपके उत्तर में उत्तर नहीं दिया गया है। यह इस प्रकार है:

"(ग) क्या तटवर्ती राज्यों विशेषकर उड़ीसा के समुद्र तटों और शहरों के निकट उपलब्ध संभावनाओं का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उड़ीसा में पुरी समुद्रतट, पारादीप, बलेश्वर एवं भीतकणिका जैसे सुन्दर स्थान हैं। पांच स्थानों में से चार का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। विशेषकर इस संदर्भ में, पर्यटक पुरी इस कारण से आ रहे हैं कि इंडियन एयरलाइन्स ने भुवनेश्वर की अपनी एयरबस की उड़ान बंद कर दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा के समुद्रतटों पर उपलब्ध संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अथवा उनका उपयोग करने के लिए क्या किसी समेकित उपाय का प्रस्ताव किया जा रहा है अथवा उनके मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री अनन्त कुमार: उड़ीसा में पर्यटन विशेषकर समुद्रतटीय पर्यटन के विकास की संभावनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वस्तुत: हमने कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया लि॰ से अध्ययन करवाया था। इस प्रतिवेदन में उड़ीसा राज्य के लिए राज्य की रूपरेखा, पर्यटन परिप्रेक्ष्य, पर्यटन परिदृश्य योजना, वित्तीय एवं वित्तीयन तंत्र, आर्थिक प्रभाव एक मूल्यांकन, विपणन नीति और संवर्धनात्मक कार्यक्रम जैसे विषय शामिल थे। वास्तव में, सुपर-चक्रवात के प्रभाव के कारण उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए हमने संवर्धनात्मक बजट पर्याप्त मात्रा में शत-प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। जब उड़ीसा की राज्य सरकार इस प्रतिवेदन के मद्देनजर अपनी कार्य योजना तैयार करती है, तो हम राज्य सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

श्री शरद पवार: सी आर जेड तटीय विनियमों के कारण इस देश में समुद्र तटीय पर्यटन व्यावहारिक रूप से अवरुद्ध है। क्या सरकार सी आर जेड विनियमों को निरस्त करने का विचार कर रही है जो आखिरकार पर्यटन उद्योग के लिए सहायक होगा?

श्री अनन्त कुमार: महोदय, मैं वयोवृद्ध सांसद श्री शरद पवार से पूर्णत: सहमत हूँ।

श्री संतोष मोहन देव: वह वयोवृद्ध नहीं हैं। वे नौजवान सांसद हैं।

श्री अनन्त कुमार: जी हाँ, वह युवा सांसद हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): वह कल ही मात्र 60 वर्ष के हुए हैं।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, मैं यह भी कह सकता हूँ कि वह 42 वर्ष के अनुभव युक्त मात्र 18 वर्ष की उम्र के हैं।

श्री आर जेड क्षेत्र विनियम सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर प्रतिबंध लगाते हैं। भारत सरकार पर्यटन विभाग इस पहलू की जांच कर रहा है। हम पर्यावरण मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं ताकि वे प्रतिबंधों को उदार कर सकें।

श्री शिवराज वि॰ पाटील: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वस्तुत: इस समय तक हम लोग भूमि, जल एवं वायु के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हम कुछ नए क्षेत्र खोज रहे हैं। जो संपत्ति का निर्माण कर सकें तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकें। पर्यटन एक क्षेत्र है जहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है; तथा हम उस ऊर्जा का संचार कर सकते हैं जो देश एवं सम्पूर्ण विश्व को एक कर सकता है। परंतु दुर्भाग्य से हमें यह सूचना माननीय मंत्री जी से मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यदि हमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना है, तो हमें नीति पर ही आरोप लगाना होगा। हमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे करोड़ों में हैं। अब भारत के तटीय पर्यटन के लिए 4 करोड़ रुपए आबंटित हैं। हमें बताया गया है कि देश में सम्पूर्ण, पर्यटन गतिविधियों के लिए 350 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है।

दूसरे देशों ने सराहनीय कार्य किये हैं। हमारे देश में सुन्दर समुद्रतट हैं, हमारे यहाँ, समुद्रतट पर, मुख्यभूमि पर, पर्वतों पर और दूसरे क्षेत्रों में स्मरणीय स्थल हैं। परंतु यदि सरकार का रवैया यांत्रिक हैं और यदि सरकार का रवैया इस अर्थ में तकनीकी है कि सरकार मुख्यत: इस क्षेत्र की देखभाल नहीं कर रही हैं जबकि राज्य सरकार उसकी देखभाल कर रही है तो कुछ भी होने नहीं जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार पर्यटन का विकास करती है तो वे कार्यकलाप के नए क्षेत्र का विकास करेंगे, वे लोगों को रोजगार देने और विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगे। क्या सरकार यह देखने के लिए कुछ उपाय करने जा रही है कि यदि आवश्यक हो, तो निजी संसाधनों का उपयोग करने के प्रयोजन से एक व्यवहार्य एवं सुसंगत नीति हो? कोई यह नहीं कह रहा है कि निजी संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाए और मैं माननीय मंत्री जी एवं इस सभा के ध्यान में लाता हूँ कि सम्पर्ण पर्यटन निजी क्षेत्र में है। सरकार को इसे प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति बनानी होगी तथा यह देखना होगा कि इसका विकास हो। क्या हम इस समस्या के प्रति कुछ तकनीकी अथवा यांत्रिक अथवा दु:खद रवैए के बजाय कुछ सार्थक करना चाहेंगे, एक उत्साहवर्धक जवाब, शक्तिप्रदायी नीति अथवा रवैया अपनायेंगे?

श्री अनन्त कुमार: सरकार ने तीन साहसिक कदम उठाये हैं। पहला, नई पर्यटन नीति विचाराधीन है जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रावधान है।

दूसरा, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तर्ज पर हम पर्यटन विकास निधि का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जिसमें जैसा कि माननीय श्री शिवराज वी. पाटील ने उल्लेख किया है, निजी भागीदारी का प्रावधान होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा पहले से ही है।

श्री अनन्त कुमार: पर्यटन विकास निधि का प्रावधान नहीं है।

श्री शिवराज वि॰ पाटील: निजी पक्षों को मुख्यत: पर्यटन में कार्य करने की अनुमति है। यह निजी क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं।

श्री अनन्त कुमार: परंतु पर्यटन विकास निधि के कारण निजी पक्ष जब विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए सहयोग करते हैं अथवा भागीदारी के लिए आते हैं तो उनके लिए और प्रोत्साहन होगा।

तीसरा हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सभी दूसरे धर्मों के विभिन्न तीर्थस्थलों को सुसज्जित करने और उनका विकास करने के लिए हम तीर्थयात्रा विकास बोर्ड के गठन का भी विचार हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मेरा प्रश्न सी आर जेड से ही संबंधित है क्योंकि मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य से पूर्णत: अवगत होंगे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सी आर जेड के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किए जाने का अनुमान है जो तट एवं समुद्रतट के निश्चित दूरी के अंतर्गत कार्यकलाप को प्रतिबंधित करता है।

समुद्रतट पर्यटन और तटीय पर्यटन जैसा कि इन्हें कहा जाता है, का विकास नहीं हो सकता यदि समुद्रतटों के संरक्षण और चुनींदा समुद्रतट पर्यटन की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाता।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जवाब दें और इंगित करें कि सीआरजेड, उनके मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बीच कुछ समन्वय स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं तथा उनके द्वारा प्रायोजित एवं प्रस्तावित कितनी परियोजनाएं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दी गई, और कितनी उनके पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इसका उत्तर पहले नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: सी आर जेड के बारे में उन्होंने पहले उत्तर दे दिया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इसका उत्तर नहीं दिया गया यह एक मामला है। समुद्रतटीय पर्यटन की आवश्यकता को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि सीआरजेड मामले का समाधान नहीं हो जाता है क्योंकि ये दोनों मामले एक दूसरे के अवयव हैं। समुद्रतट पर एक निश्चित दूरी तक कोई कार्यकलाप नहीं हो सकता। इसलिए जबतक मंत्रालय को यह स्पष्ट नहीं हो कि सी आर जेड क्या है और कैसे इसे अमल में लाना है तथा मंत्रालय की क्या भूमिका है, इसे कभी भी संपन्न नहीं किया जा सकता है। तथा एक और पूरक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, जी नहीं। आप केवल एक ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मंत्री महोदय अब उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। यह डिसकशन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह केवल एक का ही उत्तर दे सकते हैं।

श्री अनन्त कुमार: सर्वप्रथम मंत्रालय सीआरजेड विनियमों एवं प्रतिबंधों से पूर्णत: अवगत है। दूसरा, यह बहुत ही संवेदनशील समस्या है क्योंकि सम्मानित उच्चतम न्यायालय भी अपने निर्णय के कारण इससे संबंधित है। और तीसरा, इस मामले पर अंतर-विभागीय परामर्श किया जाना है। और चौथा, अनुमोदित एवं लंबित परियोजनाओं की संख्या के संबंध में, मैं सभा को ब्यौरा दूँगा।

श्री के. येरननायडू: भारत सरकार पर्यटन के बारे में हमेशा बात करती रही है। यह एक सेवा उद्योग है। यह देश में और रोजगार उत्पन्न करेगा तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा। परंतु भारत सरकार अपने बजट में इसके लिए और धन उपलब्ध नहीं कर रही है।

पर्यटन मंत्रालय ने इन सी आर जेड समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण मंत्रालय के साथ कोई पहल नहीं की है। इसलिए समुद्रतट संबंधी पर्यटन उद्योग कोई विकास नहीं कर सकता। इस देश में लगभग 9,000 कि॰मी॰ समुद्रतट उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप किसी सापेक्षिक आयोजना की अनुमति दे रहे हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका बजट क्या है? क्या आप अगले वित्तीय वर्ष में बजट बढ़ाने की सोच रहे हैं? अन्यथा पर्यटन के बारे में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। आप सी आर जेड विनियमों को अनुमोदित कर रहे हैं, ताकि समुद्रतटीय स्थलों आदि पर और उद्योग स्थापित हो सकें।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूँ जो मेरे प्रिय मित्र भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ है कि आप बजट में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार: यह मामला माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के हाथों में है। मैं निरंतर वकालत करता रहा हूँ कि हमारे पास विशाल संभावनाएं हैं तथा इतने बड़े देश के लिए आबंटन केवल 135 करोड़ रुपए हैं। मैंने इसे कई बार दोहराया है।

श्री के. येरननायडू: इस वर्ष हमने पर्यटन के लिए आंध्र प्रदेश के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है तथा आपके बजट में यह केवल 135 करोड़ रुपए हैं।

अध्यक्ष महोदय: के. येरननायडू जी, यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

डा. ए. डी. के. जयशीलन: भारत व्यापक समुद्र तट वाला एक महान देश है। दुर्भाग्य से हम अपने संसाधनों का दोहन करने में असफल रहे हैं। मेरे विचार से केन्द्र सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपये से कम धनराशि आबंटित की हैं। यह राशि बहुत की हम है। वास्तव में पर्यटन का विकास तो कम हुआ है लेकिन यह काफी सफल एवं लाभदायक उद्योग है।

कन्याकुमारी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। इसका भारत में अपना अलग महत्व है। आप वहां तीन समुद्रों का संगम देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश वहां कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। इसलिए यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह कन्याकुमारी को अपना मुख्य कार्यक्रम बनाने पर विचार करे और उसे अपना कार्यक्रम बनाये। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि वह कन्याकुमारी को महत्व देते हुए वहां पर एक परियोजना आरंभ करें?

श्री अनन्त कुमार: यदि तमिलनाडु सरकार परियोजना को बरीयता देते हुये केंद्र सरकार को भेजती है, तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री टी. गोविन्दन: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या भारत सरकार ने विशेष पर्यटन कार्यक्रम क्षेत्रों के बारे में कोई घोषणा की है? इस घोषणा के तहत भारत सरकार इन क्षेत्रों को करमुक्त घोषित कर सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केरल सरकार ने पर्यटन मंत्रालय से बेकल पर्यटन परियोजना, जो पांच विशेष पर्यटन परियोजना क्षेत्रों में से एक है, को कर-मुक्त क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य केरल के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार: देश में पांच विशेष पर्यटन क्षेत्रों का पता लगाया गया है। वे हैं केरल मे बेकल, तमिलनाडु में ममल्लापुरम, उड़ीसा में पुरी, महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग और दमन तथा दीव में दीव।

केरल सरकार ने 'बेकल पर्यटन प्राधिकरण' की स्थापना की है। वर्ष 1995 में बेकल रिजॉर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नामक एक अलग कंपनी का भी गठन किया गया है।

भूमि अधिग्रहण कार्य पहले की पूरा किया जा चुका है और केरल सरकार ने इस परियोजना के लिए 34 करोड रुपये दिये हैं। भारत सरकार ने उक्त परियोजना के लिए 3.90 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। इस परियोजना के लिए 1.90 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं और हम इस पर कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग पर अनुसंधान अध्ययन

*364. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग पुरानी प्रौद्योगिकी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग में पुरानी प्रौद्योगिकी को हटाने के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो किए जा रहे अनुसंधान और पुरानी प्रौद्योगिकी को हटाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ)एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकीय अप्रचलन से निपटने तथा समय पर और पर्याप्त आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि याजना (टी.यू.एफ.एस.) तथा कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए गए हैं।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघ (टी.आर.ए.), वस्त्र मशीनरी अनुसंधान व विकास केन्द्र, आई.आई.टी., मुंबई और वस्त्र से संबंधित अन्य संस्थान मशीनरी पर अनुसंधान करते हैं तथा प्रौद्योगिकीय अप्रचलितता के मामले का निराकरण करने के लिए वस्त्र उद्योग में प्रक्रिया का विकास करते हैं।

(घ) टी.आर.ए. तथा अन्य संगठन विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं जिनमें भारतीय जिनरीज के लिए उपयुक्त प्री क्लीनर्स तथा स्वचालित कपास बेलिंग प्रेस का विकास, फैब्रिक को मापने के लिए डिजाइन तथा विकास, शटल करघों पर रेपियर्स का रेट्रोफिट, वस्त्र मशीनरी संघटकों का क्षय रोक, बुनाई क्षेत्र में रेपियर करघों के लिए वेफ्ट इनसर्जन प्रणाली का डिजाइन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में सोलर तथा यार्न ड्राइंग मशीनों का विकास आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने 1.4.1999 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए वस्त्र तथा पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है। भारत सरकार ने 21 फरवरी, 2000 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) भी शुरू किया है जिसमें लघु मिशन-4 में जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि सवाल हिन्दी में पूछा जाता है और जवाब अंग्रेजी में दिया जाता हैं।

अध्यक्ष महोदय, कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग है, जो 35 प्रतिशत विदेशी मुद्रा कमाकर देश को देता है। खेती के बाद कपड़ा उद्योग ही ऐसा उद्योग है, जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

महोदय, विश्व व्यापार संगठन के साथ हमारा जो करार 2005 तक हुआ है, उसके चलते इस उद्योग को अत्यधिक संरक्षण देने की आवश्यकता है। मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि शोध और अन्वेषण के लिए "सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन योजना शुरू की है।" मुझे लगता है कि शोध और अन्वेषण के क्षेत्र में सरकार गंभीर नहीं हैं। यह जो टैक्नोलॉजीकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम बनी, इसमें अप्रैल, 1999 से 2000 तक 39 प्रतिशत योजनाएं लेप्स हो गईं। योजना के लिए जो धन आबंटित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल जी, प्रश्न-काल में भाषण नहीं करना है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मैं सवाल कर रहा हूँ। 14 प्रतिशत स्वीकृत हुआ और सिर्फ छः प्रतिशत खर्च हुआ। मैं यह जानना चाहूंगा कि टैक्नोलॉजीकल अपग्रेडेशन फंड के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ था, वह धन अवमुक्त नहीं हुआ, इसके क्या कारण थे?

श्री काशीराम राणा: महोदय, टैक्नोलॉजीकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम के बारे में कोई ऐसा फंड लेप्स नहीं हुआ। पांच साल के लिए बनाई गई स्कीम की कोई लिमिट नहीं है। पहले 25000 करोड़ की लिमिट तय की गई थी। मेरे पास जो जानकारी है वह मैं आपको बताना चाहूंगा, 31 अक्तूबर तक टैक्नोलॉजीकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम के लिए करीब 10,606.15 करोड़ की हमें 863 एप्लीकेशंस मिलीं। इसमें से हमने 649 एप्लीकेशंस सैक्शंड कर दीं, जिसका 3863.17 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया। उसका 1748.93 करोड़ का डिस्बर्समेंट भी इसी समय तक हुआ। इस स्कीम का लाभ डिसेंट्रलाइज छोटे-छोटे सैक्टर तक पहुंचाने के लिए हैं। यह फंड सही तरीके से उपयोग में आ सके, इसके लिए हम उसमें समय-समय पर बहुत सारे अच्छे चेंजेज भी लाए हैं। पहले जो मनी-मार्जन का रेश्यो 80-20 का था, बाद में आईडीबीआई ने 82.5, 17.5 का कर दिया, जिससे कोई भी कम इनवेस्टमेंट से अपना यूनिट लगा सकें।

महोदय, रिसर्च में कपड़ा मंत्रालय की ओर से नौ रिसर्च सेंटर चलते हैं - चाहे वूल, जूट या पावरलूम हो। सभी तरीके से हमारे नौ रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे देश में चलते हैं और समय-समय पर जैसे-जैसे टैक्नालॉजी माडर्नाइज होती जाती है उसी तरह से हमारे आर एंड डी डिपार्टमेंट में मशीनरी के माडर्नाइजेशन के लिए प्रयास होता है।

श्री रामचीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिए हैं, एक कॉटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन डा. डी. एस. अल्वा ने 2 नवम्बर को हिन्दू अखबार के हवाले से दिए थे। मुझे लगता है कि सही मायनों में जो खर्चा होना चाहिए, वह नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहूंगा कि सिले हुए कपड़ों पर सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी की छूट दी गई और विदेशी पूंजी के साथ-साथ विदेशी पूजी तकनीकी भी आई। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शोध और अन्वेषण के क्षेत्र में श्रम की भूमिका तो नगण्य नहीं होगी, रोजगार के जो नए अवसर मिलने चाहिए और रोजगार के जो अवसर हैं, वे तो प्रभावित नहीं होंगे। खतरा यह है कि जब आप सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी की छूट देंगे तो विदेशी पूंजी के साथ-साथ विदेशी तकनीकी भी आएगी जो निश्चित रूप से हमारे श्रम प्रधान रोजगारों को प्रभावित करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शोध और अन्वेषण के क्षेत्र से श्रमिकों के हितों पर तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, गारमेंट उद्योग के निर्यातित माल से करीब 60 हजार करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में हमें मिलते हैं। हर साल वह बढ़ता ही जाता है और जो नयी टैक्सटाइल पॉलिसी-2000 सरकार ने घोषित की है, उसके अनुसार गारमेंट को स्मॉल स्कैल युनिट से निकालकर उसका डिरिजर्वेशन किया है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि श्रम की भूमिका पर तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े उद्योग भी आयेंगे तो भी स्टिचिंग छोटे और बड़े उद्योग में एक ही होती है। कोई दूसरा ऑटोमेशन उसका नहीं है। इसलिए कोई ऐसी स्थिति पैदा होने वाली नहीं है जिससे श्रम या श्रमजीवी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

श्री जोरा सिंह मान: अध्यक्ष जी, टैक्सटाइल इंडस्ट्री का जी. डी. पी. में चार प्रतिशत भाग है और एक्सपोर्ट से जो कमाई होती है उसका एक-तिहाई भाग इसी इंडस्ट्री से मिलता है। लोगों को रोजगार भी इस इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पर मिलता है। परन्तु इस इंडस्ट्री को जरूरी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पा रहा है। इस इंडस्ट्री में रिसर्च की बहुत जरूरत है। इसमें रिसर्च भी देश की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। देश में कृषि प्रधान तकनीक में रिसर्च की जरूरत है की पूंजी प्रधान तकनीक की। कृषि प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक में से यदि एक को चुनना हो तो देश के फायदे में कृषि प्रधान तकनीक ही रहेगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा हैंडलूम व पावरलूम के क्षेत्र में तकनीक के रिसर्च हेतु कोई व्यवस्था सरकारी तौर पर कायम की है। यदि हां तो वह कहां-कहां पर है? इसके द्वारा पिछले सालों में कौन-कौन सी तकनीक खोजी गयी है और इन संस्थाओं पर सरकार सालाना क्या खर्च करती है?

श्री काशीराम राणा: माननीय सांसद ने सही कहा है कि इस उद्योग में जो मशीनरी है उसमें संशोधन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। वह बात सही है। इसलिए सरकार ने टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम शुरू की है। इस इंडस्ट्री में जो समय पर ठीक से आधुनिकीकरण होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इसलिए हमने यह स्कीम की है। रिसर्च के बारे में भी सरकार बहुत जागरूक है। जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सरकार 9 रिसर्च सेंटर भी इसके लिए चला रही है और टैस्टिंग के लिए लैबोरेट्री भी हम सारे देश में अपग्रेड कर रहे हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको जानकारी है कि आज के दिन कॉटन किसानों पर टैक्नोलॉजी उपयोग करके जो नैचुरली क्लर्ड कॉटन हम उगाते हैं यानी कि

[अनुवाद]

प्राकृतिक रंग वाली कपास तो क्या आप टैक्नोलॉजी से कच्चे रेशम का रंग, हल्का पीला आदि जैसे मुख्य रंगों में कपास उगा सकते हैं। जिस टैक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं वह सिर्फ मशीनों से नहीं चलती है। क्या आप ऐसे किसानों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्या आपने इस बात की जांच की है कि इसके लिए हमारे पास किस प्रकार के निर्यात की संभावना है और आप किस प्रकार आर्थिक सहायता और समर्थन प्रणाली देंगे? आप आज कपास उत्पादकों की दुर्दशा तो जानते ही हैं। नियमित रूप से कपास की खेती करने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है।

[हिन्दी]

किसानों तक तकनीक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, कॉटन उगाने वाले जो हमारे किसान हैं, उनको सह दाम मिले, उसके बारे में सरकार ने फरवरी 2000 में कॉटन टैक्नोलॉजी मिशन शुरू किया है। जिस में कॉटन की क्वालिटी भी सुधरे और कॉटन की पर-हैक्टेयर यील्ड भी सुधरे ।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कॉटन फार्मर्स के लिए है?

श्री काशीराम राणा: जी हां। उन्हें अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले और कॉटन में कॉन्टामिनेशन भी दूर हो, इसलिए कॉटन टैक्नॉलोजी मिशन शुरू किया गया है। अभी तक बहुत से प्रस्ताव जो स्टेट गवर्नमैंट से आये हैं, हमने उसे एप्रूव भी किया है। माननीय सदस्या ने नैचुरल कलर के कॉटन की बात कही है, वह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। हमने फिर भी कॉटन की टैक्नॉलोजी के लिए यह मिशन शुरू किया है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। जब मंत्री महोदय संसद मे उत्तर देते हैं, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनका उत्तर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानों तक पहुंचता है। आप जानते हैं कि कितने फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं? उन्हें नकली कीटनाशक दवांए दी जा रही हैं। आप टैक्नॉलोजी मिशन की बात कर रहे हैं जबकि वे मर रहे हैं।

श्री काशीराम राणा: पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों को 300-400 रुपया पर-क्विंटल ज्यादा मिल रहा है और हमारे स्पीनर शिकायत कर रहे हैं कि कार्टन के भाव ज्यादा हो रहे हैं। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं नहीं जानती कि वह क्या उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: आप वहां जाइए और देखिए।

प्रो. रासासिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी को बदलने के लिए ऑपरेशन रिसर्च और अन्य नए अभियान चल रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत एन.टी.सी. आता है। इसके अन्तर्गत जो मिले हैं, उनको एक तरफ बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की बात कही जा रही है। उन एन.टी.सी. मिलों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए किया प्रयास किए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: इसका समाधान पहले बता दिया गया है।

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कह दिया है कि एन.टी.सी. मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने डिसिजन लिया है। मिलवाइज उनकी वायबिल्टी चैक करने के लिए बी. आई. एफ. आर. के सामने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

भारत और म्यांमार के बीच पर्यटन का विस्तार

***365. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति:** क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और म्यांमार ने हाल में पर्यटन उद्योग के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति: महोदय, भारत हमेशा पीछे रहता है और इसका एक कारण यह है कि यहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। अब विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि प्रमोद महाजन जी और चन्द्रबाबू नायडू सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही, मैं यह भी कहूंगा, आप भी काफी सक्रिय मंत्री हैं, कि हमें पर्यटन के विकास का अवसर नहीं खोना चाहिए। तो भी केवल 300 करोड़ रुपये आवंटित किय गये हैं जो वेतन देने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए आप पर्यटन संबंधी अवसंरचना का किस प्रकार सृजन कर सकते हैं। चाहे वह समुद्री तट का हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का?

म्यांमार और भारत के बीच काफी लंबें अर्से से घनिष्ठ संबंध हैं। उस देश में बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख धर्म है। विशाखापत्तनम में और उसके आस-पास कई बौद्ध स्थल है और उन सभी कों दर्शन हेतु खोला जा रहा है। वे इन स्थलों का दौरा करने के बहुत इच्छुक हैं। क्या आप उन स्थलों का विकास करेंगे ताकि बौद्ध अनुयायी उन स्थलों का वास्तव में दौरा कर सकें? जापान और दूसरे देश काफी समृद्ध हैं और इन देशों के लोग हमारे देश में आ सकते हैं और काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी ओर से कोई संवर्द्धनात्मक कार्य कर रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन, दोनों क्षेत्रों में हमने अभी अवसर नहीं खोया है।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति: मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो बस यही कहा था कि संवर्द्धनात्मक कार्य आरंभ करने का यही उचित समय है।

श्री अनन्त कुमार: दूसरी बात, म्यांमार के साथ पर्यटन के विकास के संबंध में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप का गठन किया गया है जिसे बी. आई. एम. एस. टी. (बंगलादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड) इंकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रिन' नाम से जाना जाता है। पिछले वर्ष म्यांमार से आये पर्यटकों की संख्या में बहुत कम वृद्धि हुई है; 3500 लोग हमारे देश में आये हैं। बौद्ध धर्म के लोगों के कारण म्यांमार और भारत के बीच पर्यटन के विकास की अत्यधिक संभावना है।

आगामी वर्ष, वर्ष 2001 को 'विजिट बी आई एम एस टी सी रिजन ईयर' के रूप में माना गया है और इस संबंध में कई सवर्द्धनात्मक कार्य शुरू किये गये हैं। हमें आशा है कि आगामी वर्ष में म्यांमार और भारत के बीच पर्यटन की बेहतर संभावनाएं होंगी।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति: मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवंश आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, विशाखापत्तमन को पर्यटन विकास हेतु मात्र 20 लाख रुपये आबंटित किय गये हैं। मुझे उन दूसरे राज्यों से ईर्षा नहीं हो रही है जिन्हें 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक की राशि दी गई है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में पर्यटन केंद्रों की अत्यधिक उपेक्षा की गई है। खास तौर पर विशाखापत्तनम के मामले में ऐसा हुआ है। जहां बौद्ध लोगों के कई पर्यटन केंद्र हैं। जापान बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भारत को धन देना चाहता था और इसके साथ सहयोग भी करना चाहता था और माननीय मंत्री जी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। क्या मंत्रालय के बौद्ध पर्यटन संबंधी कार्यों में सुधार लाकर जापान और भारत के बीच संबंध स्थापित करने की कोई योजना है? मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, यद्यपि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने पर्यटन के संबंध में 'विजन 2020' योजना भी तैयार की है। यदि आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापत्तनम और म्यांमार के बीच पर्यटन विकास के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करती है तो हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद इसका समर्थन कर सकते हैं।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति: मैं जापान के साथ किये गये सहयोग के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी समय था जब म्यांमार जाने के इच्छुक भारतीय पर्यटकों को वीजा प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। यद्यपि उन्हें वीजा देने से कभी इंकार नहीं किया गया, लेकिन उस देश का सात दिन का दौरा करने के इच्छुक किसी भारतीय पर्यटक को यह स्पष्ट करना पड़ता था कि वह किस दिन किस पर्यटक स्थल का दौरा करेगा जैसे पहले दिन स्वेडेगन प्रगोडा का और दूसरे दिन किसी अन्य स्थल का दौरा आदि। इससे भारतीय पर्यटकों को कुछ कठिनाई हो गई थी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या अब वीजा आसानी से मिल जाता है और भारतीय पर्यटकों को पहले की अपेक्षा अब आसानी से वीजा मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह विदेश मंत्रालय से संबंधित है अथवा पर्यटन मंत्रालय से?

श्री अनन्त कुमार: बीजा की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है हम म्यांमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यदि हम म्यांमार के साथ पर्यटन समझौता करेंगे तो स्थिति में सुधार हो सकता है।

श्री एम. ओ. एच. फारूक: जहां तक पर्यटन उद्योग का संबंध है, ऐसी कठिन परिस्थिति, जिसमें भारत सरकार पर्यटन विकास के लिए धनराशि आबंटित नहीं कर रही हैं को देखते हुये क्या विभाग विदेशी निवेश स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो क्या यह बात म्यांमार पर भी लागू होगी और कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी जायेगी?

श्री अनन्त कुमार: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के अनुबंध के अनुसार, इसके 51 प्रतिशत को पर्यटन अवसंरचना विकास में स्वत: ही अनुमति दी जाती हैं। विशेष मामलों में 100 प्रतिशत की अनुमति भी दी जाती है। पिछले दो वर्षों में पर्यटन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत को लगभग दो बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। म्यांमार से निवेश करने के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। हम अपनी परामर्शदात्री सेवायें दे सकते हैं और हम अपने देश के होटल मालिकों को म्यांमार में होटल खोलने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री ए. सी. जोस: महोदय, हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सरकारों के साथ समझौता कर रहे हैं। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी बाधा विमान और उसमें सीटों की अनुपलब्धता है। क्या पर्यटन मंत्रालय विशेष रूप से केरल के लिए चार्टर्ड उड़ानों (फ्लाइट्स) की व्यवस्था करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से बातचीत करेगा? केरल में हमारे तीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। लेकिन विमान नहीं आ रहे हैं और सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

क्या सरकार विशेष रूप से लेटिन अमरीका से भारत के विभिन्न गंतव्यस्थलों तक चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ बातचीत करने पर विचार करेगी? लेटिन अमरीका से कई उड़ानें आती हैं लेकिन वहां सीट उपलब्ध नहीं होती। इसलिए, क्या पर्यटन मंत्रालय म्यांमार और अन्य स्थानों से भी विमान में और अधिक सीटों की व्यवस्था करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ एकमुश्त सौदा करने पर विचार करेगा?

श्री अनन्त कुमार: महोदय, हमें भारत आने-जाने के लिए 11.6 मिलियन विमान सीटों की आवश्यकता है लेकिन हमारे पास केवल 5.4 मिलियन विमान सीटें है। 6.2 मिलियन सीटें कम हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रिय सहयोगी शदर यादव जी 6.2 मिलियन सीटों की इस समस्या की जांच करेंगे ताकि भारत में पर्यटन का भी तेजी से विकास किया जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कच्चे तेल का उत्पादन

***363. श्री समर चौधरी:**
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल की मांग और इसके स्वदेशी उत्पादन के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन एवं मांग के बीच अंतर को कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) इन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) कच्चे तेल का और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी, हाँ। रिफाइनरी थ्रुपुट के संबंध में कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन और इसकी मांग के बीच अंतर है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

कच्चे तेल का उत्पादन और मांग

मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी)

वर्ष	उत्पादन	मांग (रिफाइनरी क्रूड थ्रूपुट के संबंध में)
1996-97	32.901	62.870
1997-98	33.858	65.166
1998-99	32.722	68.538
1999-2000	31.949	85.964
2000-2001 (ब अ)*	32.462	112.823

*(ब अ : बजट अनुमान)

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें निम्न सम्मिलित हैं:

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना। इनसे क्षेत्रों से तेल उत्पादन में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

(2) उत्पादक क्षेत्रों से अधिक गहरी परतों में अन्वेषण करके भंडारों में वृद्धि करना।

(3) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहरे जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना।

(5) वर्कओवर और उत्प्रेरण कार्यों में वृद्धि करना।

(6) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना।

(7) नए और उत्पादक क्षेत्रों में त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षणों के उपयोग में वृद्धि करना।

जो एन जी सी ने भी वर्तमान वर्ष अर्थात् 2000-2001 में 24.6 एम एम टी के वार्षिक समझौता ज्ञापना लक्ष्य से अधिक अतिरिक्त 0.5 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) कच्चे तेल का उत्पादन करने के लिए अपनी योजनाओं और निवेशों से प्रगति करके कदम उठाए हैं।

वर्ष 2001-02 के दौरान स्वदेशी उत्पादन लगभग 32.30 एम एमटी होने का अनुमान है। बाद के 2-3 वर्षों के लिए उत्पादन की मात्रा बराबर रही होती, पर ऊपर वर्णित उपायों से उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

स्काई बस मेट्रो सिस्टम

*366. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल निगम लिमिटेड ने देश के कुछ महानगरों में "स्काई बस मेट्रो सिस्टम" स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या ऐसी परियोजना का देश के अन्य शहरों में भी विस्तार और विकास किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) कोंकण रेल निगम ने केवल यह सुझाव दिया है कि स्काई बस मेट्रो सिस्टम कुछेक बड़े शहरों की शहरी परिवहन समस्याओं के लिए संभावित हलों में से एक हो सकता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव के प्रति रुचि दर्शाई है और वे कोंकण रेल निगम के साथ बातचीत कर रही हैं । बहरहाल, यह प्रस्ताव अभी केवल वैचारिक स्तर पर ही है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 में संशोधन

*367. **डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सत्यम समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मौजूदा हथकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अधिनियम में संशोधन पेश करने के बारे में हथकरघा उद्योग और बुनकरों के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं अथवा कर रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुरक्षोपायों का कार्यान्वयन

*368. **श्री अशोक रा. मोहोल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल सुरक्षोपायों को लागू करने में धन की गंभीर कमी का सामना कर रही है;

(ख) क्या रेलवे ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) रेलवे इस समय आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं इसके बावजूद, संरक्षा संबंधी कार्यों को, उपलब्ध संसाधनों के भीतर उनकी प्राथमिकता के आधार पर, निष्पादित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में संरक्षा संबंधी कार्यों पर किया गया योजना खर्च निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

1998-99	:	2313.04
1999-2000	:	2656.12
2000-2001	:	3571.04

निवेश में अनुवर्ती कमी तथा अवसंरचनात्मक स्तर पर जरूरी सुधार करने में विलंब के कारण कई वर्षों से रेलों की संरक्षा संबंधी तत्परता की उपेक्षा हुई है। इसे देखते हुए चालू वर्ष के आवंटन में रेलपथ नवीकरण और दूरसंचार संबंधी कार्यों के लिए राशि के आवंटन में क्रमशः 37% और 26% का उच्चतर आवंटन किया गया

है जो पिछले वर्ष के परिव्यय की तुलना में अधिक हैं। बहरहाल, इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है। पृथक रूप से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 50 करोड़ रुपए की लागत पर दुर्घटना रोधी पायलट परियोजना स्वीकृत की गई हैं। संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपाय भी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ड्राइवर और गार्डों को बॉकी-टॉकी सेट उपलब्ध कराना शामिल है।

रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केंद्र सरकार रेलों को उनकी गतायु परि-संपत्तियों का पुनर्स्थापन करने हेतु 15,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था करे। इस सिफारिश की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। बहरहाल, सरकार ने समपारों पर चौकीदार तैनात करने और ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करने जैसे संरक्षा संबंधी विशिष्ट कार्यों के सुचारु निष्पादन के लिए रेलों को केंद्रीय सड़क निधि से 1999-2000 के दौरान 200 करोड़ रुपए और चालू वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं।

[हिन्दी]

बंद हो गई कम्पनियां

***369. श्री रामदास आठवले:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने उन कम्पनियों, जिन्होंने छोटे निवेशकों को धोखा दिया है, के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध परिसमापन हेतु कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों का पता लगाने और कम्पनियों की ओर से विशेषकर छोटे निवेशकों को धन की वापसी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 142 चूककर्ता कम्पनियों की लुप्त कम्पनियों के रूप में शिनाख्त की गई थी, जिनमें से 93 कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी कार्य विभाग (डी सी ए) ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधो के तहत अभियोजन दायर किए थे। 37 कम्पनियों जो अपने सांविधिक दस्तावेज जैसे तुलन पत्र तथा वार्षिक विवरणियां दायर करने में नियमित हैं, के विरुद्ध कोई अभियोजन दायर नहीं किए गए हैं। 08 कम्पनियां समापनाधीन हैं। 03 कम्पनियों की परिसम्पत्तियां पंजाब व कर्नाटक सरकार द्वारा (क्रमश: 2 कम्पनी एवं 1 कम्पनी) जब्त कर ली गई हैं तथा 01 कम्पनी औद्योगिक वित्त एवं पुनर्वास बोर्ड (बी आई एफ आर) की कार्यवाही के अधीन हैं।

(ग) और (घ) उक्त (ख) में वर्णित 93 कम्पनियों में से 24 कम्पनियों की उपयुक्त जांच के बाद भी लुप्त के रूप में शिनाख्त की गई है। इन 24 कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के तहत समापन कार्यवाही शुरू करने के निर्देश प्रादेशिक संगठनों को जारी कर दिए गए हैं ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कोर्ट के आदेशों के अनुसार भुगतान के लिए समापक द्वारा इन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों से राशि प्राप्त की जा सके। प्रादेशिक संगठनों को इन कम्पनियों को प्रादेशिक आर्थिक सतर्कता एजेन्सियों को अग्रेषित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 24 कम्पनियों के विरुद्ध पुलिस शिकायतें भी दायर की गई हैं। डी. सी. ए. ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों एवं वित्त सचिवों को निवेशक संरक्षण अधिनियम (जहां भी उपयुक्त हो) और या/भारतीय पैनल कोड के तहत पूर्वोक्त 24 कम्पनियों के विरुद्ध पैनल कार्रवाई करने के लिए लिखा है।

खन्ना समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

***370. श्री रामचन्द्र चैंदा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं संबंधी खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट भाग-दो सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों में इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

"गेल" और "गजप्रोम" के बीच समझौता

***371. श्री जी॰ एस॰ वसवराज:**
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और गैस की खोजी करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण और रूस के "गजप्रोम" के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस समझौते के अंतर्गत तेल की खोज के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ग) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के प्रथम दौर के अंतर्गत उत्तर-पूर्व तट के अपतटीय ब्लाक एन.ई.सी. - ओ.एस.एन.-97/1 में तेल ओर गैस के अन्वेषण के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और रूस की गजप्रोम के परिसंघ के साथ एक उत्पादन हिस्सेदारी ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(ख) ठेके की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) इस ब्लाक में अन्वेषण, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) के जारी होने के बाद आरम्भ हो सकता है।

विवरण

एन ई सी ओ एस एन-97/1 ब्लाक के ठेके की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- कोई हस्ताक्षर, खोज अथवा उत्पादन बोनस नहीं।
- वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ से सात वर्ष के लिए आयकर से छूट।
- पेट्रोलियम अन्वेषणों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।
- बोलीयोग्य लागत वसूली सीमा 100 प्रतिशत।
- अन्वेषण और वेधन व्ययों का प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन से दस वर्ष की अवधि तक परिशोध करने का विकल्प।
- ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर पूर्व निवेश बहुलक पर आधारित लाभ पेट्रोलियम की बोलीयोग्य हिस्सेदारी।
- रायल्टी का भुगतान, तेल और गैस के लिए 10 प्रतिशत की दर सि किया जा सकेगा।
- ठेके में राजकोषीय स्थाइत्व का उपबंध।
- ठेकेदार को घरेलू बाजार में तेल और गैस के विपणन की स्वतंत्रता।
- कार्य सुपुर्दगी का उपबंध।
- माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 जो यू एन सी आई टी आर ए एल माइल पर आधारित है, लागू होगा।
- अन्वेषण कार्य सात वर्ष की अवधि में तीन चरणों में किया जाएगा।

मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" की स्थिति

***372. श्री राशिद अलवी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" खर्चीला सफेद हाथी बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारी अपव्यय और राष्ट्र की रक्षा तैयारी में लापरवाही हेतु कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के डिजाइन और विकास पर कुल व्यय 305.60 करोड़ रुपए है जोकि इसके लिए विकसित की गई तथा इसमें समाहित की गई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को देखते हुए सर्वथा न्यायोचित है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन अत्यंत महंगे विश्व स्तरीय समकालीन टैंकों की तुलना में सर्वाधिक उपयुक्त है तथा सेना द्वारा इसके लिए आर्डर दे दिए गए हैं। उत्तरदायित्व तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश योजना

*373. श्री ए. नरेन्द्र:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कोई निवेश योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विदेशी कम्पनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम की कुछ परियोजनाओं के शुरू किए जाने की संभावना है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) ने कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजित निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. के विदेशी कम्पनियों के साथ चल रहे निम्न संयुक्त उद्यम हैं:

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रवर्तक
1	2
क. *इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड*	
1. इंडो मोबिल लि॰	आई.ओ.सी. और मोबिल पेट्रोलियम इंक. यू.एस.ए.
2. एवी-आयल इंडिया लि॰	आई.ओ.सी., बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड और नाइको एस.ए. फ्रांस
3. इंडियन आयल टैंकिंग लि॰	आई.ओ.सी., आई.बी.पी. कंपनी लि., और आयल टैंकिंग जी.एम.बी.एच., जर्मनी
4. लुब्रीज़ाल इंडिया लि॰	आई.ओ.सी. और लुब्रीज़ाल कारपोरेशन, यू.एस.ए.
5. इंडियन आयल पेट्रोनास लि.	आई.ओ.सी. और पेट्रोनास, मलेशिया
ख. *भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड*	
1. भारत ओमान रिफाइनरीज लि.	बी.पी.सी.एल. और ओमान आयल कंपनी लि., ओमान
2. भारत शैल लि.	बी.पी.सी.एल. और शैल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी वी (शैल), हालैंड

विवरण

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि॰ द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजित निवेश का ब्यौरा

	परियोजनाएं	नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए)
	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	
1.	रिफाइनरी	11047.46
2.	पाइपलाइनें	5050.77
3.	विपणन	6478.48
4.	असम तेल प्रभाग	948.02
5.	विद्युत	436.50
6.	तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) योजना	142.00
7.	पेट्रो रसायन	986.90
8.	अन्वेषण	249.00
9.	अनुसंधान और विकास केन्द्र	199.00
10.	इंडियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड	40.00
	योग (आई. ओ. सी.)	25488.13
	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	
1.	रिफाइनरी	2616.28
2.	पाइपलाइनों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों सहित पाइपलाइन	461.29
3.	विपणन	2060.70
4.	तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी)	85.00
5.	पेट्रो रसायन	499.70
6.	संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश (पाइपलाइनों और एल एन जी के अलावा)	816.93
	योग (बी॰ पी॰ सी॰ एल॰)	6539.90

हस्तशिल्प निर्यातकों को सुविधाएं

***374. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसी पंजीकृत इकाइयां कितनी हैं जो हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात करती हैं;

(ख) निर्यातको को दी जा रही रियायतों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के साथ 6181 इकाइयां और कालीन निर्यात संबर्धन परिषद के साथ 2501 इकाइयां पंजीकृत हैं।

(ख) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं, ड्यूटी ड्रा बैक, लदान-पूर्व और लदान-पश्चात रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा, अन्तराराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों और अध्ययन-दौरों आदि में भाग लेने के लिए निर्यातकों को विपणन विकास सहायता, अन्तरराष्ट्रीय क्रेताओं के लिए नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला तथा कालीन एक्स्पो आयोजित करने के लिए सहायता, निर्यात प्रक्रिया, प्रलेखन और पैकेजिंग आदि पर कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु सहायता, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद एवं डिजाइन विकास के लिए मुरादाबाद में राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना और भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना शामिल है।

(ग) और (घ) कोई नई स्कीम नहीं बनाई गई है। तथापि, सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय क्रेताओं के लिए एक स्थाई सम्पर्क केन्द्र मुहैया कराने की दृष्टि से हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के ग्रेटर नोएडा में इण्डिया एक्सपोजिशन मार्ट स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। मार्ट में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इससे भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की अपेक्षा है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया जाना

***375. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, हां। तेल अवीव, सियोल तथा जिनेवा जाने तथा वापिसी के लिए मार्च, 1998 में और फ्रैंकफर्ट, मानचैस्टर तथा रोम जाने तथा वापिसी के लिए मई, 1999 में एअर इंडिया ने अपनी सेवाओं का प्रचालन बन्द कर दिया था। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1999 में दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कोड शेयर उड़ानों को भी बन्द कर दिया गया था। लागत प्रभावी तरीके से इसके मार्गों की पुन: संरचना करने संबंधी नीति के एक भाग के रूप में एअर इंडिया द्वारा इन सेवाओं को हटाया/बंद किया गया था। ताकि केवल कोर मार्गों पर क्षमता को पुन: लगाकर इसके राजस्व में सुधार लाया जा सके और इसकी मार्केट हिस्सेदारी और लाभप्रदता में सुधार किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय पत्तनों का विकास

***376. श्री नरेश चुगलिया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय पत्तनों के विकास हेतु आधुनिकीकरण योजना को कब तक बनाए जाने और अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) भौतिक और ऐतिहासिक कारणों से पत्तनों की विशेषताएं भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय महापत्तनों में सामान्यत: उसी प्रकार की सुविधाएं हैं जो विश्व के अन्य पत्तनों में हैं परन्तु उनमें से प्रत्येक का कार्य निष्पादन थ्रुपुट और उत्पादकता जैसे मानदंडों के आधार पर विश्व के अत्यधिक कार्यकुशल पत्तनों के साथ अनुकूल रूप से तुलना नहीं कर पाता है।

(ग) से (ङ) महापत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में भारतीय महापत्तनों और उनकी उत्पादकता के मानकों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया जा रहा है:

- नए बर्थों का निर्माण करना और उपकरणों से सज्जित करना।

– उभरते हुए मिश्रित कार्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम उपकरण की खरीद।

– इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई डी आई) की स्थापना।

– जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी टी एम एस) की स्थापना।

– श्रमिक प्रशिक्षण और कल्याण।

– निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भूमिका।

– महापत्तनों की निगमीकरण।

विमानों में टक्कर चेतावनी प्रणाली का लगाया जाना

*377. **श्री पी. एस. गढ़वी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 2000 से सभी विमानों में उड़ान के दौरान टक्कर बचाव प्रणाली (ए.सी.ए.एस) अनिवार्य हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में गैर-सरकारी और सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाले विमानों में अब तक लगाई गई उड़ान के दौरान टक्कर बचाव प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ान के दौरान टक्कर प्रणाली लगाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 1 जनवरी, 1999 से भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रचालन कर रहे 30 से अधिक सीट क्षमता वाले अथवा 3 टन से अधिक की पे-लोड क्षमता वाले सभी विमानों पर एयरबोर्न कोलिजन एवोयडेंस प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वे विमान जिनकी सीट क्षमता 10 से 30 टन अथवा पे-लोडक्षमता 1 टन से 3 टन से अधिक का प्रमाणन किया हो, इनमें 31.12.2003 तक एसीएएस-1 का लगाया जाना अपेक्षित है।

(ख) इस समय वे सभी विमान जिनका ऑल अप भार 5700 किलोग्राम से अधिक है और सीट क्षमता 30 यात्रियों से अधिक है, में एसीएएस-II लगे हुए हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यातायात में वृद्धि के अनुरूप अवसंरचना विकास

*378. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की हाल ही की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में यातायात वृद्धि के अनुरूप विमानपत्तन अवसंरचना का विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यातायात में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विमान पत्तनों पर अवसंरचना का विकास करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) बुनियादी संरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए प्रारूप देश ढांचागत रिपोर्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हवाई अड्डे के विकास और कोटिउन्नयन में 1100 करोड़ रुपए के निवेश का अंतर आएगा। हवाई अड्डे को पट्टे पर देकर और हवाई अड्डे से प्राप्त राजस्व में वृद्धि करके निवेश के फासले (गैप) को पूरा किया जाना प्रत्याशित है।

[हिन्दी]

हथकरघा/विद्युत करघा इकाइयों का बंद होना

*379. **श्री माधसिंह पटेल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा और विद्युतकरघा इकाइयां उचित दरों पर सूती धागे की अनुपलब्धता के कारण बंद होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में आज तक कितनी इकाइयां बंद हो गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूती धागे की अपर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए धागे का आयात करने में कोई ढील देने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में सूती यार्न के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में सूती यार्न के आयात की अनुमति 25 प्रतिशत के आयात शुल्क पर ओ.जी.एल. के अंतर्गत दी जाती है।

(घ) सूती यार्न के निर्यात की अनुमति देश में यार्न की घरेलू आवश्यकता और यार्न के उत्पादन को ध्यान मे रखकर दी जाती है। देश में सूती यार्न के उत्पादन में वृद्धि होने की प्रवृति देखी गयी है। इस समय घरेलू खपत के लिए सूती यार्न की उपलब्धता की कोई कमी न होने के कारण, सूती यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

रेल प्रणाली के लिए संभाव्यता अध्ययन

*380. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनॉमिक सर्विसेज ने देश में रेल प्रणाली के लिए रेल लाइन क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था का कोई संभाव्यता अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

माहे नदी से वल्लापत्तनम नदी तक नौवहन नहर का विकास

3916. **श्री टी॰ गोविन्दन:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी केरल में पश्चिम तटीय नहर की माहे नदी से वल्लापत्तनम् नदी तक की नौवहन नहर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) माहे नदी से वल्लापतनम् नदी के बीच नौचालन नहर का निर्माण करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई. डब्ल्यू. ए. आई.) के साथ परामर्श करके जांच की गई और इसमें कार्गो अनुमान, व्यय की चरणबद्धता, कार्यान्वयन अनुसूची आई.आर.आर. परिकलन, अनुमान के आधार, राज्य सरकार से बराबर मात्रा में निधियों की उपलब्धता इत्यादि से संबंधित कमियां पाई गईं। किसी भी परियोजना को संस्वीकृत करने के लिए इनकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। इसलिए, प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया और राज्य सरकार को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। राज्य सरकार से संशोधत प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

4 अफरमैक्स टैंकरों की खरीद

3917. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम (एस॰ सी॰ आई॰) ह्युन्डाई हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, दक्षिण कोरिया से 4 अफरमैक्स टैकरों की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौवहन निगम निविदा प्रपत्रों में सुपुर्दगी की दी गई 26 महीने की समय सीमा को एक वर्ष तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ह्युन्डाई हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, दक्षिया कोरिया भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है जैसा कि 24 अप्रैल, 2000 के "फाइनेन्शियल टाइम्स" लन्दन में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम से कहा है कि वह 4 अफरमैक्स टैंकरों की खरीद के लिए इस कंपनी को भारी धनराशि अग्रिम के तौर पर उस तरह से न दे जिस तरह से हाला इंजीनियरिंग और हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड दक्षिण कोरिया को किसी अन्य खरीद के लिए दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। निविदा दस्तावेजों में डिलीवरी शिड्यूल निर्धारित नहीं है। तथापि वाणिज्यिक पेशकशों के मूल्यांकन के लिए डिलीवरी शिड्यूल और भुगतान की शर्तों पर विचार किया जाता है। तदनुसार डिलीवरी शिड्यूल आर्डर देने के समय तय किया गया है।

(घ) से (च) भारतीय नौवहन निगम शिपयार्डों का चयन करते समय शिपयार्डों के तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखों के आधार पर वित्तीय शक्ति का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर मैं० ह्युन्डाई हैवी इंडस्ट्रीज को परियोजना शुरू करने के लिए वित्तीय तौर पर सक्षम पाया गया था। भारत सरकार ने ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया है जिसमें भारतीय नौवहन निगम को 4 अफ्रामैस टैंकरों की खरीद के लिए शिपयार्ड को भुगतान करने से रोका गया हो। मै० हल्ला इंजीनियर एंड हैवी इंडस्ट्रीज लि०, साऊथ कोरिया के मामले में ठेके को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि शिपयार्ड को दिवालिया घोषित किया जा चुका था।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पदों के लिए अधिकतम सीमा

3918. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशकों के नाम व उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विभिन्न पदों के लिए कोई अधिकतम सीमा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कलकत्ता और गुवाहटी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन स्टेशनों पर क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशकों के नाम और तैनाती की तारीख इस प्रकार है:

(1) श्री वी. के. कालरा, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक को दिनांक 28.04.1998 को पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई में तैनात किया गया था।

(2) श्री एस. सी. गोस्वामी, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक को दिनांक 19.04.1999 को उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में तैनात किया गया था।

(3) श्री ए. के. मिश्रा क्षेत्रीय, कार्यकारी निदेशक को दिनांक 10.07.1995 को पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता में तैनात किया गया था।

(4) श्री एस. आर. आर. राव, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक को दिनांक 16.04.1998 को दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नै में तैनात किया गया था।

(5) श्री टी. के. दास, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक को दिनांक 14.09.2000 को पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहटी में तैनात किया गया था।

एक स्टेशन पर तैनाती की अवधि सामान्यत: 4-5 वर्ष होती है।

इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

3919. श्री जी. गंगा रेड्डी:
डा. राजेश्वरम्मा चुक्कला:
श्री डी. वी. जी. शंकर राव:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंन्डिया की परिषद में कितने सरकारी प्रतिनिधि है और उनके क्या कार्य हैं;

(ख) क्या परिषद के कुछ सदस्यों ने प्रेस वक्तव्य जारी करके "सेबी" के बारे में सरकारी नीति की आलोचना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनिमय, 1949 की धारा 9(2) ख के अनुसार केन्द्रीय सरकार इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंन्डिया (आई.सी.ए.आई.) की परिषद में छ: व्यक्तियों को नामित कर सकती है। सरकार ने इन सभी छ: स्थानों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नामित किया है।

आई.सी.ए.आई. की परिषद के कर्तव्य इंस्टिट्यूट के मामलों का प्रबंधन करना तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 के तहत नियोजित कार्यों तथा उसके तहत गठित नियामकों का निर्वाह करना है।

(ख) आई.सी.ए.आई. ने कहा है कि इंस्टिट्यूट के किसी भी परिषद सदस्य ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सेबी की कार्यशैली पर कोई आलोचनात्मक या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की हैं। तथापि, आई सी ए आई ने कहा है कि इंस्टिट्यूट ने प्रतिभूति कानूनों की विवेचना पर धनुका समिति की रिपोर्ट से संबंधित कुछ पर्यवेक्षण तथा सुझाव दिए हैं जिनकी रिपोर्ट प्रेस के अनुभागों में की गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरिपुलों का निर्माण

3920. श्री जय प्रकाश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कई सड़क उपरिपुलों और सड़कों के नीचे बनने वाले पुलों के निर्माण कार्य में धनाभाव के कारण विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी परियोजनावार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उत्तर रेल/पूर्वोत्तर रेल से और अधिक धन देने की मांग करते हुए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में धनाभाव के कारण आमान-परिवर्तन, रेल लाइनों का दोहरीकरण और नई रेल परियोजनाओं का कार्य भी रुका पड़ा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के समय पर पूरा करने और आवश्यक वित्तीय सहायता जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ऊनी कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार

3921. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊन अनुसंधान संघ ने देश में ऊनी कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार हेतु कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी॰ धनंजय कुमार): (क) जी हाँ।

(ख) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यू.आर.ए.) ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के दो एककों नामत: न्यू एगर्टन वून मिल्स, धारीवाल और कानपुर वूल मिल्स, कानपुर के लिए एक तकनीकी आर्थिक अर्थक्षमता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। डब्ल्यू.आर.ए. की रिपोर्ट और ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (बी. आई. सी) द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार प्रस्ताव के आधार पर सरकार ने सरकारी ऋणों पर ब्याज को माफ करने और मूल ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के अतिरिक्त, बी.आई.सी. की वूलन मिलों के लिए 211 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से एक पुनरुद्धार प्रस्ताव का अनुमोदन किया है; जिसे बेशी भूमि और परिसम्पत्तियों की बिक्री (125 करोड़ रु॰) और अनुदान के रूप में 49 करोड़ रु॰ की बजटीय सहायता तथा 37 करोड़ रु॰ के ब्याज मुक्त ऋण से पूरा किया जाएगा।

चूंकि बी.आई.सी. की वूलन मिलों के बंद करने के मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष हैं, इसलिए उच्च न्यायालय से इस आशय का अनुरोध करने की कार्रवाई की गई है कि वह इस मामले को बी.आई.एफ.आर. को लौटा दे ताकि वह पुनरुद्धार पर विचार कर सके।

[अनुवाद]

मेरठ छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण

3922. डा॰ जसवंतसिंह यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेरठ छावनी क्षेत्र में श्रेणीवार कुल कितना भू अतिक्रमण किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया और मेरठ छावनी क्षेत्र की कुल भूमि का यह कितना प्रतिशत है; और

(ग) इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) मेरठ छावनी में अतिक्रमण वाली कुल रक्षा भूमि का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं॰	श्रेणी	अतिक्रमण के अंतर्गत क्षेत्र (एकड़ों में)
1	बी-4 (रक्षा संपदा अधिकारी के प्रबंधनाधीन	5.6378
2	श्रेणी बी-4/सी (छावनी परिषद के प्रबंधनाधीन)	12.7500
3	श्रेणी ए-1 (सेना के प्रबंधनाधीन)	0.2688

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल रक्षा भूमि पर किया गया अतिक्रमण और मेरठ छावनी में कुल रक्षा भूमि में इसका प्रतिशत इस प्रकार है:

क्रम सं॰	पिछले तीन वर्षों के दौरान वह क्षेत्र जिस पर अतिक्रमण किया गया	कुल भूमि का प्रतिशत
1	रक्षा संपदा अधिकारी के प्रबंधनाधीन 0.55 एकड़	1.3370%
2	छावनी परिषद के प्रबंधनाधीन 1.29 एकड़	0.0146%

(ग) छावनी अधिनियम 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (पी.पी.ई. अधिनियम 1971 के उपबंधों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए रक्षा सम्पदा महानिदेशक और सेना मुख्यालयों को निदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत रक्षा सम्पदा अधिकारी ने 179 मामलों में और छावनी परिषद ने 104 मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्षा सम्पदा अधिकारी ने 43 मामलों में अंतिम आदेश पारित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, छावनी परिषद द्वारा 6.328 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

3923. श्री पुष्प जैन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित विभिन्न गुणवत्ता वाले वस्त्रों की गुणवत्तावार मात्रा और मूल्य कितना था तथा उनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(ख) वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ द्वारा विभिन्न प्रकार के भारतीय वस्त्रों पर लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी॰ धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के मूल्य की मात्राओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। भारतीय वस्त्रों को संपूर्ण विश्व में 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। तथापि, निर्यात के प्रमुख देशों यू.एस.ए. तथा यूरोपीय यूनियन के सदस्य राष्ट्रों, कनाडा, जापान और आस्ट्रेलिया को किया जाता है।

(ख) विदेशों में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। कुछेक महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार है:

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में इसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके।

(2) निर्यातकों को निर्यात संबर्द्धन पूँजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत शुल्क की 5% की रियायती दर पर पूँजीगत माल का आयात करने की सुविधा प्रदान की गई।

(3) परिधान निर्यातकों को कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग्स और परिष्करण की शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है।

(4) सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है, इस मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण द्वारा कपास की प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।

(5) वस्त्र क्षेत्र में कुछ रियायतों के साथ स्वचल मार्ग से 100% तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति देना।

(6) सरकार ने प्रमुख व्यापारिक सहभागियों अर्थात् ई.यू. और अमरीका के साथ शुल्क बाध्यताओं के मुद्दे को हल कर दिया है। इसके अनुसरण में ई. यू. ने शेष वर्षों के दौरान 2004 तक अर्थात् वस्त्र कोटा नीति के समाप्त होने तक प्रत्येक वर्ष 8000 टन की विशिष्ट रियायतें जारी करने पर सहमति प्रकट की है।

(7) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उसकी 6 शाखाएँ और अपैरल प्रशिक्षण व डिजायन केन्द्र (ए.टी.डी.सी.) डिजायन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(8) सुसंगत रूप में वस्त्र उद्योग के सुव्यस्थित व निरंतर विकास और उन्नति के लिए नीतिगत दिशानिर्देशन और वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए हाल ही में, वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

(ग) और (घ) विगत कुछ वर्षों से, भारत की चार वस्त्र उत्पाद श्रेणियों, नामत: (1) बिना धुले सूती फैब्रिक्स (यू.सी.एफ.) (2) सूती टाइप बेड लिनेन; (3) पोलिएस्टर टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न (पी.टी.एफ.वाई.) और (4) पोलिएस्टर स्टेपल फाईबार (पी.एस.एफ.) को

यूरोपीय कमीशन (इ. सी.) द्वारा प्रतिपाटन कार्रवाई अध्यधीन किया गया है। जबकि यूरोपीय कमीशन यू.सी.एफ. और पी.टी.एफ.वाई. पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया है, उन्होंने अन्य दो उत्पादों पर अनंतिम/निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया।

भारत ने डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान तंत्र के अधीन सूती टाइप बेड लिनेन पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की यूरोपीय कमीशन की कार्रवाई को चुनौती दी। पैनल ने भारत के पक्ष के कुछ दावों का निर्णय लिया है तथा यूरोपीय कमीशन को प्रतिपाटन करार के अनुरूप अपनी कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि, यूरोपीय कमीशन ने पैनल के निष्कर्षों के विरुद्ध अपीलेट निकाय के समक्ष अपील की है।

जहाँ तक पी.एस.एफ. का प्रश्न है, यूरोपीय कमीशन ने केवल अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया है। भारत ने अनंतिम शुल्कों को खत्म करने के लिए यूरोपीय कमीशन को विश्वस्त करने के लिए यूरोपीय यूनियन देशों में मिशन के साथ इस मसले को उठाया है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र मदों के निर्यात का मूल्य

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र॰ सं॰	मद	1997-98	1998-99	1999-2000	अप्रैल-अक्टू, 2000
1	2	3	4	5	6
1	सिले सिलाए परिधान	4910.7	5268.4	5524.5	3073.8
2	सूती वस्त्र (क+ख+ग)	4004.5	3899.5	4084.1	2721.9
	(क) सूती फैब्रिक्स एवं मेडअप्स (एम. एल.)	1951.2	2003.9	2104.3	1409.4
	(ख) सूती फैब्रिक्स एवं मेडअप्स (एच. एल.)	475.0	477.3	436.6	467.5
	(ग) सूती यार्न	1578.3	1418.3	1543.2	845.0
3	मानव-निर्मित वस्त्र	1013.2	968.4	1093.3	628.2
4	ऊन तथा ऊनी वस्त्र	305.1	272.0	264.3	175.1
5	रेशम	243.3	246.2	294.0	173.9

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वस्त्र मदों के निर्यात की मात्रा

क्र॰ सं॰	मद	1997-98	1998-99	1999-2000	अप्रैल-अक्टू, 2000	एकक
1	2	3	4	5	6	7
1	सिले सिलाए परिधान	1314.20	1390.80	1441.30	778.10	मिलियन पीस
2	सूती वस्त्र (क+ख+ग)					
	(क) सूती फैब्रिक्स	4364.14	4854.35	4949.39	1223.14	मि॰ वर्ग मी॰
	(ख) सूती यार्न	485.44	486.66	554.95	303.72	मिलि. किग्रा.
	(ग) सूती मेडअप्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
3	मानव-निर्मित वस्त्र	235790.32	254244.40	346970.13	175986.69	मीट्रिक टन
4	ऊन तथा ऊनी वस्त्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाख
5	रेशम	लागू नहीं	363.34	408.03	235.84	वर्ग मी.

[अनुवाद]

वायुदूत की पूर्ववर्ती उड़ानों की बहाली

3924. श्री विनोद खन्ना: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुदूत पहले दिल्ली और लुधियाना के बीच नियमित रूप से दो उड़ानों का संचालन किया करता था परन्तु इंडियन एयरलाइन्स में इसके विलय के बाद दोनों उड़ानों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स से लुधियाना-शानेवाला हवाई अड्डे पर वायुदूत द्वारा पूर्व में संचालित उड़ानों की बहाली के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या लुधियाना के शानेवाला हवाई अड्डे से इन सिविल उड़ानों को फिर से शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) वायुदूत पहले एचएस-748 विमान से दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सैक्टरों पर हवाई सेवाओं का प्रचालन कर रहा था और मार्जिनल लाभ कमा रहा था।

(ख) जी हाँ। सर्वेक्षण से पता चलता है कि लुधियाना के लिए/और लुधियाना से इंडियन एयरलाइन्स की विमानों सेवाओं का प्रचालन, विमान-बेड़े में उपलब्ध छोटे प्रकार के विमानों से किया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक पहलुओं से तथा इस समय प्रचालनात्मक कठिनाइयों की वजह से लुधियाना के लिए/और लुधियान से होकर इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का प्रचालन किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

पटसन की बिक्री

3925. श्री अनन्त नायक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अक्टूबर, 1999 में आए भयानक तूफान के बाद उड़ीसा के कई भागों में पटसन की निराशाजनक बिक्री की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में खासकर प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पटसन खरीद केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्य में पटसन की खेती करने वालों को आवश्यक सहायता देन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी॰ धनंजय कुमार): (क) और (ख) पटसन मौसम वर्ष 1999-2000 के दौरान, उड़ीसा सहित सभी पटसन उत्पादक राज्यों मे अपरिष्कृत पटसन की कीमतें सामान्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर ही रही। तथापि, उडीसा में भयंकर बाढ़ तथा चक्रवात के बावजूद, बलियापाल (बालासौर जिला) में अपरिष्कृत पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे आ गई, और भारतीय पटसन निगम ने बलियापाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाया और दिसंबर 1999 के दौरान लगभग 693 क्विंटल की खरीद की और जिसके पश्चात कीमतें समर्थन मूल्य से ऊपर आ गई। उड़ीसा के किसी अन्य स्थान से किसी प्रकार तुरंत बिक्री की कोई रिपोर्ट नहीं थी। भारतीय पटसन निगम के उड़ीसा में 7 (सात) खरीद केन्द्र हैं।

बलियापाल के अतिरिक्त, किसी अन्य केन्द्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाने के लिए नहीं कहा गया था। उड़ीसा में भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है:

राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय जिला	डीपीसीएस		उप-केन्द्र
उड़ीसा	कटक	कटक	केन्दूपट्टन	
		केन्द्रपारा	दानपुर	
			मारशंघाई	
		जाजपुर	धनमंडल	
		जगतसिंहपुर	-	तारपुर
		केनझार	साइलांग	
		भद्रक	-	चांदबली

(ग) जब कभी आवश्यकता होती है भारतीय पटसन निगम के पटसन खरीद केन्द्र न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाने के लिए सदैव तत्पर है। चालू मौसम (2000-2001) के दौरन, भारतीय पटसन निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के तहत अब तक 1827 क्विंटल अपरिष्कृत पटसन की खरीद की गई है। वर्तमान में उड़ीसा में अपरिष्कृत पटसन की कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चलने की रिपोर्ट है।

मेरठ छावनी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां

3926. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार मेरठ छावनी क्षेत्र के सिविलियन क्षेत्र में कितनी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां पनप गई हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है; और

(ग) इन झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी ऐसी बस्तियां हटाई गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) मेरठ छावनी सिविल क्षेत्र में 401 झुग्गी झोपड़ी बस्तियां बन गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियां की बेदखली अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत 225 मामलों में कार्यवाहियां शुरू की गई है। गत तीन वर्ष में इस तरह की 45 बस्तियां हटाई गई हैं।

इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के अधिकारियों की विदेश यात्रायें

3927. श्री के. येरनायडू: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी यात्राओं का प्रयोजन क्या है और प्रत्येक दौरे पर भारतीय मुद्रा ओर विदेशी मुद्रा में अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च हुई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, जो चार्टर्ड एकाउन्टेट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ने सरकार को सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान के अधिकारियों द्वारा विदेशी यात्राओं में कोई वृद्धि नहीं की गई है। संस्थान ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान विदेशी यात्रा पर व्यय में वस्तुत: कमी आई है।

आई.सी.ए.आई. के अनुसार यह संस्थान एस.ए.एफ.ए. (लेखापाल दक्षिण एशियाई संघ) का संस्थापक सदस्य है तथा संस्थान का सचिव एस.ए.एफ.ए. का स्थायी सचिव है। संस्थान के सचिव और अधिकारी ही एस.ए.एफ.ए. के कार्यों एवं सचिवालय की देखरेख करते हैं, इसलिए उनका एस.ए.एफ.ए. के तत्वावधान में आयोजित बैठकों, सेमीनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेना अनिवार्य होता है।

आई.सी.ए.आई. ने सूचित किया है कि संस्थान के अधिकारी भारत सरकार की सहायता के लिए, आई.सी.ए.आई. के समुद्र-पार मामलों पर आन्तरिक कार्रवाई के लिए और नेपाली चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान (आई.सी.ए.एन.) जिसके साथ आई.सी.ए.आई. ने समझौता ज्ञापन आदि पर हस्ताक्षर किए थे, की स्थापना करने एवं कार्य संचालन में तकनीकी व व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए गैट्स-डब्ल्यू टी.ओ. के साथ बातचीत के सबंध मे विदेश यात्राएं भी करते रहते थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आई.सी.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय का विवरण

अधिकारी का नाम	जिस स्थान की यात्रा की	यात्रा की अवधि	उद्देश्य	भारतीय मुद्रा में व्यय*	विदेशी मुद्रा व्यय प्रति (अमरीकी डालर) राशि रुपये
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 1997-98				(रुपए)	
श्री टी. कार्तिकेयन	काठमांडू	15-18 अप्रैल, 97	चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स के निकाय के साथ नेपाल में उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल होने संबंधी बातचीत के लिए	13,535	शून्य
श्री जगदम्बा प्रसाद	दुबई	24-29 मई, 97	दुबई में नए परीक्षण केन्द्र के उद्घाटन के लिए	15,330	2000 अमरीकी डालर रु० (72942)
डा० ए० के० भट्टाचार्य	कोलम्बो	30 जून-1 जुलाई, 97	लेखापाल दक्षिण एशियाई संघ (एस.ए.एफ.ए.) काम/सम्मेलन में भाग लेने के लिए	19,165	600 अमरीकी डालर (रु० 22085)
डा० ए० के० भट्टाचार्य	पेरिस	15-17 दिसम्बर, 97	डब्ल्यू पी पी एस सम्मेलन (गैटस डब्ल्यू टी. ओ. मामले) में भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल को सहायता प्रदान करने के लिए	46,140	1500 अमरीकी डालर (रु० 60676)
डा० ए० के० भट्टाचार्य	जेनेवा	1-4 फरवरी, 98	डब्ल्यूपीपीएस सम्मेलन में भरतीय प्रतिनिधि मंडल को सहायता प्रदान करने के लिए	58,004	1500 अमरीकी डालर (रु० 59141)
योग				152,174	5600 अमरीकी डालर (रु० 214844)

1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 1998-99					
डा॰ बी॰ चक्रवर्ती	काठमांडू	24-29 अप्रैल, 98	सी पी ई सेमिनार में भाग लेने के लिए	7,821	शून्य
डा॰ अशोक हल्दिया	काठमांडू	24-29 अप्रैल, 98	सी पी ई सेमिनार में भाग लेने के लिए	5,867	शून्य
श्री वी॰ के॰ शर्मा	काठमांडू	24-29 अप्रैल, 98	सी पी ई सेमिनार में भाग लेने के लिए	7,539	शून्य
डा॰ ए॰ के॰ भट्टाचार्य	कोलम्बो	2-4 मई, 98	एसएएफए की 33वीं बैठक में भाग लेने के लिए	25,133	600 अमरीकी डालर (रु॰ 24270)
डा॰ बी॰ चक्रवर्ती	कोलम्बो	2-4 मई, 98	एसएएफए की 33वीं बैठक में भाग लेने के लिए	29,385	600 अमरीकी डालर (रु॰ 24270)
श्री विजय कपूर	काठमांडू	26, जून-17 जुलाई, 98	आईसीए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्य के कार्यान्वयन के लिए	12,854	शून्य
डा॰ बी॰ चक्रवर्ती	पेरिस	19-24 जुलाई, 98	ओईसीडी द्वारा आयोजित सीआई एस सम्मेलन में भाग लेने के लिए	50,207	1800 अमरीकी डालर (रु॰ 77696)
डा॰ अशोक हल्दिया	ढाका	20-24 अगस्त, 98	एसएएफए की 34वीं बैठक में भाग लेने के लिए	16,636	870 अमरीकी डालर (रु॰ 39123)
श्री विजय कपूर	काठमांडू	16-21 नवम्बर, 98	आईसीए, नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्य के कार्यान्वयन के लिए	11,652	शून्य
श्री विजय कपूर	काठमांडू	15-20 नवम्बर, 98	आईसीए, नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्य के कार्यान्वयन के लिए	12,980	शून्य
श्री विजय कपूर	काठमांडू	30 जनवरी-10 फरवरी, 99	आईसीए, नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्य के कार्यान्वयन के लिए	18,414	शून्य
डा॰ अशोक हल्दिया	कोलम्बो	19-22 फरवरी, 99	एसएएफए की 36 वीं बैठक में भाग लेने के लिए	16,496	500 अमरीकी डालर (रु॰ 22635)
डा॰ बी॰ चक्रवर्ती	कोलम्बो	17-22 फरवरी 99	एसएएफए की 36वीं बैठक में भाग लेने के लिए	16,496	930 अमरीकी डालर (रु॰ 41416)
योग				231,480	5300 अमरीकी डालर (रु. 229,410)
वित्तीय वर्ष 1999-2000					
डा. बी. चक्रवर्ती	काठमांडू	29 अगस्त-1 सितम्बर, 99	सार्क के महासचिव के साथ बैठक	25,714	शून्य
डा. अशोक हल्दिया	इस्लामाबाद	17-21 सितम्बर, 99	एस ए एफ ए की 38वीं बैठक में भाग लेने के लिए	10,785	500 अमरीकी डालर (23890 रु॰)

1	2	3	4	5	6
डा. बी. चक्रवर्ती	इस्लामाबाद	17-21 सितम्बर, 99	एस ए एफ ए की 38वीं बैठक मे भाग लेने के लिए	14,865	1500 अमरीकी डालर (66565 रू॰)
श्री विजय कपूर	काठमांडू	25-30 अक्तूबर, 99	आई सी ए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कार्य के कार्यान्वयन के लिए	12,114	
श्री विजय कपूर	काठमांडू	2-6 दिसम्बर, 99	आईसीए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन के अतर्गत कार्य के कार्यान्वयन के लिए	12,114	शून्य
डा. अशोक हल्दिया	काठमांडू	2 दिस.-4 दिस., 99	एसएएफए की बैठक/सेमीनार	15,620	शून्य
डा. बी. चक्रवर्ती	काठमांडू	2 दिस.-4 दिस., 99	एसएएफए की बैठक/सेमीनार	16,794	शून्य
डा. अशोक हल्दिया	कोलम्बो	22-25 जन., 00	एसएएसए की 40वीं बैठक में भाग लेने के लिए	22,375	400 अमरीकी डालर (रू॰ 18923)
डा. बी. चक्रवर्ती	कोलम्बो	22-25 जन., 00	एस ए एस ए की 40वीं बैठक में भाग लेने के लिए	27,260	1200 अमरीकी डालर (रू॰ 53233)
डा. अशोक हल्दिया	खाड़ी क्षेत्र	27 मार्च-1 अप्रैल, 00	खाड़ी क्षेत्र मे आई सी ए अरई की शाखाओं का दौरा	25,571	1200 अमरीकी डालर (रू॰ 53831)
योग				183,212	4800 अमरीकी डालर (रू॰ 216,442)

नोट:- *भारतीय मुद्रा में व्यय में हवाई यात्रा खर्च और अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा लौटाई गई नेट विदेशी मुद्रा और स्थानीय विदेशी मुद्रा।

भारतीय नौवहन निगम को बकाया देय

3928. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने भारतीय नौवहन निगम को बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक भारतीय नौवहन निगम को भुगतान की जाने वाली शेष राशि ऋण खर्चों सहित कम्पनीवार कितनी है; और

(घ) इन बकायों का भुगतान कब तक हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) द्वारा भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) को 70 प्रतिशत ड्राईडाक का तदर्थ भुगतान किया गया है।

(ग) और (घ) तेल उद्योग द्वारा भारतीय नौवहन निगम को भुगतान की जाने वाली शेष राशि कम्पनीवार निम्नानुसार है:

	करोड़ रुपये
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल)	45.51
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लमिटेड (एच पी सी एल)	25.59
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल)	शून्य
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी पी सी एल)	27.46
कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के आर एल)	27.40
मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल)	10.60

बाकी राशि 31.3.2001 तक दे दिए जाने की संभावना है।

एन.ए.एल. द्वारा अभिकल्पित वायुयान

3929. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल ऐरोस्पेस लेबोरेट्री (एन.ए.एल.) ने सिविलियन वायुयान का अभिकल्पन और विकास किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक वायुयान की लागत क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हाँ ।

(ख) नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेट्री (एन.ए.एल.) द्वारा एक, दो सीटर हल्का प्रशिक्षु विमान हंस-3 बनाया गया है। 14 सीटर बहु-उद्देश्यीय हल्का परिवहन विमान "सारस" का विकास किया जा रहा है।

(ग) जबकि हंस-3 के बनाने में अनुमानत: 45 लाख रुपए की लागत आएगी, "सारस" चूंकि विकसित होने की प्रक्रिया में है, अभी इसकी उत्पादन-लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के टिकट एजेंटों पर बकाया धनराशि

3930. श्री सुरेश चन्देल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के करोड़ों रुपए अपने टिकट एजेंटो पर बकाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इन एजेंटों से इस बकाया देय धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या इन एजेन्सियों को शिक्षित बेरोजगार युवकों को देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दोषी पाए गए एजेंटों से लगभग 2.87 करोड़ रुपए की उगाही की गई। प्रत्येक एजेंट के ऊपर बकाया राशि और इसकी वसूली के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार दोषी एजेंटों से वसूल किए जाने वाले बकाये का ब्यौरा

क्रम सं॰	एजेंसी का नाम	रकम (लाख रु॰ में)	अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	आबू ट्रेवलस, चेन्नई	0.37	1998-99	इंडियन एयरलाइन्स के पक्ष में निर्णय हुआ
2.	मेनका ट्रेवलस, हैदराबाद	12.36	1992-93	-वही-
3.	सिल्वर स्ट्रीक, चेन्नई	2.15	1995-96	-वही-
4.	सागर ट्रेवलस, चेन्नई	1.64	1996-97	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
5.	पनोरमा ट्रेवलस, विजाग	0.29	1996-97	-वही-
6.	यूनाइटेड टूर्स, कालीकट	0.40	1997-98	-वही-
7.	ट्रेवल प्वाइंट, हैदराबाद	9.01	1997-98	-वही-
8.	ईस्टमैन टूर्स और ट्रेवलस, चेन्नई	1.29	1998-99	मामला टी.ए.ए. आई. साथ लम्बित है।
9.	सागर ट्रेवलस, विजाग	20.82	1998-99	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
10.	शिवि ट्रेबलस, चेन्नई	1.32	1998-99	मामला टी.ए.ए. आई. के साथ लम्बित है।
11.	कालीकट टूर्स एवं ट्रेवलस, कालीकट	9.70	1999-2000	न्यायिक कार्रवाही शुरू की जा रही है।
12.	शाह ट्रेवलस, कलकत्ता	7.11	1998-99	को देखते हुए एजेंट द्वारा प्राप्त प्रविष्टि को रिक्त करने के लिए विधिक कार्रवाई शुरू की गई।
13.	पियर्सी एग्जिम फाइनेंस, कलकत्ता	11.48	1999-2000	न्यायिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
14.	ट्रेवल ब्यूरो, दीमापुर	4.85	1999-2000	-वही-
15.	ए. सी. एस. सी. ओ. ट्रेवलस, गुवाहाटी	5.03	1996-97	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
16.	गेणश ट्रेवलस, अगरतला	5.67	1996-97	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
17.	लक्ष्मी ट्रेवलस, अगरतला	7.71	1998-99	न्यायिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
18.	मिनट्री ट्रैंसपोट, बागडोगरा	7.76	1999-2000	-वही-
19.	सफारी इंडिया, रांची	1.55	1999-2000	-वही-

1	2	3	4	5
20.	सिनियर ट्रेवलस, मुम्बई	0.66	1994-95	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
21.	रीयल वेल्यू, मुम्बई	15.36	1998-99	न्यायिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
22.	ओलम्पिक एक्सप्रैस, मुम्बई	1.03	1998-99	-वही-
23.	रवि ट्रेवलस, पुणे	36.49	1997-98	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
24.	मैसर्स एसियाटिक ट्रेवलस, मुम्बई	6.12	2000-01	कोर्ट रिसिवर के पास दावा लम्बित है।
25.	आर. के. ट्रेवलस, नई दिल्ली	4.31	1991-92	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
26.	ट्रेवल मार्ट, नई दिल्ली	5.55	1991-92	-वही-
27.	मैक ट्रेवलस, अलीगढ़	7.75	1991-92	-वही-
28.	राजधान ट्रेवलस, दिल्ली	21.94	1992-93	-वही-
29.	शाह ट्रेवल, श्रीनगर	21.54	1992-93	बैंक गारन्टी को देखते हुए एजेंट द्वारा प्राप्त प्रविष्टि को रिक्त करने के लिए विधिक कार्रवाई शुरू की गई।
30.	ए. एस. ट्रेवलस, दिल्ली	3.91	1995-96	न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
31.	कम्बाइन्ड ट्रेवलस, दिल्ली	2.06	1997-98	-वही-
32.	विनफिल्ड ट्रेवलस, दिल्ली	43.07	1997-98	-वही-
33.	ब्ल्यू बर्ड ट्रेवल, श्रीनगर	0.40	1998-99	-वही-
34.	आशा ट्रेवलस, जम्मू	1.06	1998-99	-वही-
35.	टीना वर्ल्ड ट्रेवलस, दिल्ली	5.15	1998-99	-वही-
	कुल	286.88		

आई.ए.एल.-इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड।
ए.आई.पी.-9-आयटा द्वारा अनुमोदित एजेंटों के प्रशासन के लिए आयटा एजेंसी
टी.ए.ए.आई.-ट्रैवेल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
बी.जी.-बैंक गारन्टी।

[अनुवाद]

घरेलू और आयातित कोयले पर माल भाड़ा प्रभार

3931. श्री सुशील खां: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कोयले पर माल भाड़ा प्रभार घरेलू कोयले की अपेक्षा सस्ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। घरेलू और आयातित कोयले के लिए मालभाड़ा दरें समान हैं और ढुलाई की दूरी के आधार पर दरें भिन्न-भिन्न होती हैं।

झुग्गियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास

3932. श्री किरीट सोमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे ने मुंबई में कुर्ला-मानखुर्द-हार्बर रेल मार्ग पर सुरक्षा जोन बनाने हेतु अपना आपरेशन पूरा कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनधिकृत मलिन बस्तियां रेल मार्ग को छू रही हैं जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं घट रही हैं और रेलगाड़ी की गति भी कम हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे हार्बर रेल मार्ग की क्षमता और नियमितता में सुधार होगा;

(च) इस कार्यक्रम को किस प्रकार वित्तपोषण किये जाने की संभावना है;

(छ) क्या मध्य रेलवे ने मुंबई के अन्य हिस्से में इसी प्रकार का ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) और (च) से (ज) मुंबई में हर्बर लाइन में संरक्षा क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण, जिनमें कुछेक रेलपथ के बहुत की निकट हैं, को महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार फरवरी, 2001

तक हटाने की योजना बनाई गई है इस प्रकार विस्थापित झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित एक परियोजना निगरानी इकाई (पी एम यू) द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1.1.95 से पूर्व हर्बर लाइन पर कुर्ला-मानखुर्द खंड पर संरक्षा जोन में पड़ने वाले लगभग 3170 झुग्गी-झोपड़ीवासियों को चालों और अस्थायी आवास मुहैया कराकर पुनर्वास कर दिया गया है। हर्बर लाहन के शेष खंड और मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर इसी प्रकार की कार्रवाई की योजना बनाई गई हैं।.

रेलवे ने एक मामले विशेष में मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) के रेलवे घटक में पड़ने वाले कार्यों की लागत में समान भागीदारी के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ सहमति दी है। इसमें संरक्षा जोनों के भीतर रहने वाले अप्राधिकृत अधिभोगियों सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की लागत भी शामिल होगी।

(ङ) जी हां ।

विचाराधीन कैदियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग

3933. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायपालिका ने 14 अक्तूबर, 2000 को हैदराबाद में विचाराधीन कैदियों में मुकदमे की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की वीडियो कांफ्रेंसिंग भविष्य में पूरे देश में आयोजित की जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे विचाराधीन कैदियों के मुकदमें की शीघ्र सुनवाई में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां, 16 अक्तूबर, 2000 को हैदारबाद में विचाराधीन कैदियों के साथ न्यायालय की पारस्परिक कार्रवाई का सीधा प्रदर्शन किया गया था।

(ख) और (ग) वीडियो कांफ्रेंसिंग के सभी पहलुओं से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) इलैक्ट्रानिक वीडियो सम्पर्क सुविधा न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषण (रिमान्ड) संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान में सहायक सिद्ध होगी। यह, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों में विचाराधीन कैदियों को पेश किए जाने से संबंधित सुरक्षा संबंधी समस्या के समाधान के अतिरिक्त, विचाराधीन कैदियों को लाने - ले जाने की लागत में कमी लाएगी।

[हिन्दी]

सैन्य डेयरी फार्म्स

3934. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कितने सैन्य डेयरी फार्म्स हैं;

(ख) क्या उक्त डेयरी फार्म अब सेना की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन फार्मों के विकास और विस्तार किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या "अधिक खाद्यान्न उपजाओं" नीति के अंतर्गत सेना की उर्वरक भूमि को पट्टे पर खेती हेतु दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय सेना द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और वन संपदा को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सैनिक फार्म निर्धारित सैन्य आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन फार्मों को, विशेष रूप से अग्रिम एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में, विकसित करने और उनका विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। "अधिक अन्न उगाओ" नीति के तहत सेना की उपजाऊ भूमि को पट्टे के आधार पर खेती करने के लिए दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सभी सैनिक फार्मों और सेना के अन्य स्थानों पर पेड़ उगाना एक नियमित कार्यकलाप है।

विवरण

सैनिक फार्मों की अवस्थिति

उत्तरी कमान	पश्चिमी कमान	मध्य कमान	पूर्वी कमान	दक्षिणी कमान
बारामूला	अम्बाला	आगरा	बेंगडुबी	अहमदनगर
डलहौजी	बीर धन्तौरी	इलाहाबाद	बीनागुड़ी	बंगलौर
जम्मू	बीर सारंगवाल	बरेली	कलकत्ता	बेलगाम
लेह	डगसाई	देहरादून	दीमापुर	देवलाली
नौशेरा	फिरोजपुर	ग्वालियर	गंगटोक	खडकी

1	2	3	4	5
पठानकोट	जालंधर	जबलपुर	गोवाहाटी	मंजरी
राजौरी	एम एफ 36 सेक्टर	झांसी	जोरहाट	पिंपरी
श्रीनगर		कानपुर	कटिहार	पोर्ट ब्लेयर
ऊधमपुर		लखनऊ	मस्सीमपुर	सिकन्दराबाद
योल		मेरठ	मीसामारी	
		महू	पणिटोला	
		नामकुम	जनागढ़	
		पिथौरागढ़	टेंगा	
		रानीखेत		
10	7	14	13	9

कुल सैनिक फार्म : 53

[अनुवाद]

चुनाव ड्यूटी पर कर्मचारियों को लगाया जाना

3935. श्री चिंतामन वनगा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में विधान सभा और संसदीय चुनाव के समय ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम उपलब्धता के विशेष कार्यक्रम सहित अप-डाउन दिशाओं में परिवहन हेतु सरकारी वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति के एक घंटे के अंदर चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के ड्यूटी स्थान से मतदान पेटियों को एकत्र करने को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं कि ड्यूटी के स्थान पर चुनाव कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी संबंधी परिलब्धियों का भुगतान हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसने रिटर्निंग आफिसरों को, मतदानकर्मी दलों अर्थात् निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए अपने पास उपलब्ध वाहनों को समुचित रूप से लगाकर और यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त वाहनों की अभ्यपेक्षा करके, परिवहन की व्यवस्था करने के लिए स्थायी अनुदेश जारी किए हुए हैं।

(ख) निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि उसने रिटर्निंग आफिसरों, पीठासीन अधिकारियों, आदि को मतदान पूरा हो जाने के पश्चात् निर्वाचन कर्मचारिवृन्द की ड्यूटी के स्थान से भंडारण केंद्र पर बिना किसी अपरिहार्य विलंब के मतपेटियों का संग्रह करने के लिए स्थायी अनुदेश जारी किए हुए हैं।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग ने आगे यह सूचित किया है कि निर्वाचन ड्यूटी पर लगाए गए सभी कर्मचारियों को, जहां तक संभव हो सके, उनकी ड्यूटी पूरी किए जाने के 24 घंटे के भीतर उन्हें अनुज्ञेय शत प्रतिशत यात्र भत्ते/मंहगाई भत्ते का संदाय किए जाने के अनुदेश निम्नलिखित छूट के साथ जारी किए हुए हैं:

(i) यदि किसी राज्य ने 100 प्रतिशत यात्रा भत्ता-मंहगाई भत्ता अग्रिम रूप से देने की प्रथा को अपनाया हुआ है तो वे इस प्रथा को जारी रख सकते हैं।

(ii) ऐसे राज्य जो उपरोक्त प्रथा का पालन नहीं करते हैं, वे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ते का 80 प्रतिशत अग्रिम रूप में दिए जाने और शेष 20 प्रतिशत रकम का संदाय निर्वाचन पूरा होने के तीस दिनों के भीतर किए जाने की प्रथा का पालन कर सकते हैं।

पुराने पोतों का बदला जाना

3936. श्री ई॰ एम॰ सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय नौसेना के अनेक पोत बहुत ही पुराने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पोत-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पुराने पोतों को समय पर बदले जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) यह एक तथ्य है कि नौसेना के कुछ पोत पुराने हो गए हैं। तथापि, इस प्रकार के पोतों के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अभीष्ट नहीं होगा।

(ग) सरकार ने नए पोतों के अधिग्रहण/स्वदेशी निर्माण की स्वीकृति दे दी है। अपेक्षित बल स्तर के बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत रूप में पोतों तथा अन्य प्लेटफार्मों को उनकी सेवावधि के बीच में अद्यतन करने तथा सेवावधि बढ़ाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है।

बागडोगरा हवाई अड्डे से दैनिक उड़ान की उपलब्धता

3937. श्री अमर राय प्रधान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1998 या 1999 तक बागडोगरा हवाई अड्डे से दैनिक उड़ान उपलब्ध थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि पिछले एक वर्ष से इस हवाई अड्डे से सप्ताह में मात्र तीन बार उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बागडोगरा हवाई अड्डे से दैनिक उड़ान की सुविधा को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) 29.10.2000 तक, इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज बागडोगरा के लिए और बागडोगरा से निम्नलिखित उड़ानों का प्रचालन कर रही थी:

इंडियन एयरलाइंस :

-दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/दिल्ली	सोम, बुध और शुक्र
-कलकत्ता/बागडोगरा/कलकत्ता	-वही-

जेट एयरवेज :

-दिल्ली/गुवाहाटी/बागडोगरा/दिल्ली	सोम, बुध और शुक्र
-दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/दिल्ली	मंगल, वीर, शनि और रवि
-कलकत्ता/बागडोगरा/कलकत्ता	सोम, मंगल और शनि

बागडोगरा की विमानपट्टी भारतीय वायु सेना की है। चूंकि हवाई अड्डे पर धावनपथ कारपेटिंग कार्य के कारण भारतीयवायु सेना ने 01.11.200 से इसे केवल सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, बागडोगरा के लिए/से उड़ानों को तदनुसार निम्न प्रकार से पुन:अनुसूचित करने का कार्य किया गया है:

इंडियन एयरलाइंस:

-दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/दिल्ली	सोम और शुक्र
-कलकत्ता/बागडोगरा/कलकत्ता	सोम, शुक्र और शनि

जेट ऐयरवेज :

-दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/दिल्ली	सोम, शुक्र और शनि
-कलकत्ता/गुवाहाटी/बागडोगरा और वापसी	-वही-

(घ) ज्योंही की बागडोगरा पर धावनपथ का कारपेटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और भारतीय वायु सेना दैनिक आधार पर सिविल प्रचालनों की उपलब्धता के बारे में उपयुक्त रूप से सूचित कर देगी, त्योंही उड़ानों की बहाली दैनिक आधार पर कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3938. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) इन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने हेतु आवश्यकता पर आधारित कार्य वार्षिक निर्माण कार्य मशीनरी एवं चल स्टॉक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं और इन्हें प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए वार्षिक निर्माण कार्य मशीनरी एवं चल स्टॉक कार्यक्रम के जरिए रेलों को एकमुश्त निधियां भी आंवटित की जाती हैं।

(ग) योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था पर 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 89.35 करोड़ रु., 90.61 करोड़ रु. और 115.25 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

(घ) सवाई माधोपुर में निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:

1. कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था–10.97 लाख रु. और
2. स्वचालित टेलीफोनिक प्रणाली और कंप्यूटरीकृत उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था–8 लाख रु।

बिक्री एजेंटों को प्रोत्साहन

3939. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान एअर इंडिया में सामान्य बिक्री एजेंटों हेतु शुरू की गई उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजना को स्वीकृत करने हेतु क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान लंदन स्थित किसी सामान्य बिक्री एजेंट को उत्पादकता से जुड़ी योजना के अलावा अन्य प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की पेशकश की गई थी और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह एअर इंडिया के लिए लाभकारी है;

(च) यदि हाँ, तो क्या इस अतिरिक्त प्रोत्साहन को प्रदान करने में उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

स्टेशन	1996-97%	1997-98%	1998-99%
कनाडा	1-4	-	-
लंदन	05-5	1-7	1-7
यू.ए.ई	2-7	-	-
मास्कट	4-10	-	-
खाडी देश	-	2-6	2.5-5
*उत्तरी भारत	3-12	3-5	2-3.86
		4-7	2-3.82
		(वाल्यूम पर आधारित)	(खाड़ी)
पूर्वी भारत	1-6	-	-
हांगकांग	3-9	0-10	-

*अपने टिकट स्टाक से सृजित टिकटों की बिक्री पर।

(ख) एअर इंडिया स्टेशन प्रबंधक और क्षेत्रीय निदेशक उत्पादकता से जुड़ी योजनाओं का प्रस्ताव वाणिज्यिक मुख्यालय को भेजते हैं। तत्पश्चात वार्षिक विपणन बैठकों के दौरान इन योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता है। आवश्यकता के आधार पर राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक मुख्यालय विश्लेषण करता है और तत्पश्चात योजना को अनुमोदित करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एअर इंडिया द्वारा उत्पादकता से जुड़ी योजना ऑफर करने का प्राथमिक उद्देश्य अपने सिस्टम में विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय को मानवाधिकार आयोग द्वारा नोटिस

3940. श्री ए॰ ब्रह्मनैया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में तेदेपल्लीगुडम हवाई अड्डे के मामले के संबंध में मानवाधिकार आयोग से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले को सुलझा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या हवाई अड्डे को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है और याचिकाकर्ता को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को दिसंबर, 1998 में आंध्र प्रदेश में तेदेपल्लीगुडम हवाई अड्डे के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक नोटिस प्राप्त हुआ था तथा मामले के तथ्यों से संबंधित एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से प्राप्त डा॰ पी॰ पुल्ला राव की याचिका में तेदेपल्लीगुडम हवाई अड्डे की रक्षा भूमि पर रहने वाले लगभग 20,000 निवासियों, विस्थापितों का मामला उठाया गया था। याचिका में यह कहा गया है कि ये लोग बिना कानूनी अधिकार के पिछले 50 वर्षों से इस भूमि पर रहते आ रहे हैं और ये लोग अपने अधिकारों हेतु भुगतान के लिए तैयार हैं।

(ग) से (ङ) उक्त भूमि को दिनांक 3.8.1987 को आंध्र प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया था तथा उक्त भूमि की अभिरक्षा का दायित्व राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है। उक्त भूमि को एक करोड़ रुपए लेकर कतिपय शर्तों पर आंध्र प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। डा॰ पी॰ पुल्ला राव को भी सरकार के निर्णय की सूचना दे दी गई थी।

वर्ष 1996 के दौरान मिसाइलों का आयात

3941. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 1996 में 12 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की मिसाइलें खरीदी गई थीं लेकिन उपयुक्त परीक्षण सुविधाओं के अभाव

में दो वर्षों से भी अधिक समय से उनकी प्रभावकारिता का परीक्षण नहीं किया जा सका जिसके कारण उनकी वारंटी की अवधि समाप्त हो गई और 3.41 करोड़ रुपए मूल्य की ये मिसाइलें अप्रयोज्य बन गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) परीक्षण सुविधाओं के अभाव में इन मिसाइलों के आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) मैसर्स रूसवोरझेनी, रूस के साथ दिनांक 24 मार्च, 1995 को की गई संविदा के अनुसार 1996 में दो खेप में प्रक्षेपास्त्रों की 288 अदद प्राप्त हुई थी। इस शस्त्र प्रणाली के साथ प्रक्षेपास्त्रों के लिए परीक्षण सुविधाओं का भी आयात किया गया था। इन प्रक्षेपास्त्रों के प्राप्त होने पर इनका निरीक्षण किया गया था। 3.2 करोड़ रुपए के मूल्य के प्रक्षेपास्त्रों की 10 अदद दोषपूर्ण पाई गई थी, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा नि:शुल्क बदल दी गई हैं। चूंकि रूसियों ने दोषपूर्ण पाए गए 10 प्रक्षेपास्त्रों को बदले जाने के गुणवत्ता दावे को स्वीकार कर लिया था अत: जिम्मेदारी तय किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर-फुकेट-बैंकाक के लिए उड़ानें

3942. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है और इसकी धावनपट्टी का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) क्या सरकार कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर-फुकेट-बैंकाक हेतु उड़ान में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नए एप्रन और टैक्सी लिंक पथ के लाभ सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त 19.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया है और धावनपथ को 11000 फीट तक बढ़ाने का काम प्रगति पर है।

(ख) और (ग) किसी विदेशी एयरलाइन के लिए पोर्ट ब्लेयर को अवतरण स्थल के लिए नहीं चुना गया है। नेशनल कैरियर किसी भी एयरपोर्ट से प्रचालन के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि यातायात संभाव्य और विमान की उपलब्धता हो।

तेल यचन बोर्डों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

3943. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री बलराम सिंह यादव:
श्री भेरूलाल मीणा:
श्री जसवंतसिंह यादव:
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग ने 20 मार्च, 1996 से आज तक की अवधि के दौरान जब चुनाव हो चुके थे, आदर्श आचार संहिता को लागू करने के कारण तेल यचन बोर्डों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों के डीलरों अथवा वितरकों के चयन की सतत प्रक्रिया को रोकने हेतु आदेश अथवा निर्देश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

गंगटोक में हवाई पट्टी का निर्माण

3944. श्री भीम दाहाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगटोक में हवाई पट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक निर्माण किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव:) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में साईंस सिटी

3945. श्री राजैया मल्यालाः क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में साईंस सिटी के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन सी एस एम) कलकत्ता के माध्यम से अपने संसाधनों के उपयोग के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) सरकार को विज्ञान नगरों की स्थापना करने हेतु आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, संसाधन की कमी के कारण, सरकार इस समय किसी भी नई विज्ञान नगर परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं कर रही है।

रेल परियोजनाओं पर पाबंदी

3946. श्री वी.वी.एन. रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान नई रेल परियोजनाओं पर पाबंदी लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे क्या कारण हैं; और

(ग) इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुदाई से मिले मंदिरों का प्रलेखन

3947. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के महरौली गांव विशेषकर कुतुब परिसर से मिले मंदिरों की मूर्तियों, अवशेषों समेत ऐतिहासिक महत्व की कौन-कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन वस्तुओं को पुरातत्वीय प्रलेखन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रलेखन की विषय-वस्तु क्या है;

(घ) उन संग्रहालयों के नाम क्या हैं जहां इन वस्तुओं को आम जनता के लिए रखा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) मध्यकाल के कई पुरातत्वीय अवशेष कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और उनका विधिवत् प्रलेखन किया गया है। इसमें से एक राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में, सात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुराना किला, नई दिल्ली स्थिति स्थल संग्रहालय में और शेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के कुतुब उपमंडल कार्यालय में रखे गये हैं। इन सभी अवशेषों को जनता देख सकती है।

तेल की खोज के लिए दिशा-निर्देश

3948. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल की खोज संबंधी नई लाइसेंस नीति के दूसरे चक्र में 25 ब्लाकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के दूसरे दौर के तहत तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए नोटिस आमंत्रण प्रस्ताव दिसम्बर, 2000 की समाप्ति के पहले जारी किए जाएंगे। ऐसी शर्तों पर, जो निवेशकों के लिए समान कार्यव्यापर क्षेत्र उपलब्ध कराती हों, जमीनी, उथले जल अपतट और गहन जल अपतट क्षेत्रों के अंतर्गत अवस्थित पच्चीस अन्वेषण ब्लाक बोली के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कोल्हापुर विमानपत्तन का विस्तार और आधुनिकीकरण

3949. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल्हापुर हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) विकासात्मक प्रयोजनों से कोल्हापुर हवाई अड्डे को महाराष्ट्र सरकार को पट्टे पर दे दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत और कनाडा के बीच सीधी उड़ान

3950. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच कोई सीधी उड़ान सेवा नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कनाडा एयरलाइन ने कनाडा से दिल्ली तक के लिए सीधी उड़ान शुरू करने में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई बातचीत हो रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उड़ान को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इस समय भारत और कनाडा के बीच कोई सीधी उड़ानें नहीं हैं।

(ख) से (ङ) कनाडा की नामित विमान कम्पनियां दिल्ली के प्रचालनों के लिए पहले ही यातायात अधिकारों का निर्वाह कर रही हैं। तथापि, किसी भी कनाडियन विमान कम्पनी ने दिल्ली को प्रचालन करने के लिए कोई अनुसूची की पेशकश नहीं की है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन कंपनियों को विपणन अधिकार

3951. **डा॰ रमेश चंद तोमरः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-सरकारी तेल शोधन कंपनियों के नाम क्या हैं जो नियंत्रित उत्पादों के विपणन अधिकार की पात्र हैं और इसके लिये उन्होंने कब आवेदन दिया;

(ख) क्या विपणन अधिकार देने में हुई अनुचित देरी इन्हें लाभ सुनिश्चित हो गया है और सरकारी तेल निगमों द्वारा ऐसी तेल शोधन कंपनियों के नियंत्रित उत्पादों को उठाने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले में जांच के आदेश देन का विचार कर रही है; और

(घ) कदाचार रोकने हेतु इन तेल कंपनियों को कब तक विपणन अधिकार दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) भारत सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के समापन के लिए नवम्बर, 1997 में एक योजना घोषित की थी। पूर्वोक्त घोषणा में अन्य बातों के साथ परिवहन ईंधनों नामतः मोटर स्पिरिट (एम एस) हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) और उड्डयन इंजन ईंधन (ए टी एफ) के लिए विपणन अधिकार दिए जाने की व्यवस्था थी बशर्ते कि रिफाइनरियों का स्वामित्व और प्रचालन कम से कम 2000 करोड़ रूपए के निवेश से हो अथवा तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां जो कम से कम 3 मिलियन टन वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन कर रही हों। पेट्रोलियम क्षेत्र की पूर्ण नियंत्रणमुक्ति 1 अप्रैल, 2002 से लक्षित है।

सरकार को मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड और मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से परिवहन ईंधनों के विपणन अधिकार दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार ने मई, 1998 में यह निर्णय लिया कि जब तक प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) पूरी तरह समाप्त नहीं होती तब तक नियंत्रित उत्पादों के विपणन का विनियमन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए। इस प्रकार कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पात्र कंपनियां ऊपर (क) और (ख) से उल्लिखित सरकारी निर्णयों के अनुसार परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्राधिकृत होंगी।

ए॰ जे॰ टी॰ की खरीद

3952. **श्री बसुदेव आचार्यः**
श्री अशोक ना॰ मोहोलः
डा॰ अशोक पटेलः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एशियन एज" में 12 सितंबर, 2000 को प्रकाशित समाचार के अनुसार ब्रिटेन के बी॰ ए॰ ई॰ सिस्टम से हाक "उन्नत जेट विमान प्रशिक्षक विमानों" की खरीद संबंधी भारतीय वायुसेना की योजना खटाई में पड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। ब्रिटिश एयरोस्पेस के साथ बातचीत संतोषजनक ढंग से चल रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आरोपी कर्मचारियों की पदोन्नति

3953. डा॰ मन्दा जगन्नाथ: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सर्तकता विभाग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने कर्मचारियों/अधिकारियों पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसे किसी कर्मचारी की पदोन्नति/स्थानांतरण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

डूप्लेक्स मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली

3954. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डूप्लेक्स मोबाईल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली मंजूर कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) भुसावल-इटारसी, इटारसी-नागपुर, नागपुर-दुर्ग खंडों और नई दिल्ली-मुगलसराय खंड में चुनिंदा गाड़ियों में लगभग 1600 मार्ग किलोमीटर पर डूप्लेक्स मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम परिचालन में है। चर्चगेट विरार और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-कल्याण खंडों पर 113 कि.मी. पर उपनगरीय गाड़ियों के लिए डूपलेक्स मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यवस्था करने का कार्य प्रगति पर है।

अमृतसर-न्यू जलपाईगुडी-बरसोई-मालदा टाउन/कटिहार और नई दिल्ली-अंबाला-लुधियाना सहित, पांच खंडों अर्थात् हवड़ा-मुगलसराय, न्यू जलपाईगुडी-गुवाहाटी, लुधियाना-पठानकोट जम्मूतवी को कवर करने के लिए लगभग 134 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर दूसरे 2224 मार्ग कि.मी. पर डूपलेक्स मोबाइल ट्रेन रेडिया कम्युनिकेशन सिस्टम स्वीकृत कर दिया गया है, उपरोक्त पांच खंडों सहित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यवस्था हेतु फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है जो संचार मंत्रालय के बेतार योजना और समन्वय स्कंध (डब्ल्यू पी सी) द्वारा आबंटित की जाती है। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी का आबंटन प्रक्रियाधीन है, फ्रीक्वेंसी के आबंटित हो जाने पर स्वीकृत खंडों पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा और निधियों की उपलब्धता के आधार पर इसे उत्तरोत्तर पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

रूस से खरीदे गये खराब गोला-बारूद

3955. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल युद्ध के दौरान रूस से खरीदे गये 130 एम. एम. गोला बारूद प्रत्याशित स्तर के नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कारगिल संक्रियाओं के संदर्भ में सेना के लिए गोलाबारूद और शस्त्रास्त्रों की खरीद के लिए रूसी फर्मों के साथ 600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की छह संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से लगभग 40 करोड़ रुपए का 130 मि.मी. गोलाबारूद खरीदा गया था। आपूरित किए गए 130 मि.मी. गोलाबारूद के 930 राउंडों और 15000 फ्यूजों की एक खेप को निरीक्षण के दौरान स्वीकार्य नहीं पाया गया था, जिसके लिए आवश्यक दावा किया गया है। अप्रयोज्य गोलाबारूद का अनुमानित मूल्य 0.85 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना

3956. श्री टी॰ एम॰ सेल्वागणपति: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई दिल्ली और देश के अन्य स्थानों में भारत पर्यटन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रवार कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने नई दिल्ली में भारत पर्यटन भवन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है जिसमें पर्यटन मंत्रालय/राज्य सरकारों/पर्यटन निगमों/पर्यटन व्यवसाय संगठनों, यात्रा प्रचालकों, यात्रा अभिकर्ताओं, रेलवे, एयरलाइनों, होटलों, बैंकों, डाकघरों आदि के एक ही स्थान पर कार्यालय होंगे और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से भी अनुरोध किया है कि पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पर सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए वे इसी तरह के पर्यटन भवन अपने राज्य की राजधानी में भी स्थापित करें।

निगरानी संबंधी उपकरणों का उन्नयन

3957. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल पहाड़ियों की नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को प्रौद्योगिकी रूप से विकसित उपकरणों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है;

(ख) क्या हमारी सीमा चौकियों पर अधिकांश रात में देखने वाले उपकरण इन्फ्रा रेड हैं और उनकी रेंज कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के सुधार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निगरानी उपस्करों को विकसित करने संबंधी प्रौद्योगिकी और क्षमता के आधार पर इन उपस्करों को उन्नत बनाए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि इनकी गुणता बेहतर की जा सके तथा रेंज और बढ़ाई जा सके। प्रतिबिंब-वर्धकों तथा थर्मल इमेजिंग के आधार पर रात्रि-दर्शी यंत्रों, युद्ध-क्षेत्र निगरानी रेडार प्रणाली एवं लंबी दूरी तक टोही एवं निरीक्षण प्रणाली ऐसी कुछ मदें हैं जिन्हें कारगिल संघर्ष के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

भिवाड़ी से रेल संपर्क

3958. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत भिवाड़ी एक औद्योगिक नगर है;

(ख) क्या यह धारूहेदा से 5 किलोमीटर और रेवाड़ी तथा दिल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

(ग) क्या दिल्ली जयपुर सड़क मार्ग पर 5 औद्योगिक कस्बे/शहर स्थित हैं और सड़क-मार्ग द्वारा भारी मात्रा में माल लाया ले जाया जाता है तथा रेल लाइन न होने कारण बड़ी मात्रा में माल के परिवहन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या औद्योगिक नगर के रूप में भिवाड़ी के महत्व के मद्देनजर इसे रेलवे से जोड़ने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (घ) भिवाड़ी शहर दारूदेड़ा से लगभग 5 कि.मी. की दूरी, रेवाड़ी से 25 कि.मी. की दूरी और दिल्ली से 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-जयपुर रोड़ पर प्रमुख औद्योगिक स्थल गुड़गांव, मानेश्वर, दारूहेड़ा, बावल, शाहजहांपुर, नीमराना, बेहरोर और सोता नाला है। इन स्थलों से आने और जाने वाले सामानों का परिवहन सड़क द्वारा होता है।

भिवाड़ी तक रेल संपर्क के लिए उत्तर रेलवे ने वर्ष 1995 में खुर्जा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक नई लाइन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 365 करोड़ रुपए थी ओर प्रतिफल की दर 2% से कम थी। रेवाड़ी और रोहतक के बीच बरास्ता झज्जर एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए अगस्त, 1997 में एक और सर्वेक्षण किया गया था। रेवाड़ी-भिवाड़ी रेल संपर्क भी इस लाइन का एक भाग है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से उजागर हुआ कि इस 81 कि.मी. लम्बी रेल लाइन की लागत लगभग 110 करोड़ रुपए होगी और यह परियोजना अर्थक्षम नहीं है क्योंकि प्रतिफल की दर ऋणात्मक है।

इस समय रेलें विशेष रूप से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और डीजल मूल्यों में वृद्धि के कारण संसाधनों की अत्यधिक तंगी के दौर से गुजर रही है। पहले की स्वीकृत नई परियोजनाओं की लम्बी सूची है जिनके पूरा होने के लिए 22,000 करोड़ रुपए अपेक्षित होगा। धन की उपलब्धता की मौजूदा दर से इनके पूरा होने से 25 वर्ष से अधिक समय लगेगा। रेलों की वित्तीय स्थिति और इस परियोजना के अलाभप्रद प्रकृति के दृष्टिगत उपर्युक्त नई लाइन परियोजना पर विचार करना फिलहाल संभव नहीं है।

हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

3959. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार चलाये जा रहे हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के नाम क्या हैं और उनमें कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे संस्थानों को संस्थानवार कितना वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर खीरी जिले में ऐसे और संस्थानों की स्थापना का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) अभी भारत सरकार ने अंतर्गत तमिलनाडू में सेलम, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, असम में गुवाहाटी तथा राजस्थान में जोधपुर में 4 हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान तथा कर्नाटक में घड़ग तथा आंध्र प्रदेश में वैंकटगीरी में संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यह संस्थान हथकरघा प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सेलम तथा वाराणसी में टैक्सटाइल केमिस्ट्री में 1½ वर्ष (3 सेमिस्टरों में) स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

(ख) भारत सरकार के अंतर्गत सेलम, वाराणसी, गुवाहाटी तथा जोधपुर में कार्यरत 4 हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थानों के संबंध में वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों के लिए वर्ष 19997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान 330.74 लाख रुपये, 326.99 लाख रुपये तथा 331.30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2000-2001 में इन संस्थानों के लिए 351.30 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ, क्रमश: 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान इन 4 हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थानों के निर्माण/रख रखाव के लिए 191.74 लाख रुपये तथा 155.42 लाख तथा 262.19 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान अब तक 168.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

कर्नाटक में घड़ग तथा आंध्र प्रदेश में बैंकटगीरी में हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन 2 संस्थानों हेतु वित्तीय अनुदान मुहैया नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कलकत्ता डॉक सिस्टम द्वारा अनुरक्षित भूमि

3960. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता डॉक सिस्टम द्वारा अनुरक्षित की जा रही भूमि का कुल क्षेत्रफल संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल उपयुक्त भूमि में से कितने क्षेत्रफल की भूमि को किराए पर दिया गया है और कितनी खाली पड़ी है;

(ग) क्या कलकत्ता डॉक सिस्टम ने लंबे समय से अपने किराएदारों से किराया-भाड़े की वसूली नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कलकत्ता डॉक सिस्टम को अभी कितनी राशि की वसूली करनी शेष है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) कलकत्ता डॉक सिस्टम के अंतर्गत भूमि क्षेत्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

(1)	कलकत्ता सेक्शन	- 126.70 एकड़
(2)	हावड़ा सेक्शन	- 345.89 एकड़
(3)	डॉक सेक्शन	- 2646.70 एकड़
(4)	बज-बज	- 206.70 एकड़

(ख) भूमि के समस्त उपयोग में से क्षेत्रवार विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

(1)	किराए पर लिया गया	- 1684 एकड़
(2)	रिक्त	- 102 एकड़

(ग) और (घ) कुछ किराएदारों से किराए की वसूली काफी लम्बे समय से बकाया पड़ी हुई है। किराए बकाया रहने के मुख्य कारण नीचे दर्शाए गए हैं:

(1) अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मुकदमें।

(2) 1979 से सी पी टी द्वारा किराए के विभिन्न संशोधनों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका।

(3) पट्टे की कुछ प्रसंविदाओं का उल्लंघन जैसे कि अनधिकृत निर्माण, पुन: किराए पर देना आदि जिसे किराएदार विशेषकर सरकारी क्षेत्र/सरकार निवारण नहीं कर सकती इसलिए पट्टों का नवीकरण नहीं किया जा सकता।

(ङ) 30.6.2000 तक विभिन्न किराएदारों पर 71.11 करोड़ रु० की धनराशि बकाया है। कुल बकाया धनराशि में से 115 सरकारी किराएदारों से 30.36 करोड़ रु० जबकि 2210 निजी किराएदारों से 40.75 करोड़ रु० लिया जाना है।

अंतर्देशीय जलमार्ग

3961. श्री राम मोहन नाइडू: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में और अधिक अन्तर्देशीय जलमार्ग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में किन-किन जलमार्गों को शुरू करने का विचार है;

(ग) इन जलमार्गों के, शुरू करने की कौन-सी तिथि लक्षित की गई है;

(घ) क्या इस उद्यम में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी आमंत्रित की जानी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना अन्य बातों के साथ-साथ जलमार्ग की तकनीकी, आर्थिक साध्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। अभी तक और अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के बारे में कोई नियत तिथि निश्चित नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने निम्नलिखित 10 ऐसे जलमार्गों की पहचान की है जिनकी राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकास किए जाने एवं घोषणा किए जाने की संभाव्यता है:

1. गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली
2. ब्रह्मपुत्र
3. पश्चिमी तटीय नहर
4. सुन्दरबन
5. गोदावरी
6. कृष्णा
7. महानदी
8. नर्मदा
9. मंडोवा, जुआरी नदी तथा गोवा में कंबरजुआ नहर
10. ताप्ती

इसके अलावा तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन भी बराक नदी, पूर्वी तटीय नहर, डी.वी.सी. नहर तथा काकीनाड़ा-मरकनम नहर पर किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि ये जलमार्ग अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए संभावना रखते हैं।

तीन जलमार्ग यथा गंगा, हल्दिया से इलाहाबाद (1620 कि.मी.), ब्रह्मपुत्र, सैदिया से धुबरी (891 कि.मी.) और पश्चिमी तटीय नहर जिनमें चम्पाकारा और उद्योग मंडल (205 कि.मी.) भी शामिल है, को पहले से ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है और भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नौचालन चैनल, टर्मिनल एवं नौचालन सहायता जैसी आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकसित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) नीतिगत ढांचा और भारतीय जल परिवहन के विकास के लिए नीति विकसित करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ नीतिगत ढांचे का उद्देश्य अंतर्देशीय जल परिवहन बेड़े के स्वामित्व और परिचालन, यांत्रिकृत कार्गो हैंडलिंग, संयुक्त उद्यम भागीदारी आदि जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी को आसान बनाना है।

आतंकवादियों को पाक आई.एस.आई. से धन

3962. श्री माधवराव सिंधिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सैन्य आसूचना रिपोर्ट से हाल ही में पता चला है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी आई. एस. आई. धन का सबसे बड़ा भाग हिजबुल मुजाहिदीन को मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य आतंकवादी ग्रुपों की ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान ऐसा धन प्राप्त हुआ और ऐसे प्रत्येक ग्रुप को कितना धन प्राप्त हुआ और पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) प्राप्त सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि हिजबुल-मुजाहिदीन को आतंकवादी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन आई. एस. आई. से मिलता है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों जारी रखने के लिए निम्नलिखित आतंकवादी संगठनों को भी आई.एस.आई. से धन मिलने की सूचना है:

(1) लश्कर-ए-तोइबा

(2) अल बदर

(3) हरकत-उल-मुजाहिदीन

(4) हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी

(5) जायस-ए-मोहम्मद

(6) अल बर्क

इस संबंध में विशिष्ट ब्यौरों का खुलासा करना राष्ट्र हित में नहीं होगा।

युद्ध टैंकों का अधिग्रहण

3963. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी वाहन फैक्ट्री, आवाडी द्वारा 1994 के दौरान विनिर्मित, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डी.जी.क्यू.ए.) द्वारा निरीक्षत

स्थानीय निरीक्षत (रेसीडेन्ट इन्सपेक्टर) द्वारा पारित और हमारी सेना द्वारा प्राप्त सभी युद्ध-टैंक अच्छी स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें पायी गयी कमियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सेना ने, भारी वाहन फैक्ट्री आवाडी द्वारा आज तक विनिर्मित सभी युद्ध-टैंकों को संगृहित कर रखा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) वर्ष 1993-94 से भारी वाहन निर्माणी द्वारा निर्मित कुल 500 टैंकों की गुणता आश्वासन महानिदेशक द्वारा जांच के बाद सेना को आपूर्ति की गई है और ये टैंक इस समय सेना द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। गुणवत्ता संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिनके बारे में सेना मुख्यालय ने भारी वाहन निर्माणी, आवाडी को सूचित कर दिया है वे सेना मुख्यालय के साथ परामर्श करके उन्हें दूर करने में लगे हुए हैं। समस्याओं को दूर करने के इस कार्य के लंबित रहते हुए वर्ष 1999-2000 के दौरा उत्पादित 76 टैंक सेना द्वारा प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा में हैं।

एकीकृत वायु-प्रतिरक्षा प्रणाली

3964. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना की एक एकीकृत वायु-प्रतिरक्षा प्रणाली, जो वस्तुत: एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क होगा बनाने का विचार है, जो सैन्य मामलों के निर्णयकर्ताओं को सही समय पर वायुवीय-गतिविधियों की यथार्थ स्थिति से अवगत कराए रखेगा;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक अधिगृहीत कर लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। सरकार ने पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी सीमाओं पर एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए पांच एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणालियों के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया है।

(ख) एकीकृत वायु कमान तथा नियंत्रण प्रणाली में भूस्थित तथा वायु वाहित सैंसरों से सही समय पर प्राप्त किए गए वायुवीय स्थिति के परिदृश्य को एकीकृत करने की क्षमता होगी। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का एकीकृत वायुवीय परिदृश्य उपलब्ध होगा जिससे वे हमारे वायु क्षेत्र में शत्रुओं के घुसपैठियों के विरुद्ध सामारिक वायु रक्षा संबंधी कार्रवाई शुरू कर सकें, उसकी मानीटरी कर सके तथा उसे नियंत्रित कर सकें।

(ग) संविदा हो जाने पर ही इसका पता चल सकेगा।

कालीकट विमानपत्तन पर धावन-पट्टी का निर्माण

3965. श्री जी. एम. बनातवाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कालीकट विमानपत्तन पर धावन-पट्टी तथा अन्य निर्माण कार्यों के पूरा होने में काफी विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) केरल में देर तक हुई वर्षा और इससे काम करने की अवधि में वास्तव में छ: महीने तक की आई कमी, साथ ही पहुंच मार्ग की क्षमता में भी सीमितता के कारण भूमि पर किए जाने वाले काम की मात्रा में प्रतिदिन 5000 घनमीटर तक की तथा स्थानीय लोगों द्वारा उनके रिहायशी क्षेत्र में से यातायात का विरोध करने आदि के कारण 7500 फुट से 9000 फुट तक के धावन पथ के विस्तार के दूसरे चरण में देरी हुई। फिर भी 92 प्रतिशत तक कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) परियोजना का कार्य करने वाली एजेंसी के कार्य पर गहराई से निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। पहुंच मार्ग की भी मरम्मत कर दी गई है, गति अवरोधकों का निर्माण कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है कि मिट्टी रास्ते में न गिरे जिससे धूल की समस्या उत्पन्न न हो सके।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को घाटा

3966. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों को कितना घाटा झेलना पड़ा अथवा उन्हें कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या यह घाटा तेल पर दी गई राज-सहायता के कारण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी एम यूज) द्वारा लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कुछ विपणन और रिफाइनरी कंपनियों ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण निवेश लागतों में वृद्धि, परिशोधन लाभान्तरों में कमी, उच्च सामान सूची लागत, उच्च ब्याज दरों और ह्रास लागतों आदि के कारण वितरण वर्तमान वर्ष के दौरान लाभों में गिरावट आई है। सरकार उनके निष्पादन का नियमित रूप से पुनरीक्षण और निगरानी कर रही है। तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम उनके निष्पादन में और सुधार लाने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इस दिशा में किए गए उपायों में अन्य के साथ साथ विभिन्न लागत नियंत्रण उपाय, बेहतर सामान सूची प्रबंधन, उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार, निवेश लागतों को नियंत्रित करना, श्रमशक्ति का यौक्तिकरण, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय किस्म के चिन्ताजनक अंतरों को कम करने के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम, उत्पाद अनुकूलन और उत्पाद विकास आदि शामिल हैं।

विवरण

लाभ (+)/हानि (-) करोड़ रुपये में

क्र॰सं॰	सार्वजनिक क्षेत्र/ उपक्रम का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान करोपरांत लाभ			
		1997-98	1998-99	1999-2000	++अप्रैल/ सितम्बर, 2000
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि॰	1706.00	2214.00	2443.00	1487.00
2.	भारत पेट्रोलियम का॰ लि॰	532.70	701.25	703.86	546.52
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का॰ लि॰	701.16	901.26	1057.41	423.17
4.	आयल एंड नेचुरल गैस का॰ लि॰	2677.78	2754.50	3629.47	2533.53
5.	आयल इंडिया लि॰	288.84	291.60	409.79	205.81
6.	गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰	1020.00	1060.00	861.00	526.00
7.	कोची रिफाइनरीज लि॰	220.41	338.23	235.20	45.62
8.	बोंगाईगाँव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि॰	67.99	34.26	32.24	-21.88
9.	इंजीनियर्स इंडिया लि॰	73.24	118.06	126.20	71.10
10.	चेन्नई पेट्रोलियम का॰ लि॰	129.28	204.93	143.14	24.63
11.	आई.बी.पी. कं॰ लि॰	31.56	35.23	41.71	21.59
12.	बामर लारी एंड कं॰ लि॰	16.41	16.83	14.32	4.96
13.	बीको लारी लि॰	-4.88	0.45	0.17	-4.56

++अनन्तिम ।

ऊनी वस्त्र मिलें

3967. श्री राजो सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित ऊनी वस्त्र मिलों के नाम क्या-क्या हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं तथा इस समय उनमें राज्य-वार व मिल-वार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन मिलों का लाभार्जन/इन्हें हुआ घाटा कितना रहा;

(ग) इनमें से कौन-कौन सी मिलें रुग्ण/बंद पड़ी हैं;

(घ) इसके कारण मिल-वार कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और सरकार द्वारा उनके पुनर्वासन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) रुग्ण मिलों का उद्धार करने और बंद पड़ी मिलों को फिर से खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर मिल-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): (क) से (घ) मांगी गई सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, इस संबंध में वस्त्र मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

(ङ) भारत सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाए जाने वाले आवश्यक निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस.आई.सी.ए., 1985 बनाया है और औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में पूँजी के निर्माण, प्रवृत्तकों द्वारा नई विधियाँ जुटाना, अन्य कंपनियों में समामेलन, प्रबंधन में परिवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूँजी और आवधिक ऋणों की व्यवस्था करने जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।

सरकार ने 211 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से बी.आई.सी. की वूलन मिलों अर्थात् न्यू एगर्टन वूलन मिल्स, धारीवाल और कानपुर वूलन मिल्स, कानपुर के लिए एक पुनरुद्धार प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

विवरण

(1) ऊनी मिलों की राज्य-वार संख्या, उनकी स्थापित क्षमता और 31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार नामावली में कामगारों की संख्या के ब्यौरे

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिलों की संख्या	स्थापित क्षमता					नामावली में कामगार
			कोम्बर	तकुए	करघे	निटिंग मशीन	हौजरी मशीन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	6	-	15044	20	-	-	395
2.	असम	1	-	2000	-	-	-	468
3.	दिल्ली	13	-	13424	-	-	-	660
4.	गुजरात	16	5	47582	274	-	-	3188
5.	हरियाणा	251	2828	156071	150	-	-	7895
6.	हिमाचल प्रदेश	8	24	15971	30	-	-	391
7.	जम्मू व कश्मीर	2	12	732	-	-	-	197
8.	कर्नाटक	3	2	12704	364	-	-	1593
9.	मध्य प्रदेश	8	28	68054	423	-	-	5757
10.	महाराष्ट्र	10	4035	61581	263	37	-	6224
11.	पंजाब	210	175	378598	2012	768	3152	25749
12.	राजस्थान	68	1804	42084	135	-	-	4799
13.	तमिलनाडु	1	-	1250	-	-	-	76
14.	उत्तर प्रदेश	76	39	92225	454	21	-	5851
15.	पश्चिमी बंगाल	1	-	12960	-	-	-	1142
संघ शासित क्षेत्र								
1.	दादर नगर हवेली	1	8	14300	-	-	-	181
	कुल योग	675	8960	934579	4125	826	3152	64566

(2) 30.9.2000 तक की स्थिति अनुसार बंद पड़ी ऊनी मिलों, उनके बंद होने की तारीख, बंद होने के कारण, उनकी स्थापित क्षमता और नामावली में कामगारों के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम संख्या	मिल का नाम	बंद होने की तिथि	स्थापित क्षमता		नामावली में कामगार	बंद होने के कारण
			तकुए	करघे		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंध्र प्रदेश						
1.	* मिडलैंड इन्डस्ट्रीज लि॰	31.05.1998	3600	-	-	ब्यौरों की प्रतीक्षा है
2.	मै॰ एस.एस.वूल एंड एलाईड इंड प्रा. लि.	नवम्बर, 91	640	-	14	वित्तीय कठिनाई
3.	आंध्र प्रदेश को-ऑप. वुलन स्पिनिंग	01-01-1987	196	-	29	वित्तीय कठिनाई
4.	* लक्ष्मी वूलन इंड (प्रा.) लिमिटेड	फरवरी, 93	640	-	-	आग लगने से घाटा होने के कारण बंद है।
5.	हिफलोन इंडस्ट्रीज लि॰; गुम्माडियाडाला	16-08-1996	3600	-	-	वित्तीय समस्या
6.	लैमिनो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड	सितम्बर, 98	2400	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
बिहार						
7.	* बिहार वूलन फैब्रिक्स लिमिटेड	08-08-1988	954	-	221	वित्तीय संकट
गुजरात						
8.	वॉकर अनजरियाल, जामनगर	12-11-1982	-	-	-	श्रमिक विवाद
9.	चंद्रलोक वूलन मिल्स	-	-	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
10.	सोहना स्पिनिंग (प्रा.) लिमिटेड	-	2400		128	ब्यौरों की प्रतीक्षा है
11.	गुजरात वूलन मिल्स	-	1380	-	6	स्थायी रूप से बंद है
12.	जी. एम. ब्यास एंड कंपनी	-	-	-	-	लंबे समय से बंद है
13.	जावेरी कॉटन वूलन मिल्स	-	400	-	-	पिछले दो वर्षों से बंद है
14.	श्री सरस्वती वेस्ट यार्न	अक्तूबर, 93	360	-	-	अस्तित्व में नहीं
15.	महाजन वूलन अंकलेश्वर	01.04.1999	924	-	20	वित्तीय कठिनाईयां
16.	एम. जे. वूलन मिल्स	-	-	-	-	ज्ञात नहीं
17.	रस्तोगी स्पिनर्स (प्रा.) लिमिटेड	27.07.1995	1200	-	73	लाइसेंस लौटा दिया गया है
18.	एन. एल. वूलन मिल्स	-	-	-	-	ब्यौरे मंगाए गए हैं
हरियाणा						
19.	* राधिका वूलन एंड सिल्क मिल्स	13.07.1987	2400	-	85	वित्तीय समस्या
20.	दशमेश वूलन एंड स्पिनिंग मिल्स पानीपत	-	-	-	-	श्रमिक और वित्तीय कठिनाईयां
21.	एच. पी. इंडस्ट्रीज, रिवाड़ी	08.10.1983	600	-	104	वित्तीय कठिनाईयां
22.	बाहुबली वूलन मिल्स, पानीपत	-	-	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
23.	एफ. सी. वूलन एंड स्पिनिंग मिल्स पानीपत	-	-	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
24.	गणेश स्पिनर्स, पानीपत	-	-	-	-	कामगार वित्तीय कठिनाईयां

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	बेस्ट पेटेंट प्रेस कंपनी पानीपत	-	-	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
26.	आर. सी. डी. मार्केटिंग (प्रा.) लि. पानीपत	-	-	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
27.	हर श्रीनाथ टेक्सटाइल, पानीपत	-	-	-	-	ब्यौरे उपलबध नहीं हैं
28.	सी. आर. स्पिनर्स (प्रा॰) लि॰ पानीपत	-	-	-	-	ब्यौरे उपलबध नहीं हैं
29.	जयश्री टेक्सटाइल इंजी.एंड स्पिनिंग	-	-	-	-	ब्यौरे उपलबध नहीं हैं
30.	आहूजा टेक्सटाइल एंड केमिकल (प्रा.) लि.	-	-	-	-	ब्यौरे उपलबध नहीं हैं
31.	हरी वूलन मिल्स, फरीदाबाद	-	-	-	-	ब्यौरे उपलबध नहीं हैं
32.	अलाईड वूलन मिल्स, पानीपत	01.01.1999	420	-	16	बाजार में मंदी
33.	बद्री वूलन मिल्स, पानीपत	-	500	-	19	ज्ञात नहीं
34.	अरूण टेक्सटाइल पानीपत	-	500	-	12	ज्ञात नहीं
35.	मॉडर्न फैब्रिक्स प्रा. लि., सोनीपत	31.01.1999	-	-	-	ज्ञात नहीं
36.	केदार वूलन मिल्स, पानीपत	अप्रैल, 98	-	-	-	ज्ञात नहीं।
37.	सी. टी. इ. एक्स, पानीपत	अक्तूबर, 98		-	-	ज्ञात नहीं।
38.	रेवाड़ी टैक्सटाइल प्रा. लिमिटेड	08.10.1983	600	-	104	वित्तीय कठिनाईयां
कर्नाटक						
39.	* कोलार वूलन एंड टेक्सटाइल मिल बंगलौर	जनवरी, 95	-	-	-	कार्यशील पूँजी की कमी
मध्य प्रदेश						
40.	अशोका वूलन मिल्स, इंदौर	अक्तूबर, 91	-	-	-	ब्यौरे मंगाये गए हैं
महाराष्ट्र						
41.	अहमद वूलन मिल्स, अंबरनाथ	08-08-1990	4480	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
42.	नागपाल वूलन मिल्स नं॰ 1 और 3	03-01-1994	2596	4	141	वित्तीय कठिनाईयां
43.	श्री कृष्णा वूलन मिल्स	जुलाई, 87		-	-	वित्तीय कठिनाईयां
44.	धोरूआ वूलन मिल्स लि., मुंबई	सितम्बर, 93	3600	26	250	वित्तीय कठिनाईयां
45.	गी वूलन मिल्स, मुंबई	19-03-1995	-	-	-	19.3.85 से श्रमिकों की हड़ताल के कारण तालाबंदी
46.	लक्ष्मीचंद तुलसीदास - स्वामित्व	06-10-1994	1333	2	84	वित्तीय कठिनाईयाँ
47.	माटेला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज	16-08-1996	2000	-	184	परिसमापन अधीन
48.	रूपानी वूलन मिल्स प्रा. लि. थाणे	जुलाई, 97	-	-	-	कामगारों की हड़ताल
49.	बॉम्बे वूलन मिल्स मुंबई-23	अगस्त, 78	3532	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
50.	बॉम्बे फाईन वर्स्टड मैनु. लि. थाणे	15-05-1988	-	-	-	वित्तीय कठिनाईयां
51.	ए. बी. इंटरप्राईजिज, थाणे	-	-	-	-	17.7.95 को मिल में आग लग जाना
52.	भवानी वोलटेक्स कोरूप	04-03-1995	-	-	-	ब्यौरे ज्ञात नहीं
53.	* एनरलैड वूलन मिल्स प्रा. लि.	-	-	-	-	4.3.95 से बंद
54.	क्रिस्टल मिल 2 थाणे	-	-	-	-	यह अस्तित्व में नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंजाब						
54A.	शाह निटवियर लुधियाना	1995	1200	-	-	ज्ञात नहीं
55.	ज्योति विविंग मिल्स, हरी नगर	1995	2400	-	-	वित्तीय समस्या
56.	तारसंस वूलन, लुधियाना	1995	1600 गै/व	-	-	वित्तीय समस्या
57.	लक्ष्मी वूलन मिल्स	1995	600 गै/व	-	-	ज्ञात नहीं
58.	जैन ट्रेडर्स इंड एरिया "ए" लुधियाना	-	-	-	-	ज्ञात नहीं
59.	ए. के. वूलन मिल्स प्रा. लि.	1994	2400	13	-	ज्ञात नहीं
60.	नवराज फैबिक्स प्रा. लि. लुधियाना	-	1200w	-	-	ज्ञात नहीं
61.	संदीप वूलन मिल्स लिंक रोड़	1995	1200	-	-	ज्ञात नहीं
62.	राजन एंड संतोष प्रा. लि.	1995	-	-	-	ज्ञात नहीं
63.	के. के. स्पिनर्स, 892, गणेश नगर, लुधियाना	1995	800w	-	-	ज्ञात नहीं
64.	गोपाल दास जगत राम प्रा. लि. लुधियाना	अप्रैल, 94	2016	-	-	ज्ञात नहीं
65.	शक्तिमान वूलन हौजरी, लुधियाना	-	1200	-	-	ज्ञात नहीं
66.	एस्मेल यार्न, लिंक रोड, लुधियाना	-	-	-	-	ज्ञात नहीं
67.	गोपाल जी, स्पिनर्स, लुधियाना	01-4-1994	1200	-	-	ज्ञात नहीं
68.	एलोरा स्पिनिंग मिल्स, अमृतसर	06-11-1998	400	-	34	वित्तीय समस्या
69.	अंगोरा स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	01-11-1990	126	-	8	वित्तीय समस्या
70.	अरूण यार्न्स प्रा. लि. अमृतसर	-	400	-	17	ज्ञात नहीं
71.	राजा स्पिनिंग मिल्स, लुधियाना	अक्तूबर, 98	1600	-	20	ज्ञात नहीं
72.	वास्ता वूलन मिल्स	01-07-1998	680	-	13	ज्ञात नहीं
73.	गाईड एक्सपोर्ट्स, सी-112, फाकेल प्वाइंट, लुधियाना	अक्तूबर, 98	-	-	-	ब्यौरों की प्रतीक्षा है
74.	अरविंद टेक्सटाइल	नवम्बर, 98	-	-	-	ब्यौरों की प्रतीक्षा है
75.	आर.एस. वूलन मिल्स	05-09-1999	800w	-	25	ज्ञात नहीं
76.	उपासना स्पिनिंग मिल्स	-	-	-	-	ज्ञात नहीं
77.	किशोर वूलन मिल्स, अलवर	31-03-1998	200	-	-	ज्ञात नहीं
राजस्थान						
78.	स्टैंडर्ड वूलन मिल्स, जोधपुर	08-07-1984	1890	-	203	न्यायालय के दिनांक 28.12.85 के आदेश के अंतर्गत कंपनी को बंद कर दिया गया
79.	* विकेश वूलन मिल्स, अलवर	-	-	-	-	ज्ञात नहीं
80.	फॉरेन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एसोसि.	01-10-1985	-	7	77	निदेशक के साथ विवाद
81.	राजस्थान वूलटेक्स, जयपुर	अप्रैल, 86	-	-	-	न्यायालय के दिनांक 18.9.87 के आदेश के अंतर्गत कंपनी को बंद कर दिया गया
82.	राजस्थान वूलन मिल्स	31-12-1982	530	-	-	मिलों के ऋणदाताओं ने उच्च न्यायालय में मामला दायर कर दिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	ओरिएंट वूलन टेक्सटाइल्स मिल्स	-	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
84.	जगदम्बा वूलन लिमिटेड	सितम्बर, 89	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
85.	जी. एस. वूलन मिल्स, भिलवाड़ा, राजस्थान	-	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
86.	सराफ वूल मिल्स, सीकर	-	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
87.	वूल स्पिन लिमिटेड, अलवर	-	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
88.	मित्तल वूलन मिल्स, सीकर	-	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
89.	त्रिलोक वूलन मिल्स, सीकर	-	-	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
90.	* जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर	-	-	-	-	बीआईएफ आर ने यह पाया कि इस मामले को बनाए नहीं रखा जा सकता है
91.	राजस्थान स्माल इंड कोरप. चुरू	-	-	-	-	बीआईएफआर ने यह पाया कि इस मामले को बनाए नहीं रखा जा सकता है
92.	राजस्थान स्माल इंड कोरप. लघु इकाई	-	-	-	-	बीआईएफ आर ने यह पाया कि इस मामले को बनाए नहीं रखा जा सकता है
93.	सी. एच. वूलन प्रा. लिमिटेड, बीकानेर	जनवरी, 95	-	-	-	ज्ञात नहीं
उत्तर प्रदेश						
94.	अद्दी इंडस्ट्रीज लि. बुलंदशहर	15-11-94	5600	-	7	स्थायी रूप से बंद
95.	* भदोही वूलन मिल्स लि.	नवम्बर, 93	998	-	40	वित्तीय कठिनाईयां
96.	ई. सोटन एंड कं० प्रा० लि०	फरवरी, 96	2213	-	-	एकक फरवरी, 96 से बंद है
97.	प्रशाद स्पिनर्स प्रा. लि.	09-09-1995	1200	-	28	वित्तीय समस्या
98.	आर. एस. पी. वूलन मिल्स	अक्तूबर, 95	600	-	120	ज्ञात नहीं
99.	एगाईन वूलन मिल्स प्रा. लिमिटेड	02-06-1990	320	-	25	वित्तीय समस्या
100.	बी. डी. प्लास्टरेनिक्स (इ.) प्रा. लिमिटेड	15-10-1997	800	-	17	फैक्टरी को यू. पी.एफ. सी. कन. द्वारा 4.11.97 को अधिग्रहित कर लिया गया
101.	* ए.पी.आर. वूलन प्रा. लिमिटेड	जून, 89	1200	-	-	कार्यशील पूँजी की कमी
102.	कालिंदी वूलन मिल्स	1993	1292	-	-	ज्ञात नहीं
103.	वूल फाईबर (इ.) लिमिटेड	1993	600	-	-	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
104.	कोरोनेशन स्पिनिंग इंडिया	1990	600	-	-	वित्तीय समस्या
105.	प्रशांत वूलन मिल्स	1991-92	800	-	33	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
106.	बेनांजा वूल्स प्रा. लि.	1993	-	-	-	ज्ञात नहीं
107.	अहमर स्पिनिंग मिल्स	अप्रैल, 96	170	-	10	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं
108.	शशांक वूलन मिल्स प्रा. लि.	मार्च, 96	680	-	81	मशीनें बेच दी गई हैं
109.	जय माता वूलन मिल्स प्रा. लि.	-	-	-	-	यूपीएफसी ने मशीनें खरीद ली हैं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110.	नवरंग वूलन मिल्स प्रा. लि.	-	-	-	-	यूपीएफसी ने मशीनें खरीद ली हैं
111.	जयश्री स्पिनर्स, देहरादून	1992	800	-	49	यूपीएफसी ने मशीनें खरीद ली हैं
112.	दून वूलन मिल्स	-	-	-	21	ज्ञात नहीं
113.	रोहिणी वूलन मिल्स	-	200	-	-	यूपीएफसी ने मशीनें खरीद ली हैं
114.	उत्तराखंड वूलन मिल्स	-	400	-	29	यूपीएफसी ने मशीने खरीद ली हैं
115.	अप्सरा वूलन प्रा. लि.	-	-	-	-	विद्युत आपूर्ति बंद है
116.	एमके वूलन मिल्स	-	-	16	-	मशीनें बेच दी गई हैं
117.	इंडिया वूलन मिल्स	-	-	-	-	अस्तित्व में नहीं
118.	नॉदर्न वूलन	-	400	-	15	मशीनें बेच दी गई हैं
119.	किरन स्पिनंग मिल्स	1992	1600	-	57	यूपीएफसी के नियंत्रणाधीन
120.	फालकेन वूलन मिल्स	01-04-1997	340	-	16	यूपीएफसी के नियंत्रणाधीन
121.	क्वालिटी वूल	01-03-1996	400	-	15	विद्युत आपूर्ति बंद करना
122.	गर्ग वूलन मिल्स लि.	-	400	-	-	ब्यौरों की प्रतीक्षा है
123.	जखवाल वूलन मिल्स लि.	-	-	-	41	श्रमिक संकट
124.	स्टेट टैक्सटाइल मिल्स लि.	31.12.1992	400	-	45	श्रमिक संकट
125.	* सरस्वती वूलन मिल्स	-	600	-	16	ज्ञात नहीं
126.	बुलंदशहर वूलन	-	-	18	-	मशीनें बेच दी गई हैं
127.	कुमार वूलन मिल्स उन्नाव	01-08-1991	600	-	-	मशीनें बेच दी गई हैं
128.	धूप स्पिनिंग मिल्स	जनवरी, 91	-	-	-	लाइसेंस लौटा दिया है
129.	खेरा वूलन मिल्स	-	320	-	14	ज्ञात नहीं
130.	अशोक वूलन मिल्स	29-09-1996	250	-	233	वित्तीय समस्या
131.	रायगढ़ जूट एंड टक्सटाइल मिल्स लि.	04-07-1987	130	-	230	श्रमिक असंतोष
132.	सुमानिका यार्न्स प्रा. लि.	11-04-1998	798	-	21	श्रमिक समस्या
133.	आर. एस. स्पिनर्स, भदोही	-	-	-	10	ज्ञात नहीं
134.	बिरला ट्रांसएशिया कारपेट लि.	15-10-1998	416	-	34	तालाबंदी
पश्चिमी बंगाल						
135.	कुसुम वूल एंड वूलंस, कलकत्ता	17-04-1982	240	89	61	अपशेष
136.	रायगढ़ जूट एंड टेक्सटाइल लि. नं. 2, कलकत्ता	21-02-1981	-	-	-	अवशेष
137.	बंगाल नेशनल टेक्स, मिल्स लि., कलकत्ता	01-11-1985	2440	-	130	ब्यौरे ज्ञात नहीं
138.	* वूल कॉम्बर्स ऑफ इंडिया	05-10-1995	-	-	-	ब्यौरे मंगाये गए हैं
दिल्ली						
139.	वीणा वूलन तमल्स दिल्ली	31-10-1986	300	-	88	वित्तीय कठिनाईयां
140.	विंग्स वूलन मिल्स	-	-	-	-	ब्यौरे मंगाये गए हैं

*यह बीआईएफआर के पास पंजीकृत बंद एकक निर्दिष्ट करता है।

(3) *30.4.2000 तक की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत वूलन मिलों के राज्य-वार ब्यौरे और उनकी स्थिति*

क्रम सं.	राज्य का नाम	धारा 18(4) के अंतर्गत स्वीकृत योजना	ना बनाए रखने योग्य	धारा 20 (1) के अतर्गत बंद करने की सिफारिश करना	अन्य	अब रुग्ण न होने की घोषणा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-	2	-	-	-	2
2.	बिहार	-	-	1	-	-	1
3	हरियाणा	-	1	2	-	-	3
4.	कर्नाटक	-	-	-	1	1	2
5.	मध्य प्रदेश	1	-	1	-	-	2
6.	महाराष्ट्र	-	1	2	-	-	3
7.	राजस्थान	-	2	1	-	-	3
8	उत्तर प्रदेश	-	1	2	-	-	3
9.	पश्चिमी बंगाल	-	1	-	-	-	1
10.	चंडीगढ़	-	-	-	-	1	1
	कुल	1	8	9	1	2	21

बी. आई. एफ.आर. के पास पंजीकृत इन 21 वूलन मिलों में से 30 सितम्बर, 2000 तक की स्थिति के अनुसार 12 वूलन मिलें बंद पड़ी हैं। इन मिलों को बंद वूलन एककों की सूची में * चिन्ह लगाकर निर्दिष्ट किया गया है।

सचिव/अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति

3968. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विधायी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या उन अधिकारियों को, जो विधायी विभाग में विधानों का हिन्दी संस्करण तैयार करते हैं, सचिव और अतिरिक्त सचिव के पद का पात्र नहीं माना जाता;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव की नियुक्त के संबंध में कोई विसंगति, सरकार की जानकारी में आई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में सचिव और अपर सचिव पद के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन और सिफारिश करने के लिए भारतीय विधि सेवा के पात्र अधिकारियों और सेवा से बाहर के अन्य विधिज्ञ विशेषज्ञों पर विचार करने के पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने तारीख 2 सितंबर, 1999 को खोजबीन और चयन समिति के गठन के संबंध में अनुदेश जारी किए थे। उक्त अनुदेशों में यह उपदर्शित किया गया कि विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में सचिव और अपर सचिव के भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति की बाबत उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली समिति का अनुमोदन किया गया था:

(1) सचिव के लिए — अध्यक्ष
- मंत्रिमंडल सचिव
- प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव
- सचिव, (कार्मिक)
- भारत का महा-सालिसिटर या महान्यायवादी

(2) अपर सचिव के लिए — अध्यक्ष
- मंत्रिमंडल सचिव
- सचिव, (कार्मिक)
- सचिव, विधि कार्य विभाग/विधायी विभाग
- यदि आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ नियुक्त किया जाएगा।

विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में सचिव और अपर सचिव, दोनों पद, भारतीय विधि सेवा के काडरबाह्य पद हैं और इन पदों पर चयन के लिए प्रक्रिया अब वही है जो तारीख 2 सितम्बर, 1999 के कार्मिक विभाग के अनुदेशों में बताई गई है।

(ख) और (ग) विधायी विभाग के राजभाषा खंड के अधिकारी, जो संसद द्वारा अधिनियमित विधियों के हिन्दी पाठ तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं, या तो अनुवादकों के पद पर भर्ती किए जाते हैं अथवा उच्च पदों पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाते हैं, किन्तु उनकी आधारभूत जिम्मेदारी विधायी विभाग के प्रारूपकारों द्वारा मूल्य रूप से प्रारूपित अंग्रेजी पाठ उन्हें भेजे जाने के पश्चात, विधियों का हिन्दी में अनुवाद करना है।

राजभाषा खंड के अधिकारियो को भारतीय विधि सेवा में सम्मिलितों करने का प्रश्न, समय-समय पर गृह मंत्रालय के लिए संसद् की विषय संबद्ध स्थायी समिति में उठाया गया है और विभाग ने हमेशा यही बताया है कि विधायी विभगा के राजभाषा खंड के अधिकारियों के कर्तव्यों की प्रकृति, मुख्य विभाग के प्रारूपकारों के कर्तव्यों की प्रकृति से भिन्न है। इसीलिए, सरकार, उन्हें भारतीय विधि सेवा में सम्मिलित करने की सिफारिश पर सहमत होने में असमर्थ रही है। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति भिन्न होने के कारण, भेद-भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपरोक्त (क) में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार, विधायी विभाग में सचिव और अपर सचिव की नियुक्तियां की जाने के बाद से कोई विसंगति ध्यान में नहीं आई है। इसलिए, प्रश्न (ङ) का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तानी सेना द्वारा शीतकालीन युद्धाभ्यास

3969. श्री मोहन रावले:
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी सेना, भारी गोलाबारूद और अत्याधुनिक शस्त्रस्त्रों से सुसज्जित होकर, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की सीमा से लगी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण-रेखा से केवल 15-20 किलोमीटर की दूरी पर शीतकालीन युद्धाभ्यास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) सरकार को इसकी जानकारी है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर के सामने स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15-20 किलोमीटर दूर, अपने सामान्य शरदकालीन सामूहिक प्रशिक्षण के रूप में यूनिट स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारी तोपखाना लाये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) सीमा पर निरंतर सतर्कता बरती जाती है।

विदेशी पर्यटकों को यात्रा-आरक्षण सुविधाएं

3970. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों को विशेष यात्रा-पैकेज आरक्षण-सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) तीन अनुसूचित एयरलाइनों जैसे इंडियन एयरलांइस, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस द्वारा विदेशी पर्यटकों को दिए जाने वाली आरक्षण सुविधा के लिए विशेष यात्रा पैकेज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन पैकेज आरक्षण सुविधा के ब्यौरे

1. इंडियन एयरलाइंस

(i) नामित पर्यटन क्षेत्रों में 400 सीट तक स्वचालित पुष्टिकरण।

(ii) विदेशी पर्यटकों को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने के लिए पूरे नेटवर्क की अभिपुष्टि की प्राथमिकता।

(iii) पूर्व प्रतिबद्ध विदेशी पर्यटन समूहों के लिए अतिरिक्त विमानों का प्रचालन।

2. जेट एयरवेज

(i) 7, 18 और 21 दिनों के अंतर तक 3 किराया योजनावधि के लिए आगमन भारतीय किराए (अमेरिकी डॉलर में) इसका ब्यौरा इस तरह तैयार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का भारत में कई स्थानों तक एक ही दिशा में या बिना बै-ट्रैकिंग के पर्यटक क्षेत्र में किसी भी गंतव्य स्थल तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) भारत में किसी भी गंतव्य स्थल के लिए मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई से होकर अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे के समीप चुने हुए होटलों में विशेष कमरा किराए पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराना । ठहरने की यह सुविधा 12 घंटे तक की अवधि के लिए उपलब्ध है ।

3. सहारा एयरलाइंस

(i) अमेरिकी डॉलर में भारतीय किराए लेकर 15 और 21 दिनों के बीच सर्किल ट्रिप में निरन्तर एक दिशा में दौरा ।

(ii) विभिन्न होटलों के साथ मिलकर विशेष पैकेज शुरू करने की भी योजना है।

[अनुवाद]

कालीकट विमानपत्तन के लिए प्रस्ताव

3971. श्री के. मुरलीधरन:
श्री जी. एम. बनातवाला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जो लोग केरल से हज-यात्रा पर जाते हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्रतिशत (लगभग 80 प्रतिशत) उनका होता है, जो कालीकट विमानपत्तन क्षेत्र से अर्थात् कालीकट, मालाप्पुरम, कन्नूर आदि स्थानों से होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कालीकट विमानपत्तन के परिसर में हज-यात्रियों के लिए हजमंजिल/मुसाफिरखाना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार कालीकट विमानपत्तन से हजयात्रा-उड़ानें शुरू करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य हज समिति ने कालीकट हवाई अड्डे के निकट एक हज हाऊस का निर्माण किया है।

(ग) और (घ) यद्यपि सितम्बर, 2000 में एअर इंडिया को, केन्द्रीय हज समिति से, कालीकट से हज उड़ानों के प्रचालन के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, परन्तु उस समय तक, निविदा प्रक्रियाएं पहले ही आरंभ कर दी गई थी और हज-2001 के लिए हज तीर्थ यात्रियों को लेने के लिए विमान में सवार होने के स्थल निर्धारित कर दिए गए थे। तथापि, कालीकट क्षेत्र से हज तीर्थयात्री कोचीन हवाई अड्डे से हज उड़ानों की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वह भी हज-2001 के लिए विमान में सवार होने का स्थान है।

[हिन्दी]

करों का युक्तिसंगतीकरण

3972. श्री नवल किशोर राय:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वस्त्र उद्योग में करों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्तरों पर लगाए गए करों का ब्यौरा क्या है और इन करों का किस दर से आधान किया गया है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर अधिकृत करों की तुलना में इन करों के आधान से वस्त्र उद्योग को कितना लाभ पहुंचेगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार ने औसत शुल्क दर (एकरूपता) की ओर चरणबद्ध रूप में वस्त्र के ढांचे के सुव्यवस्थीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नई वस्त्र नीति में भी पैरा संख्या 34 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि एक विकासोन्मुख वित्तीय मार्ग-चित्र बनाया जाएगा जिसका यह लाभ होगा कि इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जिन प्राचलों के भीतर बहु-स्तरीय शुल्क ढांचे तथा प्रभारों की दरों की पुनरीक्षा और सुव्यवस्था की जाएगी, उनमें निर्यातों पर ध्रस्ट, प्रमुख आयातक देशों की वित्तीय नीति, डब्ल्यूटीओ की सुसंगति और ऐसे अधिकांश गरीब उपभोक्ताओं के लिए जो कि बाजार का निरंतर मुख्य अंग बने रहेंगे उनके सामर्थ्य स्तर पर कीमतों को बनाए रखने की आवश्यकता शामिल है ।

विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करों के साथ प्रभारित करों की दर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

राष्ट्रीय वस्त्र नीति में की गयी व्यवस्था अनुसार कर सुव्यवस्थीकरण करने का उद्देश्य प्राचलों के भीतर कर ढांचे को सुव्यवस्थित करना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख प्रतियोगी देशों की वित्तीय नीति को शामिल करना है।

विवरण

मदें	उत्पाद शुल्क 2000-2001			सीमा (कस्टम) शुल्क 2000-2001				
	केनवेट	ए टी एंड टी	कुल	बी सी डी	एस सी	सी वी डी	एस ए डी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. *कपास क्षेत्र:*								
1. अपरिष्कृत कपास		शून्य		5.00	0.50	-	-	5.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. कपास यार्न (कोन) सूती सिलाई धागा	8.00	1.20	9.20	20.00	-	11.04	5.24	36.28
ख. *मानव-निर्मित क्षेत्र:*								
1. एक्रलिक स्टेपल फाइबर/टो	16.00	2.40	18.40	20.00	-	22.08	5.68	47.76
2. पोलिस्टर स्टेपल फाइबर/टो	16.00	2.40	18.40	20.00	-	22.08	5.68	47.76
3. विस्कोस स्टेपल फाइबर/टो	16.00	2.40	18.40	20.00	-	22.08	5.68	47.76
4. पी एफ वाई/पी ओ वाई	32.00	4.80	36.80	20.00	-	44.16	6.57	70.73
5. टेक्सचराईड यार्न	2.50	0.375	2.875	20.00	-	44.16	6.57	70.73
6. विस्कोस फिलामेंट यार्न	16.00	2.40	18.40	20.00	-	22.08	5.68	47.76
ग. *ब्लैंडेड स्पन यार्न :*								
1. सभी प्रकार के ब्लैंडेड यार्न	16.00	2.40	18.40	20.00	-	22.08	5.68	47.76
2. 100% गैर-सूती स्पन यार्न	16.00	2.40	18.40	20.00		22.08	5.68	47.76
घ. *फेब्रिक्स (संसाधित)*								
1. मिश्रित, अर्द्ध मिश्रित बहुक्षेत्रीय	8	8	16	-	30% से 35% सममूल्य के बीच की श्रेणी तथा 9 रु० प्रतिवर्ग मी० से 200 रु० प्रति वर्ग मी० की विशेष दर की श्रेणी			
2. स्टेनटर/चेम्बर आधारित शुल्क संरचना								
(क) 30 रु० प्रति वर्ग मी० तक के मूल्य के फेब्रिक्स	2 लाख रु० प्रति चेम्बर प्रति माह							
(ख) 30 रु० प्रति वर्ग मी० से अधिक मूल्य के फेब्रिक्स	2.5 लाख रु० प्रति चेम्बर प्रति माह							
3. ऊनी फेब्रिक्स	16	5	21					
4. सिले-सिलाए परिधान		-शून्य-	-	35.00	-	-	5.40	40.40*
5. मेड-अपस	16	-	16	35.00	-	21.60	6.26	62.86
ड. *ऊनी क्षेत्र:*								
1. अपैरल श्रेणी के अपरिष्कृत ऊन		-शून्य-		15.00	1.50	0.00	4.66	21.16
2. कालीन श्रेणी के ऊन		-शून्य-		5.00	0.50	0.00	4.22	9.72
3. ऊनी तथा सिंथेटिक ऐस		-शून्य-		25.00	2.50	0.00	5.10	32.60
4. फ्लेक्स फाइबर		-शून्य-		25.00	2.50	0.00	5.10	32.60

ए टी एंड टी: वस्त्र और वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क
एस सी : अधिभार

बी सी डी: आधारभूत सीमा शुल्क
सी वी डी : काउन्टर वाइअलिंग शुल्क

* सिले-सिलाए परिधानों पर सममूल्य आधार पर अथवा 25 रु. से 1100 रु. प्रति अदद तक विशेष शुल्क इसमें से जो भी पहले हो, के आधार पर सीमा शुल्क लगेगा।

[अनुवाद]

'क्यूट' सुविधा का अधिष्ठापन

3973. श्री वी. के. पार्थसारथी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तन पर भीडभाड़ कम करने के उद्देश्य से, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर 'कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट' (क्यूट) सुविधा का अधिष्ठापन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'क्यूट' सुविधा की क्षमता क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर अत्यधिक जन-संकुलन से बचने और यात्रियों का समय बचाने की दृष्टि से, चेन्नई और देश के अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर भी 'क्यूट' सुविधा का अधिष्ठापन किये जाने का विचार है; और

(घ) चेन्नई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर 'क्यूट' सुविधा के अधिष्ठापन के संबंध में कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में टर्मिनल-2 पर अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के उपयोग हेतु एयरलाइन चेक-इन काउंटरों के लिए सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर सुविधा संस्थापित करने के लिए एयरलाइन प्रचालक समिति सहमत हो गई है। कार्य-क्षमता के बारे में एयरलाइनें सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर टर्मिनल में संस्थापित सभी काउंटरों का उपयोग कर सकती हैं और चेक-इन काउंटरों की संख्या एयरलाइनों की सीमित समर्पित काउंटरों की तुलना में अधिक है। तदनुसार चेक-इन करने में यात्रियों को जहां बहुत समय लगता था वह इस प्रक्रिया से घट कर बहुत कम हो गया है।

(ग) और (घ) सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्करों का संस्थापन एयरलाइन/एयरलाइन प्रचालक समिति का दायित्व है। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्करों के संस्थापन की साध्यता आरंभिक अवस्था में है और इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे मुम्बई में सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर टर्मिनल 2ए पर पहले की लगाये जा चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय वाहक इसका प्रयोग करते हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पोत परिवहन नीति/बंदरगाह

3974. श्री साहिब सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु की रूपरेखा सहित पोत परिवहन नीति के घटकों का विवरण क्या है;

(ख) देश में कुल जितने भी बन्दरगाह हैं, उनका ब्यौरा क्या है, साथ ही प्रत्येक के वास्तविक और वित्तीय आयाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक बन्दरगाह में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच धनराशि का अंश विभाजन कितना-कितना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति ने जुलाई, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने कुल 31 सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त एक समिति ने इन सिफारिशों की जांच की और 26 सिफारिशों को स्वीकार करने की अनुसंशा की। इनमें से 15 सिफारिशों पर कार्यवाही की जा चुकी है। शेष सिफारिशें मुख्यत: नौवहन उद्योग को आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित हैं। इनकी जांच कर ली गई है। और इस समय निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही हैं:

(i) जलयानों की मूल्यह्रास दरों को 20%* से बढ़ाकर 40% करना।

(ii) भारतीय नाविकों को कर राहत।

(iii) तटीय नौवहन को अवसंरचना का स्तर प्रदान करना।

(iv) निगम कर के बदले टनभार कर को लागू करना।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार देश में महापत्तनों के नियंत्रणाधीन बंदरगाहों के लिए उत्तरदायी है। इन बंदरगाहों की भौतिक सीमाओं और न्यासों द्वारा 1996-97 से 1998-99 (3 वर्ष) के दौरान अर्जित किए गए प्रचालन अधिशेष संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी पत्तन न्यास महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित स्वायत्त निकाय हैं और बंदरगाहों को समग्र रूप से सार्वजनिक निधियों से विकसित किया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

पत्तन	भौतिक अक्षांश	परिमापीय रेखांश	प्रचालन अधिशेष		
			1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
कांडला	23 01' एन	70 13' ई	80.77	100.95	146.02

1	2	3	4	5	6
मुम्बई	18 54' एन	72 49' ई	218.15	211.15	172.91
ज. ला. नेहरू	18 56.43' एन*	72 56.24' ई*	106.25	150.33	196.22
मुरगांव	15 25' एन	73 48' ई	21.83	27.16	20.47
नव मंगलूर	12 55' एन	74 48' ई	60.40	83.02	72.41
कोचीन	9 58' एन	76 14' ई	43.17	44.19	33.41
तूतीकोरिन	8 45' एन	78 13' ई	27.60	38.08	40.79
चेन्नै	13 06' एन	80 18' ई	109.15	101.87	94.78
विशाखापत्तनम	17 41' एन	83 18' ई	104.55	95.81	92.50
पारादीप	20 16' एन	86 40' ई	63.60	73.41	59.36
कलकत्ता	22 2'53' एन	88 18'05' ई	213.99	275.55	242.61
हल्दिया	22 2' एन	80 6' ई			

* बल्फ बर्थ के दक्षिणी कोने में।

कर्नाटक में सड़क उपरिपुलों का निर्माण

3975. श्री विनय कुमार सोराकेः
श्री के. एच. मुनियप्पाः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा सड़क उपरिपुलों के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है और कर्नाटक में निर्माणाधीन सड़क उपरिपुलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन पुलों का निर्माण कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या कोंकण मार्ग पर अधिक यातायात होने के कारण समपार लंबे समय तक बंद कर दिये जाते हैं जिससे सड़क का उपयोग करने वालों को कठिनाई होती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे का मंगलौर-उडुपी खंड में समपारों पर यातायात की आवश्यकता से प्रभावित होने वाले लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) बनाओ, परिचालित करो और हस्तांतरित करो (बी ओ टी) अवधारणा विक्षेप शर्तों पर निष्पादित किए जा रहे प्रस्तावों को छोड़कर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत सड़क ऊपरी/निचले पुलों की विस्तृत स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। लागत में भागीदारी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई प्रस्ताव रेलों के पास लंबित नहीं है।

(ग) पुल खास का निर्माण रेलों द्वारा किया जाता है और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पुल खास का कार्य पहुँच मार्गों का कार्य पूरा होने से पूर्व या साथ-साथ पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) जी नहीं, मंगलौर और उडुपी के बीच कोई व्यस्त समपार नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) काकानाडी स्टेशन पर कि. मी. 6/4-5 पर समपार संख्या 146 के बदले सड़क ऊपरी पुल बनाने के लिए जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(छ) इस समपार पर यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई से कम है। अतः यह लागत में भागीदारी के आधार पर सड़क ऊपरी/निचले पुल से बदले जाने के लिए अर्हक नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है जो मौजूदा नियमों के तहत अपेक्षित हो।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्थान	निर्माण कार्य की लागत		टिप्पणियां
		रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	
1	2	3	4	5
1.	बंगलूरू-मैसूर खंड पर कि.मी. 57/2-3 पर वेग्नापटना के निकट सड़क ऊपरी पुल	222.64	-	1997 के दौरान सड़क ऊपरी पुल का रेलवे का हिस्सा पूरा हो गया है। पहुंच मार्ग का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाना है ।
2.	जोलारिपेट्टै-बैंगलूरू खंड पर कि. मो. 341-14-15 पर कृष्णराजपुरम के निकट सड़क ऊपरी पुल का पुनर्निर्माण	236.44	3959.56	कार्य मैसर्स इरकॉन को सौंपा गया है जो प्रगति पर है। रेलवे की प्रगति 35% और राजमार्ग की प्रगति 70% है ।
3.	मैसूर-बंगलूरू खंड पर नयनहल्ली और मैसूर जंक्शन पर कि. मी. 135/16-136/1 पर सड़क ऊपरी पुल	538.60	552.10	सड़क निचला पुल 1992-93 में ही पूरा कर लिया गया है । पहुंच मार्ग का कार्य सड़क प्राधिकरण द्वारा अभी शुरू किया जाना है।
4.	सेलम-बैंगलूरू खंड पर कि. मी. 414/2-3 पर यशवन्तपुर और हैब्बल के बीच सड़क ऊपरी पुल	222.64	222.60	आउटर रिंग रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 को क्रास करते हुए रेलवे लाइन दर्शाते हुए राइट्स द्वारा एक व्यापक सामान्य प्रबंध आरेखण (जी ए डी) तैयार किया गया । इसके अलावा, योजना अनुमोदन के लिए सदस्य तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजी गई है जिसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
5.	सैलम-बैंगलूर खंड में कि.मी. 406/2-3 पर बेलदूर रोड और बनासवाडी के बीच ऊपरी सड़क पुल	582.91	582.91	4 लेन सहित संशोधित सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदित हो गए हैं, मिट्टी संबंधी जांच पूरी हो गई है । 26.9.2000 को निविदा खोल दी गई है और अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	बैंगलूर-मैसूर खंड में कि.मी. 44/10-11 पर रामानगरम के समीप निचला सड़क पुल	698.66	685.80	अंशत: ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत कर दिया गया था। परन्तु समपार संख्या 37 के स्थान पर एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था सहित निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकारों ने बाद में स्वीकृति दी थी। आशोधित सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदित किए जा चुके हैं और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
7.	जोलारपेट्टै-बैंगलूरू खंड में कि. मी. 348/5-6 में बैंगलूरू पूर्व और बैंगलूरू कैंट (व्हीलर रोड) के बीच ऊपरी सड़क पुल	596.60	589.6.	विद्यमान पुल के निकट एक अतिरिक्त निकास द्वार के अनुमोदन के लिए बैंगलूरू महानगर पालिका को बाक्स पुशिंग के लिए आशोधित सामान्य प्रबंध आरेखण भेजा गया था, को भी अनुमोदित कर दिया गया है।
8.	जोलारपेट्टै-बैंगलूरू में कि. मी. 333/1-2 पर व्हाइट फील्ड और कृष्णराजपुरम के बीच ऊपरी सड़क पुल	590.60	584.160	पहुंच मार्गों के लिए अनुमान राज्य सरकार से अभी प्राप्त किए जाने हैं।
9.	बैंगलूरू-मैसूर खंड में कि. मी. 119/11-12 पर पाडंवपुरा के निकट ऊपरी सड़क पुल	749.30	742.30	8.13 करोड़ रुपए के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। विनिदा को अंतिम रूप दे दिया गया है।
10.	बनासवाडी और हब्बल खंड (हैन्नर रोड) में कि. मी. 407/10-11 पर लिंगाराजपुरम में ऊपरी सड़क पुल	538.40	536.20	मैसर्स राइट्स द्वारा आरेखण ओर अभिकल्प तैयार किए जा रहे हैं ।
11.	बैंगलूरू-धर्मावरम खंड में कि. मी. 345/14-346/1 पर बैवचापवनहल्ली-बैंगलूरू पूर्व में ऊपरी सड़क पुल	538.60	552.10	मैसर्स राइट्स द्वारा योजना और अनुमानों की तैयारी शुरू कर दी गई है और अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
12.	बिल्लूर-शिमोगा टाउन खंड में कि. मी. 3/13-14 पर बिल्लूर-सिवापुर स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	538.40	536.20	यथोक्त
13.	बिल्लूर-शिमोगा टाउन खंड में कि. मी. 47/7-8 पर भद्रावादण-बिल्लूर स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	538.40	536.20	एल. एस. सी. एस. क्रास खंड के पहुंच मार्गों के लिए विस्तृत यथा संरेखण योजना राज्य सरकार से अभी प्राप्त की जानी है मिट्टी संबंधी जांच के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।

1	2	3	4	5
14.	बैंगलरू-मैसूर खंड पर कि. मी. 94/14-95/1 पर मंडिया-थेलीपूर स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	538.60	552.10	मैसर्स राइट्स द्वारा योजना और अनुमानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो गया है ।
15.	येलंहका-बयाप्पनहल्ली खंड पर कि. मी. 418/3-4 पर हेब्बल और लोटेनगोल्लाहल्ली में ऊपरी सड़क पुल	541.90	537.40	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
16.	कि. मी. 2/6-7 पर मैसूर-चामराजपुरम खंड पर ऊपरी सड़क पुल	538.40	536.20	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है।
17.	कि. मी. 1/19-20 पर मैसूर-चामराजपुरम खंड पर ऊपरी सड़क पुल	538.40	536.20	सामान्य प्रबंध आरेखण राज्य सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो गया है।
18.	मैसूर-बैंगलूरू खंड कि. मी. 74/100 पर गद्दूर -हनाकेरे स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	मिट्टी संबंधी जांच कार्य पूरा हो गया है। सामान्य प्रबंध आरेखण तैयार किया जा रहा है।
19.	बैंगलूरू जाल्लारपेट्टै खंड कि. मी. 343/2-4 पर कृष्णाराजपुरम बयाप्पगहल्ली पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो गया है।
20.	कि. मी. 1/10-11 पर मैसूर चामराजपुरम खंड पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	मिट्टी संबधी जांच कार्य पूरा हो गया है। सामान्य प्रबंध आरेखण अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।
21.	बिरूर-शिमोगा टाउन खंड पर कि. मी. 52/11-12 पर शिमोगा-शिमोगा टाउन पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है।
22.	कि. मी. 134/9-10 पर मैसूर-मैसूर माल यार्ड पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है।
23.	बिरूर-शिमोगा टाउन खंड पर कि. मी. 43/10-11 पर मासरहल्ली भद्रावत स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है।
24.	बिरूर-शिमोगा टाउन खंड पर कि. मी. 45/13-14 पर भ्रदावती शिमोगा बिद्रै स्टेशनों पर पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजे गए हैं।
25.	मैसूर-अरसोकेरे खंड पर कि. मी. 4/7-8 पर मैसूर-बेलागुला पर ऊपरी सड़क पुल	503.00	597.00	मिट्टी संबंधी जांच कार्य पूरा हो गया है।
26.	हुबली-हरिहर खंड पर कि. मी. 389/8-9 पर बयादगी-हवेरी स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
27.	वामराजनगर-मैसूर खंड पर कि. मी. 57/9-10 पर मरियल गंगावड़ी चामराज नगर स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। मिट्टी जांच कार्य पूरा हो गया है।
28.	हुबली-हरिहर खंड पर कि. मी. 371/5-6 पर देवरगुड्डा-वयादगी स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
29.	हरिहर-अरसीकेरे खंड पर कि. मी. 334/14-15 पर देवनगरी-हरिहर पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
30.	हरिहर-अरसीकेरे खंड पर कि. मी. 322/9-10 पर तालंडर्य दावनगेडे स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान को राइट्स द्वारा तैयार किए जा रहे है। मिट्टी जांच कार्य पूरा हो गया है।
31.	हरिहर अरसीकेरे खेड पर कि. मी. 337/2-3 पर दावगेडे-हरिहर स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	यथोक्त

1	2	3	4	5
32.	चामराजनगर-मैसूर खंड पर कि. मी. 27/01-1 पर नंजागुड टाऊन-चिन्नाडेगुडीहुंडी स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	योजना और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। मिट्टी जांच कार्य पूरा हो गया है।
33.	चामराजनगर-मैसूर खंड पर कि. मी. 25/8-9 पर नंजागुड टाउन-चिन्नाढेगुटीहुंटी स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	6.3.00	597.00	यथोक्त
34.	हुबली-हरिहर खंड पर कि. मी. 423/2-3 पर यालबिगि-कलासा स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	ब्यौरा राज्य सरकार से 7.4.2000 को प्राप्त हुआ और उसकी समीक्षा की जा रही है।
35.	विरूर-शिमोगा टाउन खंड पर कि. मी. 63/15-64/1 पर कोगपावल्ली-शिमोगा टाउन स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल	603.00	597.00	आरेखण और अनुमान राइट्स द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
36.	बेलगाम में (एल डी-मिरज खंड) समपार सं 388 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	161.00	--	मिश्रित अनुमान स्वीकृति के लिए बेलगाम नगर परिषद को भेजा गया है और उसकी प्रतीक्षा है।
37.	बेल्लारी कोलागल्लू में (जी टी एल एस पी टी खंड) समपार सं. 110 के बदले ऊपरी सड़क पुल	98.00	94.00	सामान्य प्रबंध आरेखण 29.12.97 को अनुमोदित कर दिया गया। अनुमान की संमीक्षा की जा रही है। पहुंच मार्गों के लिए अनुमान की प्रतीक्षा है। राज्य प्राधिकरण को अनुस्मारक भेजा गया था।
38.	हासपेट-करीगनूख में (जी टी एल एच पी टी खंड) समपार सं. 85 के बदले ऊपरी सड़क पुल	102.00	110.00	मिश्रित अनुमान तैयार किया जा रहा है।
39.	हुबली उपकल खंड पर (यू वी एल एल डी खंड) अशोक नगर में समपार सं. 284 के बदले निचला सड़क पुल	66.00	96.00	कुछ संविदागत समस्या थी और ठेका रद्द करना पड़ा था। कार्य के लिए पुन: निविदा जारी की गई है ओर नई ऐजेंसी को कार्य सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।
40.	बेलगाम-साम्बरे में समपार सं. 386 के बदले ऊपरी सड़क पुल	246.13	338.09	सामान्य प्रबंध आरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
41.	वेसुर-बेलगाम में समपार सं. 381 के बदले ऊपरी सड़क पुल	72.11		यथोक्त
42.	बल्लारी-हेब्डीनगूंडा में समपार सं. 114 के बदले ऊपरी सड़क पुल	282.29	375.53	यथोक्त

रेलवे प्लेटफार्मों को क्षति

3976. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत बारासात-बशीरहाट-तलाई खंड पर हाल की बाढ़ के कारण बहुत से रेलवे प्लेटफार्म बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये जिससे रेल यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्लेटफार्मों की मरम्मत करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इन प्लेटफार्मों की मरम्मत कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) बेलियाघाट रोड स्टेशन प्लेटफार्म और बारासात-वसीरहाट-हसनायाद खंड के प्लेटफार्मों को बाढ़ के कारण मामूली क्षति हुई थी और उसकी मरम्मत पहले की करा दी गई है।

बंगलौर विमानपत्तन पर प्रवेश शुल्क

3977. श्री एच. जी. रामुलू: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर विमानपत्तन पर आगंतुकों से कितना प्रवेश शुल्क लिया जाता है; और

(ख) बंगलौर विमानपत्तन पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के लिए आंगतुकों से प्रतिदिन औसतन कितनी राशि प्रवेश शुल्क के रूप में वसूल की जाती है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर आने वाले आगंतुकों से प्रति आगंतुक 50/- रुपए की राशि ली जाती है।

(ख) अक्तूबर, 2000 माह के दौरान प्रवेश शुल्क के रूप में औसत दैनिक एकत्रित की गयी राशि 8200/- रुपए के आसपास थी।

सियाचीन के लिए रज्जुमार्ग

3978. श्री मुद्दागाड्डा पद्मानाभम्: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियाचीन चौकियों को रज्जुमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है और इस पर कितना धन व्यय किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रख-रखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च तुंगता पर स्थित कुछ चुनिंदा चौकियों को हवाई केबिल मार्ग द्वारा संभारिकी बेसों से जोड़ने की संभाव्यता की जांच करने के बारे में इस समय अध्ययन किया जा रहा है। चूंकि इस समय केवल संभाव्यता अध्ययन किया गया है इसलिए इस चरण में इस परियोजना के बारे में किसी प्रकार के ब्यौरे अथवा इस तरह की परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस कनैक्शन

3979. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मिट्टी के तेल के कोटे के बदले में नये रसोई गैस कनैक्शन जारी करने से संबंधित एक विशेष योजना को जुलाई, 1999 में उस समय तक के लिए मंजूरी प्रदान की है जब तक कि शहरी क्षेत्रों में कार्यरत वर्तमान नितरकों के सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र के 15 कि. मी. तक की दूरी में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार पटल नहीं खोल दिये जाते और नियमित वितरक नियुक्त नहीं कर दिये जाते;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत बिहार में विशेषकर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में कितने कनैक्शन जारी किये गये/किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने मिट्टी तेल के कोटे का त्याग करने के बदले विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त एल पी जी कनेक्शन जारी करने हेतु जुलाई 1999 में एक विशेष योजना अनुमोदित की है। तथापि, बिहार राज्य सरकार के द्वारा अब तक इस योजना के तहत लाभ नहीं उठाया गया है।

सीमा सुरक्षा बल कर्मियों के आश्रितों को पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

3980. श्री अन्नासाहेब एम॰ के॰ पाटील:
श्री रामशकल:
श्री वाई॰ जी॰ महाजन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेनाओं के लिए आरक्षित कोटा के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (बी॰ एस॰ एफ॰) के किसी मारे गये अधिकारी के आश्रितों को पेट्रोल पम्प अथवा गैस एजेंसी आवंटित की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस नियम के अंतर्गत किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें किस श्रेणी में शामिल किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) मृत सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) कार्मिकों के आश्रितों को रक्षा श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें/एल॰ पी॰ जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित नहीं की जा सकती। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार उन पर अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पी एम पी) श्रेणी के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्ब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए विचार किया जा सकता है जिसके लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में लम्बित परियोजनाएं

3981. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत वाली बहुत-सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं अथवा उनमें विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रक्षा क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के निष्पादन में कई कारणों से विलंब हुआ है। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर सरकार में समुचित स्तरों पर नजर रखी जाती है और इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपाय किए जाते हैं। तथापि, इस संबंध में विशिष्ट ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

भारत पर्यटन विकास निगम (आई॰ टी॰ डी॰ सी॰) में भ्रष्टाचार

3982. श्री वी. वेंकटेस्वरलु: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "आई॰टी॰डी॰सी॰सी॰एम॰डी॰, बोर्ड मैम्बर्स हैडिंग फोर शोडाउन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) उसमें प्रकाशित तथ्यों की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी जो 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं अथवा पूरी करने वाले हैं, भारत पर्यटन विकास निगम में खराब प्रदर्शन, कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी संघ के तथाकथित संयुक्त मंच के कतिपय समान मानसिकता वाले भ्रष्ट कार्यकर्त्ताओं का समर्थन प्राप्त है। वे भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक को बदनाम करने और सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के संबंध में लिए गए निर्णय को निरस्त कराने के लिए कृत संकल्प हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी हां। समाचार मद में उठाए गए प्रमुख मुद्दे सेवा निवृत्ति आयु से जुड़े मुद्दे तथा बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में की गई छल योजना पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध से संबंधित हैं। सच यह है कि बैठक में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग में कोई अनियमितता/छल योजना नहीं हुई तथा बोर्ड ने कुछ सदस्यों की टिप्पणियों पर दिनांक 31 जुलाई, 2000 को की गई बैठक में विचार किया था तथा इस संबंध में विस्तृत सूचना मांगी थी। मांगी गई सूचना प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 को की गई बैठक में दिनांक 19 जून, 2000 को सेवा निवृत्ति की आयु पुन: घटाए जाने के बारे में की गई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की थी।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम में सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है तथा इसे 30 नवम्बर, 2000 से लागू भी कर दिया गया है।

(ङ) भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त पाए गए अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ निगम के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देना

3983. श्री राम टहल चौधरी: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि की सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन अवसंरचना के विकास और यात्रा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन का संवर्धन करने हेतु सरकार की एक योजना है ।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता और योजनाओं की संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं ।

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि (परियोजनाओं में मेले और उत्सव शामिल हैं) के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	12	206.70	60.10	10	244.08	87.85	14	222.22	60.48
2	असम	14	288.88	94.20	16	457.95	146.14	17	357.35	92.76
3	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	82.50	6	216.32	65.55	11	239.28	64.82
4	बिहार	11	233.07	76.37	11	237.29	86.68	5	89.71	21.00
5	गोवा	8	144.62	56.76	14	319.98	104.57	11	279.82	66.43
6	गुजरात	7	111.84	41.90	15	449.57	125.84	19	327.64	75.59
7	हरियाणा	6	98.62	44.83	12	333.93	128.10	9	238.33	67.32
8	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	57.50	10	318.00	164.50	17	691.79	292.88
9	जम्मू एंव कश्मीर	10	293.35	173.25	6	192.85	84.50	16	334.58	94.93
10	कर्नाटक	10	130.78	71.16	13	407.48	141.10	38	856.40	214.14
11	केरल	11	287.00	115.00	13	653.05	177.95	19	699.28	167.44
12	मध्य प्रदेश	9	119.31	49.22	18	471.01	244.29	16	431.08	38.54
13	महाराष्ट्र	12	169.84	50.14	18	496.27	179.67	30	1003.69	169.02
14	मणिपुर	5	186.10	56.35	8	140.49	41.40	10	229.00	70.10
15	मेघालय	5	97.70	30.55	5	120.48	37.50	5	30.72	6.46
16	मिजोरम	6	142.45	43.50	8	203.34	62.90	13	267.23	85.91
17	नागालैण्ड	3	113.90	93.36	11	230.54	75.60	16	291.80	129.99
18	उड़ीसा	28	552.05	180.00	6	178.60	56.30	19	301.90	88.44
19	पंजाब	6	52.87	15.72	7	241.29	220.15	8	175.00	57.50
20	राजस्थान	14	135.33	76.05	22	436.28	149.90	12	131.22	34.34
21	सिक्किम	11	73.20	36.95	15	136.03	58.92	13	118.98	43.57
22	तमिलनाडु	7	59.74	22.86	17	316.20	115.85	27	531.95	99.61
23	त्रिपुरा	8	126.68	81.24	9	169.21	65.50	7	340.76	117.31
24	उत्तर प्रदेश	13	221.10	78.17	41	866.14	378.11	36	755.45	218.22
25	पश्चिम बंगाल	7	125.76	35.00	12	211.13	65.37	6	194.01	12.72
26	अण्डमान और निकोबार	-	-	-	4	162.50	49.50	1	32.37	16.18
27	चण्डीगढ़	-	-	-	3	54.23	20.82	4	69.59	13.91
28	दादर एवं नगर हवेली	1	5.20	2.60	2	20.00	6.00	1	30.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	दिल्ली	8	229.86	150.86	13	223.89	104.43	5	24.50	12.20
30	दमन और दीव	4	60.17	17.25	-	-	-	-	-	-
31	लक्षद्वीप	1	5.00	2.50	1	29.00	13.80	-	-	-
32	पांडिचेरी	4	35.64	12.83	2	15.00	12.00	10	163.89	53.45
	जोड़	255	4696.76	1917.72	348	8552.13	3270.99	415	9459.54	2593.86

परियोजनाओं की संख्या - 1018
स्वीकृत राशि - 22708.43 लाख रुपए
अवमुक्त राशि - 7782.37 लाख रुपए

} प्रथम तीन वर्षों के लिए

विवरण-II

सातवीं योजना से अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	पूर्ण परियोजनाओं की सं.	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	105	40	65
2	असम	95	34	61
3	अरुणाचल प्रदेश	38	6	32
4	बिहार	70	15	55
5	गोवा	91	53	38
6	गुजरात	107	24	83
7	हरियाणा	128	66	62
8	हिमाचल प्रदेश	124	38	86
9	जम्मू एवं कश्मीर	94	31	63
10	कर्नाटक	156	46	110
11	केरल	123	36	87
12	मध्य प्रदेश	79	26	53
13	महाराष्ट्र	148	58	90
14	मणिपुर	58	22	36
15	मेघालय	38	9	29
16	मिजोरम	74	33	41
17	नागालैण्ड	71	34	37
18	उड़ीसा	139	23	116
19	पंजाब	75	8	67
20	राजस्थान	163	94	69
21	सिक्किम	84	25	59
22	तमिलनाडु	170	56	114
23	त्रिपुरा	64	28	36
24	उत्तर प्रदेश	194	32	162
25	पश्चिम बंगाल	93	16	77
26	अण्डमान और निकोबार	21	11	10
27	चण्डीगढ़	23	13	10
28	दादर नगर हवेली	9	3	6
29	दिल्ली	66	47	19
30	दमन और दीव	16	7	9
31	लक्षद्वीप	16	9	7
32	पांडिचेरी	29	7	22
	जोड़	2761	950	1811

टिप्पणी : अधूरी दिखाई गई कुछ परियोजनाओं को वस्तुत: समाप्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) में भ्रष्टाचार

3984. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम, सतर्कता विभाग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, रिश्वत और अन्य अनियमितताओं के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें भ्रष्ट और घृणित गतिविधियों में लिप्त पाया गया और जिनके साथ जन-संपर्क वाले स्थानों/डिवीजनों/इकाइयों से नहीं हटाकर पक्षपात किया गया?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

एअर इंडिया और इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा द्विपक्षीय समझौता

3985. श्री ई. अहमद: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 1999 और आज की तिथि तक एअर इंडिया और अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के बीच वायु यातायात संबंधी किये गये द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितना राजस्व अर्जित किये जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा यूरोप और अमरीका के लिए चलाये जाने वाले विमानों के अभाव के कारण एअर इंडिया को होने वाले भारी घाटे पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एअर इंडिया ने नवम्बर, 1999 से नवमबर, 2000 के दौरान चार एयरलाइन-सबेना (बेल्जियम), अमीरात (यूनाइटेड अरब अमीरात), वर्जिन अटलांटिक (यू.के.) और एयरोफ्लोट (रूस) के साथ वाणिज्यिक करार किया है।

(ख) वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान विदेशी एयरलाइनों के साथ वाणिज्यिक करारो से एअर इंडिया को प्राप्त राजस्व 80.65 करोड़ रुपए के आसपास था। अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान प्राप्त अनुमानित आय 37.42 करोड़ रुपए है।

(ग) अंतरिम उपाय के रूप में विमानों की कमी से निपटने के लिए चार ए-310-300 विमानों को ड्राई लीज पर देने के लिए एअर इंडिया ने करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

पर्यटकों के दौरे से संबंधित रिपोर्ट

3986. श्री वाई॰ वी॰ राव:
श्री वाई॰ एस॰ विवेकानन्द रेड्डी:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सूचना मिली है कि विदेशों से आने वाले 50 प्रतिशत पर्यटक भारत मे अपने परिवार और संबंधियों से मिलने आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पर्यटकों के लिए भारत द्वारा गलत योजना बनाने की वजह से है;

(ग) क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर आपरेटर्स ने भारत में पर्यटन की स्थिति और पर्यटन विभाग के कार्यकरण के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में कौन-कौन से मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1999 के लिए उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, विदेशों से अपने परिवार और संबंधियों से मिलने आने वाले पर्यटकों का प्रतिशत केवल 2% है। भारत भ्रमण के लिए 91.8% पर्यटक छुट्टियों, दृश्यावलोकन आदि के उद्देश्य से आ रहे हैं।

(ग) से (ङ) पर्यटन विभाग यात्रा व्यवसाय के साथ निकट सहयोग से कार्य करता है जिनमें यात्रा एजेन्ट, टूअर प्रचालक, होटल मालिक आदि सम्मिलित हैं और योजना एवं पर्यटन के संवर्धन संबंधी अधिकतर मामलों में उनका परामर्श लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

सड़क उपरिपुलों का निर्माण

3987. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बामनिया रेलवे स्टेशनों और झाबुआ-मध्य प्रदेश में मेघनगर रेलवे स्टेशन के निकट एक समपार पर सड़क उपरिपुलों के न होने के कारण लोगों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समपारों पर सड़क उपरिपुलों का निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 14790 और 33436 गाड़ी वाहन इकाई यातयात घनत्व वाले चौकीदार वाले समपार हैं। जब यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई पार कर जाएगा तब लागत में भागीदारी के आधार पर एक समपार ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुल से बदलाव के लिए अपेक्षित हो जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कि. मी. 609/10-12 और 574/26-28 पर बामनिया और मेघनगर के समपार पर यातायात मुश्किल से क्रमश: (गाड़ी वाहन इकाई-24 घंटों के दौरान समपार से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या

से सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है) 14790 और 33436 गाड़ी वाहन इकाई हैं। अत: ये समपार मौजूदा नियमों के अंतर्गत लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुल से बदलाव के लिए अर्हक नहीं हैं। राज्य सरकार ने भी "निक्षेप" शर्तों पर उनके निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रयोजित नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

3988. श्रीमती हेमा मलिंग: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अल्पकालिक सदस्य और सदस्य सचिव के पदों पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये और उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) भारत के विधि आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां की गई थी:

15वां विधि आयोग (1.9.1997 से 31.8.2000)

	सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
अध्यक्ष	1	-	-	-
पूर्णकालिक सदस्य	2	-	-	-
अंशकालिक सदस्य	3	-	-	-
सदस्य-सचिव	3	-	1	33
कुल	9	-	1	11

16वां विधि आयोग (1.9.2000 से आज की तारीख तक)

	सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
अध्यक्ष	1	-	-	-
पूर्णकालिक सदस्य	1	-	-	-
अंशकालिक सदस्य	-	-	-	-
सदस्य-सचिव	1	-	-	-
कुल	3	-	-	-

(ख) और (घ) इस निमित्त भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार इस मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलमार्गों का विद्युतीकरण

3989. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए अब तक किये गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना धन खर्च किया गया है;

(ख) इस पर परियोजनावार क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी;

(ग) रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या डौंड-मनमाड लाइन के विद्युतीकरण का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस लाइन के सर्वेक्षण को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	खंड	मार्ग कि.मी.	वहन किया गया व्यय (लगभग) लाख रुपयों में	की गई कार्रवाई/ टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. वर्ष 1997-98				
(i)	वारसत-इसनावाद	52	3.12	यह कार्य 1998-99 के रेल बजट में शामिल किया गया है।

1	2	3	4	5
(ii)	कृष्णानगर-लालगोला	127	7.62	यह कार्य 2000-2001 के रेल बजट में शामिल किया गया है।
(iii)	बाबीनगर-गुंतुर	265	15.28	संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण फिलहाल विद्युतीकरण आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
(iv)	सनतनगर वार्डि	175	10.50	-यथोक्त-
(v)	पुणे-वाद्धि-गुतंकल	641	38.46	-यथोक्त-
(vi)	कटवा-अजीमगंज	74	4.44	लागत-एंव-व्यवहार्यता रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड में जांच की जा रही है।
(i)	तांबरम चैंगलपट्ट-विलुपुरम और चैंगलपट्ट-अरकोणम	197	11.82	यह कार्य 1999-2000 के रेल बजट में शामिल किया गया है।
(ii)	कोयमबतूर-मैटटूपलायम-उदगामंडलम	79	-	सर्वेक्षण आरंभ करने से पहले विद्युतीकरण के लिए मूल आंकड़ों की जांच की जा रही है ।
(i)	दौड़-मनमाड़	237	-	यह कार्य दोहरीकरण के साथ 1999-2000 के रेल बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य जून, 2000 है।
	(चालू वर्ष) कोई नहीं	-	-	-

(घ) से (च) जी नहीं। दौड़-मनमाड के विद्युतीकरण का सर्वेक्षण कार्य 1999-2000 के बजट में शामिल किया गया है। मध्य रेलवे को इसे करने के लिए कहा गया है। यह सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य जून, 2002 है।

[अनुवाद]

बी.पी.सी.एल. पर सी.ए.जी. रिपोर्ट

3990. श्री अरुण कुमार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुम्बई को अनुचित लाभ पहुंचाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो उक्त कम्पनी को नुकसान पहुँचाने के लिए जिम्मेवार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिअेड (बी पी सी एल) ने यह सूचित किया है कि उसने मैसर्स रिलायंस को कोई अनुचित लाभ प्रदान नहीं किया है और मैसर्स रिलायंस द्वारा आयातित नाफ्था वार्ता और वाणिज्यिक निबंधनों के आधार पर आपस में किए गए करार के अनुसार बी.पी.सी.एल. के टैंकों में रखा जाता था।

रेल लाइनों का नवीकरण

3991. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई हजार किलोमीटर की रेल लाइनें बहुत पुरानी हैं और रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन हेतु इन्हें बदले जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुरानी रेल लाइनों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1.4.2000 को बड़ी लाइन पर 11928 कि. मी. और मी/छोटी लाइन पर 4699 कि. मी. की अपेक्षित बदलाव के रूप में पहचान की गई थी।

(ग) रेलपथ के बदलाव/पुनर्स्थापन के लिए निधियों के आबंटन 1999-2000 के 2042.17 करोड़ रु॰ और 1998-99 के 1802.57 करोड़ रु॰ से बढ़ाकर चालू वर्ष के दौरान 2600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बहरहाल, इस बकाया को समाप्त करने के लिए अगले पांच वर्षों में 25,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। यह लक्ष्य निधियों की तंगी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

पन्ना-मुक्ता परियोजना

3992. श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी ए जी ने 1997 में उल्लेख किया था कि एनरॉन-रिलायंस समूह ने मुक्ता पन्ना तेल क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल और गैस का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य विदेशी मुद्रा में निर्धारित किया था जबकि ओ.एन.जी.सी. को केवल इसका सरकारी मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रति एम एम टी तेल और गैस का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या मुक्ता-पन्ना तेल क्षेत्र के अनुमानित तेल भण्डार 31.5 एम एम टी से घटकर 14 एम एम टी रह गया है और इसे घटी दर पर उक्त निजी कम्पनी को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के हस्तांतरण से कितना नुकसान होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए ओ.एन.जी.सी. के साथ निजी पक्षकारों की भागीदारी के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट - 1996 की संघ सरकार संख्या 5 (वाणिज्यिक) जो संसद के दोनों सदनों में 27.2.1997 को प्रस्तुत की गई थी, में उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय तेल कंपनियों को उनके प्रचालनों के लिए संयुक्त उद्यमों की तुलना में समान स्तरीय कार्यक्षेत्र उपलबध नहीं कराया गया। ओ एन जी सी का मूल्य निर्धारण प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए.पी.एम.) द्वारा शासित होता था जो लागत से अधिक के दृष्टिकोण पर आधारित है। मूल्यनिर्धारण की ये दोनों पद्धतियां मूलत: भिन्न-भिन्न हैं और इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तथापि, पन्ना-मुक्ता ठेकों के अंतर्गत ओ.एन.जी.सी. को एनरान-रिलायंस के लिए लागू तेल और गैस के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य सहित वही शर्तें प्राप्त हैं।

(ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसके कारण किसी हानि का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पन्ना-मुक्ता क्षेत्र के लिए 14.05 एम एम टी के भण्डार पर उस समय ओ एन जी सी द्वारा भण्डारों के अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए विचार किया गया था और ऐसी स्थिति में इसके कारण कोई हानि नहीं हुई है।

उड़ीसा में एल पी जी एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें

3993. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा में एल॰पी॰जी॰ एजेंसियों के खिलाफ अनियमितता की कितना शिकायतें मिली हैं;

(ख) सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में विभिन्न अनियमितताओं के कारण बन्द हो चुकी एल पी जी एजेंसियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई साबित शिकायतों की कुल संख्या निम्नानुसार दी गई है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997-98	2
1998-99	4
1999-2000	2

(ख) और (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने वर्ष 1998-99 के दौरान मैसर्स नीलाद्रि गैस सर्विस, भुवनेश्वर को समाप्त कर दिया है और 1999-2000 में मैसर्स लिंगराज गैस सर्विस, बहरामपुर को निलम्बित कर दिया है। बाकी मामलों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार आदि के अनुसार उचित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मैसर्स क्लीन गैस सर्विस, भुवनेश्वर को 1996-97 में पहले की गई अनियमितताओं के लिए 1999-2000 में समाप्त कर दिया गया।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3994. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **रेल मंत्री** गढ़वा रोड-चोप रेल मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकण के बारे में 3 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 1748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस रेलमार्ग पर कई ताप विद्युत संयंत्र रेनुकुट स्थित बिड़ला की अल्युमीनियम फैक्ट्री और कई अन्य सीमेंट संयंत्र हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन फैक्ट्रियों/संयंत्रों के कच्चे माल और उनके उत्पादों की इस मार्ग से ढुलाई की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस मार्ग के दोहरीकरण/विद्युतीकरण न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) इकहरी लाइनों का दोहरीकरण तब किया जाता है जब उनकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। माल गहन खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। जहां तक रेल मार्ग के विद्युतीकरण का संबंध है साधारणतया केवल ऐसी विद्युतीकरण परियोजनाओं (कुछ परियोजनाएं जो परिचालनिक आधार पर अनिवार्य है को छोड़कर) पर विचार किया जाता है जिनकी प्रतिफल की वित्तीय दर 14% होती है।

(ख) बिड़ला अल्युमीनियम कारखाना, गढ़वा रोड-चोपन खंड पर रेणुकुट में स्थित है। इस लाइन पर और कोई सीमेंट/थर्मल पावर संयंत्र स्थित नहीं है।

(ग) बिड़ला अल्युमीनियम कारखाने के लिए कुल कच्चे माल और अन्य सामग्रियों का एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग से ढोया जा रहा है। उनके आउटवर्ड उत्पाद का एक हिस्सा भी इस मार्ग से ढोया जा रहा है।

(घ) गढ़वा रोड-चोपन खंड पर यातायात अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे उसके दोहरीकरण का औचित्य बनता हो। यातायात बढ़ने पर अपेक्षित होने पर खंड के दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों की विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण इस खंड का विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में रेलवे-प्लेटफार्मों पर झुग्गी-झोंपड़ी

3995. श्री विजय गोयल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-रिंग रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों तथा दयाबस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर झुग्गी-झोंपड़ियां बस गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये झुग्गी-झोपड़ियां स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से बाहुबली लोगो की देख-रेख में बसाई गई हैं;

(ग) क्या इन झुग्गियों में रहने वाले लोग रात्रि में गुजरने वाले यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं;

(घ) क्या इन रेलवे स्टेशनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध गतिविधियों भी चलाई जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जामनगर से लोनी तक गैस पाइप लाइन

3996. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामनगर से लोनी तक गैस पाइप लाइन शीघ्र ही बिछाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हाँ।

(ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली जामनगर/कांडला-लोनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से एल॰ पी॰ जी॰ थोक में उपभोक्ताओं के आगे के वितरण के लिए प्रेषित की जाएगी। एल॰ पी॰ जी॰ पाइपलाइन प्रणाली की आरम्भिक क्षमता 1.7 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) है।

(ग) परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1229.45 करोड रुपए है।

(घ) यह एल॰ पी॰ जी॰ पाइपलाइन परियोजना फरवरी, 2001 तक पूरी कर लिए जाने की योजना है।

ईंधन की बरबादी

3997. श्री सुकदेव पासवान:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे में ईंधन की बरबादी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत की तुलना में दूसरे देशों में रेलवे द्वारा ईंधन की खपत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ङ) जी नहीं।

(ख), (ग), (घ), और (च) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों को पेंशन

3998. डा० संजय पासवान: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने 18.11.1960 से 31.12.1985 के बीच अवकाश ग्रहण कर चुके अंशदायी भविष्य निधि लाभान्वितों को अनुग्रह पेंशन दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो अवकाश प्राप्त कर्मचारियों से इस संबंध में अब तक कितने आवेदन सी. पी. टी. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को कब तक अनुग्रह पेंशन की पहली अदायगी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां। कलकत्ता पत्तन न्यास में सी पी एफ लाभभोगियों को अनुग्रह पेंशन का भुगतान करने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) सी.पी.एफ. लाभभोगियों को अनुग्रह पेंशन स्वीकृत करने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास के पेंशन अनुभाग में अब तक 267 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) 7 आवेदकों को भुगतान किए जाने के आदेश पहले की जारी किए जा चुके हैं। 60 मामलों में भुगतान-आदेश जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। तथापि, बकाया राशि का भुगतान निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा क्योंकि पत्तन घोर वित्तीय अभाव से गुजर रहा है।

[हिन्दी]

हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन

3999. श्री रामशकल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में देश में राज्य-वार किस किस्म के और कितने हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा कामगारों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य को योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) हथकरघा उद्योग विकेन्द्रीकृत प्रकार का है तथा इस क्षेत्र में कपड़े का राज्यवार तथा मदवार आंकड़ों का अनुरक्षण तैयार नहीं किया जाता है। देश में पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष में उत्पादित हथकरघा कपड़े की मात्रा नीचे दर्शायी गयी है:

वर्ष	कुल उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
1997-98	7604
1998-99	6792
1999-2000	7352
2000-2001 (अगस्त 2000 तक)	3115

(ख) जी, हाँ। भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं:

1. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम
2. समूह बीमा स्कीम
3. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम
4. थ्रिफ्ट स्कीम
5. नई बीमा स्कीम

(ग) प्रत्येक स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) 1997-98 से 1999-2000 तक चालू वर्ष के दौरान कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार/स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी स्कीमों का विवरण

1. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम:

स्कीम का उद्देश्य बुनकरों की उत्पादकता, आय तथा रहने के स्थान में सुधार हेतु उन्होंने आवास तथा उपर्युक्त कार्यशाला मुहैया करना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विवरण के अनुसार स्कीम के अंतर्गत इकाई लागत तथा केन्द्रीय सहायता नीचे दर्शाई गई है:

(राशि रुपयों में)

घटक	इकाई लागत	केन्द्रीय सहायता	हुडको/वित्तीय संस्थानों से ऋण	बुनकरों का हिस्सा
ग्रामीण कार्यशाला	9,000	7,000	-	2,000
शहरी कार्यशाला	14,000	10,000	-	4,000
ग्रामीण कार्यशाला	35,000	18,000	14,000	3,000
शहरी कार्यशाला	45,000	20,000	20,000	5,000

2. थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम:

स्कीम के अंतर्गत, कार्पोरेट तथा सहकारिता क्षेत्र से संबंधित हथकरघा बुनकर इसमें शामिल हैं। बुनकर अपनी मजदूरी का 8% अंशदान तथा मजदूरी के 4% के बराबर राशि का अंशदान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

3. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम:

इस स्कीम के अन्तर्गत, मुख्य जोर हथकरघा व्यवसाय से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य संबधी समस्याओं पर दिया गया है। स्कीम के मुख्य घटक नीचे दर्शाये गये हैं:

क्रम सं॰	घटक		राशि की हकदारी
1	आँखों के परीक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति	:	40 रु॰ प्रति बुनकर
2	ऐनक की कीमत की प्रतिपूर्ति	:	150/-रुपये प्रति बुनकर
3	चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति	:	1500 रु॰ प्रति बुनकर वार्षिक
4	पेय जल की आपूर्ति	:	प्रति 50 बुनकर घरों के लिये स्वच्छ खोदे हुए वैधित कुएं के वास्ते 35000 रु॰ प्रति कुंआ
5	महिलाओं की प्रसूति सुविधा	:	500 रु॰ प्रति महिला, पूरे जीवन में दो बार प्रसव के लिए
6	नसबंदी के लिए मुआवजा	:	पूरे जीवन में एक बार प्रति व्यक्ति 100 रु॰
7	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए आधारभूत सुविधाएं	:	1,00,000 रु॰ प्रति केन्द्र की दर से

4. समूह बीमा स्कीम:

यह स्कीम वर्ष 1992-93 में बनुकरों के अपने परिवार के प्रति सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा वृद्धावस्था में कार्यकारी क्षमता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए लागू की गई थी।

इस स्कीम के अतर्गत एक बुनकर को 120 रु॰ की दर से वार्षिक किस्त पर 10000 रु॰ की बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। किस्त की यह राशि लाभभोगी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से बांट कर चुकाई जाती है।

5. हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजना:

भारत की आजादी के 50वें वर्ष में बुनकरों को राहत प्रदान करने के आशय से भारत सरकार ने 9वीं योजना अवधि अर्थात् वर्ष 1997-98 में हथकरघा बुनकरों के लिए एक नई बीमा पैकेज स्कीम आरम्भ की है।

नई बीमा नीति हथकरघा बुनकरों, विशेष रुप से समाज के अल्प सुविधा प्राप्त तथा सुविधाओं से वंचित बुनकरों की जरुरतों को पूरा करेगी। इसमें 6 पैसे प्रतिदिन की दर से बीमा सुरक्षा राशि मुहैया कराई जाएगी। धन की व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान : रु॰ 60/-
राज्य सरकार द्वारा अंशदान : रु॰ 40/-
बुनकर द्वारा अंशदान : रु॰ 20/-

हथकरघा बुनकरों को शामिल करने हेतु नीति के विवरणों का संक्षिप्त सार निम्न है:

भाग सं॰ I

(क) आवास 10000/-रु॰

आग लगना, बिजली गिरना केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त गैस के ब्वायलर का फटना, दंगा और हड़ताल दुश्मनी में किया गया नुकसान, विमान दुर्घटना, बाढ़, जलमग्न होना, चक्रवात, झंझावात अंधड़, प्रचंड तूफान बवंडर, हरीकेन।

(ख) आवास का सामान 10000/-रु॰

हथकरघा, सूत व्यापर से संबंधित कच्चा माल।

भाग सं॰ 2

जनता वैयक्तिक दुर्घटना:

(1)	केवल मृत्यु के मामले में (100%)	1,00,000/रु॰
(2)	दो अंगों का बेकार होना या दोनों आखें या एक अंग और एक आंख का बेकार हो जाना (100%)	1,00,000/-रु॰
(3)	एक अंग या एक आंख का बेकार होना (50%)	50,000/-रु॰
(4)	उपरोक्त क्षति से भिन्न क्षति से स्थायी पूर्ण अशक्तता (स्थायी पूर्ण अशक्तता (100%)	1,00,000/-रु॰

(क)	अस्पताल में भर्ती होना अस्पताल में भर्ती होना (जिसमे चोट लगने, रोग, अस्वस्थता या बीमारी के प्रति उपचार पर विनिर्दिष्ट सीमा तक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।	2000/-रु॰
(ख)	दृष्टि परीक्षण 150/-रु॰+40/- रु॰ तक चश्में की लागत और दृष्टि परीक्षण पर खर्च (तीन वर्ष में एक बार)	190/-रु॰
(ग)	प्रसूति लाभ (2 जीवित बच्चों तक) 750/- रु॰ की सीमा तक प्रतिपूर्ति	750/- रु॰

विवरण II

1997-98 से 1999-2000 तक तथा चालू वर्ष के दौरान कल्याणकारी स्कीमों के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार/स्कीमवार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम				समूह बीमा स्कीम				स्वास्थ्य पैकेज स्कीम				क्रिप्ट फण्ड स्कीम				नई बीमा स्कीम			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	अरु. प्रदेश	50.31	–	72.08	–	–	–	–	–	50.35		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	146.54	280.39	340.20	25.22	–	16.80	16.00	–	–	52.75	86.99	–	135.00	34.38	41.04	–	32.98	12.28	15.19	–
3.	असम	39.59	38.78	59.18	–	–	1.50	1.50	–	–	32.00	24.40	–	–	–	–	–	–	–	0.25	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.34	3.59	0.36
5.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	0.97	0.95	2.60	–	–	–	–	3.78	8.00	–	–	2.79	2.63	2.73
6.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हि. प्रदेश	–	22.93	22.93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –	–	
8.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.79	–	–	–	–
9.	कर्नाटक	53.70	116.47	–	57.07	–	–	20.00	–	28.50	–	22.00	–	10.00	–	29.00	30.00	–	–	–	–
10.	केरल	–	90.00	–	–	–	–	–	–	–	43.65	6.43	37.22	–	2.49	–	–	3.00	–	–	–
11.	मध्य प्रदेश	200.00	–	–	–	2.92	0.50	–	0.63	16.60	–	–	–	7.10	13.57	2.96	1.03	–	2.55	1.83	0.67
12.	महाराष्ट्र	28.39	124.04	0.95	–	–	–	–	–	10.50	6.21	–	–	–	–	25.83	4.78	–	–	–	–
13.	मणिपुर	–	66.00	127.50	–	–	–	–	–	–	12.88	–	12.87	–	–	–	–	–	—	–	
14.	मिजोरम	–	13.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	नागालैंड	352.25	44.00	150.00	–	–	–	–	–	–	19.46	19.46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	उड़ीसा	90.36	88.54	180.00	45.00	–	–	–	–	33.00	–	–	–	30.00	54.00	–	–	–	18.00	–	18.00
17.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	राजस्थान	120.50	–	92.24	–	–	–	–	–	–	–	5.00	–	–	–	1.00	–	–	1.68	1.36	2.56
20.	तमिलनाडु	110.06	248.72	199.92		114.13	33.69	37.44	36.67	–	110.16	71.96	83.07	31.99	180.00	244.34	241.15	–	–	0.36	–
21.	त्रिपुरा	14.05	–	–	–	–	–	–	–	10.58	40.41	–	29.83	0.23	–	–	0.29	–	–	0.14	0.60
22.	उत्तर प्रदेश	–	20.00	–	–	–	–	–	—	–	50.00	–	–	1.14	–	–	–	0.29	–	–	–
23.	पश्चिम बंगाल	96.25	–	–	180.00	3.00	2.63	2.77	2.47	–	–	5.00	7.35	27.00	–	–	–	–	–	–	
24.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	मेघालय	–	5.53	–	–	–	–	–	–	–	3.03	1.96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	सिक्किम	–	100.00	–	–	–	–	–	–	18.80	–	18.80	12.50	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	1302.00	1259.00	1245.00	421.42	39.61	58.87	77.91	4.05	281.09	332.35	273.11	121.76	390.47	352.56	348.98	36.89	36.27	40.00	24.99	24.92

* 12.12.2000 की स्थिति के अनुसार ।

[अनुवाद]

हवाई गर्त में विमान का फंसना

4000. श्री के. पी. सिंह देव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइंस का विमान लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई गर्त में फंस गया था;

(ख) क्या ऐसी दुर्घटना फिर दुबारा न होने के लिए इन हवाई गर्तों का पहले से पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 26 सितम्बर, 2000 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आईसी-555 एयरबस ए-300 विमन वीटी-इवीडी से चेन्नई-बंगलौर का प्रचालन करते हुए उड़ान स्तर 290 के लिए उड़ान स्तर 280 पर खराब मौसम में फंस जाने के कारण बिना किसी कमांड के उतरना पड़ा।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के ए-300 विमान में बैंनडिक्स आरडीआर आईएफ प्रकार के मौसम राडार लगे हुए हैं जो बिजली कड़कने तथा बादलों से मौसम में आई खराबी को बता देते हैं। इस मौसम राडार की अधिकतम रेंज 300 नॉटिकल मील है। तथापि, वास्तक में मार्केट में इस प्रकार का कोई विश्वसनीय एयरबोर्न उपकरण उपलब्ध नहीं है जिससे तड़ित या बादलों से खराब मौसम का पता चल सके।

खुले बाजार में प्रतिस्पर्द्धा

4001. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वेक्षणों से सरकार को पता चला है कि भारत में वस्त्र उद्योग छोटे पैमाने पर चलने के कारण कुछेक काटन उत्पादों और होजियरी के सामानों को छोड़कर शेष सभी भारतीय वस्त्र उत्पाद खुले बाजारों में अन्य निर्यातक देशों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): (क) फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स (फिक्की) द्वारा शुरू किए गए के एस ए टेकनोपार्क अध्ययन और कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) द्वारा शुरू किए गए रोलेण्ड बर्जर अध्ययन जैसे कुछ अध्ययनों ने परिधान के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है तथा इसी परिप्रेक्ष्य में परिधान उद्योग का लघु उद्योग क्षेत्र (एसएस आई) से आरक्षण हटाने की सिफारिश की है। सरकार ने हाल ही में बुने हुए सिले सिलाए परिधान उद्योग का लघु उद्योग से आरक्षण हटाने का निर्णय लिया है।

(ख) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग को स्पर्धात्मक बनाने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए गये हैं। इनमें से की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:

(i) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ) लागू की गई हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से यह अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सके।

(ii) निर्यातकों को निर्यात संबर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत शुल्क की 5% की रिआयती दर पर पूंजीगत माल का आयात करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(iii) परिधान निर्यातकों को कुछ श्रेणियों के ट्रिमिंज और परिष्करण की शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है।

(iv) सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। इस मिशन का एक महत्पवूर्ण अंग मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण द्वारा कापास की प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।

(v) वस्त्र क्षेत्र में कुछ रियायतों के साथ स्वचल मार्ग से 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति देना।

(vi) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), उनकी छः शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीजी) डिजाइन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल जनशक्ति को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(vii) सुसंगत रूप में वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित व निरंतर विकास और उन्नति के लिए नीतिगत दिशा निर्देशन और वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए हाल ही में नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

वालन्टियर टिकट निरीक्षकों को नियमित किया जाना

4002. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में बड़ी संख्या में बरोजगार युवक वालन्टियर ट्रेन टिकट निरीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार/डिवीजन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इन सबको नियमित करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया की चल संपत्ति

4003. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया और इंडियन एयललाइंस की चल और अचल संपत्ति/पूंजी का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत और विदेशों में स्थित इन संपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा इन वाहकों की पूंजी को कम करके मूल्यांकन करने के पीछे के कारणों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में रेल आरक्षण केन्द्र

4004. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में रेल आरक्षण केन्द्र खोलने और इसे रेलवे के नेटवर्क से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (घ) लेह में आरक्षण केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित आरक्षण केन्द्र जब कभी अनुमोदित होगा तथा उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा, को संपूर्ण भारतीय रेल आरक्षण नेटवर्क से उसका संपर्क स्थापित हो जाएगा। बहरहाल, जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू, उधमपुर तथा श्रीनगर में नेटवर्क से संपर्क वाले रेल आरक्षण केन्द्र पहले की कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस

4005. श्री आर. एस. पाटिल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस ने वर्ष 1997 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन हेतु संयुक्त रूप से बोली लगाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उड़ानें बंद करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिसम्बर, 1997 में मैसर्स टाटा इंडस्ट्रीज ने मैसर्स टाटा एयरलाइंस प्रा. लि. में 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी से घरेलू अनुसूचित एयर लाइन सेवाओं के प्रचालन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें मैसर्स सिंगापुर एयरलांइस से तकनीकी सहायता प्राप्त करना शामिल था। जबकि प्रस्ताव विचाराधीन था। कंपनी ने स्वयं 1 सितम्बर, 1998 को प्रस्ताव वापस ले लिया।

सीमा पर दीवारें बनाने हेतु जियो-टैक्सटाइल सामग्री का उपयोग

4006. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल इंजीनियरिंग के उपयोग में लाई जाने वाली बुनी और बिना बुनी तमाम वस्तुएं नारियल जटा उद्योग की 'जियो-टैक्सटाइल' में शामिल हैं और क्या 90% जियो-टैकस्टाइल' ऐसे कृत्रिम पदार्थों से बनाए जाते हैं जो जैविक रूप से नष्ट नहीं होते और जो धारणीय संसाधनों से नहीं बने होते;

(ख) क्या हमारे देश की सीमाओं पर दीवारें बनाने के लिए जियो-टैक्सटाइल' सामग्री का उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो केरल में नारियल जटा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस 'जियो-टैक्सटाइल' सामग्री का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की संभावनाओं का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री श्री (जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सीमा सड़क संगठन, पहाड़ी सड़कों पर ढलान स्थिरीकरण में कॉयर जियो-टैक्सटाइल के इस्तेमाल का परीक्षण करने के लिए कॉयर बोर्ड, केरल से संपर्क बनाए हुए है। एक जियो-सिंथेटिक उत्पाद नेल्टन का हाल ही में बहुत सीमित रूप में इस्तेमाल किया गया है और इसकी प्रभावकारिता अभी साबित होनी रहती है।

(ग) सिल्चर के निकट एन एच-53 और मनाली-सार्चू सड़क पर निमार्णाधीन एक तटबंध के ढलान-स्थिरीकरण हेतु परीक्षण आधार पर जियो-टैक्सटाइल का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन परीक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद की इसकी उपयोगिता, किफायत और प्रभावकारिता का पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्खनन

4007. डा. बलिराम: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील के तहत आने वाले आवक में उत्खनन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गुप्त काल के अवशेष पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्खनन में गुप्तकाल के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्खनन कार्य जारी रखकर गुप्त काल के अन्य अवशेषों को पता लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्षेत्र कार्य 1999-2000 के दौरान आवक तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उ० प्र० में परीक्षण खुदाई की है जिससे प्राचीन दीवारें, आलों सहित स्टूको प्रतिमाएं, भित्ति स्तम्भ एवं सीढ़ियां, साचें में ढली एवं सजावटी ईंटें तथा मृत्पात्र प्रकाश में आए हैं, जो संभवत: गुप्तकाल (लगभग 4-6वीं शताब्दी ईसवीं) के मन्दिर-अवशेष हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा परियोजनाओं पर अमरीकी प्रतिबंधों का प्रभाव

4008. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर लगातार अमरीकी प्रतिबंधों से रक्षा समझौतों पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की रक्षा तैयारी पर इसका क्या समग्र प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार का इस समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) रक्षा संबंधी अधिप्राप्तियों पर अमरीकी प्रतिबंधों का नाममात्र का प्रभाव रहा है तथा इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आने वाली मदों का यथावश्यक देश में ही विकास कार्य आरंभ किया गया है। इन प्रतिबंधों से देश की रक्षा तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपाय कर रही है। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ।

तेलशोधक कारखाने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की व्यवहार्यता रिपोर्ट

4009. श्री बलवीर सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने पंजाब तेल शोधन कारखाना परियोजना के बारे में 26 दिसम्बर, 1997 को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान पंजाब तेल शोधन कारखाने हेतु धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हाँ।

(ख) इस परियोजना के वर्ष 2005 तक पूरी हो जाने की संभावना हैं।

(ग) इस परियोजना का क्रियान्वयन बिना किसी सरकारी बजटीय सहायता के किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पारादीप में ग्रीनफील्ड तेलशोधनशाला परियोजना की स्थापना

4010. श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप में ग्रीनफील्ड तेलशोधनशाला परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तेलशोधनशाला परियोजना की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी. एल.) द्वारा 3219 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा शेष 117 एकड़ भूमि के सौंपे जाने का कार्य जल्द की पूर्ण होने की संभावना है। यह परियोजना जुलाई, 1998 में आई० ओ० सी० एल० और कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (के.पी.सी.) के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में अनुमोदित की गई थी। तथापि, बाद में के.पी.सी. जनवरी, 2000 में परियोजना से निकल गई।

(ग) और (घ) यह परियोजना आई.ओ.सी.एल. के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही है और इसके अगस्त, 2003 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

बरेली और मुरादाबाद से उड़ान

4011. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरेली स्थित हवाई अड्डा नागरिक विमानों के लिए कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे की वार्षिक रखरखाव लागत कितनी है;

(ग) क्या बरेली अथवा मुरादाबाद को दिल्ली और लखनऊ से आने और जाने के लिए विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। बरेली स्थित हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है जहां सिविलियन विमानों के प्रचालन के लिए सुविधाएं नहीं हैं।

(ग) से (ङ) निजी प्रचालकों और राज्य सरकार की बरेली से सीमित संख्या में सिविल उड़ानों के प्रचालन की योजना है और सिविल उड़ानों के प्रचालन हेतु पद्धतियों की तैयारी प्राथमिक स्तर पर है। मुरादाबाद में कोई हवाई अड्डा नहीं है।

स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क

4012. श्री चैक्रो: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोलकुंडा किले में धरने/प्रदर्शन हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे अर्जित राजस्व के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस किले में कितने पर्यटक आए; और

(घ) पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) सरकार को गोलकोंडा में विरोध अथवा प्रदर्शन करने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गोलकोंडा किला के बगीचों में सुधार लाया गया है तथा पर्यटक सुविधाओं जैसे पेयजल, प्रसाधन, सूचना पुस्तिका और विवरण पट्टिकाओं की व्यवस्था की गई है।

विवरण

गोलकोंडा किला, हैदराबाद में पर्यटकों से प्रवेश-शुल्क से अर्जित आय के तुलनात्मक आंकड़े

अवधि/वित्तीय वर्ष	कुल पर्यटक	अर्जित आय
		(रुपये)
1997-98	4,83,767	9,67,534
1998-99	5,03,164	10,06,328
1999-2000	5,23,397	10,46,758

एच॰ ए॰ एल॰ के मालभाड़ा और बीमा दावे

4013. श्री रामजी मांझी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच ए एल ने जैसाकि 1995-99 की अवधि के दौरान अपने खातों की संवीक्षा करने पर यह पता चला है कि मालभाड़े और बीमा दावों के कारण 5.17 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अधिक धनराशि की वसूली कर ली गयी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदारी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना का मरम्मत तथा ओवरहाल संबंधी कार्य हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। 1995-96 से पहले मरम्मत तथा ओवरहाल के लिए अपेक्षित वस्तुएं भारतीय वायुसेना तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संयुक्त भंडार में भेजी जाती थीं। यह व्यवस्था 1995-96 में बदल दी गई और भंडार केवल हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रह गए। तथापि, 1995-99 की अवधि के लिए मरम्मत/ओवरहाल के संबंध में पहले के वर्षों के भारतीय वायुसेना के स्वामित्व वाले हिस्से-पुर्जों से संबंधित लागत बिल में कटौतियां की गई थी किंतु भाड़ा और बीमा के लिए इस तरह की कटौतियां नहीं की गई थीं।

(ग) से (ङ) यह एक अनजाने में हुई चूक थी तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को किए गए अधिक भुगतान की राशि वसूल कर ली गई है। इस संबंध में कंपनी का कोई गलत इरादा नहीं था तथा उसने सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की चूकों से बचा जा सके।

रंगिया-रंगापाड़ा-तेजपुर-मार्कोना-सेलेक रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4014. श्री माधव राजबंशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत रंगिया-रंगापाड़ा-तेलपुर-मार्कोना-सेलेक खंड के आमान परिवर्तन कार्य को छोड़ देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व कार्यक्रम के अनुसार, यह कार्य डिब्रूगढ़ तक आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने के पश्चात् तत्काल शुरू किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मंगलदोई-तेजपुर और लखीमपुर में रेल पथ सुविधाओं का सुधार कार्य शुरू करने के लिए गंभीर नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दक्षिणी छोर पर तिनसुकिया जंक्शन को जोड़ने के लिए सड़क एवं रेल पुल का निर्माण करने के लिए तीन वर्ष पहले बागीबील में इसकी आधारशिला रखी गई थी; और

(च) यदि हां, तो कार्य को आरंभ करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण अभी प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी हां ।

(च) कार्य रेल बजट में शामिल कर लिया गया है और सैद्धांतिक रूप से आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति उपलब्ध है। मॉडल अध्ययन सहित अंतिम स्थापन निर्धारण सर्वेक्षण राइट्स द्वारा हाल ही में पूरा किया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है । रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने और लागत निर्धारित किये जाने के पश्चात आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल सबंधी अंतिम स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और तत्पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।

पटना हवाई अड्डे को काठमांडू से विमान सेवा से जोड़ना

4015. मोहम्मद अलवारूल हक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना हवाई अड्डा पहले काठमांडू (नेपाल) के साथ जुड़ा हुआ करता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारत-नेपाल विमान सेवा करार के अधीन, नेपाल की नामित विमान कम्पनी को पटना को एक अवतरण-स्थल के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इस समय नेपाल की नेकान एयर काठमाण्डू और पटना के बीच प्रति सप्ताह 3 सेवाओं का प्रचालन कर रही है।

शुल्क मुक्त दुकानों का खोला जाना

4016. श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में किन-किन स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानें चल रही हैं;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार देश के विभिन्न विमान पत्तनों पर और शुल्क-मुक्त दुकानें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन दुकानों के कब से चालू होने की संभावना है;

(ङ) इन दुकानों से सामानों की खरीदारी हेतु क्या मानदंड और औपचारिकताएं निर्धारित किए गए हैं; और

(च) इसके परिणामस्वरूप जनता को कितना लाभ होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) वर्तमान में, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, तिरूवनंतपुरम और गोवा स्थित छः अंर्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें चलाई जा रही हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम को अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, कालीकट और वाराणसी स्थित हवाई अड्डों पर 9 शुल्क मुक्त दुकानें खोलने का ठेका मिला है। इन दुकानों के मार्च, 2001 के अंत तक चालू होने की संभावना है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों से खरीददारी करने हेतु मानदंड/औपचारिकताओं में शामिल हैं-खरीददार विदेशी यात्री हो, वह वैध पासपोर्ट प्रस्तुत करे तथा वह भुगतान विदेशी मुद्रा में करे।

(च) यद्यपि भारतीय माल का संवर्धन किया जाएगा और इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, विदेशी यात्रियों को खरीददारी के लिए भारतीय उत्पादों के साथ-साथ कई किस्मों का सामान उपलब्ध होगा।

नेपाल पर्यटक बोर्ड द्वारा पर्यटन अभियान शुरू करना

4017. श्री जी॰ एस॰ बसवराज: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल पर्यटक बोर्ड ने दक्षिण भारत में विशेषकर बंगलौर में पर्यटन अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में सभी प्रकार की मदद और सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो क्या नेपाल रॉयल की उड़ानों में भी वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभियान को शुरू करने में नेपाल पर्यटक बोर्ड को उपलब्ध कराई जा रही मदद और सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग को नेपाल पर्यटक बोर्ड द्वारा बंगलौर में पर्यटन अभियान चलाने के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रॉयल नेपाल एअरलाइंस काठमांडू से बंगलौर के लिए प्रत्येक सप्ताह दो सेवाएं (उड़ान) प्रचालित कर रही हैं।

(घ) पर्यटन विभाग के पास आउट बाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदेश नहीं हैं।

ढुलाई के लिए माल

4018. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्राधिकरण के पास ढुलाई हेतु पर्याप्त कार्गो नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी ढुलाई क्षमता इत्यादि कितनी हैं; और

(ग) ढुलाई हेतु थोक में कार्गो की व्यवस्था करने तथा जलमार्गों का अधिक प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना नौवहन और नौचालन कार्यों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन तथा उनसे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए की गई थी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कार्गो की ढुलाई से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। कार्गो की ढुलाई अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन प्रचालकों जैसाकि केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰, अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय असम, केरल नौवहन एवं अंतर्देशीय नौचालन कंपनी तथा निजी प्रचालकों द्वारा की जाती है। 1999-2000 के दौरान तीन राष्ट्रीय जलमार्गों, गोवा और मुम्बई में ढोए गए कार्गो के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

रा. ज. -1	गंगा	-	7,13,670 टन
रा. ज. -2	ब्रह्मपुत्र	-	21,837 टन
रा. ज. -3	पश्चिम तटीय नहर	-	11,12,183 टन
गोवा		-	1,48,67,691 टन
मुंबई (धर्मतर)		-	21,85,119 टन

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यनीति तैयार करने के लिए कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। नीतिगत ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्देशीय जल परिवहन बेड़े का स्वामित्व और प्रचालन, नदी टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन, यंत्रीकृत कार्गो हैंडलिंग प्रणाली, संयुक्त उद्यम सहभागिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी का सरल बनाने की परिकल्पना भी की गई है।

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग संबंधी प्रस्ताव

4019. श्री टी॰ गोविन्दन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग को आरंभ करने और उसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कोट्टी-कोट्टापुरम (35.40 कि.मी.) खंड के विकास के लिए केरल सरकार से प्राप्त एक स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत पहले ही संस्वीकृत कर दी गई है। इस स्कीम की कुल लागत 321.21 लाख रु॰ है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की 50:50 आधार पर हिस्सेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तटीय नहर को फरवरी, 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। उत्तर में कोट्टापुरम से कासेरगोड और दक्षिण में कोल्लम से कोवलम के बीच जलमार्ग के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन भी पूरे कर लिए गए हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उनकी घोषणा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगी।

हैंगर हेतु भूमि का आबंटन

4020. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंगर के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का आंबटन किन-किन कंपनियों को किया जाता है और किन-किन कंपनियों को पट्टे पर हैंगर दिया जाता है;

(ख) विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रभारित की जाने वाली पट्टे की दर के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है और बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयातित डीजल पर लगने वाला विलंब शुल्क

4021. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डीजल के आयात के दौरान भुगतान किए गए विलंब शुल्क का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कांडला पत्तन पर डीजल को रखे जाने हेतु स्थान की कमी के कारण 20 से ज्यादा जहाजों को रोक कर रखा जा रहा है और उनमें से कुछ 40 दिन से रुके पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ये जहाज 14,000 डालर से 17,000 प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क वसूल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस उपाए किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान डीजल आयातों पर विलंब शुल्क के ब्यौरे निम्नवत् थे:

वर्ष	विलंब शुल्क (रूपए/करोड़)
1997-98	434.29
1998-99	377.78
1999-2000	57.18

(ख) जी, नहीं। इस वर्ष के दौरान अब तक डीजल का कोई आयात नहीं हुआ है तथा शेष वर्ष के दौरान डीजल आयात करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त "ख" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रामवाडि में सड़क उपरि पुल का निर्माण

4022. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेल के अन्तर्गत रामवाडि रेलवे स्टेशन पर भागीदारी आधार पर सड़क उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा और लागत क्या है; और

(ग) सड़क पर उपरि पुल के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) रामवाडि नाम का कोई स्टेशन नहीं है। बहरहाल, सोलापुर नगर निगम ने लागत में भागीदारी के आधार पर रामवाडि क्षेत्र में कि. मी. 456/1-2 पर मौजूदा समपार के बदले उपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इस कार्य की कुल अनुमानित लागत 4.89 करोड़ रु. है जिसमें रेलवे का हिस्सा 2.57 करोड़ रु. और सोलापुर नगर निगम का हिस्सा 2.32 करोड़ रू. है। इस कार्य को रेलवे बजट 2001-2002 में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

छावनी क्षेत्रों में अतिक्रमण

4023. डा॰ जसवंतसिंह यादव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के छावनी क्षेत्रों में कुल कितनी भूमि का अतिक्रमण किया गया है और छावनी की कुल भूमि में से इसका श्रेणीवार प्रतिशत कितना है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेरठ छावनी में अनधिकृत निर्माण

4024. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 सितंबर, 2000 की स्थिति के अनुसार मेरठ छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के कुल कितने मामलों का पता चला है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनधिकृत निर्माण के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है; और

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) 30 सितंबर, 2000 तक मेरठ छावनी में अनधिकृत निर्माण के 5284 मामलों की सूचना मिली है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के 850 मामलों की सूचना मिली है।

(ग) 8 अनधिकृत निर्माण हटा दिए गए हैं जबकि छावनी अधियिम के प्रावधानों के तहत 575 मामलों में नोटिस दे दिए गए हैं तथा छावनी अधिनियम की धारा 274 के तहत 485 मामलों में अपीलें लंबित हैं ।

त्रि-सेवा कमांड का गठन

4025. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगाल की खाड़ी विशेषकर अंडमान और निकोबार में समुद्री मार्ग (लेन) से आतंकवादी समूहों द्वारा की जा रही हथियारों और स्वापकों की बढ़ती तस्करी को रोकने के लिए एक त्रि-सेवा कमांड का गठन करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे घुसपैठ और तस्करी किस हद तक रुकेगी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) 1977 में स्थापित फोर्ट्रेस कमांडर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (फोर्टान) इस द्वीप समूह में सभी तीनों सेनाओं की कार्रवाई में समन्वय का कार्य करता है इन अवांछनीय समूहों द्वारा की जाने वाली हथियारों और स्वापकों की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक संयुक्त रूप से भारतीय तटों और तटीय जल क्षेत्र की गश्त लगाते हैं तथा निगरानी रखते हैं ।

आंध्र प्रदेश हेतु मास्टर प्लान

4026. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद, तिरुपति, विशाखापत्तनम और नागार्जुन सागर हेतु मास्टर प्लान तैयार करने पर आने वाली लागत को बांटने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन अनुरोधों से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्लान को कब तक अनुमति दी जाएगी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) जी हाँ। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति एवं हैदराबाद की वृहत एवं लघु योजनाओं को तैयार करने के लिए मैसर्स ई.डी.ए.डब्ल्यू., यू.के. एवं इसकी एजेन्सी मैसर्स टूरिज्म फीचर्स, नई दिल्ली की सेवाएं ली हैं। इसी प्रकार, तटवर्ती पर्यटन संबंधी वृहत एवं लघु योजनाओं पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैसर्स के पी एम जी लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग किया गया था । उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए भावी पर्यटन योजना तैयार करने के लिए विश्व पर्यटन संगठन की सेवाएं भी प्राप्त की है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दिनाक 17.11.1998 के पत्र द्वारा परामर्श व्यय की 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 1,86,89,677.00 रुपये रिलीज करने का अनुरोध किया था। चूंकि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए उपलब्ध बजट सीमित है। इसलिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने मांगी गई सहायता नहीं दी है। तथापि, पर्यटन विभाग ने इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को 20 वर्षीय भावी योजना तैयार करने के लिए 10.00 लाख रुपये तक की अधिकतम केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कोटा के लिए वायु सेवा

4027. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा को नियमित उड़ान सेवाओं से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त प्रयोजन हेतु निजी विमानन कंपनियों के साथ कोई वार्ता की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) इस समय कोई भी अनुसूचित एयरलाइन कोटा के लिए विमान सेवाओं का प्रचालन नहीं कर रही है। मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर जिसमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों पर कुछ न्यूनतम प्रचालन की व्यवस्था की गयी है, एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी स्थान के लिए प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं ।

अहमदाबाद में सर्कुलर रेलगाड़ी सेवा आरंभ करना

4028. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अहमदाबाद के लिए सर्कुलर रेलगाड़ी सेवा आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कौन से तरीके अपनाने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय अहमदाबाद में सरकुलर गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्य आबंटन नियम, 1986 में संशोधन होने से रेल आधारित सहित शहरी परिवहन की योजना एवं समन्वय संबंधी विषय शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। तद्नुसार, सभी शहरी परिवहन योजना एवं समन्वय संबंधी कार्यों के लिए नोडल मंत्रालय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय है।

[अनुवाद]

लखनऊ स्थित शोध अभिकल्प और मानक संगठन (आर. डी. एस. ओ.) को बंद करना

4029. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास लखनऊ स्थित शोध अभिकल्प और मानक संगठन को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह तथ्य है कि शोध अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा तैयार किए गए रेल डिब्बे नवीनतापूर्ण और बेहतर तरीके से अभिकल्पित नहीं होते हैं;

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान शोध अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या शोध अभिकल्प और मानक संगठन के साथ-साथ इसके कार्यकरण की भी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह:) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) में प्रौद्योगिकीय विकास कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.भा.सं.) बेहतर अभिकल्प वाले सवारी डिब्बों के संबंध में अग्रणी कार्य कर रही है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) द्वारा 65.27 करोड़ रु. खर्च किए ।

(ङ) और (च) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं) के निष्पादन की आवधिक समीक्षा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) के लिए शासी परिषद् द्वारा की जाएगी। नवीनतम समीक्षा 7.11.2000 को आयोजित अंतिम शासी परिषद् की बैठक में की गई थी।

निजी और सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिये नीति

4030. श्री भरेश घुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को निजीकरण के बदलते परिदृश्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों और खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोहरे कार्य प्रचालन के विरुद्ध कार्रवाई निगमों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और अंतत: निजी तेल कंपनियों को अनुचित लाभ प्रदान नहीं करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पुन: शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो क्या "कोको" और जुबली पेट्रोल पम्पों की असीमित स्थापना से लोगों के मूल्यवान धन की बर्बादी नहीं होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सरकार ने मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एल.पी.जी. (घरेलू), मिट्टी तेल (सा० वि० प्र०) और एविएशन टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ), जो वर्तमान में नियंत्रित है, के अलावा सारे पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन नियंत्रणमुक्त कर दिया है। प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था 31 मार्च, 2002 तक समाप्त करने का कार्यक्रम है।

वर्तमान नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोहरे प्रचालन की अनुमति नहीं है।

निवेश और अनुमानित प्रतिलाभ की समीक्षा के बाद कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचलित और जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों की योजना बनाई जाती है। सरकार ने जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों की योजना समाप्त कर दी है।

राष्ट्रीय संग्रहालय आयोग

4031. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार का विचार संग्रहालयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना को संशोधित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संग्रहालयों को इस योजना के माध्यम से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) स्थानीय और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 'क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहलयों के प्रोन्नयन व सुदृढ़ीकरण' के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम वर्ष 1999 के दौरान संशोधित की गयी थी। संशोधित स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संग्रहालयों को वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान (अब तक) (1) दीर्घाओं के पुनरुद्धार/मरम्मत/विस्तार/आधुनिकीकरण, (2) प्रकाशन, (3) संरक्षण प्रयोगशाला, (4) संग्रहालय पुस्तकालय (5) उपस्करों की खरीद और (6) प्रलेखन के लिए निर्मुक्त निधियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्मुक्त राशि
19997-98	56.38 लाख रुपये
1998-99	97.87 लाख रुपये
1999-2000	164.30 लाख रुपये
2000-2001	33.30 लाख रुपये (अब तक)

[हिन्दी]

नैमित्तिक मजदूरों का घरेलू नौकर के रूप में कार्य करना

4032. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल के नैमित्तिक मजदूर घरेलू नौकरों के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेल में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने रेल अधिकारियों के बंगलों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) इस समय केवल 62 नैमित्तिक श्रमिक पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे पर नियमितीकरण के लिए प्रतीक्षारत हैं। उनमें से कोई भी रेलवे अधिकारियों के बंगलों पर कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस के सिलेंडर

4033. श्री वसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एल पी जी बाटलिंग थ्री कंपनीज बुक्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सिलेंडरों में कम मात्रा में गैस भरे जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गुजरात सरकार के तौल और माप विभाग के अधिकारियों ने अगस्त/सितम्बर, 2000 के दौरान गुजरात में कुछ स्थानों पर एल॰ पी॰ जी॰ भरण संयंत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का निरीक्षण किया था और कुछ स्थानों पर कुछ कम वजनी सिलेंडरों का पता चला। इन तेल कंपनियों ने उक्त अपराध के लिए आवश्यक जुर्माना गुजरात राज्य के राजकोष में जमा करवा दिया है।

केरूजल पर सिलेंडरों के भरने के बाद तेल विपणन कंपनियां चैक स्केल पर वजन की 100 प्रतिशत पुन: जांच करती है। सुपुर्दगी और ट्रक में लदान से पहले भरे हुए सिलेंडरों की फिर सांख्यिकीय गुणवत्ता की जांच की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही गुणवत्ता और मात्रा वाले सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुँचे। एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरों को भी उपभोक्ताओं को सुपुर्दगी करने से पहले उत्तमता/सही वजन के लिए प्रत्येक सिलेंडर की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्तन और गोदी कामगारों द्वारा हड़ताल

4034. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तन और गोदी कामगारों के प्रमुख संघों ने देश भर में पुन: अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछली बार हुए समझौते को लागू करने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) अब तक लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महापत्तनों और गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी 3 और श्रेणी 4 कर्मचारियों के संबंध में अंतिम वेतन समझौते पर 2.8.2000 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिकांश पत्तनों ने संशोधित वेतन से संबंधित सिफारिशों को पहले की लागू कर दिया है और उन्होंने तथा-देय बकाया राशियों का भुगतान भी कर दिया है। कलकत्ता पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि वह निधियों की अत्यधिक कमी के कारण बकाया राशियों को अब तक भुगतान नहीं कर पाया है। विभिन्न भत्तों से संबंधित अन्य सिफारिशें पत्तनों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

पश्चिमी तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना

4035. श्री ई॰ एम॰ सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोवलम, तिरूवनन्तपुरम से जुड़ने वाली पुरानी ए॰ वी॰ एम॰ नहर को फिर से चालू करने के लिए तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने संबंधी यवहार्यता अध्ययन में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उद्योगमंडल और चम्पाकारा नहन के साथ-साथ पश्चिमी तटीय नहर (कुल 205 कि॰ मी॰) के कोल्लम-कोट्टापुरम खंड को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰-3 घोषित किया जा चुका है। उत्तर में कोट्टापुरम - कासारगोड़ खंड और दक्षिण में कोल्लम-कोवम खंड के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। नौचालन मार्ग और टर्मिनलों की अनुमानित परियोजना लागत क्रमश: 471.25 करोड़ रु॰ और 151.45 करोड़ रु॰ है। इसके अतिरिक्त कोवलम-कोलाचल (तमिलनाडु) खंड के लिए एक तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन और जलराशिक सर्वेक्षण को भी मै॰ एन ए टी पी ए सी को सौंपा गया है। यह अध्ययन किया जा रहा है। इन खंडों की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा करना धनराशियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस में क्षमता का कम उपयोग

4036. श्री राजो सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमानों में बैठने की कुल क्षमता का कम उपयाग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माल ढुलाई

4037. चौधरी तेजवीर सिंह:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री पदमसेन चौधरी:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान माल ढुलाई का जोन-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक जोन-वार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा राजस्व माल यातायात के परिवहन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लदान निम्नानुसार हैं:

(लाख टनों में अनंतिम)

रेलवे	लक्ष्य 1999-2000	वास्तविक (अनंतिम) 1999-2000	लक्ष्य 2000-01	वास्तविक अक्तूबर तक (अनंतिम) 2000-01
1	2	3	4	5
मध्य	47.00	47.75	52.50	27.86
पूर्व	80.00	80.02	82.00	45.27
उत्तर	30.50	34.56	35.50	18.96
पूर्वोत्तर	4.00	2.58	3.00	1.37
पू. सी.	7.50	6.24	7.00	2.87
दक्षिण	31.00	29.49	30.00	16.85
दक्षिण मध्य	45.00	51.25	53.50	30.88
दक्षिण-पूर्व	170.50	166.58	173.50	102.66
पश्चिम	34.50	35.84	38.00	20.79
जोड़	450.00	456.31	475.00	267.51

(ग) यद्यपि रेलवे अपने लक्ष्य के अनुसार लदान प्राप्त करने में सक्षम है तथापि लदान में और अधिक सुधार करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:

1. उच्च घनत्व वाले गलियारों को सुदृढ़ करना
2. विभिन्न यातायात सुविधाओं और टर्मिनलों का आधुनिकीकरण करना
3. खंड की क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च शक्ति डीजल और बिजली रेल इंजनों को शुरू करना
4. कंटेनर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा गैर थोक फुटकर यातायात प्राप्त करने के लिए मल्टी-मॉडल अवसंरचना की व्यवस्था करना
5. चुनिंदा टर्मिनलों के बीच 100 कि. मी. प्रति घंटा की उच्च गति वाली कंटेनर सेवा शुरू करना
6. साइटिंग से संबंधित नियमों का सरलीकरण
7. रेलवे टर्मिनलों के समीप मालगोदामों की सुविधा उपलब्ध कराना
8. ग्राहकों के बीच बेहतर संपर्क ।

हैंक यार्न (धागा) का उत्पादन

4038. श्री रामजीलाल सुमन:
डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सत्यम समिति ने विशेषत: हैंक यार्न के उत्पादन पर रोक लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सिफारिश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सीमिति ने देश के हथकरघा क्षेत्र में धागे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई अन्य सुझाव भी दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): (क) से (घ) सत्यम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि अंतरनिविष्टि प्रबंधन संबंधी उपयुक्त परिवेश स्थापित करने पर, हथकरघा क्षेत्र, हैंक यार्न दायित्व योजना के बिना अस्तित्व में रह सकता है और इसलिए उनसे सिफारिश की है कि इस योजना को घटते चरण में जारी रखा जाए ताकि यार्न रंगाई सुविधा का वांछित स्तर प्राप्त होने पर उसे पूर्णत: समाप्त किया जा सके। इस समय हैंक यार्न दायित्व आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ङ) और (च) सत्यम समिति ने हथकरघा क्षेत्र को रंगे हुए कोन यार्न की आपूर्ति की योजना का भी सुझाव दिया है जिससे हैंक यार्न की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी होगी।

[अनुवाद]

न्यायिक सदस्य के पद को भरा जाना

4039. श्री राजैया मल्याला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दावा अधिकरण में न्यायिक सदस्य का पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा है जिसके कारण दावों के मामलों के निपटान में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलवे दावा अधिकरण में न्यायिक सदस्य की कुछेक पद कुछ समय से रिक्त पड़े हुए हैं।

(ग) रेलवे दावा अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए समाचार-पत्रों में रिक्तियों के लिए विज्ञापन देना, अवेदन पत्रों की छंटनी, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन साक्षात्कार का आयोजन, उम्मीदवारों की सतर्कता स्वीकृति/पुलिस सत्यापित रिपोर्ट प्राप्त करना, ए.सी.सी. द्वारा स्वीकृति, उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं जैसे पूर्व सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त प्रक्रिया सहित यह तथ्य यह कि नियमित अध्यक्ष जो कि चयन समिति का एक सदस्य है कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं थे और प्रारंभ में चयन समिति के प्रमुख के रूप में नामित न्यायाधीश की चयन प्रक्रिया आदि को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इसमें कुछ समय लगा।

(घ) 9 मामलों में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 6 व्यक्तियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है और 3 व्यक्ति शीघ्र की कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। शेष रिक्तियों को भरने के लिए 9 अन्य व्यक्तियों की पेशकश कर दी गई है।

4040. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक नया टक्कररोधी उपाय विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तकनीक को कौन-कौन से रेलमार्गों पर शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) इस प्रणाली से रेलयात्रियों को कहां तक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) भारतीय रेल एक "टक्कररोधी उपकरण" (ए.सी.डी.) का विकास करने की कोशिश कर रही है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर ए.सी.डी. व्यवस्था, विकास और परीक्षण के बाद स्वीकृत की गई है और कार्य प्रगति पर है।

(ग) टक्कररोधी उपकरण का परीक्षण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल पर करने का प्रस्ताव है। सफल रहने पर इसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार-मालदा, कुमेदपुर-न्यू जलपाई गुडी-गुवाहाटी-तिनसुकिया-डिब्रूगढ़ आदि खंडों पर शुरूआत में लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कर रोधी उपकरण की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत पर एक पयलट परियोजना स्वीकृत की गई है।

(ङ) टक्कररोधी उपकरण के सफलतापूर्वक विकास और रेल इंजनों, ब्रेक यानों, स्टेशनों, समपारों और अन्य भेद्य स्थलों पर लगाए जाने के बाद टक्करों से बचा जा सकता है या उनका प्रभाव कम होने की आशा है।

नया आजादपुर रेलवे स्टेशन पर सवारी और मालगाड़ियों का रुकना

4041. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नया आजापुर रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफार्मों, प्लेटफार्म नं॰ 1 और 2 का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश मालगाड़ियां प्लेटफार्म नं॰ 1 और 2 पर लंबे समय तक रुकी रहती हैं जिसके कारण यात्रियों को गाड़ियों में चढ़ने के लिए या तो खड़ी मालगाड़ियों के डिब्बों के जुड़ने के स्थान से कूदना पड़ता है या लगभग 300 मीटर चलकर जाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उपरिपुल के निर्माण और रेल विभाग के दोषपूर्ण काम-काज को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

हां।

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का बकाया धन

4042. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइन्स को हवाई यातायात ईंधन उधार देने में अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन करने में चूक की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी एयरलाइन्स पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने निजी घरेलू एयरलाइनों तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से बकाया राशि की गैर-वसूली के मुद्दों के संबंध में एक आरंभिक जांच शुरू की है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एविएशन टर्बाइन ईंधन (टी पी एफ) की बिक्री के बतौर निजी एयरलाइनों पर बकाया राशि 40.89 करोड़ रुपए (लगभग) है।

बुल्गारिया से एके-47 के पुर्जे

4043. श्री वाई॰ एस॰ विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2000 में बुल्गारिया के एक दल ने भारत की यात्रा की थी और भारत को ए.के.-47 के पुर्जे बेचने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) बुल्गारिया गणतंत्र के रक्षा मंत्री महामहिम श्री बोयक नोव ने एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ 29-31 अक्तूबर, 2000 तक भारत का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय में बुल्गारिया के प्रतिनिधिमण्डल की वैठकों के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस संबंध में ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) इस यात्रा के दौरान किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

योजनाओं का कार्यान्वयन

4044. श्री अशोक गा॰ मोहोल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, खान-पान में सुधार लाने और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु रेल विभाग द्वारा कौन-कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार किस प्रकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में बुकिंग करते समय वरिष्ठ नागरिकों को रियायत और गाड़ी में निचली शायिका के आबंटन करने जैसी सुविधाओं की औटोमैटिक व्यवस्था है बशर्ते कि उस समय यह सुविधा उपलब्ध हो और जहां कहीं व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण होता है, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटरों की व्यवस्था पहले ही मुहैया करा दी गई है ।

पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में रेल मंत्रालय घरेलू और देश में घूमने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक रूप से मूल्य आधारित टूर पैकेजों को विकसित करने हेतु कई कदम उठा रही हैं जैसे - महाराष्ट्र राज्य के सहयोग से "पैलेस ऑन व्हील" टाइप की एक नई गाड़ी और राज्य सरकारों/टूर आपरेटरों के सहयोग से व्यापक टूर पैकेज।

खानपान सेवाओं में सुधार करने के संबंध में मोड्यूलर स्टेशनों का निर्माण, स्वचालित वेल्डिंग मशीनों की व्यवस्था, एल्यूमीनियम के कैसरोल में तैयार किए गए भोजन को परोसना, स्वास्थ्य सहिष्णु पैकेजिंग सामग्री की शुरूआत। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट मानक के अनुसार पीने के पानी की खरीद सहित योजनाओं/स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेलवे ने व्यापक मूल्य आधारित टूअर पेकेजों की शुरूआत करके फूड प्लाजा की स्थापना और रेल पर्यटन में सुधार करने सहित खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नए निगम अर्थात भारतीय पर्यटन और खानपान निगम की (आई आर सी टी सी) स्थापना की है ।

सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अवा, समय-समय पर विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं। समय-समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

रेलवे गाड़ी परिचालनों में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यात्रियों की सुरिक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। संरक्षा से संबंधित मामलों पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया जता है और जब कभी और सुधार की आवश्यकता होती है, शोधक कदम उठाए जाते हैं ।

चलती गाड़ियों सहित रेलवे में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेवारी होती है। यात्रियों को पर्याप्त रूप में सुरक्षा प्रदान की जाए, वह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ रेल प्रशासन सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित करता है।

मिलावट के विरुद्ध अभियान

4045. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल में की जा रही मिलावट को रोकने के लिए मिलावट विरोधी अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल में मिलावट रोकने के तरीके सुझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मिलावट रोकने के लिए कौन-कौन से अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ङ) क्या तेल में मिलावट उसे तेल शोधक कारखाने से बिक्री केन्द्र तक लाए जाने के दौरान ही की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय सुझाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) तेल विपणन कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों की रोकथाम करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त, तेल कंपनियों द्वारा कदाचारों की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर अपने आप और सरकारी निर्देशों के तहत विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा मिलावट को रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी के तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को नीला रंगने, उसकी फर्फरल डोपिंग करने, फिल्टर पेपर परीक्षण, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

तेल में मिलावट की जांच करना तेल कंपनियों का एक निरंतर कार्यकलाप है। आपूर्ति केन्द्र से खुदरा बिक्री केन्द्रों तक मार्ग में मिलावट की रोकथाम करने के लिए विपणन कंपनियों ने मुहरों (सील्स) में सुधार, आपूर्ति स्थलों पर किसी अधिकारी की सीधी देखरेख में सील लगाने, चोरी प्रतिरोधक तालापद्धति उपकरण आरंभ करने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

समूह "घ" के कर्मचारियों की नियुक्ति

4046. श्री सुनील खां: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति का अधिकार रेलवे बोर्ड के पास न होकर रेल मंत्रालय के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान नवम्बर, 2000 तक रेलवे बोर्ड द्वारा समूह "घ" के कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलवे बोर्ड में ग्रुप "घ" के पदों की नियुक्तियां रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

(ख) ग्रुप "घ" कोटि के कर्मचारियों के भर्ती नियमों के अनुसार संदेशवाहकों के 75% रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा, 10% क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से स्थानांतरण द्वारा तथा 15% कोटि में परिवर्तन द्वारा भरे जाते हैं। ग्रुप "घ" की अन्य कोटियों के 100% पद केवल सीधी भर्ती द्वारा ही भरे जाते हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत 23 व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। वर्ष 2000 में नवम्बर, 2000 तक खेल-कूद कोटे के अंतर्गत सीधी भर्ती 5 व्यक्तियों को भर्ती किया गया है ।

आई.टी.डी.सी. के होटलों में स्टाफ तैनाती संबंधी पद्धति

4047. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ के होटलों में स्टाफ तैनाती संबंधी पद्धति का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन होटलों में होने वाले व्यर्थ व्यय से बचने के लिए भी कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम तथा इसके होटलों के कार्य निष्पादन

की नियमित समीक्षा की जाती है। कुछ अभिनिर्धारित क्षेत्र और लागत को नियंत्रित/कम करने की दिशा में किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

1. नयी भर्ती पर रोक।
2. समयोपरि भत्ते के भुगतान में कमी करना।
3. बैंक-आफिस स्टाफ के लिए वर्दी के प्रावधान को समाप्त करना।
4. दूरभाष के इस्तेमाल पर कड़ी पाबन्दी।
5. होटलों में सामान-सूची को कम करना।
6. खाद्य लागत पर सख्त नियंत्रण।
7. ऊर्जा संरक्षण द्वारा लागत में कमी लाना।
8. रख-रखाव तथा सेवा लागत पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण।

[हिन्दी]

तेज रफ्तार वाली मालगाड़ियां

4048. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय रेल विभाग की आय बढ़ाने के लिए तेज रफ्तार वाली मालगड़ियां चलाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मालगाड़ियों को कब तक चलाने की संभावना है और तत्संबंधी नीति की रूपरेखा क्या है;

(ग) इससे रेल विभाग को कितनी आय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार मालगाड़ियों को विभिन्न स्टेशनों पर अनावश्यक रूप से रोके जाने की प्रक्रिया को बंद करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के बीच कंटेनर यातायात के संचालन के लिए 100 कि. मी. प्रति घं. की अधिकतम अनुमेय गति से चलने वाली उच्च गति माल गाड़ियों की शुरूआत पहले की कर चुकी है। इसके अलावा लोहा और कोयला क्षेत्रों में उच्च गति वाले मालडिब्बों को शामिल करके गाड़ियां चलाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

ये मालडिब्बे माल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए भीड़-भाड़ वाले मार्ग पर खंड की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। चालू वर्ष में अक्टूबर, 2000 तक इससे 187 करोड़ रु. की अतिरिक्त आमदनी हुई है।

(घ) और (ङ) माल गाड़ियों के कोई निर्धारित ठहराव नहीं हैं। ये गाड़ियां परिचालनिक कारणों से ठहरती हैं।

आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ के होटल

4049. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई॰ टी॰ डी॰ सी॰) के श्रेणी-वार कौन-कौन से होटल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ के औसतन कितने कमरे भरे रहे और उक्त अवधि के दौरान इसको कितनी आय हुई;

(ग) इसकी आय में और इसके कमरों को किराए पर लेने की दर में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन होटलों की रिपोर्ट नकारात्मक है; और

(ङ) आई॰टी॰डी॰सी॰ आय बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का होटल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अधिभोगिता तथा उनके द्वारा अर्जित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	अधिभोगिता दर	कारोबार (करोड़ रुपयों में)
1997-98	42 प्रतिशत	189.94
1998-99	37 प्रतिशत	168.89
1999-2000	35 प्रतिशत	160.24
2000-2001 (अक्तूबर, 2000 तक)	32 प्रतिशत	83.11

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्य निष्पादन में गिरावट का कारण अन्य बातों के साथ-साथ उच्च मजदूरी लागत, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा संकट जिस कारण इन देशों की यात्रा अपेक्षाकृत सस्ती रही, व्यवसायिक पर्यटकों का कम आने तथा निजी क्षेत्र द्वारा नवनिर्मित होटलों में उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता का होना है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 2000 तक) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को शुद्ध घाटा हुआ है। खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए आर्थिक उपायों के अतिरिक्त इन होटलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं - होटलों/सेवाओं का प्रभावी विपणन तथा संवर्धन, होटलों का कम्प्यूटरीकरण, मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा होटलों का निरीक्षण।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में संचालित होटलों के श्रेणीवार ब्यौरे

क्रम सं.	होटल का नाम	सितारा श्रेणी
1	2	3
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	पांच सितारा डिलक्स
2.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	पांच सितारा
3.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	पांच सितारा
4.	होटल अशोक, बैंगलौर	पांच सितारा
5.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट	पांच सितारा
6.	होटल आगरा अशोक, आगरा	पांच सितारा
7.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	हैरीटेज ग्रांड
8.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	हैरीटेज ग्रांड
9.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	चार सितारा
10.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	चार सितारा
11.	होटल जयपुर अशोक	चार सितारा
12.	होटल वाराणसी, अशोक	चार सितारा
13.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	चार सितारा
14.	होटल जम्मू अशोक	चार सितारा
15.	लोधी होटल, नई दिल्ली	तीन सितारा
16.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	तीन सितारा
17.	होटल खजुराहो, अशोक	तीन सितारा
18.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	तीन सितारा
19.	टैम्पल बे अशोक बीच रिजार्ट	तीन सितारा
20.	होटल मदुरै अशोक	तीन सितारा
21.	होटल मनाली अशोक	तीन सितारा
22.	होटल बोधगया अशोक	तीन सितारा
23.	होटल हसन अशोक	तीन सितारा
24.	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	तीन सितारा
25.	होटल औरंगाबाद अशोक	दो सितारा
26.	होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	एक सितारा

[अनुवाद]

कम बैंजीन युक्त पेट्रोल की बिक्री

4050. डा॰ रमेश चंद तोमर:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में सरकार ने देश के सभी प्रमुख शहरों में कम बैंजीन युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि 1 प्रतिशत बैंजीन वाला पेट्रोल (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदेश (एन.सी.टी.), दिल्ली में 1.10.2000 तक (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) 31.3.2001 तक उपलब्ध कराए जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदेश, दिल्ली में 1 प्रतिशत बैंजीन वाले पेट्रोल की आपूर्ति 1.11.2000 से कर दी गयी है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के लिए निधरित समय सीमा का पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल परियोजनाएं

4051. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगरा-बांदीकुई रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब से शुरू किया गया है;

(ख) इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसमें धीमी गति से प्रगति के होने के क्या कारण हैं; और

(घ) आमान परिवर्तन के कार्य को गति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा अभी तक इस पर कितना खर्च किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) कार्य को 1995-96 के बजट में शामिल किया गया था।

(ख) अब तक 193 पुलों में से 53 छोटे पुल, 11 पुलों में से 4 बड़े तथा 5 छोटे पुलों की अवसंरचना पूरी हो गयी है। और 3.07 लाख घन मीटर में से 1.75 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है।

(ग) और (घ) इस कार्य को प्रारंभ में बोल्ट योजना के अंतर्गत करने की योजना बनाई गई थी लेकिन निजी पार्टियों द्वारा अस्वीकार्य प्रस्तावों के कारण अब इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रेलवे निधियों से पूरा किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए 9.09 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से अब तक 8.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

ऐतिहासिक इमारतों को हैरीटेज होटलों में बदलना

4052. श्री ए॰ नरेन्द्र: क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐतिहासिक इमारतों को हैरिटेज होटलों में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक स्थानवार कौन-कौन सी इमारतों को हैरीटेज होटलों में बदलने हेतु वर्गीकृत किया गया है और इस कार्य पर कितना खर्चा आएगा; और

(ग) इस निर्णय से पर्यटकों की संख्या में अनुमानत: कितनी वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त राजस्व की उगाही होने संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) जी, हां। देश में आवास बढ़ाने के प्रयास में, पर्यटन मंत्रालय ने हैरीटेज होटलों के अनुमोदन हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इस प्रकार 1950 से पहले बने पुराने महल, हवेलियों, दुर्गों, किलों एवं आवासों को हैरीटेज होटलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आजकल देश में 70 हैरिटेज होटल हैं, जिन्हें अवस्थिति-वार ब्यौरे दर्शाते हुए संलग्न विवरण के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किया गया है। हैरीटेज होटलों के वर्गीकरण की योजना एक स्वैच्छिक योजना है और अधिकतर निजी क्षेत्र के उद्यमी ही हैं, जिन्होंने अपनी परिसम्पत्तियों को होटलों में परिवर्तित करने की रुचि दिखाई है, और इसलिए ऐसी परिसम्पत्तियों के परिवर्तन पर किए गए व्यय के ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

हैरीटेज परिसम्पत्तियां घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय होती जा रही हैं, चूंकि बड़ी संख्या में पर्यटक हैरीटेज होटलों में ठहर रहे हैं ताकि वे ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिगों में ठहरने का अद्वितीय अनुभव प्राप्त कर सकें।

विवरण

देश में वर्गीकृत हैरीटेज होटलों की राज्यवार सूची

राजस्थान

1. रामगढ़ लॉज, रामगढ़, जयपुर
2. सवाई माधोपुर लॉज, सवाई माधोपुर
3. राजमहल पैलेस होटल, जयपुर
4. होटल सरिस्का पैलेस, सरिस्का, अलवर
5. होटल लापलगढ़ पैलेस, बीकानेर
6. हौल भद्रावती पैलेस, भंडारेज, दौसा
7. सामादे हवेली पैलेस, जयपुर
8. कामा राजपूताना क्लब रिजार्ट, माऊंट आबू
9. रावला, नरलाई, पाली
10. सरदार सामंद पैलेस (लेक रिजार्ट), सरदार सामंद
11. नारायण निवास पैलेस, जयपुर
12. नीमराणा फोर्ट पैलेस, नीमराणा
13. विजय पैलेस, मकराना
14. कैसल मांडवा, मांडवा
15. अजीत भवन पैलेस, जोधपुर
16. होटल रॉयल वैसल, खिमसर
17. होटल रोहेत गढ़, रोहेत
18. होटल सनराइज पैलेस, माउंट आबू
19. पैलेस होटल, माउंट आबू
20. राज पैलेस, जयपुर
21. कर्णी भवन पैलेस, बीकानेर
22. भंवर निवास पैलेस, बीकानेर
23. शिव निवास पैलेस, उदयपुर
24. शिकरबादी, उदयपुर
25. गजनेर पैलेस, बीकानेर
26. लक्ष्मी निवास पैलेस, बीकानेर
27. लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर
28. फतेह प्रकाश पैलेस, उदयपुर
29. नारायण निवास पैलेस, जैसलमेर
30. ओधी, कुंभलगढ़
31. होटल कनाट हाउस, मांउट आबू
32. आनंद भवन, उदयपुर
33. खासा कोठी, जयपुर
34. कर्णी भवन, जोधपुर
35. दुंदलोड कैसल, दुंदलोड

36. डेरा दुंदलोड किला, दुंदलोड
37. होटल बिसाउ पैलेस, जयपुर
38. फोर्ट चॉवा, लूनी
39. पुष्कर पैलेस, पुष्कर
40. लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर
41. होटल बंसत विहार पैलेस, बीकानेर
42. देवगढ़ महल रिजार्ट, देवगढ़
43. देवगढ़, देलवार, उदयपुर

गुजरात

44. नीलम बाग पैलेस, भावनगर
45. बलराम पैलेस रिजार्ट, चित्रासोनी गांव

मध्य प्रदेश

46. जेहान नुमा पैलेस होटल, भोपाल
47. उषा किरन पैलेस, ग्वालियर

हिमाचल प्रदेश

48. ओबराय क्लार्क्स, शिमला
49. तारागढ़ पैलेस, तारागढ़
50. नालागढ़ पैलस, नालागढ़
51. जजिस कोर्ट, परागपुर

केरल

52. सूर्य समुद्र बीच रिजार्ट, त्रिवेन्द्रम
53. लेक पैलेस, थेक्काडी
54. फोर्ट हैरिटेज होटल, कोचीन
55. नाडुलुवीतिल रिजार्टस
56. क्यालोराम लेक रिजार्ट, एलेप्पी
57. कोकोनट लगून, कोट्टायम
58. सोमाथीरम आयुर्वेदिक बीच रिजार्ट

जम्मू और कश्मीर

59. हरी निवास पैलेस, जम्मू

तमिलनाडु

60. ताज रीट्रीट, मदुरै
61. सर्वाय होटल, आक्टोमांड

पश्चिम बंगाल

62. आइवान हो होटल, दार्जिलिंग
63. सैंट्रल होटल, दार्जिलिंग
64. हिमालयन होटल, दार्जिलिंग
65. विंडामेरे होटल, दार्जिलिंग

गोवा

66. पंजिम इन, गोवा

उत्तर प्रदेश

67. फेयर हैवन हॉलिडे होम, नैनीताल
68. होटल चेवरान रोजमाउंट, रानीखेत
69. होटल पदमिनी निवास, मसूरी
70. पल्लवी इंटरनेशनल, वाराणसी ।

[अनुवाद]

सरकारी मामलों में निजी वकीलों की सेवाएं लेना

4053. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी मुकदमों में निजी वकील की सेवाएं लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसे सभी मामलों में विधि अधिकारियों अथवा पैनल के वकीलों या स्थायी वकील की सेवाएं ली जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अगस्त, 1990 के दौरान बिना विधि मंत्रालय के अनुमोदन के नियुक्त किए गए सभी निज वकीलों की संबद्धता निरस्त करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ सरकारी विभागों विशेषकर सी-डाट ने विधि मंत्री के आदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी दीवानी वकीलों को भारी मासिक पारिश्रमिक और अन्य व्ययों तथा सुविधाओं सहित नियुक्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) सरकार ने तारीख 6 अगस्त, 1990 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को समस्त प्राइवेट कांउसिलों की नियुक्ति को तत्काल रद्द करने और सभी ऐसे मामलों में, यथास्थिति, विधि अधिकारियों अथवा पैनल कांउसेलों या स्थायी कांउसेलों की सेवाएं, लागू निबंधनों और शर्तों के अुनसार, लेने का निर्देश दिया है। तथापि, कतिपय ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें विशेष तौर पर अत्यधिक हित अंतर्वलित है, संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश पर प्राइवेट कांउसेलों की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया गया है। सरकारी मामलों के संचालन के लिए प्राइवेट कांउसेलों को नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया यह है कि प्रस्ताव का अनुमोदन प्रथम संबंद्ध मंत्रालय

के भारसाधक मंत्री द्वारा और तत्पश्चात् विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री द्वारा किया जाना चाहए।

(घ) सरकारी विभाग, तारीख 6 अगस्त, 1990 के कार्यालय ज्ञापन में अंतर्विष्ट आदेशों का पालन कर रहे हैं। सी-डाट, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी है और वह उसके नियमों, विनियमों, और उप-नियमों के अनुसार कार्य कर रही है तथा तारीख 6 अगस्त, 1990 का कार्यालय ज्ञापन, सी-डाट को लागू नहीं होता है।

(ङ) और (च) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न के भाग (ङ) और (च) को उत्तर देने को प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारतीय तेल निगम के श्रमिकों की हड़ताल

4054. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारतीय तेल निगम के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे आम उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी हाल में हड़ताल पर नहीं गए हैं। तथापि उन्होंने वेतन में संशोधन और अन्य मांगों के समर्थन में 6.11.2000 से 15.11.2000 तक "नियमानुसार" कार्य किया। इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर कुछ सीमा तक असर पड़ा।

[हिन्दी]

दानापुर मंडल में ठेकेदारों का पंजीकरण

4055. श्री अरुण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क, ख, ग और घ श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) पूर्व रेलवे के अन्तर्गत दानापुर रेल मंडल में कितने ठेकेदारों का पंजीकरण किया गया;

(ग) क्या काली सूची में डाले गए कुछ ठेकेदारों को भी ठेके दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) 177 अदद।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) अनुमोदित ठेकेदारों की क्षमता निम्नलिखित स्लेबों में वितरित की गई है:

1. 50 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए श्रेणी ए
2. 50 लाख रुपयों तक के कार्यों के लिए श्रेणी बी
3. 20 लाख रुपयों तक के कार्यों के लिए श्रेणी सी
4. 5 लाख रुपयों तक के कार्यों के लिए श्रेणी डी
5. 1 लाख रुपयों तक के कार्यों के लिए श्रेणी ई

श्रेणी (ए) से (डी) तक के अंतर्गत ठेकेदारों के नामांकन के लिए मापदंड

श्रेणी ए: (1) एक इंजीनियरिंग संगठन होना चाहिए जिसमें कम से कम उनके पास संबंधित विषय में 10 वर्षीय अनुभव वाला एक स्नातक इंजीनियर हो और 5 वर्षीय अनुभव वाला एक डिप्लोमा धारक इंजीनियर हो, और उनके पास न्यूनतम परिवहन उपस्कर और निर्माण औजार और संयंत्र हों जो उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के अनुरूप हो।

(2) उनकी सूची में शामिल किए जाते समय उनके द्वारा कम से कम दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए गए हों जिनमें प्रत्येक की लागत 25 लाख रुपए से कम न हो।

श्रेणी बी: (1) एक इंजीनियरिंग संगठन होना चाहिए जिसमें कम से कम उनके पास संबंधित विषय में 5 वर्षीय अनुभव वाला एक स्नातक इंजीनियर हो और उनके पास न्यूनतम परिवहन उपस्कर और निर्माण औजार और संयंत्र हों जो उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के अनुरूप हों।

(2) उनकी सूची में शामिल किए जाते समय उनके द्वारा कम से कम दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए गए हों जिनमें प्रत्येक की लागत 10 लाख रुपए से कम न हो।

श्रेणी सी : (1) एक इंजीनियरिंग संगठन होना चाहिए जिसमें उनके पास संबंधित विषय में कम से कम 3 वर्षीय अनुभव वाला एक डिप्लोमा धारक इंजीनियर हो।

(2) उनकी सूची में शामिल किए जाते समय उनके द्वारा कम से कम दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए गए हों जिनमें प्रत्येक की लागत 3 लाख रुपए से कम न हो।

श्रेणी डी : उनकी सूची में शामिल किए जाते समय उनके द्वारा कम से कम दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए गए हों जिनमें प्रत्येक की लागत 50,000 रुपए से कम न हो।

उपकर में कमी

4056. श्री चवल किशोर राय:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों पर से वसूले जा रहे कर, उपकर, अधिभार और रायल्टी में कमी लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सितम्बर, 2000 के अंत तक देश में उत्पाद-वार कर, उपकर, अधिभार और रायल्टी की दरें क्या थीं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम उत्पादों पर देय सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क में कटौती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा शुल्कों एवं उत्पाद शुल्कों, उपकर, रायल्टी तथा बिक्री कर की वर्तमान उत्पादवार दरें निम्नवत् हैं:

1. आयातित कच्चे तेल पर देय सीमाशुल्क तथा आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लि॰ के द्वारा उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल पर रायल्टी/उपकर संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

2. आयातित उत्पादों पर देय सीमाशुल्क एवं काउंटरवीलिंग ड्यूटी (सी.वी.डी.) संलग्न विवरण II के अनुसार है।

3. पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संलग्न विवरण III के अनुसार है।

4. स्वदेशी कच्चे तेल एवं उत्पादों पर बिक्री कर संलग्न विवरण IV के अनुसार है।

विवरण-I

आयातित कच्चे तेल पर सीमा शुल्क, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लि॰ के द्वारा उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल पर रायल्टी एवं उपकर

आयातित कच्चे तेल पर सीमा शुल्क	10 प्रतिशत
उपकर	900 रुपए प्रति एम टी
रायल्टी	800 रुपए प्रति एम टी (अनंतिम)

विवरण II

आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क एवं सी वी डी

(प्रतिशत में)

उत्पाद का नाम	सीमा शुल्क	सी वी डी
हार्ड स्पीड डीजल	20	12
पेट्रोल	20	16
हल्का डीजल तेल	20	16
एविएशन टर्बाइन ईंधन	20	16
भट्टी तेल	20	16
एल.एस.एच.एस.	20	16
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	10	8
तरलीकृत प्राकृतिक गैस	5	16
सा. वि. प्र. मिट्टी तेल	शून्य	8
नाफ्था	5	16
बिटुमन एवं सारे अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	20	16

विवरण-III

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पाद शुल्क

(प्रतिशत)

उत्पाद का नाम	30 सितंबर, 2000 से लागू शुल्क
डीजल (हाई स्पीड डीजल)/ हल्का डीजल तेल	12
पेट्रोल (मोटर स्पिरिट)	16
एविएशन टर्बाइन ईंधन	16
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.)	8
तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.)	16
भट्टी तेल/कम गंधक भारी स्टाक/नाफ्था/ बिटुमन/सभी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	16

*डीजल तथा पेट्रोल पर 1 रुपया प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क और उद्ग्रहीत किया गया।

विवरण-IV

स्वदेशी कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर

(प्रतिशत)

विवरण	एमएस	एचएसडी	एसकेओ	एलपीजी	एटीएफ
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
बिक्री कर	29.00	31.00	4.00	8.00	25.00
बिक्री कर पर अधिभार - मुंबई			10.00		
टी ओ टी	30.00	34.00	1.00	-	-
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
क्रय कर				4.00	
के. बि. क. - 4 प्रतिशत					
गुजरात					
बिक्री कर	20.00	18.00	0.00	14.00	23.00
अतिरिक्त अधिभार	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
कारोबार कर	2.00	2.00			2.00
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
मध्य प्रदेश					
बिक्री कर	25.00	25.00	2.00	12.00	20.00
बिक्री कर पर अधिभार	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
प्रवेश कर	1.00			1.00	
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
टर्मिनल कर				15रु./एम. टी	
गोवा					
बिक्री कर	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
अतिरिक्त कर	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
उत्तर प्रदेश					
बिक्री कर	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
दिल्ली					
बिक्री कर	20.00	12.00	4.00	8.00	20.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
के. बि. क. -4 प्रतिशत					

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश					
बिक्री कर	20.00	10.00	8.00	8.00	20.00
जम्मू और कश्मीर					
बिक्री कर	20.00	12.00	4.00	12.00	20.00
बिक्री कर पर अधिभार			5.00	5.00	5.00
पंजाब					
बिक्री कर	20.00	8.00	20.00	10.00	20.00
बिक्री कर पर अधिभार	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
उपकर	1.00				
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
राजस्थान					
बिक्री कर	22.00	16.00	8.00	12.00	20.00
बिक्री कर पर अधिभार	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
टी ओ टी	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
हरियाणा					
बिक्री कर	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00
आन्ध्र प्रदेश					
बिक्री कर	30.55	19.33	8.00	16.00	30.55
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
क्रय कर	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
के बि.क.-4 प्रतिशत					
तमिल नाडु					
बिक्री कर	24.00	18.00	4.00	8.00	24.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
अतिरिक्त कर	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
क्रय कर (टी ओ टी सहित)	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
केरल					
बिक्री कर	23.00	20.00	8.00	12.00	30.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
कारोबार कर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
कर्नाटक					
बिक्री कर	22.00	15.50	4.00	10.00	22.00
प्रवेश कर	2.00	4.00			
उप कर	250 रु. कि.ली.	100 रु. कि.ली.	5.00 प्र.	5.00 प्र.	5.00 प्र.
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					

1	2	3	4	5	6
कारोबार कर	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00
क्रय कर	22.00	4.00	10.00	10.00	22.00
क्रय कर पर उप कर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
के. बि. क.-4 प्रतिशत					
उड़ीसा					
बिक्री कर	20.00	18.00	0.00	12.00	20.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
बिक्री कर पर अधिभार	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
असम					
बिक्री कर	20.00	12.00	4.00	12.00	20.00
अतिरिक्त कर	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
के बि क-4 प्रतिशत					
बिहार	20.00	15.00	6.00	9.00	25.00
बिक्री कर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
बिक्री कर पर अधिभार जमा अ. कर	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
के बि क-4 प्रतिशत					
पश्चिम बंगाल					
बिक्री कर	20.00	12.55	4.55	17.00	25.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
अतिरिक्त कर	20.00	20.00			20.00
के. बि. क. -4 प्रतिशत					
मणिपुर					
बिक्री कर	20.00	12.00	4.00	8.00	20.00
नगालैण्ड					
बिक्री कर	20.00	12.00	5.00	8.00	15.00
त्रिपुरा					
बिक्री कर	20.00	5.00	5.00	12.00	20.00
अशोध्य/गैर वसूलनीय:					
अतिरिक्त कर	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ओ एन जी सी/ओ आई एल के द्वारा उत्पादित स्वदेशी कच्चा तेल विक्रय मूल्य का 4 प्रतिशत					

नोट: छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों ने अब तक कर उद्ग्रहण अधिसूचित नहीं किए हैं।
नवी मुंबई नगर निगम नवीं मुंबई की नगर सीमाओं में आयातित एम.एस. और एच.एस.डी. पर उपकर लगाता है।
पश्चिम बंगाल में एम.एस. की बिक्री पर 17 रुपए/कि.ली. की कर छूट है।
मुंबई, थाणे और नवीं मुंबई में एम.एस. और एच.एस.डी. पर बिक्री कर क्रमशः 30 प्रतिशत और 34 प्रतिशत है।
उपर्युक्त आंकड़े एच पी सी एल द्वारा दिए अनुसार हैं।

राजस्थान में तेल के भंडार

4057. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री मोहन रावले:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटेश्वर और जैसलमेर (राजस्थान) के निकट कच्छ के रण में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्ष 1967 से 1997 तक की अवधि के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि॰ (ओ.एन.जी.सी.) ने छः गैस युक्त संरचनाओं अर्थात मानहेरा टिब्बा, घोटारू, खरतार, बारवरी टिब्बा, बाँकिया तथा सादेवाला की खोज की थी जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ते थे तथा जिनमें गैस की 2.44 विलयन घनमीटर (बी.सी.एम.) स्थानिक मात्रा विद्यमान थी। वर्तमान में मानहेरा टिब्बा क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है और यह क्षेत्र प्रतिदिन 0.43 एम.एम.एस.सी.यू.एम. की दर से गैस का उत्पादन कर रहा है। शेष क्षेत्रों से उत्पादन की संभाव्यता उपभोक्ताओं की मांग एवं तकनीकी-अर्थतंत्र पर निर्भर करेगी। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि॰ अपने प्रचालन क्षेत्र के अंतर्गत अन्वेषण क्रियाकलाप जारी रखे हुए हैं। वर्ष 1988 में आयल इंडिया लि॰ (ओ आई एल) ने राजस्थान के जैसलमेर जिलान्तर्गत तानोत क्षेत्र में गैस की खोज की थी। उसके बाद आयल इंडिया लि॰ ने राजस्थान के जैसलमेर जिलान्तर्गत डंडेवाला तथा बागीटिब्बा क्षेत्रों में गैस की खोज की। इन क्षेत्रों की कुल गैस भंडार 9.29 विलियन घनमीटर है। इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 0.42 मिलियन मीट्रिक घनमीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) की औसत दर पर राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के लिए गैस की आपूर्ति गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ के माध्यम से की जा रही है। भविष्यगत अन्वेषण क्रियाकलापों के विषय में आयल इंडिया लि॰ द्वारा निर्णय केवल बेसिन प्रतिरूपण अध्ययन के पश्चात लिया जाएगा।

तथापि, कच्छ के रन क्षेत्र में कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई है। गुजरात-कच्छ जमीनी क्षेत्र में अन्वेषण के लिए दो ब्लाकों अर्थात जीके-ओए-4 तथा जीके-ओएन-90/2 की संविदा निजी कंपनियों को दी गई है। इन दो ब्लाकों में अन्वेषण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

फ्रांसीसी बोइंग 747 को जबरन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उतारना

4058. श्री मोहन रावले:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री आर. एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 नवम्बर, 2000 की सुबह तक फ्रांसीसी बोइंग 747 विमान को जबरदस्ती इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उतारा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है कि कैसे उक्त विमान बिना किसी अनुमति और बाधा के दिल्ली तक पहुंच गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क)जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने मैसर्स कोरसैयर, फ्रांस को बोइंग-747 विमान से फेरी उड़ान प्रचालित करके पेरिस-कुआलालम्पुर -पेरिस सैक्टर में भारतीय एयरस्पेस से होकर प्रचालन की अनुमति दे दी थी। विमान 10 नवम्बर, 2000 को भारतीय एयरस्पेस में प्रविष्ट हुआ और प्रविष्टि की वैध तिथि 12 नवम्बर तक थी। यद्यपि उक्त उड़ान में देरी हुई थी और यह 14 नवमबर, 2000 को भारतीय एयरस्पेस में प्रवेश किया। चूंकि अनुमति की वैधता समाप्त हो गई थी, और विमान रक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों से घिरी हुई ए.टी.एस. मार्ग के संकीर्ण मार्ग में था, विमान को इंन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में अवतरण करने का अनुदेश दिया गया था। अवतरण के बाद प्रचालक ने 14 नवम्बर, 2000 को प्रचालन करने की संशोधित अनुमति के लिए नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय से संपर्क स्थापित किया । अनुमति दे दी गई थी और संशोधित अनुसूची के अनुसार विमान प्रचालित किया गया।

(ग) और (घ) चूँकि यह ऐसी उड़ान थी जिसे देरी हो चुकी थी जो उचित अनुमति के पश्चात् आगे बढ़ी और अन्तरराष्ट्रीय गैर-अनुसूचित विमानों के लिए लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई थी। इस बारे में आगे कोई पूछताछ नहीं की गई है।

गुजरात में द्वारिकाजी मंदिर का रख-रखाव

4059. श्री पी०एस० गढ़वी: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यासियों द्वारा उचित रख-रखाव न करने के कारण गुजरात में द्वारिकाजी मंदिर की हालत बहुत खराब हो गई है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर के रख-रखाव हेतु वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या मंदिर के रख-रखाव और इसके आस-पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है आर इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) गुजरात में द्वारका में द्वारकाजी मन्दिर एक संरक्षित स्मारक है। यह भली भांति परिरक्षित है।

(ख) मन्दिर के अनुरक्षण तथा संरक्षण पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है:

1997-1998	62,280/- रुपये
1998-1999	3,88,966/- रुपये
1999-2000	1,78,418/- रुपये

(ग) भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपथ होटल में भ्रष्टाचार

4060. श्री के० येरननायडू: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी 1990 से दिसम्बर, 1993 के दौरान जनपथ होटल में बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जुलाई 1992 के दौरान, निधियों की धोखाधड़ी/दुरुपयोग सहित गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का एक मामला प्रबंधन की जानकारी में आया था। मामले को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेज दिया गया था जिसने मामले की छानबीन की थी और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 14 कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किए थे। मामला न्यायालय में है और प्रबंधन द्वारा कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई न्यायालय का निर्णय आने पर की जाएगी।

[हिन्दी]

अलाभकारी रेल लाइनें

4061. श्री माण सिंह पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अलाभकारी रेल लाइनों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग इन मार्गों पर अपनी सेवाएं बंद करने जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका उन क्षेत्रों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। बहरहाल भारतीय रेलों द्वारा संचालित अलाभप्रद शाखा लाइनों की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय परिणामों की समीक्षा की जाती है। 1998-99 के दौरान 114 अलाभप्रद शाखा लाइनें तथा 11 नयी लाइनें थी जिनके कारण 377.17 करोड़ रु. का सकल घाटा हुआ।

(ग) से (ङ) विभिन्न समितियों, जिनके तहत इस समस्या का अध्ययन किया गया है, की सिफारिशों के आधार पर रेलवे ऐसी लाइनों को बंद करने की कार्रवाई करती है। 1985 से पिछले वित्तीय वर्ष तक, ऐसी 21 लाइनों को बंद किया जा चुका है। जोनवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, वैकल्पिक सड़कों और सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी लाइनों को बंद किया जाता है। अलाभप्रद लाइनों और इन पर संचलित रेल सेवाओं को बंद करने से पहले राज्य सरकार की सहमति भी प्राप्त की जाती है।

विवरण

स्थायी रूप से बंद अलाभप्रद शाखा लाइनों के नाम

क्रम सं.	नाम
1	2
1	साहेबपुर-कमाल-मुंगेरघाट
2	दुधवा-गौरी फांटा
3	दुधवा-चदंन चौकी
4	सिनचोंआ-सिलघाट

1	2
5	हैवरगांव-मैराबारी
6	निदमंगलम-मन्नारगुडी
7	मोरबी-टनकारा
8	हदमतिया-जोधिया
9	खांबलिया-सेलाया
10	थान-चोटिला
11	निंगाला-गोधाथा स्वामीनारायण
12	भावनगर-महुवा
13	शपुर-सरदिया
14	पिपलोद-देवगध बारिया
15	कनकावाव-बागसारा
16	बोताड-जसदन
17	चरमा-हरजी
18	मोरबी-चोटिला
19	जोरावरनगर-सेयाला
20	चांपानेर-पानी माइन्स
21	गोधर-लुनावाडा

एन.टी.सी. के शोरूम/दुकानें

4062. श्री रामशकल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एन.टी.सी. के शो-रूमों और दुकानों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में जिला स्तर पर ऐसे और शो-रूम/दुकानें खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): (क) शोरूम के राज्यवार और अवस्थिति वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 30 सितंबर, 2000 की अवस्थिति के अनुसार शोरूमों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	शोरूमों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	20
2	असम	4
3	बिहार	16
4	दिल्ली	14
5	गुजरात	8
6	हरियाणा	7
7	जम्मू और कश्मीर	2
8	झारखंड	4
9	कर्नाटक	22
10	केरल	16
11	मध्य प्रदेश	7
12	महाराष्ट्र	26
13	उड़ीसा	7
14	पंजाब	4
15	राजस्थान	10
16	तमिलनाडु	48
17	उत्तरांचल	2
18	उत्तर प्रदेश	33
19	पश्चिमी बंगाल	50
20	पॉडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1
21	दमन संघ राज्य क्षेत्र	1
22	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	2
	कुल	304

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

दिनाक 30 सितंबर, 2000 की अवस्थिति के अुसार शोरूमों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	अवस्थिति
1	2
आंध्र प्रदेश	
1	हैदराबाद
2	हैदराबाद
3	हैदराबाद
4	हैदराबाद
5	हैदराबाद
6	हैदराबाद
7	अंनतपुर
8	कुड्डपा
9	यल्लूर
10	गुण्टूर

1	2
11	हनुमाकोंड्डा
12	विशाखापट्टनम
13	काकीनाड़ा
14	करीमनगर
15	कुमुल
16	मछलीपट्टनम
17	नाल्लौर
18	तिरूपति
19	विजयवाड़ा
20	विशाखापट्नम
असम	
1	गोहाटी
2	शिलांग
3	डिब्रूगढ़
4	पाण्डु
बिहार	
1	पटना
2	पटना सिटी
3	दानापुर
4	मुजफ्फरपुर
5	पुमिया
6	छपड़ा
7	दरभंगा
8	बेगूसराय
9	नवादा
10	मुंगेर
11	बिहार शरीफ
12	सासाराम
14	मधुबनी
15	जोहानाबाद
16	गया
चंडीगढ़	
1	सैक्टर 17
2	मध्य मार्ग
दिल्ली	
1	आर्य समाज रोड़
2	एनडीएसई
3	शंकर रोड
4	टैगोर गार्डन
5	ग्रेटर कैलाश
6	तिलक नगर
7	खान मार्किट
8	पहाड़गंज

1	2
9	दिल्ली कैंट
10	ईस्ट आफ कैलाश
11	ए टी एन
12	लक्ष्मी नगर
13	केन्द्रीय भंडार
14	मोती नगर
दमन	
1	दमन
गुजरात	
1	अहमदाबाद
2	अहमदाबाद
3	बड़ौदा
4	गोदरा
5	जूनागढ़
6	जामनगर
7	राजकोट
8	सूरत
हरियाणा	
1	सोनीपत
2	पानीपत
3	हिसार
4	फरीदाबाद
5	गुड़गांव
6	अंबाला
7	करनाल
जम्मू और कश्मीर	
1	जम्मू
2	श्रीनगर
झारखण्ड	
1	रांची
2	जमशेदपुर
3	चास
4	रामगढ़
कर्नाटक	
1	बंगलौर
2	बंगलौर
3	बंगलौर
4	बंगलौर
5	बंगलौर
6	बंगलौर
7	बंगलौर
8	मैसूर
9	बेलगांव

1	2
10	बदरावती
11	चिकमंगलूर
12	दवनगेरे
13	धारवाड़
14	हसन
15	मैसूर
16	मन्दय
17	मंगलौर
18	तुमकुर
19	बिदार
20	गुलबर्गा
21	रायचूर
22	बंगलौर
केरल	
1	अलवाय
2	कुलीनं
3	कन्नानौर
4	कालीकट
5	चित्तूर
6	चंगाना चेरी
7	इरनाकुल्लम
8	इरनाकुल्लम
9	कोट्टायम
10	कसरदोग
11	कुनमकलम
12	पल्लाई
13	सीतामढ़ी
13	पालाघाट
14	त्रिचूर
15	तेलीचेरी
16	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	
1	इंदौर
2	देवास
3	उज्जैन
4	भोपाल
5	सतना
6	बुरहानपुर
7	रतलाम
महाराष्ट्र	
1	मुंबई
2	मुंबई
3	मुंबई
4	मुंबई

1	2
5	मुंबई
6	मुंबई
7	मुंबई
8	मुंबई
9	मुंबई
10	नागपुर
11	नागपुर
12	इंगानघाट
13	यवतमाल
14	अछलपुर
15	मुंबई
16	मुंबई
17	मुंबई
18	पुणे
19	लोअरपेरल
20	पैरल (जुपीटर मिल)
21	पैरल (एमटीएम)
22	पैरल (फिनले मिल)
23	मुम्बई
24	चौपाटी
25	नान्देड़
26	चालीसगांव
उड़ीसा	
1	अंगूल
2	भुवनेश्वर
3	बल्लासोर
4	कटक
5	धनकानाल
6	जोयपुर
7	बेहरामपुर
पांडिचेरी सं.रा.क्षे.	
1	पांडिचेरी
पंजाब	
1	अमृतसर
2	लुधियाना
3	पटियाला
4	खरर
राजस्थान	
1	अजमेर
2	भीलवाड़ा
3	भरतपुर
4	बीवर
5	जयपुर

1	2
6	जोधपुर
7	कोटा
8	सिकर
9	गंगानगर
10	उदयपुर
तमिलनाडु	
1	अत्तूर
2	भवानी
3	कोयम्बटूर
4	कोयम्बटूर
5	कोयम्बटूर
6	कोयम्बटूर
7	कोयम्बटूर
8	कोयम्बटूर
9	कोयम्बटूर
10	कुन्नूर
11	पलनी
12	दिंदीगुल
13	गोबीचेटीपलायम
14	नमकनक्कल
15	उटकमुंड
16	सलेम
17	सत्यममंगलम
18	मेट्टपलायम
19	चैन्नई
20	चैन्नई
21	चैन्नई
22	चैन्नई
23	चैन्नई
24	चैन्नई
25	चिंगम
26	कुड्डालोर
27	कल्पक्कम
28	कांचीपुरम
29	निरूपत्तूर
30	त्रिचि
31	त्रिची
32	कुम्बाकोनम
33	मदुरई
34	मदुरी
35	नगरकोइल
36	पट्टकोटाई
37	पट्टॅकोटाई

1	2
38	परमकुड्डी
39	मन्नरगोड्डी
40	महलाडुथरई
41	शिवगंगा
42	तिरूपोंडी
43	तिरूमंगलम
44	तिरूनेवेली
45	तिरूनेवेली
46	तेनकासी
47	तिरूकोईलूर
48	नेवेली
उत्तर प्रदेश	
1	कानपुर
2	कानपुर
3	कानपुर
4	कानपुर
5	कानपुर
6	कानपुर
7	लखनऊ
8	लखनऊ
9	इलाहाबाद
10	इलाहाबाद
11	इलाहाबाद
12	इलाहाबाद
13	झांसी
14	बरेली
15	रायबरेली
16	अकबरपुर
17	बलिया
18	चोखाघाट
19	देवरिया
20	गोलघर
21	गाजीपुर
22	ग्वानवपीवाराणसी
23	लहुराबीर
24	मायाबजार
25	मोनाथभंजन
26	शक्तिनगर
27	सुल्तानपुर
28	आगरा
29	गाजियाबाद
30	मोदीनगर
31	मुरादाबाद

1	2
32	नरोरा
33	रुड़की
उत्तरांचल	
1	देहरादून
2	हल्द्वानी
पश्चिमी बंगाल	
1	आसनसोल
2	आरामबाग
3	बेलघारिया
4	बजबज
5	बेलियाघाट
6	बर्धवान
7	बोलपुर
8	बोंगन
9	बरसात
10	बेहाला
11	बंकुरा
12	चन्दन नगर
13	कालेज स्ट्रीट

1	2
14	पार्क स्ट्रीट
15	कोन्टेई
16	दुर्गापुर
17	डायमंड हार्बर
18	धनियाखाली
19	गरियाहाट
20	ग्रोस्ट्रीट
21	हब्र
22	इचपुर
23	कुनगर
24	कल्याणी
25	कलना
26	उत्तरपाढ़ा
27	खगरा
28	कृष्णानगर
29	कंकूरगच्ची
30	कदमतोला
31	लेक टाउन
32	मिदनापुर

1	2
33	मोगरा
34	महेश
35	मगरबाजार
36	पलटा
37	रानाघाट
38	लखनऊ
39	रिसरा
40	रानीगंज
41	सिलीगुडी
42	श्यामबाजार
43	सिंगुर
44	सिरीआमपुर
45	साल्टलेक
46	श्यामनगर
47	सोधपुर
48	सोनारूर
49	टोलीगंज
50	टुमलुक

[अनुवाद]

पंजाब में रेल लाइनों का दोहरीकरण

4063. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में दोहरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे फिरोजपुर मंडल के अधीन अम्बाला और भटिंडा के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण करा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जालंधर-पठानकोट-जम्मूतवी, जो अधिकतर पंजाब में है, का दोहरीकरण संबंधी कार्य बजट में शामिल किया गया है, जिसे अपेक्षित स्वीकृतियां, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाना है। ये स्वीकृतियां प्राप्त होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां, राजपुरा-भटिंडा खण्ड (174 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए यातायात सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा करने की लक्षित तिथि 30.6.2001 है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर को रेशम धागे

4064. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कालीन बुनकरों को रियायती दर पर रेशम धागा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी नहीं। अभी जम्मू व कश्मीर के दरी बुनकरों को सब्सिडी दर पर रेशम धागा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है।

न्यायालयों में भ्रष्टाचार

4065. श्री राम टहल चौधरी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि न्यायालयों के कार्यकरण में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) भ्रष्टाचार के मामले यदाकदा सामने आते हैं, इसके कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालयों के कामकाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

(ग) निष्ठावान व्यक्तियों की भर्ती/प्रोन्नति करने और अपचारियों के विरुद्ध समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने पर ध्यान दिया जाता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के संवर्धन के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अमृतसर हवाई अड्डे के विकास हेतु निधि

4066. श्री बलबीर सिंह:
श्री जे. एस. बराड़:
श्री विनोद खन्ना:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा अमृतसर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास/कोटि उन्नयन के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पंजाब सरकार ने उक्त हवाई अड्डे के विकास हेतु अंशदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो योजना आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि में से अब तक कितना व्यय हुआ है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) अमृतसर हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय दर्जे का उन्नयन करने के लिए एक प्रस्ताव को हाल ही में लगभग 79.27 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने उनकी लागत पर 138 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चारदीवारी और पैरामीटर सुरक्षा सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2.58 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी है।

खन्ना रेल दुर्घटना पर जांच रिपोर्ट

4067. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खन्ना के पास गोल्डन टेम्पल मेल और जम्मू-तवी सियालदह एक्सप्रेस के बीच हुई दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी. सी. गर्ग की अध्यक्षता में गठित गर्ग आयोग की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) कमीशन से अतिशीघ्र कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

रक्षा कर्मियों का बीमा

4068. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागरिक सुरक्षा और पुलिस एजेंसियों को पहले से ही दी जा रही बीमा की तरह आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों में शामिल रक्षा कर्मियों को भी बीमा सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सभी सेना कार्मिक सेना समूह बीमा योजना के तहत लाभान्वित होते हैं। सेना समूह बीमा योजना शांति काल में, आंतरिक सुरक्षा कार्यों के दौरान, युद्ध जैसी स्थितियों तथा वास्तविक युद्ध में मारे गए (आत्महत्या सहित, कार्मिकों को कवर करते हुए बीमा मुहैया करवाती है। सेना समूह बीमा योजना से बीमा राशि के रूप में मृतक अफसरों के निकटतम संबंधियों को 8.0 लाख रुपये तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों व अन्य रैंको के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को 3.75 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत सेवावधि किए गए अंशदान के आधार पर परिपक्वता लाभों का भी भुगतान किया जाता है। केन्द्रीय अर्ध सैन्य बल/केन्द्रीय पुलिस संगठन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के तहत लाभान्वित होते हैं तथा उनके मामले में बीमांकित राशि समूह 'क', 'ख', 'ग' अथवा 'घ' से संबंधित कर्मचारियों पर 15,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक भिन्न-भिन्न होती है। असम राइफल्स के मामले में असम राइफल्स समूह बीमा योजना नामक एक अलग योजना है जिसके तहत अफसर के मामले में बीमा राशि 5 लाख रुपये तथा जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर/अन्य रैंक के कार्मिक के मामले में 3 लाख रुपये है।

[हिन्दी]

भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम का पुनर्गठन

4069. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने हेतु किसी परामर्शदात्री संस्थान से कोई सहायता प्राप्त की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त संस्थान को लाभ के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी॰ धनंजय कुमार): (क) और (ख) भारतीय कुटीर उद्योग को लिमिटेड कम्पनी के रूप में पुनर्गठित करने अथवा वित्तीय पुनर्संचना के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केल्ट्रान से इलेक्ट्रानिक उपकरण

4070. श्री टी. गोविन्दन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार के एक उपक्रम केल्ट्रान से रक्षा प्रतिष्ठानों हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा कई इलेक्ट्रानिक मदों की आपूर्ति के लिए समय-समय पर उक्त कंपनी, रक्षा क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड को ऑर्डर दिए जाते रहे हैं। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (केलट्रॉन आई टी व्यवसाय समूह) से सेना भवन, साउथ ब्लॉक, वायुसेना मुख्यालय तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए फोटो आगंतुक पास शुरू किए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) इस उत्पाद की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

ताजमहल के लिए प्रवेश शुल्क

4071. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजमहल का भ्रमण करने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में विदेशी पर्यटकों से 500 रु. और भारतीय पर्यटकों से 100 रु॰ वसूला जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। आगरा में ताजमहल और वहां अन्य स्मारकों के लिए

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा पथकर के रूप में विदेशी पर्यटक से 500 रुपए तथा भारतीय पर्यटक से दस रुपए लिए जाते हैं।

ताजमहल के लिए भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण का प्रवेश-शुल्क भारतीय पर्यटक के लिए दस रुपए तथा अन्य पर्यटकों के लिए भारतीय रुपये में 10 अमरीकी डालर अथवा समकक्ष है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार

4072. श्री राजैया मल्याला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विस्तार हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल, बोर्डिंग ब्रिजों के निर्माण, राडारों, दिक्चालनात्मक सुविधाओं और हवाई पट्टी पर पुन: सतहलेपन पर पहले ही 100 करोड़ रुपये व्यय कर दिये हैं। 7.12 करोड़ रुपए की लागत पर ग्रेड कार्य के आशोधन का कार्य आरंभ किया गया है। इस समय दोनों तरफ व्यवधान होने के कारण अवतरण के लिए 9080 फुट की सम्पूर्ण हवाईपट्टी उपलब्ध नहीं है। हवाई अड्डे के पूर्वी ओर के विस्तार के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और व्यवधानों को दूर करने के लिए जिला कलैक्टर को रिपोर्ट सौंप दी गयी है। हवाई अड्डा निदेशक ने हवाईपट्टी संख्या 27 के पहुंच मार्ग में पड़ने वाले अवैध-निर्माण करने वाले मालिकों को नोटिस जारी किया है। कुछ प्रभावित पार्टियां इन नोटिसों के विरुद्ध उच्च न्यायालय की शरण में चली गयीं।

प्रमुख पत्तनों को दो श्रेणियों में बांटना

4073. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत परिवहन विभाग ने प्रमुख पत्तन न्यासों को दो श्रेणियों में बांटा है जिसमें छह पत्तनों को पहली श्रेणी में और पांच को दूसरी श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो पत्तनों का यह श्रेणीकरण किस हद तक लाभकारी होगा;

(ग) क्या इन पत्तनों के कार्यकरण को सुधारने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम विकसित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां। इस मंत्रालय ने कांडला, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नै, विशाखापत्तनम और जवाहर लाल नेहरू महापत्तन न्यासों को श्रेणी-I में तथा मुरगांव, कोचीन, पारादीप, तूतीकोरिन और नव मंगलूर महापत्तन न्यासों को श्रेणी-II में रखा है।

(ख) से (घ) पत्तनों का उपर्युक्त श्रेणीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों की समतुल्यता के संदर्भ में है। श्रेणीकरण का उद्देश्य पत्तन कार्यों के मामले में महापत्तन न्यासों की दोनों श्रेणियों को समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित करना और इस प्रकार उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। संवर्धित प्रत्यायोजन के तहत पत्तन न्यास बोर्डो को जोड़ने/अशोधन/नए निवेश करने के मामले में 50 करोड़ रु० तक और परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/नवीकरण के मामले में 100 करोड़ रु० तक का योजना व्यय करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

[हिन्दी]

भारतीय पत्तनों पर लदान सुविधा

4074. श्री रामदास आठवले: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहां तक बड़े कंटेनरों का संबंध है, भारतीय पत्तनों पर माल उतारने की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दस प्रमुख जलमार्गों का विकास

4075. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा विकास के लिए वर्ष 1980 में दस प्रमुख जलमार्गों की पहचान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को द्रुत गति से पूरा करने के लिए फिक्की से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए पता लगाए गए दस बड़े जलमार्गों में से अभी 3 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1, 2 और 3 के रूप में घोषित किया गया है:

(1) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 - गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली इलाहाबाद से हल्दिया तक (1620 कि.मी.)

(2) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 - ब्रह्मपुत्र-धुबरी से सेदिया तक (891 कि.मी.), और

(3) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 - पश्चिम तटीय नहर : कोट्टापुरम से कोल्लम, चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों सहित (205 कि.मी.)

उक्त राष्ट्रीय जलमार्गों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निधियों के अंतर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे नौचालन उपकरण, चैनलों, टर्मिनलों आदि की व्यवस्था विकसित किया जा रहा है।

शेष तीन जलमार्गों पर तकनीकी, आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं। जिनकी राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा तथा उनका अनुवर्ती विकास धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) वर्ष 1996 और 1998 के दौरान एफ आई सी सी आई के सहयोग से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा दो सेमिनार आयोजित किए गए थे। सेमिनारों की विषयवस्तु अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करना था। तथापि, एफ.आई.सी.सी.आई. से इस संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी रक्षा शिष्टमंडल का दौरा

4076. श्री जी. एस. बसवराज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवंबर, 2000 में अमरीकी सरकार के रक्षा संबंधी एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) भारत पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर अमरीकी शिष्टमंडल की क्या प्रतिक्रिया थी;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के लिए भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डीज): (क) संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा नीति संबंधी प्रधान उप सहायक मंत्री श्री जेम्स एम बोडनर अमरीकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ 15-16 नवंबर, 2000 के दौरान भारत के दौरे पर आए थे।

(ख) रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल की बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा धार्मिक अतिवाद की समस्या सहित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दों पर आपसी विचारों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

(ग) इस दौरे के समय प्रतिबंधों को हटाने संबंधी मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित रिक्तियों को भरना

4077. श्री अशोक अर्गल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने 81वां संशोधन अधिनियम, 2000 के अनुसार आरिक्षित रिक्तियों को भरने का अनुदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी स्तरों पर लम्बित रिक्तियों को भरने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। संविधान के अधिनियम, 2000 (इक्यासीवें संशोधन) के

परिणामस्वरूप और प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के दि. 20.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/5/97-स्था. (आ.) जिल्द-II के तहत रेलवे बोर्ड के दि. 4.8.2000 के पत्र सं. 2000 -ई (एस.सी.टी.) 1/25/19 के द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में अ.जा. और अ.ज.जा. के संबंध में बकाया रिक्तियों के शीघ्र आकलन के लिए एक समीक्षा शुरू करने और बकाया रिक्तियों को भरने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, इसके अलावा सेवाओं के सभी समूहों में 30.6.2000 को विद्यमान अ.जा./अ.ज.जा. की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान 2000 शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड के दि. 22.11.2000 के पत्र सं. 2000-ई (एस.सी .टी.) 1/88/1 के तहत विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि इस कार्य को 30.6.2001 तक पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

रेलवे को हुआ लाभ/घाटा

4078. चौधरी तेजवीर सिंह:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री ए. चरेन्द्र:
श्री वसुदेव आचार्य:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को प्रतिवर्ष हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान और 2000-2001 में अब तक रेलवे द्वारा यात्रियों और मालभाड़ा यातायात से संचित आय का जोनवार, पृथकत: ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान संचित आय अपेक्षित लक्ष्य से पृथकत: किस सीमा तक कम है;

(घ) यात्री और मालभाड़ा यातायात के बीच भार वहन प्रतिशत क्या है;

(ङ) 1970-80, 1980-90 और 1990-2000 के दौरान भार वहन प्रतिशत क्या है;

(च) चालू रेलवे परियोजनाएं इससे कितनी प्रभावित हुई हैं; और

(छ) चालू परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्रता से हो सके इस हेतु रेलवे को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा सृजित अधिशेष निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

1997-98	1535.22
1998-99	399.08
1999-2000	845.89

(ख) 1999-2000 और 2000-2001 (अक्तूबर, 2000 तक) के दौरान यात्री और माल यातायात के माध्यम से रेलों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

जोन	1999-2000		2000-01 (अक्तू. 2000 के अंत तक)	
	यात्री	माल	यात्री	माल
मध्य	1941.82	3228.48	1150.93	1905.95
पूर्व	920.02	2589.92	562.04	1560.12
उत्तर	1906.05	3951.10	1190.19	2232.33
पूर्वोत्तर	549.73	417.19	349.57	259.22
पूर्वोत्तर सीमा	185.00	432.27	115.70	259.86
दक्षिण	945.15	1186.35	596.46	749.83
दक्षिण मध्य	871.11	2241.91	560.01	1438.35
दक्षिण पूर्व	628.35	52[4.03	369.03	3274.72
पश्चिम	1608.39	2799.74	983.84	1666.54
मेट्रो	25.45	-	17.57	-

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 (अक्तूबर तक) के लिए बजट लक्ष्य और अर्जित वास्तविक राजस्व निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	कमीवेशी
1999-2000	33021.00	32124.71	+103.71
2000-2001 (अक्तूबर 2000 तक)	20124.08	19987.24	-136.84

(घ) और (ङ) भारतीय रेलवे सांख्यिकी में 'लोड कैरियर' जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझा जाने वाला तदनुरूपी शब्द 'सकल टन किलोमीटर (स.ट.कि.मी.) है।

1999-2000 के दौरान और पिछले 3 दशकों के दौरान सकल टन कि. मी. (चल इकाई सहित लेकिन विभागीय को छोड़कर) के

हिसाब से यात्री और माल यातायात का प्रतिशत निम्नानुसार है:

वर्ष	यात्री (मिश्रित के अनुपात सहित)	माल (मिश्रित के अनुपात सहित)	जोड़
*1999-2000	34.1%	65.9%	100%
1970-71 से 1979-80	31.2%	68.8%	100%
1980-81 से 1989-90	31.5%	68.5%	100%
*1990-91 से 1999-2000	31.9%	68.1%	100%

*1999-2000 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(च) यह निर्धारित करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि यात्री और माल यातायात के रेलों के लोड कैरियर प्रतिशत में गिरावट से चालू रेल परियोजनाएं किस सीमा तक प्रभावित हुई हैं।

(छ) चालू परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कर्मचारी उत्पादकता, परिसंपत्ति, उपयोग, वस्तुसूची प्रबंधन, ईंधन खपत सुधारने और यात्री, प्रचार सत्कार आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्यता सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप व्यय में नियंत्रण करके तथा उपयुक्त विपणन प्रयासों के माध्यम से एवं रेलों की भूमि एवं वायु स्थान के वाणिज्यिक उपयोग, आप्टिकल फाइबर केबल के मार्गों धिकार को पट्टे पर देने, चल स्टाक व स्टेशन इमारतों पर वाणिज्यिक प्रचार, पार्सल सेवाओं को पट्टे पर देने आदि जैसे राजस्व के गैर-परंपरागत स्रोतों का दोहन करके आमदनी में सुधार करने के उपाय किए गए हैं।

गैर-विकासात्मक खर्च को कम किया जाना

4079. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान गैर-विकासात्मक खर्च को कम से कम दस प्रतिशत कम करने के लक्ष्य की प्राप्ति का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि कम किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या इस संबंध में गैर-विकासात्मक क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी मंत्रालयों को चालू वर्ष के दौरान अपने गैर-वेतन/गैर-योजनागत खर्च में 10% की कमी करनी हैं। रेल मंत्रालय ने भी रेलों पर इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। अत: यह उल्लेखनीय है कि रेलों के गैर-वेतन/गैर योजनागत खर्च का एक बड़ा भाग ईंधन लागत, मरम्मत और अनुरक्षण लागत और पट्टा प्रभारों से संबंधित हैं जो स्थायी प्रकृति के हैं और रेलों के परिचालन और संरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां तक ईंधन का संबंध हैं डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई है और कुछ राज्यों में बिजली की दरों में वृद्धि हुई हैं अत: इन क्षेत्रों में खर्च में 10% की कमी करने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। बहरहाल, 2000-01 में क्षेत्रीय रेलों को साधारण संचालन व्यय के अंतर्गत 865 करोड़ रुपए की बचत करने के लिए कहा गया है। साधारण संचलन व्यय के मुख्य क्षेत्र और बजट अनुमान 2000-01 के अनुसार उन पर खर्च की जाने वाली राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपयों में)

		ब.अ. 2000-01
1.	कर्मचारी	12871
2.	सामग्री	2569
3.	ईंधन	6377
4.	पट्टा प्रभार	3014
5.	संविदागम, भुगतान, आकस्मिक खर्च, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति दावों आदि सहित अन्य खर्च	3284
	कुल	28115

चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात वर्ष के अंत में ही मदवार हुई बचत का पता चल सकेगा।

[अनुवाद]

राज्य विधि और गृह सचिवों की बैठक

4080. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि मंत्रालय ने हाल ही में राजधानी में राज्य विधि और गृह-सचिवों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) जी, हां।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन करने और स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2000-2001 के लिए केंद्रीय सरकार के अंश की दूसरी किस्त दिए जाने पर विचार किए जाने के लिए तारीख 17.11.2000 को एक बैठक बुलाई गई थी। अनेक पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2000-2001 के लिए केंद्रीय सरकार के अंश की दूसरी किस्त दिए जाने का विनिश्चय किया गया है। न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था जो मामलों के शीघ्रता से निपटान को सुकर बनाएगी, पारदर्शिता का संवर्धन करेंगी और सूचना सुगमता से प्राप्त कराएगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने का अनुरोध किया गया था।

नया आजादपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव

4081. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999 में प्रतिमाह और 2000 में अक्टूबर तक नया बाजार रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली अप-डाउन रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा हेतु चढ़े और यात्रा करके उतरे;

(ख) क्या विगत की संगत अवधि की तुलना में नया बाजार रेलवे स्टेशन पर यात्री यातायात काफी बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, आदर्श नगर और मॉडल टाउन आदि जैसे आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्री यातायात को कम करने हेतु नया आजादपुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों का ठहराव करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 के दौरान अक्तूबर तक प्रतिदिन बुक किए गए यात्रियों की संख्या में औसतन 11.2% की वृद्धि हुई है।

(ग) नया आजादपुर और दिल्ली-आजादपुर सेवित स्टेशनों से प्रतिदिन बुक किए गए यात्रियों की संख्या वृद्धि को दर्शाती है।

(घ) और (ङ) परिचालनिक व्यवहार्यता की कमी के कारण नया आजादपुर स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(क)

माह	बुक किए गए यात्री (1999-2000)			बुक किए गए यात्री (2000- 2001)		
	अप दिशा	डाउन दिशा	जोड़	अप दिशा	डाउन दिशा	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	27565	14844	42409	33465	18019	51484
मई	29672	15978	45650	31975	17217	49192
जून	29751	16019	45770	34161	18395	52556
जुलाई	28896	15560	44456	34163	18395	52558
अगस्त	29067	15651	44718	33791	18195	51986
सितम्बर	29119	15680	44799	36951	19897	56848
अक्तूबर	35896	19328	55224	38966	20981	59947
नवम्बर	38076	20502	58578			
दिसम्बर	33565	18073	51638			
जनवरी	30332	16332	46664			
फरवरी	29202	15724	44926			
मार्च	32398	17445	49843			
जोड़	37353.9	201136	574675	243472	131099	374571

रेलवे परियोजनाओं को पूरा किया जाना

4082. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विभिन्न लम्बित रेल परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है जिनके लिए हुडको ने 1200 करोड़ रु. का ऋण दिया है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलवे ने अपनी किसी भी परियोजना के लिए हुडको से कोई ऋण नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

4083. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी पर जोनवार कितने रेल कर्मियों की मृत्यु हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मृत कर्मियों के निकट संबंधियों को जोनवार कितनी नियुक्तियां दी गई;

(ग) क्या मृत रेल कर्मियों के आश्रितों को समय पर लाभ नहीं मिलते;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मृत कर्मी के परिवार को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति/वित्तीय लाभ देने संबंधी दिशा निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार मृत रेल कर्मियों के परिवारों की सहायता हेतु अन्य क्या उपाय कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) पात्र अभ्यर्थियों को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर यथासंभव शीघ्र अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने, सभी प्रयास करने के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और समय-समय पर दोहरा दिए जाते हैं, बहरहाल, आश्रितों के अवयस्क होने, उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता, न्यायालयों में लंबित कानूनी मुकदमों, आदि के कारण विलंब हो जाता है।

ड्यूटी पर तैनाती के दौरान मृत्यु होने के मामलों को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ऐसे मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

पावने की राशि को भुगतान भी यथासंभव अल्प समय में किया जाता है।

हाल ही में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों में और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से निर्धारित समय सीमा से आगे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए जो शक्तियां पहले महाप्रबंधकों को प्रदान की गई थीं अब मंडल रेल प्रबंधकों/विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्य प्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं साथ ही, पहले रेलवे बोर्ड को निहित शक्तियां भी हाल ही में महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

कृष्णा-गोदावरी पाइपलाइन परियोजना

4084. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विचार कृष्णा-गोदावरी बेसिन पाइपलाइन परियोजना को 2002 तक पूरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या कार्य शीघ्र और निर्धारित समय से पूर्व समाप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना पूरी होने पर कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) 776 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर कृष्णा-गोदावरी बेसिन के अंतर्गत अनेक पाइपलाइन परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। इन परियोजनाओं, जिन्हें मार्च, 2003 तक चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम है, से गैस की प्रति दिन 14 मिलियन मानक घन मीटर (एम एम एस सी एम डी) तक की मात्रा ले जाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती नाट्यगृह का निर्माण

4085. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वर्ण जयंती नाट्यगृह के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्ण जयंती नाट्यगृह के निर्माण में देशभर में एकरूपता रखी गई है;

(घ) यदि हां, तो इन नाट्यगृहों की अनुमानित निर्माण लागत कितनी है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश के कटनी जिले में नाट्यगृह के निर्माण की स्वीकृति दी गई है; और

(च) यदि हां, तो क्या इन नाट्यगृहों के निर्माण हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान सहायता के अलावा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से उपलब्ध कराई जा सकती है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी नहीं ।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

डीजल और पेट्रोल में मिट्टी तेल की मिलावट

4086. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति वर्ष 15 लाख टन मिट्टी तेल का दुरुपयोग डीजल और पेट्रोल में मिलावट के लिए होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हर महीने तेल कंपनियों के डिपो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के बीच परिवहन के दौरान करीब 2.5 लाख टन मिट्टी तेल की चोरी होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तरह से मिट्टी तेल की चोरी के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो मिट्टी तेल की चोरी में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार डीजल और पेट्रोल में मिट्टी तेल की मिलावट को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) तेल विपणन कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचार रोकने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित/औचक जांच करती है। इसके अलावा कदाचार रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर स्वयं और सरकार के निदेश के तहत विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा मिलावट रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को नीला रंगने, फरफुरल डोपिंग, फिल्टर पेपर परीक्षण, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं । इसके अलावा सरकार ने मिलावट रोकने के लिए नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटो- मोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 और विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 नामक दो नियंत्रण आदेश जारी किए हैं।

मिट्टी तेल एक निर्धारित उत्पाद है और केन्द्रीय सरकार वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का आबंटन करती है और यह मासिक आधार पर जारी किया जाता है। राज्य के भीतर वितरण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

तेल में मिलावट को रोकना तेल कंपनियों का एक सतत कार्य है। विपणन कंपनियों ने आपूर्ति स्थलों से खुदरा बिक्री केन्द्रों के मार्ग में मिलावट राकने के लिए मुहरों में सुधार, आपूर्ति स्थलों पर एक अधिकारी की प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत मुहर लगाना, चोरी रोधी ताला व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

राजस्थान में तेल शोधन कारखाने की स्थापना

4087. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में तेल शोधन कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन कंपनियों द्वारा राजस्थान में तेल रिफाइनरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मलेशिया और इण्डोनेशिया से तेल का आयात

4088. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलेशिया और इण्डोनेशिया जैसे नए स्रोतो से तेल आयात की संभावना तलाशने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई आरंभिक कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों हेतु कच्चे तेल के

आयात के लिए नियंत्रक एजेंसी इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) मलेशिया से आवधिक ठेका आधार पर कच्चे तेल का आयात करती रही है। मलेशिया से पेट्रोलियम उत्पादों का स्रोतीकरण भी निविदा पद्धति के माध्यम से किया गया। जबकि पेट्रोलियम उत्पादों का स्रोतीकरण कभी-कभी इण्डोनेशिया से निविदा पद्धति के माध्यम से किया गया था, इण्डोनेशियाई कच्चे तेलों का आयात अभी तक आई ओ सी द्वारा नहीं किया गया है। आई ओ सी ने इण्डोनेशियाई कच्चे तेल की प्रायोगिक खेपों का स्रोतीकरण करने के प्रयास किए हैं। परन्तु, इण्डोनेशियाई कंपनियों के पास कच्चा तेल उपलब्ध न होने के कारण अब तक इसका प्रापण करना संभव नहीं हो सका है।

राजस्थान को चारे और पेयजल का परिवहन

4089. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को गत वर्ष गर्मी के मौसम की तरह चारे और पेयजल का नि:शुल्क परिवहन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस संबंध में रेल मंत्रालय में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। चूंकि पेयजल व चारे की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है इसलिए राजस्थान में इनकी कमी से प्रभावित जिलों में रेल द्वारा पेय जल और चारे के परिवहन के व्यय को वहन करने के लिए उन्हें आग्रह किया गया है।

माताओं को पारिवारिक पेंशन

4090. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक की पेंशन पाने की हकदारी वाले अपने अविवाहित पुत्र की मृत्यु होने पर आश्रित माता को पारिवारिक पेंशन पाने का हक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है और व्यवस्था में मौजूद खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) आश्रित माता-पिता को सामान्य परिवार पेंशन का लाभ 1.1.1998 से दिया गया है बशर्ते कि ये निर्धारित शर्तें भी पूरी होती हों (1) दिवंगत सशस्त्र सैन्य कार्मिक, जब वह जीवित था, उसके आश्रित माता-पिता उस पर पूर्णरूप से निर्भर थे और उनकी मासिक आय 2550/- रुपये से अधिक नहीं है और दिवंगत कार्मिक की न तो कोई विधवा है और न ही कोई संतान। आश्रित माता-पिता को दिवंगत सशस्त्र सैन्य कार्मिक के मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से परिवार पेंशन दी जाती है तथापि न्यूनतम पेंशन 1275/- रुपये प्रति माह है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट विमानपत्तन पर रात्रि के समय विमान उतारने की सुविधा

4091. श्री के. मुरलीधरन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन पर रात्रि के समय विमान उतरने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) कालीकट हवाई अड्डे पर प्रदान की गयी रात्रि अवतरण सुविधाएं ठीक से कार्य कर रही हैं। तथापि, व्यवधानों के रहते हुए, इस समय इस हवाई अड्डे से रात्रि अवतरण की अनुमति नहीं दी गयी है।

एयरबस 300 के संबंध में जांच

4092. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 नवम्बर, 2000 को कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरते समय एयरबस 300 के पिछले दांए पहिये में आग लगने से इसमें सवार 219 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले हफ्ते 109 यात्री और चालक दल के साथ एक जेट एयरवेज का बोइंग 737-ए विमान धावन पट्टी से हट गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का स्थिति से किस तरह से निपटने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) दिनांक 25.11.2000 को कलकत्ता में इंडियन एयरलाइंस के विमान ए-300 के उतरते समय ब्रेक जाम हो गए थे जिससे दाहिने हाथ की लैंडिंग गीयर बोगी में धुंआ/आग उठा था। विमान धावनपथ को पार करके टैक्सी पथ पर रुक गया था। इंजन को बन्द कर दिया गया था और कर्मीदल समेत विमान में सवार 218 व्यक्तियों को सामान्य ढंग से विमान से उतार लिया गया था और वहां विमान में सवार कर्मीदल और यात्रियों की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं हुआ।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय के साथ मिलकर इंडियन एयरलाइंस के स्थायी अन्वेषण बोर्ड द्वारा घटना की जांच की जा रही है।

(घ) दिनांक 14.11.2000 को जेट एयरवेज बोइंग-737 विमान कलकत्ता से गुवाहाटी की उड़ान पर कलकत्ता हवाई अड्डे के धावनपथ पर उड़ान भरने के लिए सीधी लाइन से मुड़ रहा था। विमान मुड़ने के दौरान सीधी ओर घूम गया तथा धावनपथ के दाँए किनारे पर चला गया था।

(ङ) एयर-लाइन द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कतर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

4093. श्री वाई॰ एस॰ विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतर सरकार का लक्ष्य भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाला प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश बनने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय का स्वागत किया है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस परियोजना पर कतर सरकार द्वारा निवेश करने और तेल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) कतर जनरल पेट्रोलियम कार्पोरेशन (क्यू. जी. पी. सी) द्वारा प्रवृत्त एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स रास लफ्फान लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (रास गैस) ने दहेज गुजरात और कोच्चि (केरल) में प्रस्तावित एल एन जी आयात टर्मिनलों के लिए कुल 7.5 मिलियन टन एल एन जी प्रति वर्ष की आपूर्ति करने के लिए मैसर्स पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड के साथ एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) बिक्री खरीद करार पर हस्ताक्षर किए हैं। मैसर्स रास गैस ने भी एल एन जी की आपूर्ति के लिए एन्नूर (तमिलनाडु) में एक प्रस्तावित एल एन जी आयात टर्मिनल के लिए मैसर्स दक्षिण भारत एनर्जी कंसोरटियम लिमिटेड के साथ एक करार शीर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं। एल एन जी के आयात के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है और इसीलिए एल एन जी आपूर्ति करारों पर सीधे आपूर्तिकर्ता कंपनियों और संभाव्य आयातकों के बीच हस्ताक्षर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटकों के ठहरने के लिए स्थानों की कमी

4094. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के ठहरने के लिए स्थानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यस्त आवागमन समय में पर्यटकों के ठहरने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा करवाए गए आवास आकलन सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2005 तक 5 मिलियन पर्यटकों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1,25,000 कमरों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, दश में प्रमुख पर्यटक स्थलों सहित वर्गीकृत श्रेणी के होटलों में 66,513 कमरे ही उपलब्ध हैं। वर्गीकृत श्रेणी के संचालनरत होटलों में उपलब्ध कमरों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं। आवास सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा भावी निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं तथा संघ राज्यों/राज्य सरकारों को धन की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकता के आधार पर पर्यटक आवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया है कि वे पर्यटकों के आने के मौसम में आवास की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अभिनिर्धारित पर्यटक स्थलों पर

पर्यटकों को वहनीय एवं स्वच्छ आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेईंग गैस्ट एकोमोडेशन स्कीम शुरू करें।

विवरण

देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान वर्गीकृत श्रेणी के संचालनरत होटलों में उपलब्ध कमरों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	कमरों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6613
अरुणाचल प्रदेश	10
असम	714
बिहार	1089
गोवा	3164
दिल्ली	7784
गुजरात	2522
हरियाणा	629
हिमाचल प्रदेश	427
जम्मू एवं कश्मीर	1152
कर्नाटक	3370
केरल	3853
मध्य प्रदेश	1358
महाराष्ट्र	12528
मेघालय	254
मिजोरम	30
उड़ीसा	877
पंजाब	698
राजस्थान	3567
सिक्किम	107
तमिलनाडु	8401
उत्तर प्रदेश	4071
पश्चिम बंगल	2581
अण्डमान और निकोबार	170
चण्डीगढ़	406
दादर नगर हवेली	88
लक्षद्वीप	30
पांडिचेरी	20
जोड़	66,513

भारतीय संस्कृति/सभ्यता को बढ़ावा देने संबंधी विकास योजना

4095. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक भारत में और विदेशों में राज्यवार और देशवार भारतीय संस्कृति/सभ्यता को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाया गया है;

(ख) इस संबंध में वर्षवार/राज्यवार आवंटित/खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान देश और विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) स्कीमों और कार्यक्रमों, उनके बजटीय आबंटनों और व्ययों के ब्यौरे संस्कृति विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिये गये हैं। निधियों को राज्यवार या देशवार उद्दिष्ट नहीं किया जाता है। ये स्कीमें सतत रूप से चल रही हैं। इस समय वर्ष 2000-2001 या 2001-2002 के दौरान कोई नयी स्कीम शुरू किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा सेवा के कर्मचारियों की बहाली

4096. श्री टी. गोविन्दन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने न्यायालय के निर्देशानुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेवा से बरखास्त किए गए कर्मचारियों को वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जिन मामलों में न्यायालय द्वारा अपील/पुनरीक्षा के उपरांत अपने निर्देशों को संशोधित अथवा रद्द न किया गया हो अथवा कोई अपील/पुनरीक्षा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो उन्हें छोड़कर सभी मामलों में रक्षा सेवा से बर्खास्त किए गए सैन्य कार्मिकों को सेवा में बहाल करने के लिए सरकार न्यायालय के निर्देशों को पालन करती है। जिन बर्खास्त रक्षा कार्मिकों को बहाल किया गया है उन सभी के बारे में सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है।

हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

4097. श्री राजैया मल्यालाः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हैदराबाद में शमशाबाद नामक स्थल पर गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण हेतु आधार तैयार करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने निजी सैक्टर की भागीदारी से हैदराबाद के निकट शमशाबाद में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

पवनहंस हैलीकॉप्टर

4098. श्री रामदास आठवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक कार्यों में पवनहंस की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर इस समय तेल क्षेत्र और राज्य सरकारों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में गृह मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक आधार पर अपने हेलीकॉप्टरों का प्रचालन करता है। हाल ही में पवन हंस हेलीकॉप्टर ने माता वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर के लिए तीर्थ यात्रियों की यात्रा हेतु जम्मू-सांझीछत-जम्मू और कटरा-सांझीछत-कटरा सैक्टरों पर नियमित यात्री सेवा शुरू की है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने बद्रीनाथ/केदारनाथ सैक्टरों में पर्यटकों के लिए हैलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु एक अध्ययन किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

4099. चौधरी तेजवीर सिंह:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक जोन में कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) 30.4.1996 को भारतीय रेलों पर 56000 नैमित्तिक श्रमिक कार्यरत हैं और कुछेक को छोड़ कर लगभग सभी को नियमित कर दिया गया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेलवे	संख्या
दक्षिण पूर्व	52
पश्चिम	10
जोड़	62

इन नैमित्तिक श्रमिकों के नियमितीकरण का मामला अदालती/सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के कारण रुका हुआ है। उनके विरुद्ध लंबित मामलों में अंतिम निर्णय दिये जाने के बाद उनके नियमितीकरण के बारे में विचार किया जाएगा।

लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण

4100. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान बाजार किराया के अनुरूप सरकारी मकानों के लाइसेंस शुल्क की दर निर्धारित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या रखरखाव संबंधी बढ़ती हुई लागत और अन्य रिहायशी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मकानों के निर्माण, प्रबंधन और रख-रखाव का कार्य निजी क्षेत्रों को सौंपने का विचार है;

(ग) क्या सरकारी मकानों के काम्पलैक्सों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। ऐसे फ्लेटों के लिए पूल की गयी पूंजी लागत के संदर्भ में लाइसेंस फीस की दर तय की जाती है, जैसा कि संबंद्ध नियमों में निर्धारित किया गया है।

(ख) इस समय क्वार्टरों का निर्माण ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है। केवल दिन-प्रतिदिन की छोटी-मोटी मरम्मतों के लिए रेलवे कर्मियों को लगाया जाता है। ठेकेदारों के माध्यम से बड़ी मरम्मतें भी को जाती हैं। इस संबंध में मौजूदा कार्य प्रणाली के कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकारी फ्लेटों/परिसरों में रोशनी तथा गर्म पानी की आपूर्ति के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की व्यवहार्यता की प्रयोगात्मक आधार पर जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा धन की कमी का सामना

4101. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे वर्ष 1999-2000 के दौरान धन की भारी कमी का सामना कर रही है;

(ख) क्या रेलवे ने चाले वर्ष के दौरान और 1000 करोड़ रुपए के आहरण का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप किन परियोजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) रेलवे किस प्रकार अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का विचार रखती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) 1999-2000 के दौरान बजट स्तर पर रेलों के आंतरिक निधि शेषों से 1000 करोड़ रुपए निकालने के पश्चात् 9700 करोड़ रुपए का योजना आकार संभव हुआ है। ड्रा डाउन बाद में बढ़ाकर 1107 करोड़ रुपए कर दिया गया था। चालू वर्ष में ऐसे कोई ड्रा डाउन पर विचार नहीं किया गया है, बहरहाल, भरपूर सावधानी के रूप में, आंतरिक संसाधनों में संभावित कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, चालू वर्ष के दौरान पूरे किए जाने वाले लक्षित कार्यों को प्रभावित किए बिना योजना खर्च के विनियमन की साधारण प्रक्रिया अपनाई गई है।

(घ) कर्मचारी उत्पादकता, परिसंपत्ति उपयोग, भंडार प्रबंधन, ईंधन खपत का बेहतर उपयोग करके और यात्रा, प्रचार, आवभगत में मितव्ययिता बरत कर खर्च को नियंत्रित करके और इसके साथ-साथ उपयुक्त विपणन प्रयास करके और राजस्व के गैस परम्परागत स्रोतों यथा रेलवे भूमि और उपरी स्थान का वाणिज्यिक उपयोग, आप्टिकल फाइबर केबुल बिछाने के लिए मार्गाधिकार पट्टे पर देकर, चल स्टॉक और स्टेशन इमारतों पर वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार करके, पार्सल सेवाएं आदि पट्टे पर देकर स्थिति में सुधार होने में सहायता मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एल.एन.जी. आधारित परियोजनाएं

4102. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में किन स्थानों पर तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आधारित परियोजनाओं को स्थापित करने की संभावना है;

(ख) यदि इन परियोजनाओं के मामले में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो क्या इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) टर्मिनल केवल तटवर्ती स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं और इस प्रकर इसे राजस्थान, जोकि चारों ओर से जमीनी क्षेत्र से घिरा राज्य है, में स्थापित नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटना

4103. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 नवम्बर, 2000 को बिहार के मुंगेर जिले में रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई;

(घ) क्या बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई सम्यक योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी विशेष", जहां गति 75 कि. मी. प.घ. से अधिक है, सभी मार्गों पर उल्लघंन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

(2) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के डाइवरों का खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना अनुमोदित की गई है। इस संबंध में निविदा आमंत्रित की गई है।

(5) 150 ब्लाक खंडों में धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(6) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डूप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार को मंजूरी दी गई है।

(7) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं ताकि संप्रेषण तीव्रतर और बेहतर ढंग से हो सके।

(8) ड्राइवर और गार्डों को लैड आधारित इलेक्ट्रानिक्स फ्लैस लैम्प मुहैया कराए गए हैं जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की अपेक्षा बेहतर है।

(9) रेलपथ अनुरक्षण के लिए, टाई-टैंपिग और मिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही, रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है ।

(10) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, ढोलनलेखी कारों और सुवाह्य तवरणमापियों का उत्तरोत्तर उपायोग किया जा रहा है।

(11) पटरियों में दरारों और बेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वचालिक पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(12) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(13) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों को सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक-थाम की जा सके।

(14) डीजल उपकरों से प्राप्त निधियों का उपयोग समपारों से संबंधित संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

(15) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डो/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(16) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किए जाए, दृश्य श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(17) भारी घनत्व के यातायात वाले समपारों को योजनागत आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोतर अंतर्पाशन किया जा रहा है।

(18) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(19) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है ।

(20) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(21) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(22) कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं ।

(23) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए टक्कररोधी उपकरण की पॉयलट परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रोटोटाइप टक्कररोधी उपकरण का परीक्षण आरंभ हो गया है। इस पायलट परियोजना के सफल हो जाने पर भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों पर इसके अनुप्रयोग के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(24) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की समीा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

होटलों की दरें

4104. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में होटलों की दरें विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो होटलों की दरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1991 से, पर्यटन विभाग होटलों की दरों को विनियमित नहीं करता है। तथापि, यह प्रयास किया जा रहा है कि होटल उद्योग अपनी दरें तर्कसंगत बनाएं और केन्द्र तथा राज्य सरकारें करों में कटौती करें क्योंकि इससे विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों, दोनों ही के लिए होटल टेरिफ (शुल्क दर) बढ़ता है।

वाणिज्यिक पायलटों के लिए योग्यता

4105. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है;

(ख) क्या हमारे देश में विमान चला रहे सभी वाणिज्यिक पायलटों के पास उक्त योग्यता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अयोग्य पायलटों द्वारा विमान चलाना असुरक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका, ब्रिटेन आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस और जर्मनी में वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) वर्ष 1993 में यथा संशोधित वायुयान नियम 1937 में विहित है कि वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिकशास्त्र और गणित सहित 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में यह शर्त दिनांक 01.01.1994 से लागू हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इन देशों द्वारा कोई औपचारिक शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तथा संयुक्त राज्य अमरीका के फिडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) विनियमों में शर्त है कि वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अंग्रेजी भाषा का पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना आना चाहिए।

विदेशों में पर्यटन कार्यालयों का कार्य-निष्पादन

4106. श्री सुबोध मोहिते:
श्री हरिभाई चौधरी:
प्रो॰ दुखा भगत:

क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक विदेशों से पर्यटन कार्यालयों की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या इन कार्यालयों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनके कार्य-निष्पादनों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशों में ऐसे और कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विदेशों में कुछ पर्यटन कार्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इंटरनेट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसके प्रचार को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय भारत को एक आकर्षक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में प्रचारित करने का कार्य बड़े ही स्पर्धात्मक वातावरण में करते हैं। इन कार्यालयों का कार्य निष्पादन संतोषजनक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन तथा विदेशी मुद्राओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	विदेशी पर्यटक कार्यालय	विदेशी मुद्रा आय (मिलियन डालर में)
1997	2374094	2913.5
1998	2358629	2935.2
1999	2481928	3035.7

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) इंटरनेट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न सी डी-रॉम्स आदि के निर्माण के अलावा भारतीय पर्यटन की वैबसाइट के साथ साथ सूचना क्योस्क भी स्थापित किए हैं। भारतीय पर्यटन उत्पादों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारम्परिक संबर्धनात्मक उपकरणों के साथ टेलीविजन तथा रेडियो का प्रयोग भी किया जा रहा है।

विमान दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति

4107. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान सेवा कंपनियां विमान दुर्घटना के पीडितों और उनके परिवारजनों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विमान सेवा कंपनियों के समक्ष लंबित पड़े क्षतिपूर्ति संबंधी दावों की विमान सेवा कंपनीवार संख्या कितनी है;

(ग) ये मामले कब से लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विमान दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर के बोईंग 737 विमान 17 जुलाई, 2000 को पटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में 6 मामले (3 जीवित यात्रियों सहित) लंबित हैं। ये मामले देर से प्राप्त हुए थे। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार निपटान के लिए दावेदारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती विमान दुर्घटनाओं के बारे में, मुआवजे का कोई मामला इंडियन एयरलांइस और एअर इंडिया में लंबित नहीं है सिर्फ वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं क्योंकि दावेदारों ने कानून द्वारा निर्धारित सांविधिक सीमा से अधिक धन की मांग की है, इसलिए यह न्यायाधीन लंबित हैं।

इन मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

लंबित मामले		दुर्घटना की तारीख
एअर इंडिया	03	23.06.1985
इंडियन एयलाइंस	47	19.10.1988
	04	14.02.1990
	15	26.04.1993

गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰ द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए आमंत्रित निविदाएं

4108. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने छ: राज्यों में आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फाईबर ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिए कितनी लंबी दूरी उपलब्ध है;

(घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ द्वारा कितना धन अर्जित किए जाने का अनुमान है;

(ङ) क्या गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰ गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस उद्यम के लिए प्रत्याशित लाभ का आकलन करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी हां। गैस अथॉरिटी आफ इंडिया (गेल) ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा को कवर करते हुए लगभग 1650 कि. मी. के अपने संजालतंत्र के प्रथम चरण के लिए आप्टीकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) बिछाने के लिए बोलियां आमंत्रित हैं।

(घ) गेल को अपने ओ एफ सी प्रचालन के प्रथम वर्ष में 100 करोड़ रुपये के राजस्व का अर्जन करने की आशा है।

(ङ) गेल का प्रस्ताव दूरसंचार क्षेत्र में श्रेणी दो के बुनियादी सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में प्रवेश करने का है।

(च) गेल इस उद्यम के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने जा रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे का निजीकरण

4109. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलवे के कुछ विभागों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारी संघों ने निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार का रेलवे बुकिंग एजेंसियों का आबंटन करते हुए विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन

4110. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस का भारी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश को इससे राज्य के भीतर कोई लाभ नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ को आंध्र प्रदेश में अन्य नगरों को नगर गैस आपूर्ति प्रारंभ करने का आदेश देन का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान मे आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस को प्रतिदिन लगभग 5.15 मिलियन मानक घनमीटर (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) मात्रा का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त गैस की प्रतिदिन लगभग 0.87 मिलियन मानक घनमीटर मात्रा का उत्पादन आंध्र तट से दूर अवस्थित राव्वा अपतट क्षेत्र से होता है।

(ख) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत विद्युत एवं उर्वरक क्षेत्रों समेत विभिन्न उपभोक्ताओं को 6 मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। प्राकृतिक गैस की प्रतिदिन 0.10 मिलियन मानक घनमीटर मात्रा का आबंटन आंध्र प्रदेश में नगर गैस आपूर्ति परियोजना हेतु आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लि॰ (ए.पी.आई.आई. सी.एल.) के लिए भी किया गया है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ (गेल) तथा आँध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लि॰ (ए.पी.आई.आई.सी.एल.) ने नगर गैस आपूर्ति परियोजना के निष्पादन के लिए करार शीर्ष (एच.ओ.ए.) के साथ-साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

एच पी सी एल की वित्तीय स्थिति

4111. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 को समाप्त हुए दूसरी तिमाही के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰ (एच पी सी एल) तथा अन्य सनकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के निवल लाभ में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सभी सरकारी क्षेत्र के तैल उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या एच पी सी एल के ऊपर उच्च ऋण भार है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰ का अन्य उपक्रमों में कितना निवेश है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही के दौरान तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित निवल लाभ दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान एच पी सी एल का कर पश्चात लाभ क्रमश: 200.63 करोड़ रुपए और 222.54 करोड़ रुपए था। कुछ तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामत: ओ आई एल गेल और बामर लारी ने वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही के दौरान लाभ में कमी सूचित की है।

(ग) तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य और निष्पादन की विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इनमें अन्यों के साथ-साथ तिमाही प्रगति समीक्षा बैठकें, वार्षिक योजना चर्चाएं, समझौता ज्ञापन चर्चाएं आदि सम्मिलित हैं। समीक्षा और निगरानी की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) एच पी सी एल का ऋण-इक्विटी अनुपात बहुत कम है। तथापि, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि, तेल पूल खाते में बकाया राशि की प्राप्ति न होने आदि के कारण लघु अवधि के ऋण अधिक हैं।

(च) एच पी सी एल ने मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान ओमान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड आदि जैसी संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में लगभग 496 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विवरण

(लाभ+ और हानि - करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नाम	निम्न अवधि के दौरान कर पश्चात लाभ	
		अप्रैल-जून, 2000	जुलाई-सितंबर, 2000
1	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि॰	509.58	978.00
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰	188.00	359.00
3	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰	200.63	222.54
4	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि॰	937.96	1595.56
5	आयल इंडिया लि॰	138.36	67.44
6	गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰	279.41	246.50
7	कोची रिफाइनरी लि॰	8.00	37.62
8	बोंगाईगांव रिफानरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि॰	-25.66	3.78
9	इंजीनियर्स इंडिया लि॰	26.95	44.15
10	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰	1.95	22.68
11	आई बी पी कं॰ लि॰	7.49	14.10
12	बामर लारी एंड कं॰ लि॰	3.11	1.85
13	बीको लारी लि॰	-1.79	-2.77

हथकरघा क्षेत्र विकास निगमों/हथकरघा सहकारी समितियों को सहायता

4112. चौधरी तेजवीर सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य हथकरघा विकास निगमों तथा हथकरघा सहकारी समितियों को करघा-पूर्व तथा करघोत्तर संसाधन सुविधाएं स्थापित करने हेतु दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सहायता देने के लिए कौन सा मानदंड अपनाया जाता है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्कीम सितम्बर, 2000 से आरंभ की गई है। अब तक किसी राज्य में स्कीम के अंतर्गत न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है न ही कोई वित्तीय सहायता जारी की गई है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सिफारिशें करने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है।

केलकर समिति की सिफारिशें

4113. श्री रामदास आठवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस में 9230 करोड़ रुपए के पूंजी निवेशन के लिए केलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक लागू करने की संभावना है;

(ग) अभी तक केलकर समिति की कितनी सिफारिशों पर विचार किया गया और उन्हें स्वीकार किया गया; और

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) केलकर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इंडियन एयरलाइंस की वित्तीय पुनर्संरचना के बारे में सिफारिश की थी जिसमें क्षतिपूर्ति अधीनवर्ती ऋण, इक्विटी और इंडियन एयरलाइंस तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अंशदान के रूप में 922 करोड़ रु० की पूंजी लगाया जाना शामिल है। इसमें से 475 करोड़ रु० सरकार द्वारा दिए जाने थे।

सरकार ने उक्त सिफारिशों की गहराई से जाँच की और नए विमानों की खरीद के लिए उपांत धन के रूप में इंडियन एयरलाइंस को 325 करोड़ रु की इक्विटी दिए जाने का निर्णय किया गया। यद्यपि, इंडियन एयरलाइंस में चल रही विनिवेशन प्रक्रिया को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि इंडियन एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट को पट्टे आदि पर देने संबंधी दूसरा विकल्प ढूँढ़ना चाहिए। इस समय इस सलाह पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय आयुध फैक्ट्रियों में रूसी हथियारों का निर्माण

4114. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुध फैक्ट्रियों में कार्य की कमी को देखते हुए उनमें रूसी हथियारों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबध में रूस के साथ किसी संयुक्त रक्षा उत्पादन के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी नहीं। तथापि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को आपूर्ति हेतु आयुध निर्माणियों में रूसी मूल के हथियारों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

देश में पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियां

4115. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री राम नाथडू दग्गुबाटि:
श्री कोलुर बसवनागौड़:
श्री जे० एस० वराड़:
श्री टी० गोविन्दन:
श्री पुष्प जैन:
श्री विनोद खन्ना:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार, देश में कितने पेट्रोल पंप तथा एल पी जी एजेंसियां हैं और उन्हें प्रत्येक माह एल पी जी की कुल कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का अगले दो वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल पंपों तथा एल पी जी एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 17225 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 6330 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थी। देश भर मे एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आपूर्ति की

जा रही एल.पी.जी. की कुल औसत मात्र प्रति माह लगभग 526.543 टी एम टी है।

वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए, पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त देश भर में 927 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 2078 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजनाओं 1996-98 के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर और अधिक डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाएंगी।

[अनुवाद]

दो रेल लाइनों के बीच अन्तर

4116. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह एक सच्चाई है कि रेल पटरियों को एक दूसरे के बहुत निकट बिछाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेल दुर्घटनाओं तथा दुर्घटनाओं के दौरान पटरियों की क्षति को रोकने के लिए दोहरी रेल लाइन के बीच अधिक अंतर नहीं रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में दोहरी रेल लाइन दूर-दूर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लुफ्थांसा एअरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानों की अनुमति

4117. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जर्मनी की विमान सेवा लुफ्थांसा को भारत में अतिरिक्त उड़ानों के संचालन की अनुमति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारत और जर्मनी के बीच विमान यातायात अधिकारों में वृद्धि के मामले पर सितम्बर, 2000 में नई दिल्ली मे हुई अन्तर-सरकारी वार्ताओं के दौरान विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों के विभिन्न प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया परन्तु किसी अंतिम सहमति पर नहीं पहुंच पाये।

बड़े यात्री वायुयानों की खरीद

4118. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने भी यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बड़े वायुयानों को खरीदने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय एयर इंडिया की किसी भी नये विमान को खरीदने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, एयर इंडिया अंतरित उपाय के रूप में, अपने विमान-बेड़े में वृद्धि करने के लिए चार ए 310-300 विमान को ड्राई-लीज पर ले रही है। इंडियन एयरलाइन्स अपनी दीर्घावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नये विमानों के लेने के लिए एक तकनीकी-आर्थिकी मूल्यांकन अध्ययन कर रही है। इसके अतिरिक्त, अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इंडियन एयरलाइन्स ड्राई लीज पर पांच बी 737-200 और दो ए-320 विमान प्राप्त कर रही है। इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया द्वारा विक्रय के लिए ऑफर किए गए तीन ए 300 बी 4 विमान भी प्राप्त कर रही है।

[हिन्दी]

मालडिब्बों और रेकों का उपयोग

4119. श्री जय प्रकाश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक जोन मे कुछ मालडिब्बे और रेक अप्रयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अप्रयुक्त मालडिब्बों और रेकों के अलावा सरकार का विचार कुछ और मालडिब्बे/रेक खरीदने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) इस समय कोई मालडिब्बा अथवा रेक बेकार नहीं पड़ा हुआ है। रेलों पर माल यातयात के संचलन की मांग प्राप्त होने वाली मांग है। वह मांग मुख्यत: अर्थव्यवस्था के महत्वर्पूण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों द्वारा सृजित की जाती है जो दिन प्रतिदिन, अवधि से अवधि और मौसम के आधार पर घट-बढ़ सकती है। रेलों की भारी मांग को भी पूरा करना होता है इसलिए हो सकता है कि मांग में कमी पेशी के कारण मालडिब्बे अस्थायीरूप से बेकार खड़े रहे।

रेलों का माल यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए माल डिब्बों की खरीद का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों द्वारा भेजी गई आवश्यकता से अधिक राशि

4120. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों ने भारतीय उच्चायोग, लंदन स्थित नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को आवश्यकता से अधिक धनराशि भेजी थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त मुख्यालयों को वर्ष 1991-92 के दौरान ब्याज के रूप में 3.50 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) वर्ष 1990 में, सरकार ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में सप्लाई विंग बंद किए जाने का निर्णय लिया था। तथापि, कुछ कर्मचारियों सहित अल्प सप्लाई विंग को बंद करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के लिए वहां रखा गया था। वर्ष 1991-92 के दौरान नौसेना तथा वायुसेना मुख्यालयों द्वारा अल्प संप्लाई विंग को निम्नलिखित राशि भेजी गई थी:

(1) नौसेना मुख्यालय द्वारा - 531,125 पाउंड स्टर्लिंग

(2) वायुसेना मुख्यालय द्वारा - 60 लाख रुपये एफ.एफ.ई. के रूप में

उपर्युक्त राशि संविदागत बकाया देनदारियों, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक के खर्च और विमानों आदि के लिए तत्काल आवश्यकता वाले हिस्से-पूर्जों की खरीदारी का भुगतान करने के लिए भेजी गई थी।

वर्ष 1991-92 के दौरान अल्प सप्लाई विंग के लिए रखी गई धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका तथा उसे अगले वर्षों के हिसाब में ले लिया गया था। यद्यपि वायुसेना मुख्यालय द्वारा दी गई धनराशि का 1995-96 तक पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया था, तथापि, बाद में 1992-93 तथा 1994-95 के दौरान दी गई धनराशियों को हिसाब में रखते हुए, 1,18,322.62 पाउंड स्टर्लिंग की बकाया राशि वापस लेकर उसे जून, 1999 में भारत की संचित निधि में जमा करा दिया गया था।

उपयोग न किए गए धन के कारण ब्याज की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सामान्यत: लोक निधियों का निवेश ऐसे वित्तीय लिखतों में नहीं किया जाता जिन पर ब्याज मिलता हो।

पारिश्रमिक का भुगतान न होना

4121. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित बुनकर सहकारी समिति के सदस्यों को इस सोसाइटी के कर्मचारियों तथा पूर्व अध्यक्ष द्वारा निधियों का दुरुपयोग किए जाने के कारण इस के बंद हो जाने के बाद से, पिछले छह महीनों से पारिश्रमिक नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या बनुकरों में सरकार से अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करने, धनराशि की वसूली करने तथा समिति को फिर से खोलने की मांग करते हुए, श्रमिक भूख-हड़ताल शुरू कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाने के बाद से, सभी प्रकार की राजसहायता समाप्त कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या बाजार सुविधाओं के अभाव व श्रमिकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सभी समितियों में भंडार भरे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या बुनकरों की खरीदी गई तैयार वस्तुओं से मिलने वाली देयराशि भी नहीं प्राप्त हो रही थी; और

(च) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के बुनकरों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कहां तक सहमत हो गई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार को समिति के बंद होने तथा निधियों के दुरुपयोग के कारण पारिश्रमिक न मिलने की कोई शिकायत अथवा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि, पावकारापुरा बुनकर सहकारी समिति, जिला विशाखापटनम में हड़ताल हुई थी जिसका मामला शांतिपूर्वक निपटा दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) अभी हाल में, भारत सरकार ने एक नई स्कीम आरंभ की है अर्थात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना जिसमें समग्र क्रियाकलाप शामिल हैं जैसे हथकरघा उत्पादों की विपणता बढ़ाने तथा उत्पाद विविधता को उत्साहित करने हेतु मूल निवेश के लिए सहायता, संगठनों को सुदृढ़ करना तथा डिजाइन निवेश आदि। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नवीनतम उपाय अपनाये गये हैं जैसे चेनेथा बाजार तथा प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से नये विपणन स्थान, नये डिजाइनों तथा उनकी क्षमता उन्नयन हेतु प्रशिक्षण का प्रावधान। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समितियों के सदस्यों को ए.पी.सी.ओ. के लिए तत्काल मजदूरी के

लिए भुगतान करने के लिए निधियों को जारी करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

एअर फोर्स स्टेशन, बंगलौर को पक्षियों से खतरा

4122. श्री जी. एस. बसवराज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे में 10 मि. मी. की परिधि के भीतर कूड़ा करकट, खाने वाले पक्षियों से खतरे के कारण वायुसेना प्राधिकारियों में अत्यधिक चिंता व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या वधशालाएं, आवासीय परिसर इत्यादि इस एअर फोर्स स्टेशन के समीप स्थापित हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गत माह दिल्ली में मिग-21 की दुर्घटना भी पक्षी के टकराने के कारण हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) आनियोजित तरीके से तथा द्रुत गति से हुए शहरीकरण के कारण बेंगलूर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित और वायुसेना के नियंत्रणाधीन येलाहांका हवाई क्षेत्र के आसपास सघान आबादी हो गई है। यद्यपि इस हवाई क्षेत्र में पक्षी टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं की औसत संख्या एक प्रतिवर्ष रही है, तथापि भारतीय वायुसेना द्वारा पक्षी-टकराव रोधी कड़े उपाय किए गए हैं, जिनसे येलाहांका में पक्षियों की उड़ानों को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली है।

(ग) जी, हां। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार ।

(घ) सरकार ने वर्ष 1988 में विमान अधिनियम 1934 में एक संशोधन लागू किया है जिसके द्वारा हवाई क्षेत्रों के 10 कि. मी. के भीतर कूड़ा-कचरा अथवा मृत जानवरों को फेंकना अथवा कसाईखाना या मृत पशु निपटान संयंत्र खोलना दंडनीय अपराध बना दिया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना बेसों के भीतर झाड़-झंखाड की पूरी तरह सफाई के लिए नियमित आधार पर सफाई-कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में गठित लड़ाकू विमान दुर्घटना संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सितंबर 1997 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर कुछ सिफारिशें की हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

असम और गुजरात में कच्चे तेल का उत्पादन

4123. श्री एम० के० सुब्बा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम और गुजरात में कच्चे तेल की प्रति बैरल उत्पादन लागत क्या है और इस संबंध में इन राज्यों को क्रमश: कितनी रायल्टी देय है;

(ख) वर्ष 1999 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक असम के कुओं से कितने तेल का उत्पादन हुआ है और कुल कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या कच्चे तेल की रायल्टी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1999-2000 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन की लागत नीचे दी गई है:

(अमरीकी डालर प्रति बैरल) *

	असम	गुजरात
1 ओ एन जी सी	13.60	5.88
2 ओ आई एल	3.73	-
3 निजी/संयुक्त उद्यम	-	3.92

* उपकर और रायल्टी के अतिरिक्त ।

ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा तेल उत्पादक राज्यों को संदेय कच्चे तेल पर रायल्टी की वर्तमान दर 800 रुपये प्रति टन है। तथापि भारत सरकार और संयुक्त उद्यम/निजी कंपनियों के बीच हस्ताक्षर किए गए उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों के अनुसार इन कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को संदेय रायल्टी 481 रुपये प्रति टन है।

टिप्पणी: ओ.एन.जी.सी. : आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

ओ.आई.एल. : आयल इंडिया लिमिटेड

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	उत्पादन एम.एम.टी.	प्रोद्भूत/भुगतान की गई रायल्टी (करोड़ रुपए)
1 1999-2000	5.016	331.51
2 2000-2001	3.356	199.09*

*अप्रैल से सितंबर, 2000 ।

(ग) और (घ) सरकार रायल्टी की दर के नियमित संशोधन के लंबित रहते समय समय पर कच्चे तेल पर रायल्टी की दर अनन्तिम आधार पर बढ़ाती रही है। रायल्टी की दर जून, 1999 से 1.12.1999 को 578 रुपए/एम.टी. से बढ़ाकर अनन्तिम रूप से 750 रुपए/एम.टी. कर दी गई। अनन्तिम दर 1.1.2000 से 2.5.2000 को 750 रुपए/एम.टी. से फिर बढ़ा कर 800 रुपए/एम.टी. कर दी गई। 1.4.1998 से रायल्टी की नई योजना तैयार करने के लिए 26.4.2000 को एक समिति का गठन किया गया है। सरकार समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति पर इसकी सिफारिशों की जांच करेगी और इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेगी।

राज्यों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा समाप्त करना

4124. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उद्देश्य मिट्टी के तेल के स्थान पर रसोई गैस उपलब्ध कराने का है ताकि राज्यों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे को समाप्त कर राजसहायता को न्यूनतम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इन डीलरशिपों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए मिट्टी के तेल के कोटे के परित्याग के बदले केन्द्र सरकार अतिरिक्त एल पी जी कनेक्शनों के निर्गमन के लिए अधिकृत करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सार्वजनिक वितरण पद्धति के अंतर्गत मिट्टी के तेल के वितरण का यौक्तिकरण करने की सलाह दी गई है।

हरियाणा में परिवहन हेतु निविदाएं

4125. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां हरियाणा में परिवहन दरों की निविदाएं आमंत्रित करते समय बुनियादी शर्तों की भी अनदेखी करती है;

(ख) यदि हां, तो इतिहास में पहली बार ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों को दो अलग-अलग दरें देने के क्या कारण हैं; और

(ग) निविदाएं आमंत्रित करने के 240 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसी ठेकों को अंतिम रूप देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने बताया है कि हरियाणा में परिवहन दरों को निविदा देने के लिए निविदाओं के योग्य होने से संबंधित मूलभूत शर्तों की अवहेलना नहीं की गई है।

वर्तमान में हरियाणा में पी.ओ.एल. के परिवहन के लिए दो दरें प्रचलित हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि कुछ निविदादाताओं ने अपेक्षाकृत कम दरों के भाव बताये थे तथा बताई गई भाव दरों पर उनको निविदाएं प्रदान की गई थीं। चूंकि अपेक्षाकृत कम भाव दरों वाले निविदादाताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए टैंकरों की संख्या पर्याप्त नहीं थी इसलिए हरियाणा में तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के द्वारा समझौता बताएं की गई थी तथा शेष निविदादाताओं को समझौते की दर प्रस्तावित की गई थी और यह स्वीकार की गई थी। कुछ एक निविदा शर्तों में परिवर्तन करने के लिए परिवहनकर्ताओं के द्वारा किए गए आन्दोलन के कारण निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था जिससे कुछ दिनों के लिए पी.ओ.एल. आपूर्तियां बंद हो गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप पहले की गई निविदाएं रद्द हो गईं।

राजधानी एक्सप्रेस में रेल अधीक्षक

4126. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस में तैनात रेल अधीक्षक लंबे समय से उसी रेलगाड़ी पर तैनात हैं और हावड़ा से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा के लिए व्यापार/बिक्री के लिए सामान लाते/ले जाते हैं तथा कुछ लोगों को भी बिना टिकट अपने साथ ले जाते हैं और उनसे खुद पैसे ले लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सभी महानगरों में दूसरा विमानपत्तन बनाया जाना

4127. श्री अनन्त नायक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी महानगरों में दूसरा विमानपत्तन बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक महानगर में दूसरे विमानपत्तन का निर्माण कब तक किया जाएगा;

(ग) इन नए विमानपत्तनों की अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा विचारित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) जी, नहीं। यद्यपि दीर्घावधिक विमान यातायात अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार नवीं मुम्बई में दूसरा हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रही है। यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है।

विमानपत्तनों का तकनीकी और अवसंरचनात्मक विकास

4128. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों के तकनीकी और अवसंरचनात्मक विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि दीर्घकालीन पट्टे के माध्यम से जब कभी उपयुक्त पाया जाए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों की पुनर्संरचना की जाए। इस समय दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कलकत्ता स्थित हवाई अड्डों को इस कार्य के लिए चुना गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से हैदराबाद, बंगलौर और गोवा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को भी सरकार ने अनुमोदित किया है। ये प्रस्ताव प्रथम चरण में हैं।

भू-दान

4129. श्री एन. एन. कृष्णदास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता के उल्टाडांगा में स्थित रेलवे के प्रमुख भूखण्ड को सिने स्टार से होटर व्यवसायी बने व्यक्ति को दान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। रेलवे, केवल ए.ए.एम.आर.ए. नाम के एक धर्मार्थ संगठन जो कि थलेसीमिया रोगियों के उपचार के लिए प्रतिबद्ध है, को कलकत्ता में उल्टाडांगा में एक रेलवे भूखण्ड को अस्पताल की स्थापना हेतु पट्टे पर देने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण

4130. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना ने सरकार को इस बात से अवगत कराया है कि विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों, हथियारों और रडारों के आधुनिकीकरण की जरूरत है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी हां।

(ख) भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी युद्धक विमान क्षमता में गुणवत्ता तथा संख्या दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ोतरी के लिए एक आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई है। स्क्वाड्रन बल स्तर में वृद्धि के लिए योजनाएँ तैयार हैं।

[अनुवाद]

भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

4131. श्री जी॰ एम॰ बनातवाला: क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर आगरा में हाल के महीनों के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारत में पर्यटक आगमनों में वर्ष 2000 के दौरान प्रति माह पिछले वर्षों के तदनुरूपी महीनों की तुलना में लगातार वृद्धि हुई है।

तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आगरा आने वाले पर्यटकों में आंशिक कमी आई है। आगरा आने वाले विदेशी पर्यटकों में कमी, पर्यटकों की एक स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान को तरजीह देने की वजह से हो सकती है। जून, 2000 से सितम्बर, 2000 के महीनों के दौरान, देश में समूचे तौर पर पर्यटक आगमन तथा आगरा में विदेशी पर्यटकों का आगमन निम्न प्रकार से है:

वर्ष	भारत में पर्यटक आगमन		आगरा में विदेशी पर्यटकों का आगमन	
	1999	2000	1999	2000
जून	1,53,225	1,68,716	6,146	5,959
जुलाई	1,89,045	2,04,969	10,444	9,554
अगस्त	1,84,808	1,89,902	18,561	18,267
सितम्बर	1,69,200	1,81,292	16,574	15,974

(ग) किसी भी राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक स्थलों के विकास का उत्तरदायित्व, मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, पर्यटक सुविधाओं में सुधार, प्रचार एवं विपणन प्रयासों, जिनमें पर्यटक आकर्षणों के स्थानों में कम्प्यूटर आधरित पर्यटक सूचना कियोस्क लगाना, महत्वपूर्ण स्मारकों पर सी॰डी॰रोम का सृजन, वैबसाइट आदि का विकास करना सम्मिलित है, के माध्यम से पर्यटक स्थलों का संवर्धन करता है।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल व रसोई गैस की कमी

4132. श्री ई॰ एम॰ सुदर्शन नाच्चीयप्पन:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2000 में भारत में दिल्ली और देश के अन्य भागों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की नियमित और पूरी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने बताया है कि 6 नवंबर, 2000 से 14 नवंबर, 2000 तक की अवधि के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोलियम कामगार संघ ने नियमानुसार कार्य आंदोलन का सहारा लिया था। इससे देश में इंडियन आयल कार्पोरेशन के डीलर/वितरकों के लिए मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल तथा एल.पी.जी. की आपूर्तियां प्रभावित हुई थीं। तथापि, यह आपूर्तियां अन्य तेल विपणन कंपनियों के द्वारा की गई थी।

जांच समिति के निष्कर्ष

4133. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 में सिकन्दराबाद को जाने वाली नरसापुर एक्सप्रैस की घाटकेश्वर (सिकन्दराबाद कांजीपेट सैक्शन) के समीप हुई रेल दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए गठित जांच समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद-काजीपेट खंड पर घाटकेश्वर के निकट 7007 अप गोदावरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी न कि नरसापुर एक्सप्रेस।

रेल संरक्षा आयुक्त दक्षिण-मध्य सर्कल, सिकन्दराबाद की जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार एल्यूमिनो-थर्मिक (ए टी) श्रांति पटरी की झलाई जो कि.मी. 300/15-13 पर अप रेलपथ की बायीं दिशा में निरंतर रूप से झली हुई थी, की विफलता के कारण अति संभवत: गाड़ी पटरी से उतरी थी। पटरी में आयी यह खराबी या तो पूर्व गाड़ी या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के गुजरने से हुई थी।

पटरियों या झलाई में दरारों का पता पराश्रव्य दोष संसूचक प्रणाली द्वारा लगाया जता है और इनकी कार्य क्षमता का अध्ययन एक तकनीकी विकास ग्रुप द्वारा किया जा रहा है एवं इस ग्रुप में इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम के डा. बलदेव राज और अन्य अधिकारी शामिल है, पता लगाने के लिए उपकरण के विकास और तत्पश्चात् मालडिब्बों के खराब पहियों जो पटरी पर दबाव को बढ़ाते हैं और उनकी विफलता का कारण बन जाते हैं, को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। संवेदनशील तापमान दशाओं में रेलपथ की गश्त लगाकर झलाई और पटरियों में दरारों का पता लगाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई हैं।

इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर स्वचालित सीढ़ी

4134. श्री बी॰ के॰ पार्थसारथी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 दिसम्बर, 1999 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जिस स्वचालित सीढ़ी के कारण मृत्यु हुई थी, 3 जून, 2000 को उसकी एक प्लेट फिर निकल गयी थी;

(ख) क्या मरम्मत के बाद स्वचालित सीढ़ी की जांच नहीं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसी लापरवाही के क्या कारण हैं; और

(घ) लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व तय करने के लिए क्या जांच कराए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मैसर्स ओटिस इंजीनियर्स द्वारा एस्केलेटर के अनुरक्षण/सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग की जांच करने के बाद मैसर्स ओटिस द्वारा प्रयोग के लिए इसे उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ कनाडा द्वारा धन जारी करना

4135. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्स्पोर्ट डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ कनाडा रेल परियोजनाओं के लिए धन जारी करेगा;

(ख) यदि हां, तो कनाडा से कितना धन मिलने का अनुमान है; और

(ग) इस संबंध में शर्तें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (ई. डी. सी.) कनाडा एक निर्यात ऋण एजेंसी है और कनाडियाई मूल वे सामानों एवं सेवाओं की खरीद के लिए धन मुहैया कराती है। इसने जनरल मोटर्स कार्पोरेशन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 21 उच्च अश्व शक्ति डीजल बिजली माल रेल इंजनों के आयात और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के अन्तरण, जिसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा संविदाएं सौंपी गयी थी, के आंशिक वित्तपोषण के लिए भारतीय रेल वित्त निगम (भारेविनि) के लिए 52 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण पेश किया है। एकस्पोर्ट डेवलेपमेंट कार्पोरेशन द्वारा आपूर्तिकर्ता को अभी तक 38 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि रिलीज की गयी है और शेष राशि दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी अंतरण के विभिन्न चरणों से सम्बद्ध किश्तों में जारी की जाएगी। एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कार्पोरेशन ने जनरल मोटर्स कार्पोरेशन से 10 डीजल बिजली सवारी गाड़ी इंजनों के आयात, जिसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा 1999 में संविदाएं सौंपी गयी थीं, के आंशिक वित्तपोषण के लिए भी प्रस्ताव किया है।

(ग) डीजल बिजली इंजनों के आयात के वित्तपोषण के लिए एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कार्पोरेशन से लिया गया ऋण 10 वर्ष की अवधि के दौरान छिपाही किस्तों में देय है और इस पर 6 मासिक लिबोर (लंदन इंटर बैंक आफर रेट) जमा 30 प्वांइट की दर से ब्याज दिया जाना है ।

नासिक में एयरपोर्ट कारगो परिसर की स्थापना

4136. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और अन्य खाद्य सामग्री के निर्यात करने के लिए नासिक में एयरपोर्ट कारगो परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी एयर टैक्सी संचालकों के लंबित प्रस्ताव

4137. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नये एयर टैक्सी संचालकों से प्राप्त लंबित प्रस्तावों को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की मंजूरी दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) गैर-अनुसूचित विमान यातायात प्रचालनों (हवाई टैक्सी सेवाएं) के प्रस्तावों पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय 9 प्रार्थना-पत्र विचार किये जाने के लिए लम्बित हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं (एटीओ) के लिए लम्बित प्रार्थना-पत्र

क्रम सं.	आवेदक का नाम	प्रार्थना-पत्र की तारीख	कारण
1	2	3	4
1	फ्यूचर ट्रेवल्स लिमिटेड	04-12-2000	गृह मंत्रालय से क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है
2	आर सी एविएशन (इंडिया)	15-11-2000	-वही-
3	बिलाखिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	02-11-2000	गृह मंत्रालय से क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है
4	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	27-9-2000	आगामी बैठक में रखा जाना है
5	नार्थ एयरवेज	12-9-2000	एएसी के सम्मुख रखा जाना है
6	सुमित एविएशन	11-9-2000	एएसी द्वारा 10-11-2000 को विचार किया गया
7	एनबी एविएशन लिमिटेड	17-8-2000	-वही-
8	इनोबल एयरवेज	7-8-2000	गृह मंत्रालय से सुरक्षा क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है
9	विंग्स एविशन	8-5-2000	एएसी के सम्मुख रखा जाना है।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर विकास कार्य

4138. श्री वी॰ वेंकटेस्वरलु: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सहायक पेवमेंटों के साथ वर्तमान हवाईपट्टी (5725 फुट x 150 फुट) का सुदृढ़ीकरण किया है और बी-737 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए 350 फुट x 250 फुट के एक नये एप्रन और 450 फुट x 75 फुट के लिंक टैक्सीपथ का भी निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, 100 यात्रियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 54.87 लाख रुपए की कुल लागत पर अन्य संबंधित कार्यों सहित वर्तमान टर्मिनल भवन का परिवर्धन कार्य किया गया है।

निजी एयरलाइनों को लाइसेंस

4139. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी एयरलाइनों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एयरलाइन प्रचालनों को शुरू करने के प्रस्तावों पर विचार करते रहना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय, दो नई निजी कंपनियों अर्थात् मैसर्स क्राउन एक्सप्रैस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अहमदाबाद एवियेशन एण्ड एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, से देश में अनुसूचित विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनको इस विषय से संबंधित बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। निम्नलिखित से आवेदन पत्र सूचना/स्पष्टीकरण के लिए लम्बित पड़े हुए हैं:

(1) मैसर्स श्री राज ट्रेवल्स एण्ड टूर, (2) मैसर्स रायल चिनार एयरलाइन्स (3) मैसर्स एशियन एयरलाइन्स और (4) अरुणाचल प्रदेश सरकार। इसके अलावा, मैसर्स स्टालियन एयरलाइन्स जिसको दिनांक 8-4-1997 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया था, ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अवधि को बढ़ाने हेतु अनुमति मांगी है जिस पर भी विचार किया जा रहा है। मैसर्स मोदीलुफ्त लिमिटेड को भी कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 29-2-2000 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है।

पर्यटक-केन्द्रों की देखभाल

4140. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्यों में पर्यटक-केन्द्रों की समुचित देखभाल नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, ओरछा, चंदेरी, अमरकंटक, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, खजुराहो, सांची, मॉंडू, ओंकारेश्वर तथा विदिशा मध्य प्रदेश में पर्यटक आकर्षण के मुख्य ऐतिहासिक एवं प्राचीन स्थल हैं।

(ख) पर्यटन विभाग भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु परियोजनाओं को स्वीकृत करता है। तथापि, पर्यटक रुचि के स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कैरिब जैट एयरलाइन्स के साथ की गई बैटलीज की सी बी आई जांच

4141. श्री बल्लभ राजभर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994 और 1995 के कैरिब जैट एयरलाइन्स के बैटलीज समझौते के बारे में कोई सी बी आई जांच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध पर, पट्टा सौदे में अंतर्निहित एअर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध इस संबंध में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्राथमिक मामला दर्ज किया है तथा इस मामले में एअर इंडिया के तत्कालीन प्रबंध निदेशक तथा मैसर्स कैरिब जेट के प्रबंध निदेशक सम्मिलित थे। वे मुख्य आरोप जिनकी जांच चल रही है निम्न प्रकार हैं:

- एअर इंडिया द्वारा मैसर्स कैरिब जेट को ऑफर की गई शर्तें 1994 की तुलना में अधिक पक्षपात पूर्ण थी।
- समाप्ति उपबंध को शामिल न करना।
- क्या समापन का अधिकार था।
- समापन के लिए प्रेरक परिस्थितियां।
- करार को समाप्त करते समय, क्या एअर इंडिया के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे।
- क्या मध्यस्थता की कार्रवाईयों में एअर इंडिया के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे।
- कोई अन्य संबंधित मामले जो जांच के दौरान उठ सकते हैं।

(ग) इस समय जांच कार्य को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

वनस्थली विमानपत्तन पर छात्रों को प्रशिक्षण

4142. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अहमदाबाद विमानन अकादमी द्वारा वनस्थली हवाई-पट्टी पर कितने छात्रों को विमानन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया और यह प्रशिक्षण कितने घण्टों का था;

(ख) वनस्थली हवाई-पट्टी की लम्बाई और चौड़ाई कितनी है;

(ग) क्या अहमदाबाद विमानन अकादमी ने उक्त हवाई-पट्टी पर से उड़ानों को परिचालित करने के लिए अनुमति प्राप्त को है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अकादमी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) विगत तीन वर्षों में वनस्थली विमानपट्टी में अहमदाबाद एविएशन अकादमी ने 55 छात्रों को कुल 279.05 घंटे का उड़ान प्रशिक्षण दिया।

(ख) वनस्थली स्थित विमानपट्टी 3600 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है।

(ग) से (ङ) किसी दूसरे अनुमोदित उड्डयन क्लब में अपने विमान से उड़ान प्रशिक्षण प्रचालन के लिए अनुमोदित उड़ान अकादमी से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

पत्तन रेल पटरियों का स्वामित्व

4143. श्री एस. डी. एन. आर. वाडिवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा पत्तन रेल पटरियों को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेल मंत्रालय ने पोत परिवहन मंत्रालय के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने पत्तन रेलों को रेल मंत्रालय को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है। मामले पर रेल मंत्रालय तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच विचार विमर्श चल रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पोत

4144. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास विदेशों से अन्य टैंकरों द्वारा लाए गए कच्चे तेल को ले जाने वाले सहायक पोतों को विदेशी पोत मानने संबंधी उनके मंत्रालय के सितम्बर, 1986 के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है जिसके कारण पत्तन को 1.30 करोड़ रु॰ का राजस्व घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई उत्तरदायित्व तय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) वर्ष 1986 में मंत्रालय ने सभी महापत्तनों को (कलकत्ता पत्तन सहित) इस आशय के निर्देश जारी किए गए थे कि विदेशों से मदर टैंकरो द्वारा पत्तनों पर लाए जाने वाले क्रूड आयल ढोने के लिए डाटर जलयानों को 'विदेशी जलयान' माना जाएगा। कलकत्ता पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश वर्ष 1997 तक उनके ध्यान में नहीं आया था और इसलिए वे डाटर जलयानों पर प्रभारो 'तटीय जलयानों' पर लागू होने वाली दरों पर ही लेते रहे। तथापि मंत्रालय के कथित निर्देशों के अनुसरण में कलकत्ता पत्तन न्यास ने प्रभारों के भुगतान की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के अंदर अल्पवाही प्रभार के रूप में बिलों की वसूली के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जनू, 1995 से मै. भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) और भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) से बिलों की वसूली शुरू की। यद्यपि भारतीय तेल निगम बिलों का भुगतान विरोध प्रकट करते हुए कर रहा है किन्तु मै. भारतीय नौवहन निगम ने भुगतान नहीं किया और अनेक विवाद खड़े कर दिए। इसके अलावा भारतीय तेल निगम ने अतिरिक्त महान्यायवादी की राय ली जिसके अनुसार ऐसे जलयान को तटीय व्यापार में लगाए गए जलयान के रूप में माना जाएगा। पत्तन न्यास ने यह भी उल्लेख किया है कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, (टी.ए.एम.पी.) जिस वर्तमान में दर-मान निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, ने वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जलयान से जुड़े प्रभारों के प्रयोजन के लिए 'तटीय' शब्द का अर्थ "एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक" लिया जाएगा और कार्गो की प्रकृति अथवा उसके मूल स्थान को जलयान से जुड़े प्रभारों की उगाही के प्रयोजन के लिए कोई आशय नहीं होगा। उक्त विषय पर सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाना है जो भावी तारीख से लागू होगा।

'विदेशी जलयान' के स्थान पर 'तटीय जलयान' के रूप में ऐसे जलयानों को मान लेने के कारण कलकत्ता पत्तन न्यास को हुई हानि के लिए पत्तन न्यास को गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

निजी विमान सेवाओं में सुरक्षा प्रणाली

4145. श्री रामशकल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विमान सेवाओं में सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान नागर विमानन महानिदेशक के सुरक्षा लेखा परीक्षा दल द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विसंगतियों के मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एयरलाइनों की संरक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए नागर विमान महानिदेशालय द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं यथा उड़ान रिकार्डरों का शत-प्रतिशत प्रबोधन, एयरलाइनों की संख्या लेखा परीक्षा, नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षकों द्वारा उड़ानगत जांच, दुर्घटनाओं के कारण संरक्षा सिफारिशों का कार्यान्वयन, विमान क्षेत्रों का निरीक्षण, विमान यातायात नियंत्रण राडारों में न्यूनतम तुंगता चेतावनी प्रणाली (एम॰ एस॰ ए॰ डब्ल्यू॰), वैमानिक टक्कर परिहार चेतावनी प्रणाली (ए॰ सी॰ ए॰ एस॰) और विमानों इत्यादि में भूमिगत सामीप्य चेतावनी प्रणाली इत्यादि (जीपीडब्ल्यूएस) का संस्थापन ।

(ग) और (घ) गत एक वर्ष अर्थात् नवम्बर 1999 से दिसम्बर 2000 (आज तक), नागर विमानन महानिदेशालय लेखा परीक्षा दलों द्वारा आठ बार लेखा परीक्षा की गई है।

लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की शीघ्र उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रचालकों द्वारा प्रयास किया जाता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2803/2000]

(3) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2804/2000]

(5) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 2805/2000]

(6) (एक) नव नालन्दा महाबिहार, नालन्दा के वर्ष 1999-2000

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालन्दा महाबिहार, नालन्दा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालन्दा महाबिहार, नालन्दा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2806/2000]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूँ :

(1) रेल दावा अधिकरण, अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2000 जो 21 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 733 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 2807/2000]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत रेलवे लाल ट्रैरिफ नियम, 2000 जो 15 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 266 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा उसका शुद्धिपत्र जो 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 662 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2808/2000]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2809/2000]

(ख) (एक) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2810/2000]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2811/2000]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2812/2000]

(2) (एक) एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनोटिकल डेवलपमंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2813/2000]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फार डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2814/2000)]

(4) (एक) हिमालयन माउंटिनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) हिमालयन माउंटिनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2815/2000]

(5) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटिनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्टस अरू-पहलगांव के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटिनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्टस, अरू-पहलगांव के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2816/2000]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2000 जो 28 फरवरी, 2000, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 166(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 2817/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं, श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2818/2000]

(ख) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2819/2000]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 2000 जो 4 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 432 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 2820/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2821/2000]

(3) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1999-2000 के कार्यकण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2822/2000]

1) (एक) वूल एण्ड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2823/2000]

(5) (एक) आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2824/2000]

(6) (एक) सिन्थेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिन्थेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2825/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड, ऐरनाकुलम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड, ऐरनाकुलम के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2826/2000]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 705(अ) जो 4 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें 31 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 3(अ) का शुद्धि पत्र अन्तर्विष्ट है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 676(अ), जो 25 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 2000 अनुमोदित किए गए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 728(अ), जो 18 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनिमय 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 729(अ), जो 18 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनिमय 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 739(अ), जो 22 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तूतीकरण पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनिमय 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 740(अ), जो 22 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा तूतीकरण पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनिमय 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 745(अ), जो 25 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अनभिदायी भविष्य निधि) पहला संशाधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 746(अ), जो 25 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मद्रास पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 को अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा०का०नि० 748(अ), जो 26 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2(अ) का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(दस) सा०का०नि० 755(अ), जो 27 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा पाराद्वीप पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा०का०नि० 769(अ), जो 3 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा०का०नि० 776(अ), जो 6 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा०का०नि० 777(अ), जो 6 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2827/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2828/2000]

(ख) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2829/2000]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2830/2000]

(3) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2831/2000]

अपराह्न 12.01 बजे

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, मैं वाटर कूलर तथा फिल्टरों की खरीद पर निरर्थक व्यय के संबंध में तेईसवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा सीमिति (तेरहवीं लोक सभा) का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजीसंस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर के पद-नियुक्तियों और संबंधित मामले संबंधी दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूँ।

अपराह्न 12.02½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग-"भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" से संबंधित समिति के नौवें प्रतिवेदन तथा उससे संबंधित समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

याचिका समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2000 2001) के बारे में चौहत्तरवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं परिवहन और पर्यटन संबंधी विभाग. से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के "हज तीर्थयात्रियों के लिए उड़ानों की चार्टरिंग और उनके प्रबंधन" के बारे में छियालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04½ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मुम्बई के ओवर-दि काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया (ओटीसीईआई) के पुनरुद्धार के बारे में मुम्बई के सर्वश्री विपुल मोदी और भारत कोटेचा द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में संबंधी प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नू लाल मोहले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सबको बुलाएंगे। पोस्टल स्ट्राइक के बारे में मैंने कालिंग अटैन्शन अलाव किया है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डाक हड़ताल के संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण की अनुमति दी थी। इसे कल लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मारूति उद्योग लिमिटेड के श्रमिकों के बारे में आपने कहा था कि हमें बोलने का मौका देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। ध्यानाकर्षण कल उठाया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ध्यानाकर्षण पर नहीं बोलना चाहते तो आप यह मुद्दा 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं । मैं आपका नाम भी लूंगा, अन्यथा आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमने इस पर नोटिस दिया है। मारूति उद्योग लिमिटेड के 4000 कर्मचारी उद्योग भवन के सामने बैठे हुए हैं।...

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद हम आपको मौका देंगें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री पुन्नू लाल मोहले को बुलाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन संत गुरू घासीदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष पर 18 दिसंबर को राजपत्रित अवकाश घोषित करने के बारे में है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आराम बाग): महोदय, यह बहुत की महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पुन्नू लाल मोहले के कथन के अतिरिक्त अन्य कुद कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, आप ध्यानाकर्षण चाहते हैं या नहीं? यदि आप नहीं चाहते तो आप कृपया मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। आप हर वह मुद्दा उठा रहे हैं, जो आप चाहते हैं। आपकी ध्यानाकर्षण में रुचि है या नहीं?

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अभिल बसु: महोदय, आपने ध्यानाकर्षण स्वीकार किया किंतु सरकार की ओर से उत्तर का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न करें ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नू लाल मोहले के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के संत बाबा गुरू घासीदास जी के जन्मदिवस के उपलक्ष में 18 दिसंबर को पूरे देश में छुट्टी करने के संबंध में मै कहना चाहूंगा कि संत बाबा गुरू घासीदास जी का जन्म 18 दिसम्बर, 1756 को गांव गिरौदपुरी में हुआ जो तत्कालीन बिलासपुर जो बाद में रायपुर जिला में चला गया में है। बाल्यकाल से ही घासीदास जी नये-नये चमत्कार तथा आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और प्रेम के रास्ते आम नागरिकों को दिखाते एवं बताते थे जिसे देखकर और सुनकर लोग उन्हें चमत्कारी पुरुष मानने लगे थे। वे साधारण मानव नहीं थे। इनके जीवन काल में एक ऐसी घटना और घटी जिसने इनके जीवन को झकझौर दिया। बाजी की पत्नी श्रीमती सफुरा की अचानक मृत्यु ने इनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। पत्नी के प्रेम में व्याकुल होकर बाबा जी आत्महत्या करने के लिए आतुर होकर जंगल में जाकर लगभग 200 फुट ऊंचे पहाड़ पर जा पहुंचे जिसका नाम छत्ता पहाड़ था।

अध्यक्ष महोदय, छत्ता पहाड़ पर चढ़कर वहां से कूद कर उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में आत्महत्या करनी चाही, लेकिन भगवान के चमत्कार से वे पृथ्वी पर सीधे आकर खड़े हो गए। उसके बाद वे छः महीने छत्ता पहाड़ में ध्यानमग्न रहे। उन्हें शक्ति प्राप्त हुई कि है मानव, तुम साधारण नहीं हो, तुम लाखों दुखियों के दुख तथा संदेह का निवारण करने वाले हो, जाओ कुछ कर दिखाओ। वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी, जो छः महीने पहले मर गई थी, उनको मरघट से निकालकर उसे सत्य उपदेश तथा अमृतपान देकर जिला दिया जिससे समाज आश्चर्यचकित होकर उनकी जय-जयकार करने लगा तथा लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। साहू और यादव समाज की मरी हुई बछिया तथा मृतक लड़कों को जिलाने के कारण उक्त समाज के लोग भी उनके अनुयायी बन गए तथा सतनाम धर्म का पालन करने लगे। म. प्र. सरकार ने 18 दिसम्बर को वर्षो से छुटट्री घोषित कर रखी है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वह 18 दिसम्बर को राजपत्रित अवकाश घोषित करे। ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री राम जी लाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, कल से उद्योग भवन के सामने मारुति उद्योग लिमिटेड के हजारों श्रमिक इस कड़कती सरदी में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, विगत 18 महीनों से श्रमिक बराबर अपना मांगों के संबंध में प्रबन्धन तंत्र और मंत्री जी से गुहार करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस सदन में भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मामले को पहले उठाया गया, किन्तु समस्या को कोई समाधान नहीं निकला और प्रबन्धन तंत्र के अड़ियल रवैये के कारण उनके रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे दोनों पक्षों को बुलाएं और उनकी समस्या का समाधान कराएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रामजी लाल सुमन जी, हाउस में इसी प्रस्ताव पर कालिंग अटेंशन के रूप में डिस्कशन हो चुका है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुमन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, फिर यह हाउस किसलिए है। जब इसी विषय पर चर्चा हो चुकी है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम इस मामले को कहां ले जाएं। ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा होने के उपरान्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर यहां मामला उठाने का क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप मंत्रसी जी को निर्देश दें कि वे सम्बद्ध पक्षों को बुलकार इस मामले को सुनें और इसे सुलझाएं। यह मामला पिछले 18 महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप श्रम मंत्री को निर्देश दें कि वे दोनों पक्षों को बुलाकर सुनें और समस्या का तत्काल हल निकालें।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर सवाल है। मारुति उद्योग लि. के 4,000 कर्मचारी उद्योग भवन पर, खुले आसमान के नीचे इस ठिठुरती सरदी में भूखे बैठे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे चार हजार कर्मचारियों का सवाल है, सरकार कुछ नहीं कर रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन ने जो कहा, आप सभी उससे सम्बद्ध हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग का मैनेजमेंट मजदूरों का दबा रहा है। मारुति उद्योग के 4,000 मजदूर उद्योग भवन के सामने कंपकंपाने वाली ठंड में धरने पर बैठे हैं। आप इस मामले को हलके-फुलके ढंग से न लें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, यह क्या है। लेडी मैम्बर बोल रही हैं और आप बीच-बीच में बोलते जा रहे हैं। क्या हाउस में कोई डिसिप्लिन नहीं रखना चाहते हैं। कृपया बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहूँगी। जैसाकि आप जानते ही हैं कि संपूर्ण पूर्वी उड़ीसा अभूतपूर्व सूखे की चपेट में है और उसका मुख्य केन्द्र बोलनगीर है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, एक महिला सदस्य बोल रही हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महिला सदस्यों के प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाइए।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : 241 ग्राम पंचायतों में से 229 ग्राम पंचायतें पूर्णत: प्रभावित हुई हैं जबकि शेष आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। चूंकि वर्षा नहीं हुई है, इसलिए यहां पानी की भारी कमी हो गई है और फलत: फसल क्षति 80 प्रतिशत तक आंकी गई है लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। अब तक 36,000 लोग पड़ोसी राज्यों में पलायन कर गए हैं। यह केवल सूखा नहीं है, वस्तुत: अकाल जैसी स्थिति है। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस क्षेत्र का दौरा करें और वहां पड़े सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय मैं श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा कही गई बात से स्वयं को संबद्ध करता हूं... *(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): जैसाकि की बोलनगीर से महिला सदस्य ने अनुरोध किया है, एक केन्द्रीय दल को उड़ीसा राज्य के बोलनगीर तथा कालाहांडी दोनों जिलों का दौरा करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देव, आप भी श्रीमती संगीता द्वारा कही बात से संबद्ध कर सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं, अपने राज्य में पटसन उत्पादकों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे पर्याप्त समर्थन मूल्य की अनुपलब्धता के कारण भारी वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या के चार करोड़ से अधिक लोग पटसन का उत्पादन करके अथवा इससे उत्पाद बनाकर अपनी जीविका अर्जन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष पटसन संबद्ध सामग्री के निर्यात से तकरीबन 700 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा केन्द्रीय खजाने में जा रही है। आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि इस वर्ष बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्र को तबाह कर दिया है।

बाढ़ आने के बाद से जे॰ सी॰ आई॰ के अंतर्गत सभी खरीद केन्द्रों ने पटसन खरीदना बंद कर दिया है। अत:, मेरे राज्य में पटसन उत्पादक संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। फसल बीमा योजना न होने से पटसन उत्पादक इस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। हमें पता चला है कि यह सरकार आंध्र प्रदेश और पंजाब के किसानों के लिए उदार है। मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है। जैसा आप एक राज्य से व्यवहार करते हैं वैसा ही अन्य राज्यों के साथ करना चाहिए। मैं जानता हूं कि गठबंधन राजनीति की विवशता ने इन राज्यों को सहयोग देने हेतु सरकार पर दबाव डाला है। मैं, इस सरकार से आग्रह करता हूं कि वह गंभीरतापूर्वक इस मामले पर विचार करे ताकि मेरे राज्य के पटसन उत्पादक अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। वे दरिद्रता से जूझ रहे हैं। बिचौलिये और 'फारिया' पटसन उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं। घोर निराशा के चलते वे अपने उत्पाद औने पौने भाव पर बेच रहे हैं। इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संबंधित मंत्री महोदय

इस संबंध में वक्तव्य दें क्योंकि यह मेरे राज्य की एक गंभीर समस्या है?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनके द्वारा कही गई बात से स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मैं इस तरह की चर्चा को समझ नहीं पा रहा हूं। एक सदस्य मामले को उठाते हैं और तत्काल अन्य सदस्य खड़े होकर बोलने लगते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, कृपया इस बात को समझिए कि यह 'शून्य काल' है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जे॰ सी॰ आई॰ ने पटसन खरीदना बंद कर दिया है। मैं संबंधित मंत्री महोदय से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): उड़ीसा में बहुत भारी वित्तीय समस्या है। निरंतर अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट निकालना वित्तीय रुग्णता का संकेत है। ऐसे समय में केन्द्र सरकार ने तीन वर्ष से अधिक समय से कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने में विलंब किया है। कोयला मूल्य, विशेषरूप से विद्युत श्रेणी कोयले के बिक्री मूल्य वर्ष 1994 से 60 प्रतिशत बढ़ गए हैं, यह वह वर्ष है जब कोयले पर आखिरी बार रॉयल्टी बढ़ाई गई थी। इसके बाद से रॉयल्टी दर में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने के लिए निर्धारित समय वर्ष 1997 था । इसमें अत्यधिक विलंब हुआ ।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने उड़ीसा के साथ उचित न्याय नहीं किया। रॉयल्टी में वृद्धि करने में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है और उड़ीसा में भारी वित्तीय संकट है।

उच्चतम श्रेणी के कोयले और विद्युत श्रेणी के कोयले के बीच रॉयल्टी दरों को बढ़ाने में जानबूझकर भेदभाव किया गया है। वर्ष 1971 में चुनिंदा श्रेणी के कोयले पर रॉयल्टी दर केवल 11.8 प्रतिशत थी जो विद्युत श्रेणी के कोयले से अधिक है। वर्ष 1994 में यह रायल्टी विद्युत श्रेणी के कोयले पर रॉयल्टी दर की तुलना में बढ़ाकर 290 प्रतिशत कर दी गई। यह भेदभाव जानबूझकर किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री कानूनगो, आपको 'शून्य काल' में पढ़ना नहीं चाहिए। आपको नियमों की जानकारी नहीं है। कल आपने नियम पुस्तिका भी फाड़ी थी।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैंने नियम पढ़े हैं और मैं शत प्रतिशत उनका अनुपालन कर रहा हूं। मैं दस्तावेज से केवल कतिपय आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं।

उड़ीसा कोयला पर रॉयल्टी की तत्काल संशोधन की मांग करता है। मौजूदा आधार की बजाय मूल्य वर्धित आधार पर रॉयल्टी बढ़ाई जानी चाहिए। यह हमारी मांग है। यह बेचे गए कोयले की खान के मुंह के मूल्य का 25 प्रतिशत होना चाहिए। ग्यारहवें वित्त आयोग ने कोयला और खनिज का उत्पादन करने वाले राज्यों को मुआवजा देने की सिफारिश की थी, यदि समय पर रॉयल्टी में वृद्धि नहीं की गई है तो यह तत्काल की जानी चाहिए। सरकारिया आयोग ने भी कहा है कि प्रत्येक दो वर्ष में कोयला और खनिज पर रॉयल्टी की दर में वृद्धि होनी चाहिए। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कोयले पर रॉयल्टी कब बढ़ाएंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा तथा भारत सरकार का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

पिछले दो दिन से केरल के इदुक्की पातनमतिट्टा तथा कोट्टायम जिलो में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। यह जिला विशेषरूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर सबरीमाला मंदिर है। करोड़ों लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। यहां भूकंप के हल्के झटके बार-बार आ रहे हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजें तथा एतिहायती उपाय करें ताकि आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। मैं, एक बर फिर यहां उपस्थित माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में जहां इस मौसम के दौरान लाखों लोग जाते हैं, केरल के दो पर्वतीय जिलों में उत्पन्न गंभीर स्थिति पर ध्यान दें..*(व्यवधान)* महोदय, यह एक गंभीर समस्या है। मंत्री महोदय को इस पर उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, आज पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवे गौड्डा के नेतृत्व मे देशभर के किसान जुट रहे हैं, जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन करने आए हैं। किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं हो रहा है। देश भर में हर तरह के किसान तबाह हो रहे हैं। इसलिए आन्दोलन का वातावरण है। आज किसानों का बड़ा भारी

प्रदर्शन हो रहा है। जिसे पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवे गौड्डा और श्री वी.पी. सिंह सम्बोधित करेंगे। यह केवल किसानों की तबाही नहीं है,बल्कि सरकार भेदभाव भी कर रही है। पंजाब, आंध्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ, बिहार के साथ वह व्यवहार नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से किसानों के लिए भेदभाव की नीति बरती जा रही है। यह सरकार की ओर से देशद्राही कार्यवाही है। इसलिए दिल्ली और बिहार की भेदभाव करने वाली सरकार के खिलाफ किसानों के नेतृत्व में आंदोलन होगा। पंजाब के सिवाए और कहीं कानून लागू नहीं हो रहा है। धान की उगाही पंजाब की तरह हो, मैं यह मांग करता हूं नहीं तो आन्दोलन होगा। मैं सरकार को सावधान करता हूं और चुनौती देता हूं। बिहार के मंत्री नौकरी कर रहे हैं। बिहार के किसानों का भला नहीं हो रहा है, उनको बराबरी भी नहीं मिल रही है और अनीति हो रही है। मैं सदन से आह्वान करता हूं कि किसान विरोधी सरकार को भेजा चखाए और उसे पस्त करें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनती ही जोर की टोन में सपोर्ट कीजिए।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड्डूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषरूप से दक्षिण भारत के चाय उद्योग में एक वर्ष से अधिक से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। दक्षिण भारत की चाय का विक्रय मूल्य 98 रुपये प्रति कि॰ गा॰ था जो कम होकर 43 रुपये प्रति कि॰ ग्रा॰ हो गया है।

महोदय, एक कि॰ ग्रा॰ चाच के उत्पादन की लागत 60 रुपये से अधिक पड़ती है अनेक चाय बागान बंद होने के कगार पर हैं। इससे उन 2.5 लाख श्रमिकों के हित प्रभावित होंगे जो देश के इस भाग में स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत के समग्र चाय बागान को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, परसों हड़ताल थी। सभी चाय कामगारों ने हड़ताल में भाग लिया। इसलिए, दक्षिण भारत में स्थिति बहुत गंभीर है। मूल्यों में गिरावट आने के कारण काफी तथा रबड़ उत्पादकों के सामने गंभीर संकट है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार को चाय कामगारों तथा कॉफी उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

श्री के॰ मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मरे विचार से भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने कल यही मुद्दा उठाया था।

श्री के॰ मलयसामी : महोदय, मैं यह निवेदन करने का साहस नहीं करता लेकिन यह बहुत चिंताजनक तथा गंभीर मामला है। पिछले दिन पहले इंटरनेट पर दिखाई गई वेबसाइट के बारे में है जिसे सभी ने देखा था। महोदय, यह इंटरनेट वेबसाइट टी॰ एन॰ एल॰ एफ॰ से संबंधित है जो टी॰ एन॰ एल॰ ए की एक उग्रवादी शाखा है और यह अपने खतरनाक, जोखिमपूर्ण, आतंकवादी तथा उग्रवादी गतिविधियों के लिए जानी जाती है...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : महोदय, यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपको विषय की जानकारी नहीं है, इस बात को समझिए कि यह विषय भिन्न है ।

...(व्यवधान)

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, वह इस मामले को नहीं उठा सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मलयसामी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. मलयसामी: महोदय, उनका इरादा केरल, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों और कर्नाटक को जोड़ कर वृहत तमिलनाडु बनाने का है, और वे इससे भी आगे जाना चाहते हैं। महोदय, सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि वे देश से अलग होना चाहते हैं

अध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर, यह भिन्न मामला है।

.... (व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : महोदय, वे इस उद्देश्य के लिए बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक युद्ध नियम-पुस्तिका जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को किस प्रकार....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संपूर्ण देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना था इससे अलग होने की कामना करना ये बातें अत्यंत गंभीर हैं । वे अलग तमिलनाडु की स्थापना करना चाहते हैं। वे देश से अलग होना चाहते हैं .....*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर : महोदय, यह मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है ..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो, मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर, यदि आप कुछ कहना चाहते है तो, मैं आपको उनके पश्चात बोलने की अनुमति दूंगा ।

..... *(व्यवधान)*

श्री के. मलयसामी : महोदय, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उन्होंने डी.एम.के. पक्ष में वोट देने की अपील की है ..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, यदि आपको कुछ कहने है तो, उनके पश्चात कह सकते हैं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, डी.एम.के सरकार और टी.एन.एल.ए, टी.एन.आर.पी और टी.एन.एल.एफ. जैसे संगठन एक साथ जुड़ रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, इसके परिणामस्वरूप इन संगठनों को सरकार की ओर से खुली छूट मिल रही है। इसी कारण, इन सभी संगठनों को इस देश में फलने-फूलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश से अलग होना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे अलग तमिलनाडु की स्थापना करना चाहते हैं, और इन्हीं बातों के आधार पर वे डी. एम. के. के लिए वोट मांग रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री के. मलयसामी : महोदय, सरकार से उनकी साँठ-गाँठ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें। सरकार इसका उत्तर दे रही है। कल माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने इसके सम्बंध में कुछ कहा था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रमोद महाजन: मुझे कल की बातचीत का पता नहीं है क्योंकि उन्होंने यह बात आपसे निजी तौर पर कही थी।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ. प्र.): मुझे लगता है इस मामले को आपके स्तर पर सरकार के साथ यह जानने के लिए उठाया जाना चाहिए कि क्या सरकार को इसके सम्बंध में कुछ जानकारी है या उन्होंने इससे संबंधित कोई कार्रवाई की है। मुझे नहीं लगता कि इस सभा में की गई चर्चा से इस मामले में कोई मदद मिलेगी। इससे स्थिति अधिक विकट हो जाएगी। इसलिए मैंने एक दिन पूर्व आपसे कहा था कि मैं इस मामले को उठाना नहीं चाहता। इस मामला अत्यंत गंभीर है। मैंने वेबसाइट पर प्रचारित होने वाले इससे संबंधित कागजों को दिखाया था। अब यह मामला उठाया भी जा चुका है।...*(व्यवधान)* मुझे पता है कि यह छपी सामग्री आपको कैसे मिली है, मैं इसके बारे में जानता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको कभी-कभी मामले को उठाने से पहले इससे संबंधित विषय की गंभीरता को समझना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर: मेरे विचार से प्रत्येक मामला उठाया भी नहीं जाना चाहिए। यदि सरकार इसके बारे में जानती है, यदि सरकार को इससे संबंधित वक्तव्य देना है, तो उसका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपके कार्यालय ने उक्त कागजातों को सरकार तक पहुंचाया होगा। सरकार को इसपर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: मैं केवल एक संक्षिप्त बात कहना चाहता हूं। चूंकि कल हम सभी व्यस्त थे, आज तक मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि कल वे भी यहाँ 10 बजे तक बैठे रहे इसलिए, मुझे इससे संबंधित कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और मैं इसके विस्तार में नहीं गया हूं।

दूसरा, यह मामला यहां उठाया जा चुका है। शुरू में मै यह कहना चाहता हूं - अब चूंकि मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं माननीय मंत्री को इसकी जानकारी दूंगा क्योंकि मैं ही स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हूं- इस मामले में भी प्रौद्योगिकी रूप से जो भी संभव होगा वह निश्चित रूप से किया जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए जो भी तरीका खोजा जाए, वह राजनीतिक होना चाहिए। मैं यह वादा करता हूं कि जो कुछ भी आपको माननीय श्री चन्द्रशेखर ने कागजात दिए हैं, वह मैं आपसे ले लूंगा। पहले हम यह देखेंगे कि इसके विरुद्ध प्रौद्योगिकीय रूप से क्या किया जा सकता है ...*(व्यवधान)* क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? यदि आप मेरा, जो भी प्रौद्योगिकीय रूप से किया जाना चाहिए, के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, तो मैं किसी भी माननीय सदस्य से मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हूं। पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है।

इसमें सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि जो भी कह रहा हूं उसकी जानकारी मुझे यहीं मिली है और इसलिए सभा में जो भी कह रहा हूं उसका मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, मेरी जानकारी के अनुसार

तमिलनाडु सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 13 (क) और (क ख) और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (क) के अतर्गत एक मामला पहले ही दायर कर दिया है।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति (सेलम): इस वेबसाइट में मतदाताओं से डी.एम.के. के पक्ष में वोट देने की अपील की गई थी। फिर कैसे राज्य सरकार से यह उम्मीद की जाए कि वे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): उन्होंने सभी द्रविड़ पार्टियों को वोट देने की अपील की थी, न कि केवल डी.एम.के. को। ए.आई.ए.डी.एम.के. भी एक द्रविड़ पार्टी हैं। उन्होंने बी.एस.पी., दलित सेना और सी.पी.आई. (एम.एल.) को भी वोट देने को कहा था।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: मुझे नहीं पता कि यह वेबसाइट कहां पर स्थित है। यह देश से बाहर भी हो सकता है। मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। एक वेबसाइट जो किसी 'अ' या 'ब' राजनीतिक दल को वोट देने की अपील करता है, आवश्यक रूप से प्रमाणित नहीं करता कि उस वेबसाइट के मालिक व उस विशेष दल के मध्य कोई संबंध है, यदि वह ऐसा कुछ दिखाते हैं जो राष्ट्रविरोधी है, तो फिर यह कोई षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए, हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए और मैं भी इसे नहीं मानूंगा

अध्यक्ष महोदय: कृपया जब मंत्री महोदय बोल रहे हों, तो व्यवधान न कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, कृपया मुझे उत्तर देने दीजिए। साइबर अपराध बड़े जटिल अपराध हैं। वे अज्ञात होते हैं इसलिए उनके ठौर-ठिकाने का पता करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने वादा किया है, जो भी प्रौद्योगिकीय रूप से संभव होगा वह किया जाएगा। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। परंतु यदि वेबसाइट पर कुछ आता है तो इसका दोष किसी राजनीतिक दल को नहीं दिया जाना चाहिए। जब तमिलनाडु सरकार इसके विरुद्ध पहले ही कार्रवाई कर चुकी हैं, तो हमें उस सरकार पर भरोसा करना चाहिए जो कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मुझे जिस बात की शंका थी, वह सही साबित हो रही है। मेरे पास जब दस्तावेज आया, दस्तावेज क्या है, सारी दुनिया उसे देख रही है। मैंने आपके पास उस दस्तावेज को इसलिए भेजा कि उस पर अनावश्यक रूप से हम लोगों में आपसी विवाद न हो क्योंकि यह देश की एकता और देश के अस्तित्व का सवाल है। अब इसमें कौन पार्टी इंवाल्व है और कौन नहीं है लेकिन मुझे प्रमोद महाजन जी की बात को सुनकर दुख होता है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाये। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, इतनी इंटेलीजेंस एजेंसीज यहां पर हैं, उन्होंने अब तक इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस मामले को नहीं देखा तो यह बात साबित होती है कि सरकार इस देश की सुरक्षा के बारे में कितनी सजग है। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा के बारे में जो-जो टिप्पणियां आ रही हैं और सुरक्षा का जो सैट-अप है, उसके प्रमुख लोगों के बारे में जिस तरह की आलोचना की जा रही है, सरकार उस पर मौन है। यहां प्रमोद महाजन जी यह कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर उसके बारे में सरकार के इतनी ही जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार ने मुकदमा दायर किया है और तमिलनाडु सरकार ने एक अच्छा काम किया है लेकिन भारत सरकार की जो एजेंसी है, जो रॉ है, उन लोगों ने क्या काम किया है? इस संबंध में उनको कोई जानकारी है या नहीं है? यह कोई एक दिन में तो नहीं हुआ है अध्यक्ष जी, जिस दिन मैंने आपको दस्तावेज दिया था, उस समय तक इस दुनिया के 32000 लोगों ने इसे देखा। उसके चौबीस घंटे के अंदर 44000 लोगों ने इसे देखा। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई मकसद बना दिया गया है। उस पर 15-20 आर्टिकल्स लिखे गये हैं। वे आर्टिकल्स दो चार दिन में नहीं लिखे गये होंगे। उन पर लोगों के नाम दिये गये हैं। यह कोई गुप्त मामला नहीं है लेकिन ये बातें भी सरकार को नहीं मालूम हैं। पता नहीं इंफॉर्मेशन टैक्नोजॉजी डिमार्टमेंट किसलिए है? इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी किसलिए बनाई गई है? क्या इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई है कि भारत के लोगों के बारे में दुष्प्रचार हो और भारत सरकार को इस इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी से कोई इंफॉर्मेशन न मिले? मेरी समझ में नहीं आता कि हैदराबाद का नाम साइब्रावाद बन गया और हैदराबाद के एक हिस्से के बारे में हिन्दुस्तान से बाहर होने का प्रचार हो रहा है। पता नहीं साइब्रावाद क्या कर रहा है? बंगलौर का आई.टी. इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कर रहा है? दूसरी दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या प्रचार कर रहे हैं; उसको देखने के लिए क्या हमारे सेंटर्स इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या हर सवाल का जवाब औपचारिक रूप से दे दिया जाएगा कि हम देख रहे हैं। यह कोई एक दिन में नहीं बना होगा। इतने दिनों में बना है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन लोगों को बुलाइए, जो लोग इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के हैं, इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें बुलाइए, माननीय होम मिनिस्टर साहब को भी बुलाइए कि कब से यह प्रचार हो रहा है, इतने दिनों में इन लोगों ने क्या किया है? अगर मेरा निवेदन सुना जा सके तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक सरकार पूरी तरह से इस बारे में जानकारी नहीं देती है, आपसी विवाद से इस देश में विभाजन की प्रक्रिया को बल न दें। ऐसा न हो कि हम लोगों का आपस में मतभेद हो, इसलिए मैंने कल इस बात को नहीं कहा था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। यह अति महत्वपूर्ण मामला है

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को भी इस मामले में बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी. सी. थामस, आपको, इसके लिए समुचित सूचना देने की आवश्यकता है क्योंकि आप अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। इसलिए, नियम 353 के अंतर्गत इसके लिए उचित सूचना देने की आवश्यकता है। आपको 'शून्य काल' में इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बोलूगा, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुकदेव पासवान, आपके द्वारा दी गई सूचना में जिस मामले का उल्लेख है उस पर मैं विचार कर रहा हूं। कृपया इस बात पर गौर करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आपको इसके लिए उचित सूचना देनी पड़ेगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने पहले ही आपको कहा है कि मामला उठाने के लिए आपको उचित सूचना देनी होगी।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण यह सभा नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। अभी, कई माननीय सदस्यों को इसमें भाग लेना है। यदि सभा सहमत हो, हम आज भोजनावकाश के लिए सभा स्थगित नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्यगण: जी हां।

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रधानमंत्री जी के जवाब के अनुमानित समय के संबंध में निर्णय लें ताकि माननीय सदस्यगण सभा में उपस्थित रह सकें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपराह्न 4 बजे जवाब दिया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामलों को सभा के पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 12.41 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) गुजरात में अंकलेश्वर से राजपिपला और भरूच से दहेज के बीच रेल सेवाएं पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर से राजपिपला और भरूच से दहेज के बीच रेल सेवा की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दोनों शहरों के बीच कोई रेल सेवा नहीं हैं। जिसके कारण इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क यातायत से एक तरफ तो लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और दूसरी तरफ समय की बरबादी होती है। 1968 से पहले यहां पर रेल सेवा चलती थी परंतु 1968 की बाढ़ के बाद पटरियों में कई कमियां होने के कारण रेल सेवा स्थगित कर दी गयी और आज तक रेल सेवा नहीं चली है जबकि इन रेल सेवाओं को पुन: चलाने हेतु दस साल से लगातार मांग की जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन रेल सेवाओं को लोकहित में पुन: शुरू किया जाये।

(दो) सरदार सरोवर परियोजना के "रिवर बेड पावर हाउस" को आयात शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ): गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना का नदी तल बिजली घर (आर. बी. पी. एच.) 200 मेगावाट क्षमता के छ: पप्प टरबाइन मोटर जनरेटिंग सेटों के माध्यम से 1200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा। इन सेटों का आयात 24,646.161 मिलियन जापानी येन के संविदा मूल्य पर किया जाएगा।

गुजरात सरकार सीमा शुल्क में छूट चाहती है। ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के अधिकारी द्वारा इस परियोजना का मेगा-परियोजना के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है, जैसा कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 63/99 के अंतर्गत अपेक्षित है। भारत सरकार के निर्णय पर विचार करने के लिए इस परियोजना को एक विशेष मामले के रूप में आयात शुल्क के भुगतान से छूट वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल करना आवश्यक है।

---

* सभा-पटल पर रखे माने गए।

इसलिए मैं विद्युत मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वह सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल बिजली घर को विशेषकर आयात शुल्क से छूट वाली परियोजना की सूची में यथाशीघ्र शामिल करें।

(तीन) सीमा पार से चलाई जा रही आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए म्यांमार से जुड़ी सीमा पर बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) म्यांमार के साथ भारत की 1643 कि॰ मी॰ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा का बड़ा भाग पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। सीमा पर कोई तारबाड़ अथवा चौकी नहीं है। निगरानी की कमी, इस क्षेत्र की अगम्यता और म्यांमार में भूमिगत आतंकवादी केन्द्रों की स्थापना से नागालैंण्ड और अरुणाचल प्रदेश की कानून और व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भूमिगत नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड की गतिविधियां असम के उत्तरी कछार पहाड़ी जिलों तक भी फैल गयी है। इस सीमा के कारण एन.एस.सी.एन. (खपलाग) गुट को अपनी गतिविधियां म्यांमार में फैलाने में सहायता मिली है। हाल ही में, म्यांमार सेना ने गलत पहचान के कारण असम राइफल्स पर गोलीबारी की थी। असम राइफल्स के तीन जवान मारे गए थे।

लंबी म्यांमार सीमा पर तुरंत तारबाड़ लगाने, सीमा जांच चौकी (चेक पोस्ट) की स्थापना करने और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा लंबे क्षेत्र तक गश्त लगाने की तत्काल आवश्यकता है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में तत्काल कदम उठाए जाएं।

(चार) राजस्थान में भिवाड़ी को रेलमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): भिवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते औद्योगिक कस्बों में से एक है। यह धारूहेड़ा से 5 कि.मी. तथा रेवाड़ी से 25 कि. मी. एवं दिल्ली से 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भिवाड़ी में 1000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में व इसके आसपास पर्याप्त जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र के भावी विकास की संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने इसे बड़े कस्बे के रूप में विकसित करने का निश्चय किया है। इसके अलावा भिवाड़ी हेतु एक इन्लैंड कंटेनर डिपो की स्वीकृति मिल चुकी है तथा भारत सरकार से यहां के लिए एक निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क की अनुमति भी प्राप्त होने की संभावना है। विशाल औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ना जरूरी है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में रेल सेवा में बिल्कुल अलग है जिससे कि यात्रियों को सामान लाने ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए इसे रेल सेवा से शीघ्र जोड़ा जाये।

(पांच) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की सूची की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता ताकि इस सूची में शामिल न किए जा सके लोगों को इसमें शामिल किया जा सके

डा. संजय पासवान (नवादा): सम्पर्ण देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जो सूची बनाई गयी है वह त्रुटिपूर्ण हैं। यह आनन-फानन में बनायी गयी सूची है। मैं संबंधित मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि शीघ्र गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची को पुनर्निरीक्षित किया जाए एंव शेष बचे लोगों हेतु अनुपूरक सूची बनायी जाये ताकि वास्तक में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजर-बसर करने वाले लोगों का समावेश इस सूची में किया जा सके। यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है जिस पर सरकार को अविलम्ब ध्यान देते हुए त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

(छह) बिहार में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): बिहार में टेलीफोन की बुनियादी सुविधा का अत्यंत ही अभाव है। ज्यादातर ग्रामीण इलाके इस सेवा से अभी भी वंचित हैं। जिन ग्रामीण इलाकों में (एम.ए.आर.आर.) टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी वहां यह अब बिल्कुल की विफल है। एस. टी. डी. सुविधा की स्थिति भी ठीक नहीं है इसका कारण यह है कि ज्यादातर ग्रामीण/शहरी इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं होने के कारण वहां स्थित टेलीफोन एक्सचेंज निष्क्रिय हो जाते हैं। जिन एक्सचेंजों में विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है वहां भी जब शाम को कर्मचारी चले जाते हैं तो शाम से सबेरे तक टेलीफोन एक्सचेंज प्राय: बंद रहता है। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर यह आवश्यक है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों को शीघ्रतिशीघ्र डब्ल्यू.एल. एल./जी.एस.एम. के माध्यम से जोड़ा जाये तथा सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में स्थाई रूप से वैकल्पिक बिजली सप्लाई की व्यवस्था जनरेटर या अन्य माध्यम से कराई जाए इसके अलावा जिन इलाकों में टेलीफोन की सुविधा ओवर हैड तार के माध्यम से की गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ओ.एफ.सी. के द्वारा जोड़ दिया जाए। इंटरनेट की सुविधा गांव गांव तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही पटना में विदेश संचार निगम लिमिटेडट का इंटरनेशनल गेटवे शीघ्रातिशीघ्र स्थापित कराया जाए। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में मोबाइल टेलीफोन की भी व्यवस्था कराई जाए।

(सात) कानपुर, उत्तर प्रदेश में टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि॰ को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): कानपुर शहर का औद्योगिक स्वरूप नष्ट हो गया है। वहां स्थित एन.टी.सी.बी.आई.सी. की समस्त

मिलें व टैफ्को या तो बंद हो चुकी है या बन्दी के कगार पर है। इसके चलते कानपुर में बेराजेगारी का बोलबाला है। इन मिलों में काम करने वाले मजदूरों के परिवार व आश्रित बरोजगारी तथा भुखमरी का जीवनयापन कर रहे हैं। तथा असंतोष की ज्वाला किसी भी समय विकराल स्वरूप धारण कर सकती है।

अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि इस मामले को शीघ्र ही यथोचित कार्यवाही करके वहां पर मिलों को पुन: चालू करवाने का आदेश देने की कृपा करें जिससे वहां पर काम करने वाले मजदूरों व उनके परिवारों का उचित जीवन यापन हो सके।

(आठ) उड़ीसा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट): कम वर्षा होने के कारण उड़ीसा राज्य में इस बार रबी और खरीफ की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उड़ीसा के रायगढ़ा, कोरापुट, बलांगीर, मलकानगिरि, अनुगुल, कालाहांडी, ढेंकानाल और बरगढ़ जिलों के राजस्व, सिंचाई और कृषि विभागों में आपसी समन्वय न होने के कारण बहुत कम उत्पादन हुआ है।

रायगढ़ा और कोरापुट जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां सिर्फ ३ प्रतिशत सिंचाई की सुविधा प्राप्त है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रबी फसल के लिए किसानों को बीजों और खाद पर सब्सिडी दी जाये और सारे कृषि ऋण माफ कर कर्जे को ब्याज मुक्त किया जाये। जिन किसानों ने ट्रैक्टरों के लिए कर्जा लिया हैं उसकी वसूली रोकी जाये तथा उस कर्जे को भी ब्याज मुक्त किया जाये ताकि प्रभावित किसानों को इस भयावह स्थिति में राहत मिल सके। उक्त सभी जिले आदिवासी जनजातीय बहुल हैं। इस संकट की घड़ी में एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाये और इन जिलों में भयंकर स्थिति से निपटने हेतु ज्यादा से ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया जाये।

(नौ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक कार्यकलापों की सहायता करने में बैंकिंग संस्थानों की अनिच्छा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ग्राहकों के प्रति बैंकिंग संस्थानों का कार्यनिष्पादन आशा के अनुकूल नहीं रहा है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में 2346 करोड़ रुपये के कुल अग्रिम में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के केवल 58.82 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक समूह के 2330 करोड़ रुपये के अग्रिम को छोड़कर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल जनसंख्या के मुद्देनजर कुल अग्रिम का कम से कम 10% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाना चाहिए। परंतु यह अग्रिम केवल 3.6% है। त्रिवेन्द्रम जिले में यह 2.5% तक कम है।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का ऋण प्रवाह, कुल अग्रिम का कम से कम 10% तक बढ़ाया जा सके।

(दस) आन्ध्र प्रदेश में वन भूमि में कॉफी बागान लगाने की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम्): वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार कॉफी की खेती को गैर-वानिकी के रूप में परिभाषित किया गया है और इसलिए वन भूमि पर इसकी अनुमति नहीं है। आंन्ध्र प्रदेश में गर्मी के उच्च तापमान के कारण कॉफी की खेती को सघन छाया की आवश्यकता होती है लेकिन इसके लिए आंध्र प्रदेश में कॉफी की खेती में पर्याप्त वन क्षेत्र कवर किया जाता है। विशाखापत्तनम एवं पूर्वी गोदावरी जिले के एजेंसी क्षेत्रों में 4000 हैक्टेयर से अधिक वनभूमि में कॉफी की अच्छी खेती होती है।

मैं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि आंध्र प्रदेश राज्य में कॉफी का उत्पादन किया जा सके। इससे वन क्षेत्रों में झूम खेती के बंद होने, अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी में सहायता मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध होगा। इस संबंध में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा अनुरोध पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग्यारह) स्वदेशी लघु उद्योगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): देश में जब से आयात के लिए सरकार द्वारा ढील देने की घोषणा की गई है तभी से सस्ता आयात देश के उद्योग विशेषकर लघु और कुटीर उद्योग के सामने संकट पैदा कर चुका है। देश में टायर, खिलोने, ड्राई सैल, साइकिल, इलैक्ट्रोनिक का सामान, कांच का सामान जो अभी तक देश में लघु व कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित किया जाता था, चीन से सस्ते दामों पर भारत में लाया

जा रहा है। चीन का माल नेपाल के रास्ते तस्करी के माध्यम से भी आ रहा है। अत: यह सस्ता चीनी सामान, हमारे देश के उद्योगों के लिए संकट उत्पन्न कर चुका है। देश में लघु उद्योग लगातार रुग्ण होते जा रहे हैं। सरकार भी इस मामले से अनभिज्ञ नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेट्री के नेतृत्व में निगरानी समित गठित की गयी है पर जमीन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसलिए सरकार से अनुरोध है कि तत्काल जमीनी कार्यवाही करें ताकि चीन से सस्ते और तस्करी के माध्यम से आने वाले सामान पर रोक लगे और भारतीय उद्योगों को बचाया जा सके।

(बारह) मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल भरावे की निकासी के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के किसनपुर, भिड़हा, झपानी, मदेनी चौकी, अमरपुर, देवधरा, मुंगेर जिला के धरहरा प्रखण्ड के वाहाचौकी, हमेजापुर, शिवकुण्ड, महरना इत्यादि गांवों के 10 हजार एकड़ जमीन गंगा के बाढ़ से जल जमाव रहता है क्योंकि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा नहर फेज-II जो केन्द्रीय योजना से बना था जिसका गेट बंद रहने के कारण पानी जमा हुआ रहता है। वरियारपुर और खड़गपुर प्रखण्ड से लेकर गनगनिया तक और लक्ष्मीपुर जामीर से लेकर खरिय तक जल जमाव रहता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल निकासी योजना बनाकर इस उपजाऊ भूमि को बचाने को लिए राष्ट्रीय हित में धन आबंटित करें।

(तेरह) केरल सरकार की कोम्बई-केरल और देवरम-केरल लिंक रोड परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम): तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र पेरियाकुलम से केरल को अनेक प्रकार के फलों एवं दूसरे कृषि उत्पादों का परिवहन किया जाता है। केरल के साथ व्यापारिक आदान-प्रदान काफी होता है। अत्यधिक यातायात के मद्देनजर केरल से संपर्क स्थापित करने के लिए दो संपर्क सड़कों का प्रस्ताव किया गया था जिनमें एक देवरम से था। इन सड़कों के निर्माण के लिए योजनाएं बनाई गई। कुंबम के निकट कोम्बई से एक सड़क तमिलनाडु को रामाक्कल मेट्टु संपर्क सड़क के जरिए केरल से जोड़गी। दूसरी सड़क शकुलाथुमेट्टू संपर्क सड़क से होते हुए बोडी के निकट देवारम् को केरल से जोड़ेगी। जब इन दोनों सड़कों का निर्माण हो जाएगा, जब न केवल इस क्षेत्र के लोगों की बल्कि तमिलनाडु एवं केरल दोनों राज्यों के लोगों की असुविधा दूर हो जाएगी।

परंतु ये दोनों संपर्क सड़क परियोजनाएं अनुमोदन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित हैं।

इसके मामले के महत्व एवं अत्यावश्यकता को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तत्काल दोनों सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दें।

(चौदह) देश में ईंधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, कोयला, बिजली, पेट्रोलियम के क्षेत्र सरकार के अधिकार में चलाये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में लाने का उद्देश्य था कि मजदूर का पसीना और प्रशासन की ताकत मिल कर इन क्षेत्रों में अदभुत प्रगति करेंगे पर आज इनकी प्रगति देश के लिए असहनीय हो गयी हैं। अरबों, करोडों की पूंजी निवेश के बावजूद इन क्षेत्रों में घाटा होता है और इस घाटे को पूरा करने के लिए उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इनकी लगातार बेरोक कीमतें बढ़ने से देश का यातायात मंहगा होता जा रहा है जिसका कुप्रभाव खेती और उद्योग दोनों पर पड़ा है। दोनों क्षेत्र के उत्पाद आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर होते जा रहे हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में व्यापक ढांचागत सुधार के लिए कदम उठायें। इनके कामकाज मे पारदर्शिता व तत्परता लाया जाये तथा एक ईंधन नीति बनायें जिसके तहत ये तीनों क्षेत्र कार्य करें और देश में एक सीमा से अधिक मूल्य न बढ़ें।

(पन्द्रह) देश में कृषि क्षेत्र के लिए राजसहायता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर): गत हरित क्रांति के बाद देश के जागृत किसान विशेष कर पंजाब के किसान ने जो कौसल और परिश्रम से काम लिया है उसका लाभ समूचे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर हुआ है। किंतु जिस वर्ग ने देश को आत्मनिर्भर बनाया वह स्वयं पराधीन होता आज दिखाई दे रहा है। उसके उत्पाद के लिए आज न देश में न विदेश में बाजार उपलब्ध हो रहा है। उसकी मेहनत देशी व विदेशी बाजारों में कौडियों के दामों पर सड़ रही है। परिश्रम और पसीना बहा कर उसने अनाज का उत्पादन की नही बढ़ाया उपज दर भी अनेक अनाजों के मामले में विश्व के स्तर पर लाकर खड़ी कर दी है किंतु फिर भी उसका उत्पाद प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार से बाहर हो गया है। क्योंकि विश्व के देशों की सरकारें किसान को जो राहत मुहैया कराती है वह इस देश में उपलब्ध नहीं है। अमेरिका

जैसे देश में किसानों की सीधी अधिकतम सब्सीडी देकर उन्हें मजबूर और स्वावलम्बी बनाया जाता है। जब कि हमारे देश में जो मामूली सब्सीडी दी जाती है उसे भी कम करने की बात की जाती है। देश में कृषि उत्पादों की लागत बढ़ती जा रही है और सब्सीडी के साथ-साथ उत्पादों की उपभोक्ता कीमतें कम होती जा रही हैं। बेचारा किसान घोर आर्थिक संकट का शिकार होता जा रहा है।

अत: सरकार से आग्रह है कि देश में खेती उत्पादों की लागत को कम करने, सब्सीडी की राशि बढ़ाने और उसे सीधे किसानों को देने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

अपराह्न 12.42 बजे

नियम 184 के अधीन प्रस्ताव

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में तीन कैबिनेट मंत्रियों को हटाने के लिए प्रधान मंत्री से आग्रह

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 19 पर विचार करेगी। अब कुमारी ममता बनर्जी बोलेंगी।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। एक वर्ष के बाद मैं एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद में हिस्सा ले रही हूं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, संवेदनशील एवं तर्कसंगत भी है।

महोदय, हमारा देश विशाल है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, भाषा, जाति एवं पंथ हैं। हमें यह देखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक समुदाय का भी संरक्षण होता है। मेरा इरादा सभा को विभाजित करना नहीं है। मेरा इरादा सभा को एक जुट करना है। इन दिनों हम कभी कभी स्वयं को दोषी महसूस करते हैं जब हम हिन्दुओं और मुसलमानों, सिक्खों और ईसाइयों को बाँटनेवाले मुद्दों पर चर्चा करते हैं। निश्चित ही यह राजनीतिक प्रयोजन के कारण किया जाता है। कभी कभी यह वोट के प्रयोजन से किया जाता हैं। इसी कारण से हम महसूस करते हैं कि यह सभी जिन मामलों पर विचार व्यक्त करती है उन पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है।

अपराह्न 12.43 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें निर्वाचन आयोग से भी यह अनुरोध करते हुए अपील करना चाहिए कि चुनाव के समय केवल वोट की राजनीति के प्रयोजन से किसी भी दल को धार्मिक कोर्ड का उपयोग करने की अनुमति न दी जाए। यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव के समय धार्मिक कार्ड का उपयोग करना चाहता है तो चाहे यह कोई भी दल हो, पार्टी स्तर से ऊपर उठकर उस दल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अन्यथा इस मामले का समाधान न तो आज और न ही भविष्य में हो सकता है।

प्रस्ताव के संदर्भ में, मुझे यह कहना है कि मेरे अच्छे मित्र एवं सहकर्मी श्री अरूण जेटली ने अपने विचार बेदाक अभिव्यक्त किए कि कानूनी तौर पर और तकनीकी रूप से इस मामले पर चर्चा संभव नहीं है। यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे यह उस पर निर्भर करता है क्योंकि वह मन्त्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अत: हम इसके विषय में निश्चय नहीं कर सकते हैं। वह प्रधानमन्त्री का विशेषाधिकार है तथा मामला भी न्यायनिर्णयाधीन है।

मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। हमें एक बात याद रखनी है जब हम इस सरकार में सम्मिलित हुए यह एन. डी. ए. की सरकार थी। एन॰ डी॰ ए॰ का क्या अर्थ है? इसका मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स। यदि इसमें दो आई और जोड़े जाएं, एक एन. से पहले तथा दूसरा डी. के बाद तो वह 'इंडिया बन जाता है। इसका अर्थ है कि एन॰ डी॰ ए॰ 'इंडिया' है। एन॰ डी॰ ए॰ केवल एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार नहीं है बल्कि यह सारे देश के लिए है। हमें सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों को जोड़ना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस व्यवधान न डालें। आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, गुरूद्वारे ये हैं हम सब के प्यारे।"

[अनुवाद]

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू है। बहुसंख्यक हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। हिन्दू अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सकते हैं; अल्पसंख्यक सिखों के हितों की रक्षा कर सकते हैं; और सिख मुस्लिमों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। हम अपने को बांट नहीं सकते। यदि हम अपने को ही बांटेंगे, यदि यह देश बंट जाता है तो भारत जैसा कोई भी राष्ट्र नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे हृदय से यह आवाज आ रही है। मैं अपने मन की बात व्यक्त कर रही हूं। हमारा अनेकता में एकता में सिद्धान्त में दृढ़ विश्वास है। हमारे संविधान की मूल भावना क्या है...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। मैं आप के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रही हूं। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रही हूं। मैं स्वयं पर दोषारोपण कर रही हूं। कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए।

[कुमारी ममता बनर्जी]

यद्यपि मैं राजग में हूं लेकिन हमारे कुछ विचार हैं। वास्तव में हम राजग में हैं। लेकिन हम राजग में क्यों हैं? हम राजग में हैं क्योंकि हमारे पास राजग का साझा एजेन्डा है। आप देख रहे हैं कि भाजपा एक बड़ा दल हैं। हम छोटे दलों में से एक दल हैं। लेकिन छोटा सदैव सुन्दर होता है। छोटे दलों के पास सदैव अच्छी दृष्टि होती है इसलिए मैं भी राजग में हूं यद्यपि मैं भाजपा को सदस्य नहीं हूं।

मेरे मित्र श्री येरननायडू, डा. एस॰ वेणुगोपाल तथा तेलगुदेशम के अन्य मित्र इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल से संबद्ध हैं। वे सरकार चला रहे हैं। द्रमुक की देखें। वे भी राजग के हिस्सा हैं वे भी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इसमें इंडियन नेशनल लोक दल, बीजू जनता दल, समता पाटी, यूनाइटेड लोक दल, शिवसेना, बैको का एम॰ डी॰ एम॰ के, पी॰ एम॰ के॰, नेशनल कांफ्रेस और अन्य दल भी हैं। हम राजग में सम्मिलित क्यों हुए हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि राजग साझा एजेन्डा से दूर नहीं हटेगा। हम इससे बंधे हैं। हम इसे मानते हैं। इस साझे एजेन्डे में विवादास्पद मुद्दों को पूर्णत: छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 370 राजग के एजेन्डा में नहीं है। दूसरे, समान नागरिक संहिता साझा एजेन्डा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना की केवल श्री अटल बिहारी बाजपेयी ही नहीं हम भी इस की निन्दा करते हैं। महोदय जब यह घटना घटी तो उस समय इसके प्रत्यक्ष गवाह श्री प्रियरंजन दासमुंशी को यह पता है कि हमने देखाकि कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगे हुए। हमने यह देखा है कि लोग कैसे मारे गए, कैसे समुदायों में अलगाव की भावना आ गई। हम तीन चार रात तक सो नहीं सके। मैं जानती हूं कि जब मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो साम्प्रदायिक तनाव कैसे फैला था।

साम्प्रदायिकता हमारे देश का कैंसर है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि देश साम्प्रदायिकता से बचाया जाए।

राजग एजेन्डा में जनता को यह आश्वस्त किया गया है बाबरी मस्जिद मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हम इससे बंधे हैं। दूसरे यह कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, सरकार उस निर्णय को मानेगी। राजग का यह वादा है। हम चाहते हैं कि इस वादे का कड़ाई के साथ पालन किया जाए।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि गत रविवार को राजग की बैठक हुई थी। उस बैठक में हमने यह संकल्प पारित किया कि राजग इन चारों बातों का पालन करेगा। हम इससे दूर नहीं हट रहे हैं। दूसरे हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें। पंथ रिपेक्षता के सिद्धान्त के साथ समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि पंथ निरपेक्षता हमारे प्रजातन्त्र का आधार है। अत: हम पंथनिरपेक्षता को नहीं भूल सकते तथा इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। यहां सिद्धान्तों पर बहस की जा सकती है लेकिन हम अपने दर्शन, विचार, सिद्धान्त तथा उद्देश्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते।

राजग के अन्य दलों का अपना घोषणा पत्र हैं। उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं लेकिन सभी राजग के घटक दल हैं। हम राजग के एजेन्डा के अनुसार सरकार चला रहे हैं। वास्तव में प्रधानमन्त्री के है एक वक्तव्य से जनता के मन में सन्देह पैदा हुआ है। हमारा मानना है कि प्रधानमन्त्री इसको स्पष्ट करें। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अविलम्ब जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वक्तव्य दिया तब वे विपक्ष के नेता थे। लेकिन गत सप्ताह जब उन्होंने यह वक्तव्य दिया जब वे राजग सरकार के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए उन्हें देश की यह सन्देश देना चाहिए कि हम पूरे देश के लिए हैं। कभी-कभी हमें यह लगता है कि शक्ति स्थायी नहीं है, सरकार चलाना स्थायी नहीं है लेकिन प्रजातन्त्र, पंथिनिरपेक्षता को सिद्धान्त तथा इस सभा की 'परम्परायें' सदा बनी रहेंगी। अत: हम अपने विचार नहीं छोड़ सकते। हम संवैधानिक दायित्वों से दूर नहीं हट सकते।

महोदय, इस समय मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की याद आ रही है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दो राष्ट्र गान लिखे, एक भारत के लिए तथा दूसरा बंगलादेश के लिए, हमें उन पर गर्व है। अपने देश का राष्ट्रगान लिखते समय उन्होंने इसकी शुरूआत पंजाब से की । पंजाब के बजाए वे बंगाल से शुरू कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी दृष्टि में यह था कि भारत एक है। उन्होंने कहा: "पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग।" उन्होंने पंजाब से शुरू किया तथा बंगाल पर पूरा किया क्योंकि वे इस देश की एकता एवं ईमानदारी को जानते थे। कवि ने कहा : "एक जाति, एक प्राण, एकता, यह देश हमारा विधाता" हम बंगाल में भी यही बात कहते हैं, जिसका अर्थ है 'एक जाति, एक राष्ट्र तथा हम सभी को मातृभूमि के हित के लिए एक होना चाहिए।

मैंने अभी अभी जनता के प्रति वचनबद्धता की बात की है। असम में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं अपने राज्य में बहुसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत आती हूं जबकि दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आती हूं। मेरे अच्छे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव असम में बहुसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत आते हैं जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक के। कुछ अन्य लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुसंख्यक समुदाय के हो सकते हैं लेकिन अन्य राज्य में वे अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। अत: इस देश का प्रत्येक व्यक्ति कहीं बहुसंख्यक है तो कहीं अन्य स्थान पर अल्पसंख्यक हो जाता है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को सभी संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

महोदय कभी-कभी कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। नहीं, यह सही नहीं है। यदि मेरे शरीर से मेरे हाथ काट दिए जाते हैं तो मुझे उन हाथों की देखरेख करनी होती

है। अल्पसंख्यक हमारे हृदय हैं। मैं गर्व के साथ यह कहती हूं कि हमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देनी है क्योंकि यह हमारा नैतिक दायित्व है।

महोदय, हम बाबरी मस्जिद गिराये जाने की निन्दा करते हैं। हम केवल इसकी निन्दा ही नहीं करते हैं बल्कि हम यह भी कहते हैं कि यह बर्बरतापूर्ण कार्य था। यह जघन्य अपराध था। ऐसा हमारे देश में पुन: नहीं होना चाहिए। मैं किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहती लेकिन जो भी घटना घटित हुई, इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के मात्र प्रधानमन्त्री नहीं हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता तथा छवि से इस देश के गौरव में वृद्धि हुई है। हमें उन पर गर्व है। हमें यह कहने में गर्व है तथा हमारा मानना है कि आज भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य से यह भ्रम खत्म हो जाएगा। प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व गरिमामय है। वह सभा में वक्तव्य देंगे। कभी हम पर यह दोषारोपण किया जाता है कि हम साम्प्रदायिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम पंथनिरपेक्ष हैं। कुछ लोगों को जानना चाहिए कि हम भी पंथनिरपेक्ष हैं। हम पंथनिरपेक्षता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। हम हिन्दू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई को बांटना नहीं चाहते। वे सभी हमारे भाई बहन हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी बात सुनें।

हमें जनता के प्रति बचनबद्ध रहना चाहिए। अस्सी करोड़ व्यक्ति जो कि हिन्दू समुदाय के हैं, पूर्णत: उत्तरदायी नागरिक हैं। इस महान देश में बीस करोड़ अल्पसंख्यक भी रह रहे हैं। असम में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध क्या हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दें। यह रमजान का महीना है। मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सभी भाइयों, बहनों को रमजान की मुबारकवाद देती हूं। मैं ईसाई समुदाय के भाइयों बहनों को भी क्रिसमस की बधाई देती हूं।

हमारे देश में कुछ ज्वलन्त मुद्दे हैं। बेरोजगारी की समस्या है। आर्थिक समस्याएं भी हैं। मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी आर्थिक पैकेज तैयार करे ताकि ये भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

हमारा विश्वास है कि हम इस सरकार को गिराना नहीं चाहते और न ही हमारा किसी को परेशान करने का इरादा है। लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री के संदेश से यह भ्रम दूर हो जाएगा। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री इस बहस के बाद सभा में वक्तव्य देंगे।

मैं पुन: अनुरोध करती हूं कि हमें सभा को इस प्रकार नहीं बांटना चाहिए। हम इस बात को महसूस करते हैं जब कभी कोई कहता है कि आप हिन्दू हैं, कोई कहता है कि आप मुस्लिम हैं। इस कारण से आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा होता है। इससे संकटपूर्ण परिस्थिति पैदा होती है। सारा विश्व नयी सहस्त्राब्दि की तरफ देख रहा है, उनके अन्दर नये दृष्टिकोण आ रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम और पीछे खिसकते जा रहे हैं।

इसलिए लोगों में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम केवल बांटो और शासन करों की नीति चाहते हैं जो हमें अंग्रेजों की देन है।

हमें विकास प्रक्रिया और अन्य इस प्रकार के कार्यों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी ओर से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि:

[हिन्दी]

"त्याग का नाम है हिन्दू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, और सिखों का नाम है बलिदान। यह है प्यारा हिन्दुस्तान।"

बदल-बदल मौसम बदले, बहार बदले। दुनिया की हर चीज बदलती है लेकिन हम लोगों की आदत क्यों नहीं बदलती? हम लोगों को अपनी आदत भी बदलनी चाहिए। रीलिजन के ऊपर नहीं, इकॉनोमिक प्रॉयरिटी के ऊपर चर्चा करना सबसे जरूरी है।

[अनुवाद]

नि:संदेह, यह प्रस्ताव भी गलतफहमी उत्पन्न करता है। इसलिए, हम प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। परंतु हम बड़ी दृढ़ता से यह मत अभिव्यक्त करते हैं कि हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हम सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। हम अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा चाहते हैं। हमें संगठित शक्ति को विभाजित नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हम सभी में फूट नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए विश्व-इतिहास मानवता का इतिहास है, हमें यह बात याद रहनी चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

हमें यह बात याद रखनी पड़ेगी।

मैं, इन शब्दों के साथ, पुन: संसदीय कार्य मंत्री से प्रधानमंत्री को यह अनुरोध करने का निवेदन करती हूं कि वह अपने भाषण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इन के उद्देश्य अथवा एजेंडे पर प्रकाश डालें। वह देश का उद्देश्य होना चाहिये और कोई गुप्त एजेंडा नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मुझे बालने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ. प्र.): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैंने कल सोचा था कि मैं इस विषय पर न बोलूं लेकिन ममता जी के भाषण से मुझे आज बोलने की प्रेरणा मिली है। मैं समझता हूं कि यदि मैं इस विषय पर नहीं बोला तो कहीं कोई गलत अर्थ न लगा लें।

[श्री चन्द्रशेखर]

उपाध्यक्ष जी, मैं सब से पहले ममता जी से यह कहना चाहूंगा कि जो सलाह वे आज प्रधानमंत्री जी को दे रही हैं, यह विवाद न उठा होता यदि यह सलाह पहले दिन ही दी होती तो प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य बदल दिया होता। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता हैं कि मैंने भी अखबारों में लिखा और बयान दिया और प्रधानमंत्री जी को शिकायत है कि मैंने उनके बयान को सही नहीं समझा लेकिन वह बयान केवल एक अखबार में नहीं बल्कि देश के सारे अखबारों में निकला। संसद एक दिन नहीं, सात दिन तक चलती रही और आज हमें अचानक बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि अगर वे अब कोई वक्तव्य देंगे तो संसद के अंदर देंगे। तीन दिन तक संसद के बाहर वक्तव्य देने के बाद अचानक प्रधानमंत्री जी को संसद की मर्यादा का ध्यान कैसे आ गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं न कि किसी को प्रसन्न या दुखी करने के लिये। मैंने बहुत प्रारम्भ में ही कहा था और जो बाहर कहा था, यह नहीं कहें कि यह सही नहीं होगा। मैंने कहा था कि तीन मंत्रियों का इस्तीफा मांगने का अवसर आज कैसे आ गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब अध्यक्ष जी ने कहा कि यह जो प्रस्ताव आना है, वह सब लोगों की सहमति से बना है, खासकर दो पार्टियों के बीच में सहमति हुई होगी जो प्रमुख विरोधी दल और जो सरकारी दल हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, केवल मत्रियों के इस्तीफे के बारे में चर्चा की गई। जब यहां यह जोड़ा गया और कहा गया कि हरिन जी से इस्तीफा क्यों लिया गया और इन मंत्रियों का इस्तीफ क्यों नहीं मांगा जा रहा है, तब इस शंका को बल मिला जो चारों ओर से प्रकट की जा रही है। मैंने हरिन जी का आज वक्तव्य देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से वक्तव्य दिया है। इसलिये कभी कभी पार्टी को बचाने के लिए शायद ऐसा करना पड़ता हो। लेकिन कभी कभी सच्चाई भी कहनी चाहिये। मैंने हरिन जी के पूरे केस को देखा है और उसमें कोई कारण नहीं था कि उन्हें इतनी आन्तरिक वेदना हुई होती तो त्यागपत्र दिया होता। उनसे त्यागपत्र लिया गया है, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन उनसे त्यागपत्र लिया गया, उसी दिन मैंने अपने मित्रों से कहा था कि और कुछ लोगों से त्यागपत्र मांगा जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, ममता जी एन.डी.ए. की सदस्या है और केवल उनकी एकता से ही एन.डी.ए. में एकता नहीं होगी, बी.जे.पी. जो प्रमुख दल है, उसमें भी एकता होनी चाहिये। जब अपने अंदर विभेद हो तो एकता नहीं हो सकती और सारे देश को एकता का संदेश दिया जाये, यह बात कुछ सही दिखाई नहीं पड़ती। इससे सारे देश को क्या संदेश गया? इससे यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि बदल दी है लेकिन क्यों बदली, किस दबाव में बदली? श्री जयपाल जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल कि, मैं वह भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सही मायने में प्रधानमंत्री जी के लिये मेरे मन में आदर है मैं उनके विचारों से असहमत हूं लेकिन मैं ऐसा समझता था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के भविष्य के बारे में, देश की एकता के बारे में और लोगों की भावनाओं के बारे में समझते हैं कि राष्ट्र की भावनायें एक वर्ग विशेष की भावनाओं से नहीं जुड़ी हुई हैं।

राष्ट्र की भावना समस्या नागरिकों से जुड़ी हुई हैं और यह बात हर कोई स्वीकार करेगा, जिसे जरा भी समझ होगी कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उससे वर्ग विशेष की भावनाओं को धक्का पहुंचा है और उसके परिणाम भी निकले हैं। सारे देश में तनाव का एक माहौल पैदा हो गया। सारे अखबारों ने सम्पादकीय लिखे और उत्तर प्रदेश में जगह-जगह झगड़े शुरू हो गये। उस समय भी प्रधान मंत्री जी ने यह जरूरी नहीं समझा कि उस वक्तवय को बदल दें, जो उन्होंने दो-तीन दिन पहले दिया था। ममता जी इस बात में बहुत कुशल हैं। वह सरकार की एकता भी चाहती हैं, अपने विचार भी रखना चाहती हैं और सफलतापूर्वक रखती हैं, संकल्प और निष्ठा के साथ रखती हैं। लेकिन सरकार को चलाने का यह रास्ता नहीं है। सरकार चलाने में कभी-कभी गठबंधन सरकारें चलानी पड़ती हैं, उसमें जो एक कार्यक्रम, एक नीति बनती है उसका पालन किया जाता है। उसमें कोई मतभेद हो तो आपस में बैठकर सुलह समझौता कर लिया जाता है। लेकिन यहां आज से नहीं, जब से यह सरकार बनी है, नित्य-प्रति यही देखने को मिलता है। जो लोग व्यक्तिगत कारणों से नाराज हैं, ममता जी की बात छोड़ दीजिए। कल जयपाल रेड्डी जी उमा भारती पर बहुत नाराज हो रहे थे, लेकिन मंदिर से और मंत्री पद से अगर किसी का संबंध बदलता रहा तो कोई बड़ा भारी अपराध नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाना भी उतना ही अच्छा काम है जितना मंत्री पद पर रहकर देश की सेवा करना अच्छा काम है, मैं इस बात को मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि त्यागपत्र किसी और कारण से दिया जाए, समस्या को उठाया जाए और प्रधानमंत्री उस बात को स्वीकार कर लें। अखबारों में दो-चार दिन चर्चा हो, चाहे जो भी कहिये, प्रधान मंत्री कोई भी हो, कितना भी अच्छा व्यक्तित्व हो, इस तरह के उलट-फेर से प्रधान मंत्री के पद की गरिमा को नीचे गिराया जाता है और अगर किसी भी प्रधान मंत्री जी के पद की गरिमा को नीचे गिराया जाता है तो यह देश की कोई सेवा नहीं है, चाहे जो भी वैसा करता हो और अगर कोई प्रधान मंत्री अपने पद को बचाने के लिए गरिमा के साथ समझौता करता है तो वह प्रधान मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। मैं इसीलिए समझता हूं कि कल जो भाषण मुलायम सिंह जी ने दिया, मैं उसकी भाषा से सहमत नहीं हूं, जो भाषण का तारतम्य था, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने यह कहा कि या तो प्रधानमंत्री जी को खुले दिल से यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने एक गलती की और उस गलती का परिमार्जन करने के लिए उनके वक्तव्य से लोगों को संतोष हो जाए तो अच्छा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस सरकार को गिराना नहीं चाहता है। खास तौर से कांग्रेस पार्टी इसे गिराना नहीं चाहती है। मैं भी गिराना नहीं चाहता हूं । कांग्रेस के दोस्त इससे नाराज न हों। आज कोई नहीं चाहता कि हर छः महीने या साल में चुनाव हों। आप सरकार चलाइये, लेकिन हर बात में कोई न कोई सुलह-समझौता, कोई न कोई राह निकालने की बात फिर कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। लेकिन वे कठोर निर्णय लेने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। यदि मैं यह कहूं तो प्रमोद महाजन जी बुरा मत मानियेगा, वह वक्तव्य अचानक नहीं हुआ। मैं भी अटल जी को पिछले 35-36 वर्षों से जानता हूं। मैंने उनके साथ एक दिन नहीं, महीनों संसदीय कमेटियों में देश का भ्रमण किया है। उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को मैंने परखा है। किसी न किसी दबाव में उन्होंने वक्तव्य दिया है। जब कोई प्रधान मंत्री दबाव में वक्तव्य देता है तो वह प्रधान मंत्री अपने पद की गरिमा का निर्वाह नहीं कर सकता। यह बात मैं खड़े दुख के साथ कह रहा हूं और मुझे इस बात को कहने में कष्ट हो रहा है।

मैं आज फिर कहूंगा कि चाहे जितनी लीपापोती की जाए, कितना भी लोगों को समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं इनके हिडन एजेन्डा की बात नहीं जानता। कोई बात छिपी हुई नहीं है विनय कटियार जी से बात कीजिए, उनके मन में स्पष्ट बात है कि वह कैसा भारत बनाना चाहते हैं। उमा भारती जी से बात कीजिए वह ज्यादा ढुलमुल हैं क्योंकि कभी उन पर जॉर्ज फर्नान्डीज का असर है, कभी उनके ऊपर विनय कटियार जी का असर है। लेकिन इनमें से किसका असर ज्यादा है, यह मुझे पता नहीं है। क्योंकि एक जमाने में वह जॉर्ज फर्नान्डीज जी की बड़ी प्रंशसक रही है, हो सकता है कभी उनका असर पड़ जाता हो और मंदिर चली जाती हों विनय कटियार जी का असर पड़ जाता हो तो मंत्रिमंडल में चली जाती हों। लेकिन वह दोनों काम ठीक नीयत से करती हैं, बुरी नीयत से नहीं करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मामला बड़ा गंभीर है और देश की स्थिति बहुत खराब है। मैं जो कहना चाहता हूं, कहने में अपने को असमर्थ पाता हूं। लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, यह सरकार चल सकती है, संसद चल सकती है, लेकिन अगर यही हालत इस देश की बनी रही तो यह देश चलने वाला नहीं है।

आज हर सवाल पर, चाहे कोई भी सवाल हो, आर्थिक सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, देश में समता बनाए रखने का सवाल हो, देश के अल्पमत के लोगों के मन में विश्वास पैदा करने का सवाल हो, हर सवाल पर यह सरकार असफल रही है और हर सवाल का जवाब न देकर उसे टालना इस सरकार की भावना बन गई है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि एक नेशनल सिक्यूरिटी काउंसिल बनी हुई है। नेशनल सिक्यूरिटी काउंसिल के एक उच्चाधिकारी हैं। उनके बारे में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के एक सदस्य रोज इश्तहार दे रहे हैं और आज तक हमारे मित्र रक्षा मंत्री बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं और गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। एक शब्द नहीं कहा उसके विरुद्ध। क्या यह देश को चलाने का रास्ता है? देश की सुरक्षा के सवाल का जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके बारे में इस तरह का प्रचार रोज-रोज देश में टी. वी. पर हो और उसके बावजूद भी एक वक्तव्य नहीं दिया जाता है। देश की रक्षा के बारे में जो विशेषज्ञ हैं, वे लोग खुले बयानों में उसकी आलोचना करते है। मनुष्यों से ममता हो सकती है, संवेदना हो सकती है, दोस्ती हो सकती है लेकिन दोस्ती मत निभाइए देश की कीमत पर। दोस्ती वहीं तक निभाइए जहां देश को उसकी बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। प्रमोद जी, इसीलिए मैंने परसों कुछ कहा नहीं क्योंकि मेरे मन में भी उतना ही दुख है कितना आपके मन में होगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी है इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी से बाल रहे हैं, मैं उससे कम जिम्मेदारी से नहीं बोलता हूं। जो बातें परसों मैंने कही थी और जो अभी हमारे एक मित्र ने उठाई, वैसी बातें नहीं हैं जिनको शून्यकाल में सुनकर आप कहें कि हम इस पर देखेंगे। वे ऐसी बातें हैं जिनसे देश टूट सकता है, जिनसे देश में आपसी विघटन की प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। उन प्रवृत्तियों के बारे में अगर सरकार को जानकारी नहीं है तो मैं नहीं जानता सरकार इस देश की रक्षा कहां तक कर सकती है और उसी कड़ी में मैं उस घटना को भी मानता हूं। अगर अनजाने में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, अगर वक्तव्य देने के बाद सात दिन वे चुप रहे तो यह साधारण घटना नहीं है। बड़े घने अंधकार की ओर यह घटना संकेत करती है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने अपने आचरण से हमारे जैसे लोगों को निराश किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, कल से चर्चा चल रही है और मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं। अल्पसंख्यक समाज के इतने हमदर्द सामने बैठे हैं इससे मुझे भी खुशी हो रही है। लेकिन दुख यह भी हो रहा है कि आजादी के 52 साल बीत जाने के बाद आज अल्पसंख्यक इस हालत में कैसे पहुंचा है। दो तीन सान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं मानता हूं कि आज अल्पसंख्यकों के मन में इस बात का मलाल है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, उसके अंदर शिक्षा की कमी है और ये सारी कमियां किस वजह से हुई हैं, यह भी चर्चा का विषय होना चाहिए था। ...*(व्यवधान)* मैं उन सारे विषयों को विस्तार से नहीं छेड़ना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा टोका जाएगा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कोई नहीं टोकेगा, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पहली बार संसद में मेरी आवाज सुनी जा रही है और यह भी गर्व

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जहां से चुनाव जीता हूं, हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता मेरे चुनाव क्षेत्र किशनगंज में रहते हैं, मैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां से चुनाव जीता हूं वह किशनगंज है और मैं भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मुसलमान सांसद हूं। इसलिए कई लोगों की नजरों में बहुत खटकता हूं। कई लोगों को यह लगता है कि जब हम आरोप लगाते हैं और जब शाहनवाज हुसैन उधर से खड़ा होता है, तो उनकी धार का पैनापन कम हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कहीं पर सिलैक्ट नहीं हूं, मैं इलैक्ट होकर आया हूं और जहां 7,00,000 मतदाता रहते हैं वहां से चुनाव जीतकर आया हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें इस ओर से व्यवधान न डालें।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी: महोदय, यह उनका पहला भाषण है। उनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वे उन्हें बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा कोई मामूली विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप मुझे चाहे जितना टोकें में रुकने वाला नहीं हूं बल्कि और खतरनाक बोलूंगा, चुप होने वाला नहीं हूं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप बहुत अच्छा भाषण कर रहे है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: धन्यवाद, बसु जी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और आज हमारी आजादी को 52 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अकलीयत के लोग आज भी पिछड़े, दबे और सहमे क्यों हैं इस देश में लगातार 47 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया कि वे डरे और सहमे न रहें। 47 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत आपने की और आप हमसे कहते हैं कि आज मुसलमान सहमे और डरे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने 47 सालों में अकलीयत के लोगों को इतना मजबूत नहीं बनाया जिसके कारण ही आज भी वे सहमे और डरे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मंदिर और मस्जिद मुद्दे पर आज सदन में चर्चा चल रही है। मैं इस विवाद में तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात अवश्य बताना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद में नमाज हो रही थी, तब से मूर्तियां सबसे पहले जिनके समय में रखी गई, उस देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन थे। मैं बताना चाहता हूं कि 22 और 23 दिसम्बर, 1949 की रात्रि में जब उस स्थान पर मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू थे और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त थे। बाबरी मस्जिद का 6 दिसम्बर 1992 को कारसेवकों ने विध्वंस नहीं किया बल्कि जब पहली बार मूर्तियां रखी गई और वहां पर नमाज पढ़ने पर पाबंन्दी लगाई गई, उसी दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया और वह समय कांग्रेस के शासनकाल का था। कांग्रेस ने ही सबसे पहले उस स्थान को राम जन्मभूमि बनाने का काम किया, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, 29 दिसम्बर, 1949 के दिन जिलाधिकारी, फैजाबाद ने म्युनिसिपल कमेटी के चयरमैन को उस संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, वे भी कांग्रेस के ही थे। 16 जनवरी 1950 को फायनल डिसीजन दिया गया और 3 मार्च, 1950 को अंतरिम निषेधाज्ञा में यह कहा गया कि वहां से मूर्तियां नहीं हटाई जाएं। 22 दिसम्बर 1949 और 3 मार्च, 1950 के बीच किस की सरकार थी? मैं बताना चाहता हूं कि इस बीच केन्द्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। यहां पं. नेहरू प्रधानमंत्री थे और वहां पर गोविन्द वल्लभ पन्त मुख्य मंत्री थे। उस समय आपने क्यों वहां कोई कदम नहीं उठाया? कोर्ट में तो वह मामला बाद में गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय देश आजाद हुआ था, मुसलमान इसलिए डरे हुए थे कि मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। उस समय भारत के मुसलमानों को यह चिन्ता थी कि धर्म के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा हुआ है इसलिए भारत के जो मुसलमान इस देश से प्यार करते थे, वे इसी देश मे रह गए और जो मजहब के नाम पर भारत का बंटवारा चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए। आपके और हमारे बापदादाओं ने यह तय किया कि यह हमारा मुल्क है, यह हमारा मदरे वतन है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिन्होंने मजहब के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किया वे पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो हिन्दुस्तान से सच्चा प्यार करते थे, वे मुसलमान हिन्दुस्तान में रह गए।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एक मुस्लिम लीग हुआ करती थी और दूसरी कांग्रेस होती थी। कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम लोग काम करते थे, लेकिन भारी संख्या में मुसलमान मुस्लिम लीग में काम करते थे और जो कांग्रेस में काम करते थे उन्हें शो-बाय माना जाता था क्योंकि वे कांग्रेस में काम करते थे। मुस्लिम लीग के लोग आरोप लगाते थे कि जो मुसलमान कांग्रेस के अंदर है वह पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता।

वह ऐसे ही हैं। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को तरह-तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से यह ऐलान किया था और उनकी किताब फतवा-ए-आजाद में इस बात का जिक्र है कि - ऐ मुसलमानों यह मुल्क तुम्हारा है और जब तुम इसमें रहना चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको इस मुल्क

से भगा नहीं सकती। तुम इस मुल्क को मादरे वतन मानो और इस मुल्क के अंदर तुमको वही अधिकार हैं जो अधिकार हिन्दुओं को हैं।

आज मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि इस देश के अंदर हिन्दू और मुसलमान को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। उस नाते आज हम यह कह सकते हैं कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने अपने आपको मजहबी राष्ट्र घोषित किया और बंगला देश ने भी बाद में अपने आपको मजहबी राष्ट्र की तरफ धकेला। हम उस वक्त के नेताओं को, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हो लेकिन वे देश के नेता थे, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस देश को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने का काम किया। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि इसके लिए देश का बहुसंख्यक समाज तैयार था। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उस वक्त दबाव बनाता कि इस देश को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक स्टेट न बनाया जाये तो उस वक्त यह बात न होती ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम प्रसाद सिंह, मैंने आपकी बात सुनी है। कृपया इस प्रकार टिप्पणी मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं अपनी पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाहता हूं बल्कि इस देश को क्रेडिट देना चाहता हूं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान से दुगुनी आबादी हिन्दुस्तान के अंदर है और माइनौरिटी के राइट्स और हकूक जितने भारत में सुरक्षित हैं, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। इसके लिए मैं सिर्फ अपनी पार्टी का ही नहीं बल्कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)* मैं इस देश को धन्यवाद देता हूं। देश के अंदर सारी पर्टियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुल्क का स्टेटस ऐसा बनाया। उसे सेक्युलर, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया । मैं जब बाहर जाता हूं तो गर्व के साथ कहता हूं कि हम भारत से आये हैं और हम हिन्दी मुसलमान हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हिन्दुस्तान का मुसलमान किसी और देश के मुसलमान से कम दर्जे का मुसलमान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं हज पर गया था। उस वक्त आप भी हमारे साथ थे। वहां पर मैं खानाकाबा के इमाम से मिला था और सऊदी अरब के शासक से मिला था। हमने वहां पर एक प्रैस कांफ्रेंस भी की थी। वहां हमने कहा था कि हम हिन्दुस्तान से आये हैं। हमें इस बात का फख्र है कि हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं और हमें ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक समाज को प्राप्त हैं और हिन्दुस्तान के अंदर जो हक हमें मिले हुए हैं, वे दुनिया में किसी माइनौरिटी को नहीं मिले हैं। यह हमारे लिए फख्र की बात है। आज हम यह कह सकते हैं कि मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और एयर चीफ मार्शल तक बन सकता है। आज इस देश में श्री अबुल कलाम जैसे मुसलमान भी हैं जिस पर भारत का हर हिन्दू और मुसलमान गर्व करता है।

मेरा कहना है कि मुसलमानों की समस्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की नहीं थी। उन्हें इस समस्या से घेरा गया है। यह कांग्रेस का हिड्डन एजेंडा है।...*(व्यवधान)* 1947 के अंदर भी एक हिड्डन एजेंडा था। यह प्रस्ताव भी उनका हिड्डन एजेंडा है। इस प्रस्ताव को लाते वक्त श्री जयपाल रेड्डी जी ने, जो मेरे बड़े भाई हैं और उनका मैं आदर करता हूं, कहा था कि इसको लाने का मकसद इस सरकार को यहां से भगाना नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि यह सरकार पांच साल तक रहेगी और आने वाले दिनों में भी आने वाली है। इस बात को ये समझते हैं लेकिन इनका हिड्डन एजेंडा यह था कि किसी तरह यह प्रस्ताव लाकर भारतीय जनता पार्टी और एन. डी. ए. सरकार की जो तस्वीर अल्पसंख्यक समाज में बनी है, उसको बिगाड़ दिया जाये। यही इनका हिड्डन एजेंडा है। यह एजेंडा 1947 में भी था। आपने कैबिनेट में डिसीजन लिया था कि हम सोमनाथ का मंदिर बनायेंगे। उस वक्त भारत का मुसलमान कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में नहीं था क्योंकि भारत का मुसलमान उस वक्त डरा, सहमा हुआ था। आपने वहां पर सोमनाथ का मंदिर बनाया और उसका क्रेडिट आदरणीय पटेल जी को गया। उसके बाद लोगों के मन में आया कि चलो एक और काम कर लिया जाये और दूसरा काम आपने वहां शुरू किया। आपने वहां ताला खुलवाया, बंद कराया -इस मुद्दे पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 फरवरी, 1986 को आखिर ऐसा क्या हुआ? 1984 में आप अपार बहुमत में थे। श्री राजीव गांधी जी एक युवा नेता थे। हम जैसे नौजवान गर्व करते थे कि पहली बार कोई नौजवान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। आप पर तरह-तरह के आरोप थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था।...*(व्यवधान)* आप तो बच्चे ही रहे होंगे।... *(व्यवधान)* लेकिन हर मामले में आपसे बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उम्र में कम हैं, लेकिन अक्ल में कम नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*

मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हूं और मैंने मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट के बारे में संविधान में पढ़ा है। बातचीत की भाषा में जरूर कहते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी तरफ मत देखिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, वे बहुत टोकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपको ही ऐड्रैस कर रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आप अपनी बात कहिए तो कोई नहीं बोलेगा।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस तरफ मत देखिए, इस तरफ देखिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : 1 फरवरी, 1986 को जिला जज, फैजाबाद की कोर्ट में अपील दर्ज की गई और उसके बाद आदेश पारित हुआ कि वहां ताला खुलवाया जाए। वहां दूरदर्शन का कैमरा मौजूद था।

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

इतना फास्ट सिस्टम कैसे हुआ कि अयोध्या जैसी छोटी जगह में पहले से दूरदर्शन का कैमरा मौजूदा था। आदेश ऐसे ही पारित नहीं हुआ। कांग्रेस की उस समय की श्री बीर बहादुर सिंह की सरकार से, कोर्ट ने पहले पूछा कि अगर ताला खुलवा दें तो कोई साम्प्रदायिक तनाव तो नहीं होगा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तो खराब नहीं होगी। कांग्रेस की सरकार ने यह कहा कि कोई कानून एवं व्यवस्था खराब नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में लिख कर दे दिया तो कोर्ट ने वहां ताला खुलवा दिया और पूरे देश में इस सीन को बहुत प्रचार के साथ दिखाया गया। उसके बाद बीच की घटना को मैं छोड़ता हूं।

1989 में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री थे और आदरणीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। 6 दिसम्बर, 1989 को संसदीय चुनाव में राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से शुरू किया। जैसा कल हमारे मित्र श्री जेटली जी कह रहे थे, वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर धन्य हो गया हूं। उन्होंने वहां राम राज्य की कल्पना की क्योंकि 1984 में जब केन्द्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी, मैं इस बात को पूरे दावे से कहता हूं कि उस समय देश का साम्प्रदायिक वातावरण खराब था और अल्पसंख्यक डरा, सहमा हुआ था, सिख अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म हुए थे। उस वक्त उन्होंने बोट क्लब पर यह बयान दिया गया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। धरती हिली हुई थी। उसके बाद 1984 में अपार बहुमत से वह सरकार आई। उस समय सरकार कई तरह से घिरी हुई थी, कहीं बोफोर्स को मुद्दा सरकार पर छाया हुआ था कहीं कुछ और मामला था। 1989 में यह सोचा गया कि चुनाव जीतने के क्या तरीके होंगे तो फैसला हुआ कि पुरान तरीका इस्तेमाल करते हुए 6 नवम्बर, 1989 को सब लोग पहले दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई से चुनाव अभियान शुरू करते हैं। उन्होंने अपने चुनाव अभियान को केन्द्रित किया। 6 नवम्बर, 1989 को अयोध्या में उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया। 7 नवम्बर, 1989 को शिलान्यास की जगह को उस वक्त की सरकार ने विवादित घोषित किया, 9 नवम्बर को वहां शिलान्यास किया गया और 11 नवम्बर को फिर कार सेवा रुकवा दी गई। जिस दिन शिलान्यास किया गया, यह सोच कर किया गया कि शायद इससे हिन्दू खुश हो जाएंगे। उस दिन तो कांग्रेस से मुस्लिम भाग गए और 11 नवम्बर को जब उन्होंने कार सेवा रुकवाई, उस दिन इनसे हिन्दू भाग गए।

मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं-

न खुदा ही मिला, न विसाले सनम
न इधर के रहे, न उधर के रहे।

बीच का भी एक प्रकरण आता है। मैंने आपसे कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं कल से सोच रहा हूं कि अकलियतों की चिन्ता करने वाले इतने लोग मौजूद हैं, अकलियतों के बारे में हर आदमी बड़ी लम्बी लम्बी बातें कर रहा है, मुझे मालूम है कि मैं अकलियतों का पहला मुस्लिम हूं जो संसद में इस मुद्दों पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं। न इन्होंने शुरू करवाया न उन्होंने शुरू करवाया। पता नहीं बाद में कुछ लोग मेरे इधर से बुलवा देने के बाद उधर से भी अपनी पार्टी के किसी अकलियत नेता को मौका दे दें ताकि वह अपना दर्द आपके सामने बता सके।

श्री मुलायम सिंह जी की सरकार आ गई। बड़ी-बड़ी बातें हुईं। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, केन्द्र में श्री वी. पी. सिंह उस समय देश के प्रधान मंत्री बने। मुझे याद है कि मुरादाबाद का दंगा भी उन्हीं के समय में हुआ था। लेकिन मेरठ के दंगे के बाद श्री वी. पी. सिंह, मलयाना और हिंडन नदी, जहां एक लाइन से खड़े होकर मुसलमानों को मार गया था, वह देखने गए और देखते ही पूरे देश में उनकी इमेज, खासकर अकलियत समाज में बहुत बड़ी हो गई। उसके बाद अल्पसंख्यक समाज को लगा कि शायद उसे मसीहा के रूप में नेता मिल गया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो मुस्लिम नेता से भी बढ़ चढ़ कर बातें करतें हैं, मुसलमानों से कहने लगे कि चिन्ता की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं जीवित हूं, बाबरी मस्जिद का बाल बांका नहीं होगा। मुसलमानों ने उन पर यकीन किया। 28 अक्टूबर, 1990 को उन्होंने कहा कि यहां कोई नहीं पहुंचेगा।

28 अक्टूबर 1990 को अशोक सिंघल जी वहां पहुंचे। मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी कि एक चिड़िया भी अयोध्या में नहीं पहुंच सकेगी, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वहां अशोक सिंघल जी पहुंच गये, साथ ही हजारों-लाखों कारसेवक पहुंचे गये और 30 अक्टूबर, 1990 को वहां पर जो लोग पहुंचे तो यह छः दिसम्बर को ही बाबरी मस्जिद के ऊपर नहीं चढ़े हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी इससे बच नहीं सकते। 28 अक्टूबर, 1990 को भी बाबरी मस्जिद के लोग ऊपर कारसेवा हुई, लोग ऊपर चढ़े, उसमें तोड़-फोड़ हुई, वहां पर झंडा फहराया गया। फिर बाद में मुलायम सिंह जी ने उनको वहां पर चढ़ने दिया। मैंने कल वीडियों कैसेट बहुत गौर से देखी है। मैं इस बात की जिरह के लिए पूरी तरह तैयार हूं। न्यूज ट्रैक की वीडियो कैसेट में जब यहां से कारसेवक बढ़ रहे हैं तो मुलायम सिंह जी की फोर्स पीछे होती जा रही है और वहां तो कारसेवा के वक्त में छः दिसम्बर को ताक गेट तोड़ा गया, लेकिन मुलायम सिंह जी के समय में गेट तोड़ा नहीं गया, गेट खोला गया और गेट खोलकर कार सेवक को आमंत्रित किया गया, आमंत्रित करके ऊपर चढ़ाया गया और फिर प्लानिंग के तहत गोली मारी गई ताकि अल्पसंख्यक समाज को खुश किया जाये कि देखो, मैं पहला आदमी हूं, जो तुम्हारे लिए हिन्दू पर गोली चला रहा हूं, मैं कितना बड़ा हमदर्द हूं, देखो मैं अपनी कौम पर गोली चला रहा हूं, मेरे से बड़ा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद गोली चलाई गई।...*(व्यवधान)* झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं यह साबित करूंगा। अगर इस पर कोई कुछ कहना चाहे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत स्पीकर्स बोलने वाले हैं, आपको भाषण जल्दी खत्म करना है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं तो अक्लियत का दर्द रख रहा हूं और जब दर्द निकलेगा, जब दर्द बताएंगे तो आदमी की आवाज तेल की निकलेगी। ये जानते हैं, ये अल्पसंख्यकों को बोलने भी नहीं देंगे, ये इसे अपनी जागीर समझते हैं। मुलायम सिंह जी ने ताला खुद खोला। कल मुलायम सिंह जी ने एक बात कही और मैं कल मंत्री पद की मर्यादा को भी तोड़ते हुए खड़ा हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा घराना भी समाजवादी है, मैं मुलायम सिंह जी बहुत इज्जत करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा कि अब अगर ये मंदिर बनाने जाएंगे तो वहां मुसलमान नहीं जायेगा, समाजवादी पार्टी का वर्कर जायेगा ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मैंने यह नहीं कहा है, आप संशोधन कर लो। हिन्दू और मुसलमान का मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा, लेकिन आपको मुसलमानों से कहीं नफरत नहीं हो जाये, इसलिए समाजवादी पार्टी का हिन्दू वहां जायेगा और अगर जबरदस्ती करोगे तो जबरदस्ती हर हालत में हम आपका मुकाबला करेंगे - मैंने यह कहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में काफी शोर है। कृपया मंत्री महोदय की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: कल आपने भषण में कहा था, मुलायम सिंह जी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ज्यादा टाइम नहीं बोलना है, जल्दी खत्म करें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, इधर का समय मुझे दे दिया जाये। मुलायम सिंह जी ने कहा और यह सही है कि अभी भी कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान मुलायम सिंह जी पर भरोसा करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत से सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इसलिए मैं हाथ जोड़कर मुलायम सिंह जी विनती करता हूं कि अब कोई ऐसी बात मत कह दीजिए कि एक बार तो बाबरी मस्जिद टूट गई और दूसरी बार आप कह दीजिए, मुसलमान आपके भरोसे रह जायें और कहीं बातचीत भी न करें, कहीं समझौता भी न करें और फिर वे सब कुछ हो जाये और बाद में आप कहें कि हम क्या करें, हम मजबूर थे, यह मत कहिये, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। एक शायर ने सही कहा है कि:

"उसने फिर किया अहदे वफा,
बेवफा फिर मुकर न जाये।"

मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए कि मैं अभी नौजवान हूं और नौजवान के लिए अगर कोई नौजवान प्रधानमंत्री इस देश के अन्दर हुआ है तो वे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुए, लेकिन राजीव गांधी जी के जमाने में, पता नहीं उनके सलाहकार कैसे थे, मुझे तो उसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। राजीव गांधी जी और नरसिंह राव जी को अलग नहीं किया जा सकता है। नरसिंह राव जी ने जो किया, उसे राजीव गांधी जी से अलग नहीं किया जा सकता है।

जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के हल के लिए एक कमेटी बनाई थी। उनको पूरी कांग्रेस में सबसे सही व्यक्ति आदरणीय नरसिंह राव जी ही नजर आए थे। 1988 में कैबिनेट की एक कमेटी बनाई और राजीव जी ने उस कमेटी का अध्यक्ष नरसिंह राव जी को बनाया। इसलिए उन्होंने छः दिसम्बर को प्रमाणित हल ढूंढ दिया। मैं नरसिंह राव जी के लिए उल्लेख करना चाहता हूं, इसी लोक सभा के अंदर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है, ये लोग अक्लियत के आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। यहां पर इसी विषय पर एक-एक घंटे तक भाषण दिए गए हमने उनको बड़े संयम से सुना। इन्हें चाहिए कि हमें भी संयम से सुनें। मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि 1992 के अंदर लोक सभा में नरसिंह राव जी ने कहा था कि सरकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं होने देगी। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें नरसिंह राव जी को इस मामले में पूरे अधिकार दिए गए थे। सैयद शहाबुद्दीन जी ने ड्राफ्ट तैयार किया था और यह अधिकार दिया था कि मस्जिद बचाने के लिए जो भी सरकार कर सकती है, वे सारे अधिकार उनको दिए जाते हैं। उसके लिए यह नहीं कह सकते कि वहां कल्याण सिंह जी की सरकार थी इसलिए कुछ नहीं कर सके। आप प्रधान मंत्री थे, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। राष्ट्रीय एकता परिषद के अंदर भी आपने वादा किया था। आपको सारे अधिकार दिए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद फिर भी गिर गई।

श्री राज बब्बर (आगरा): आप वहां मंदिर बनाना चाहते हैं या नहीं, आप इसका हां या न में जवाब दो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन के भाषण के अतिरिक्त, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप सुनिए तो। उपाध्यक्ष महोदय, ये फिल्मों से यहां आए हैं, इनको कुछ पता नही...*(व्यवधान)* यह नाटक नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शाहनवाज, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मुझे भी फिल्मों से आफर मिले हैं, लेकिन मैं मंत्री हूं इसलिए वहां नहीं गया। वैसे हीरो का रोल मैं भी अच्छी तरह से अदा कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय को चार बजे उत्तर देना है। अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। यदि इस प्रकार से चलता रहा, तो उन्हें किस प्रकार अवसर मिलेगा?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। आप पहले ही आधे घंटे से अधिक बोल चुके हैं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपके अपने सदस्य आपको अधिक परेशान कर रहे हैं।

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम सदन में शांति कर रहे हैं तो आप उधर देख रहे हैं। हम सदन में सदस्यों को बैठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शांति राज बब्बर जी को कराइएगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): क्या बात हो गई है? उन्होंने इतना सवाल पूछा है कि मंदिर बनवाओगे या नहीं बनवाओगे, बस इतना ही पूछा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे पास काफी वक्ता हैं। माननीय प्रधानमंत्री को 4 बजे उत्तर देना है। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें, अन्यथा हम कार्य समाप्त नहीं कर पायेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह राज बब्बर जी मेरे यहां चुनाव प्रचार करने गये थे। तब भी मैं चुनाव जीत गया था, इसलिए यह बहुत विचलित हैं ....*(व्यवधान)* नरसिंह राव जी ने इस हाउस में तथा एकता परिषद में वादा किया था, उसके बाद फिर दूरदर्शन पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वादा किया था।....*(व्यवधान)* 6 दिसम्बर को लोग परेशान थे, मेरी भी आंख में आंसू थे। हिन्दुस्तान का मुसलमान डरा हुआ था, हिन्दुस्तान का मुसलमान परेशान था।....*(व्यवधान)* उस वक्त भारत के प्रधान मंत्री के तौर पर और कांग्रेस के नेता के तौर पर नरसिंह राव ? ने टी. वी. पर कहा था कि हम फिर से वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे लेकिन अब ये मैनीफैस्टो में भी नहीं लिखते हैं।.... *(व्यवधान)* उसके बाद 15 अगस्त को लालकिले पर ये पहुंचे। ....*(व्यवधान)* 15 अगस्त को लालकिले से नरसिंह राव जी ने कहा .....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अब रामालय ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर बनाएंगे। बाबरी मस्जिद की बात भूल गये और उसके बाद अब वह बात इनको याद आ रही है।....*(व्यवधान)* मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं।....*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कांतिलाल भूरिया, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: 6 दिसम्बर 1992 को सी.आर.पी.एफ. के लोग वहां पहुंचे थे। बारह बजे से कार सेवा शुरू हुई थी। ....*(व्यवधान)* 6 बजे वहां पर कल्याण सिंह जी की सरकार समाप्त हो गई। मैं मानता हूं कि बी.जे.पी. की सरकार में 6 घंटा कार सेवा हुई लेकिन 36 घंटे की बात की गई, ये छः गुना आगे थे। इन्होंने 6 घंटा कहा तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम 36 घंटा करेंगे और उस वक्त सब लोग गायब थे। ....*(व्यवधान)* मैं तो बिहार से आता हूं। हमारे यहां लालू प्रसाद यादव जी बहुत भारी सैकुलर नेता हैं और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे प्राणों पर यह मेरी लाश पर बाबरी मस्जिद तोड़ी जाएगी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ....*(व्यवधान)* लोग एक करोड़ लेकर पहुंचे। इधर नरसिंह राव जी सो गये। ....*(व्यवधान)* उधर लालू जी सो गये और मुलायम सिंह जी भी नहीं आये। ....*(व्यवधान)* मैं राम मंदिर-मस्जिद विवाद पर नहीं बोल रहा हूं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब समाप्त करिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। आजादी के बाद भारत के मुसलमानों को शिक्षा चाहिए थी, उन्हें रोजगार चाहिए था, उन्हें सुरक्षा चाहिए थी लेकिन कांग्रेस की सो-कॉल्ड सैकुलर ताकतों की सरकार रही। उसमें उन्हें सुरक्षा नहीं थी। ....*(व्यवधान)* आज भारत का मुसलमान गरीब है कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि अगर मुसलमान नौकरी में तीन प्रतिशत है तो क्यों है? बीजेपी की सरकार तो दो साल से है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुसलमान गजेटेड अफसर क्यों नहीं हैं? आपने मुसलमानों की तालीम के लिए क्या किया? ....*(व्यवधान)* आपने मुसलमानों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है।....*(व्यवधान)* बीजेपी की सरकार तो दो साल से आई है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, आप अनावश्यक रूप से उन्हें क्यों उत्तेजित कर रहे हैं?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: पिछले दो साल से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के लोग पहले मुसलमानों को यह कहकर डराते थे कि मुसलमानों, बीजेपी के पास मत जाना, अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो तुम्हारा हिन्दुस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा।

बीजेपी की सरकार आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मुसलमानों ने उनकी भूल को स्वीकार किया। उनको यह लगा कि वाजपेयी जी की सरकार में उनका रहना आसान हो गया है। वाजपेयी जी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित हैं देश में दंगे नहीं हैं, अमन-अमान है। महोदय, अमन-अमान इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये अब मुसलमानों को बहका नहीं सकते हैं और इसलिए ये परेशान हैं। जब कश्मीर के अन्दर प्रधान मंत्री जी ने सीज-फायर किया, तो इन लोगों को घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि नेशनल-इन्टरनेशनल लेवल पर प्रधान मंत्री जी की इमेज बनी है। वास्तविकता यह है कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास पुराना हिडन एजेंडा है, वह एजेंडा है कि बाबरी-मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को बहकाकर रखो, ताकि असल मुद्दे से भटक जायें। राजनीति करने के लिए इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और कहता हूं कि ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं। अगर ये अपने आपको सैक्यूलर कहते हैं, तो इनकी सैक्युलरिज्म की पोल खुल कर रहेगी और मुसलमानों के सामने आएगी।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

विभिन्नता में एकता दर्शाने वाला भारत महान देश है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान के अनुसार सभी संसद सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है।

[श्री के. येरननायडू]

यह एक पुराना मामला है। यह आठ वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय तेलुगु देशम में पार्टी ने प्रतिक्रिया की थी। इहमने इसे जघन्य अपराध और भारत के इतिहास में काले दिन के रूप में माना था। उस समय हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी डा॰ एन. टी. रामराव ने बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले को अत्यधिक गंभीरता से लिया था। तेलुगुदेशम पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अविश्वास प्रस्ताव के समय अपनी नीति रखी थी। उस समय हमने दोनों पार्टियों के शामिल होने की भर्त्सना की थी। उस समय राजग के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय लोगों ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने इस जघन्य घटना की निंदा की थी।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जाने-अनजाने रूप में जिस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसे विकट समय में, जब अब से तीन सप्ताह के बाद देश 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहा है, पिछले सात दिनों में अथवा एक सप्ताह से कुछ अधिक समय से संसद मे घटित घटनाचक्र ने संसदीय प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त कर दिया है। आंध्र-प्रदेश के किसान संकट में हैं। हम इस महान सभा में यह मुद्दा उठाना चाहते हैं परंतु उसके लिए समय नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दलों की प्राथमिकतायें बिलकुल अलग हैं।

ऐसा आठ वर्ष पूर्व हुआ था। राजनीतिक उद्देश्यों के साथ, कुछ प्राप्त करने की नीयत से सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। वे धर्म को राजनीति में लाना चाहते हैं। हम हर वर्ष इस पर संसद में चर्चा करते हैं। यह उचित नहीं हैं। ये सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और यहां तक कि निचली अदालतों में लंबित हैं।

अब मैं घटनाक्रम पर बोलूँगा। दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री ने सदन से बाहर कुछ टिप्पणी की है, जिसका कुछ निहितार्थ था। सभा में अवरोध के समय, उन्होंने तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाये रखने और बाबरी मस्जिद को गिराने संबंधी प्रस्ताव पेश किया था अथवा नहीं हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। हम सभा से बाहर प्रधान मंत्री के वक्तव्यों के बारे में केवल स्पष्टीकरण चाहते हैं।

यह एक पुराना मामला है। मंत्रियों को बनाये रखना प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है। यह पूर्णरूप से मंत्रिपरिषद् की मिली-जुली जिम्मेदारी है। कल श्री अरूण जेटली ने व्यापक रूप से इसे स्पष्ट किया अत:, यह एक पुराना और न्यायनिर्णयाधीन मुद्दा है।

चूँकि कांग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री के वक्तव्यों को गंभीरता से नहीं लिया, इसने प्रधान मंत्री के वक्तव्यों के आधार पर नियम 184 के अंतर्गत यह प्रस्ताव पेश नहीं किया। उसने तीन मंत्रियों को हटाने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया। मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछ रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया।

पिछले तीन वर्षों से वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री है। श्री हरिन पाठक ने भी त्यागपत्र दिया है। संसद सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव क्यों नहीं रखा। यदि कांग्रेस पार्टी की बात बिल्कुल ठीक है और वह इस मुद्दे के गुणावगुणों पर चर्चा करना चाहती है तो संसदीय क्षेत्र के आरंभ में उसने नियम 184 के अंतर्गत यह प्रस्ताव क्यों नहीं रखा?

मैं कांग्रेस पार्टी से यह प्रश्न पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)* बड़े आश्चर्य की बात है कि एक सप्ताह के बाद अब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के 115 वर्षों के इतिहास की बपौती की दावेदारी करती है और तीन मंत्रियों को हटाने के लिए इसने यह प्रस्ताव किया है । मेरी पार्टी यह जानना चाहती है कि तीन मंत्रियों को हटाने का यह मुद्दा क्या वाकई कोई मुद्दा है जिसके प्रति अब देश गंभीर है। देश के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दे चिंता के विषय बने हुए हैं। हमारे पास गरीबी का, निरक्षरता का मुद्दा है स्वास्थ्य समस्यायें इत्यादि हैं। इस देश में किसानों की भी समस्यायें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तीन मंत्रियो को हटाने के लिए नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश किया है। इससे एक सप्ताह के लिए सभा की कार्यवाही रुक गई; हमने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा नहीं की। कांग्रेस दल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा राजनैतिक उद्देश्य से किया गया है।

अब घटनाओं का क्रम देखें। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से काफी भ्रम उत्पन्न हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्यों के बाद तेलगुदेशम पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह अनुचित, अकारण तथा अनावश्यक है। 'राजग' के न्यूनतम साझा एजेंडों के कारण तेलुगुदेशम पार्टी बाहर से समर्थन दे रही है। 'राजग' के न्यूनतम साझा एजेंडे की बारीकी से संवीक्षा करने के बाद तेलुगुदेशम पार्टी अपना समर्थन दे रही है। हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने से कोई समझौता नहीं किया गया है। तेलगुदेशम पार्टी हमारे विकास आदि के लिए साम्प्रदायिक सद्भावना, लोकतंत्र, यहां तक कि धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा में विश्वास करती है तेलुगुदेशम पार्टी के लिए ये मूलभूत सिद्धांत अथवा मार्गनिर्देशक तत्त्व है। इसलिए धमनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री द्वारा ये वक्तव्य दिए जाने के पश्चात्, कुमारी ममता बनर्जी तथा मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिले। हमने माननीय प्रधानमंत्री के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। यह राष्ट्रीय जनजांत्रिक गंठबंधन की सरकार है। राजग का एजेंडा हमारा एजेंडा है। तेरहवीं लोक सभा के चुनाव के समय हम राजग के न्यूनतम साझा एजेंडा के आधार पर इस देश की जनता के पास गए थे। उन्होंने न्यूनतम साझा एजेंडा के आधार पर मतदान किया है। हम न्यूनतम साझा एजेंडा के आधारभूत तत्वों पर दृढ़ हैं। ऐसे समय में इस तरह के वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता है जिससे देश में भ्रम उत्पन्न हो इसलिए राजग

सरकार को न्यूनतम साझा एजेंडा के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमने स्पष्ट रूप से ये सब बातें प्रधानमंत्री को बताई । प्रधानमंत्री को भी इस सभा में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह कहा था।

लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब बातों पर दृढ़ नहीं है। वे केवल तीन मंत्रियों को हटाना चाहती है। इस मांग का कोई आधार नहीं है। यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है। यह मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रियों का अपने पद पर बने रहना माननीय मंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वक्तव्यों के संबंध में मौन है और उसने इस सभा का समय बर्बाद किया है। ये मेरी पार्टी की टिप्पणियां हैं।

- मैं कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि यदि वे हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों से प्रसन्न और संतुष्ट हैं - यदि वे इस मामले पर मौन हैं और यदि वे अयोध्या मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वे प्रधानमंत्री के वक्तव्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अयोध्या मामले पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जैसे घटनाएं हुई हैं यदि हम उनको देखें तो हम पाएंगे कि वर्ष 1986 में कांग्रेस पाटी ने भानुमती का पिटारा खोला जिसमें परिणामसवरूप अंतत: बाबरी मस्जिद को गिराया गया। वर्ष 1989 में स्व॰ श्री राजीव गांधी ने विश्व हिन्दू परिषद्, कार सेवकों को पूजा करने की अनुमति दी। उन्होंने अयोध्या से चुनाव अभियान शुरू किया। इसलिए, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा कराने के बारे में उनकी नैतिकता कहां गई? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं।

इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? वर्ष 1992 में कांग्रेस तथा भाजपा दोनों ही जिम्मेदार थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के श्री पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव सत्ता में थे। यदि किसी से गलती हुई थी तो उन्हें सरकार भंग कर देनी चाहिए थी और स्मारक की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल भेजने चाहिए थे। सरकार स्मारक की सुरक्षा नहीं कर पाई और हर साल हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हम इस मुद्दे पर काफी समय बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्र और जनता के सामने अनेक मुद्दे और समस्याएं हैं। उन मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं हैं। लेकिन हर साल हम धर्म के मामले पर चर्चा करते हैं। चुनावों के बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान के निर्धारित सिद्धातों के अनुसार शपथ लेते हैं। लेकिन संविधान का कोई सम्मान नहीं करता। यदि संसद सदस्यों का संविधान के प्रति कोई सम्मान है तो उन्हें सभी धर्मो से प्रेम करना चाहिए। यदि बहुमत, अल्पसंख्यक का सम्मान करेगा तो देश प्रगति करेगा। कुछ देश जिन्हें भारत के साथ स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं, वे नई दिशा में प्रगति कर रहे हैं और नई आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं। हम उन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। इस सम्मानीय सभा में इन सब मुद्दों के लिए समय कहां हैं? इसलिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस नई सहस्राब्दी में एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हमें इस नई सहस्राब्दी में शपथ लेनी चाहिए कि हम उन विषयों पर सर्वसम्मति बनाएंगें जो इस देश की जनता के लिए चिंताजनक हैं। हमें एक साथ बैठना चाहिए। हमें एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, हमे शपथ लेनी चाहिए तथा संविधान और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सभी राजनैतिक दलों से मेरा यह अनुरोध है। हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। सभी धर्मों के लोगों ने हमें संसद सदस्य बनाने हेतु मतदान किया था। इसलिए हमें सभी धर्मों के हित का ध्यान रखना होगा। अन्यथा, धर्मनिरपेक्षता का कोई तात्पर्य नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है। इसलिए मैं मुख्य दलों, कांग्रेस और भाजपा से अपील करता हूं कि यह एक पुराना मुद्दा है जो आठ वर्ष पूर्व घटित हुआ था और सभी मामले न्यायालयों में लंबित है। न्यायालय में समय लगेगा। ये न्यायनिर्णयाधीन हैं। हर समय हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इस सत्र में हमने नौ दिन बर्बाद किए हैं। पिछले दो दिन से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं, पिछले पांच वर्षो से संसद सदस्य हूं। हर साल यह मामला तारांकित प्रश्न अथवा अतारांकित प्रश्न के रूप में अथवा वाद-विवाद के द्वारा चर्चा के लिए आ रहा है। हम कहां जा रहे हैं? सभी राजनैतिक दलों से मेरी यह विनम्र अपील है कि इसके बाद हमें इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त कर देनी चाहिए। चर्चा तभी होनी चाहिए जब धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। केवल तभी हमें सभा में मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। हम, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य को स्पष्ट करें। इससे काफी भ्रम पैदा हुआ है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जनता ने हमें चुना है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इन तीन मुद्दों अर्थात् अनुच्छेद 370, समान सिविल विधि तथा राममंदिर निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इन मुद्दों का उल्लेख नहीं है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर "राजग" का गठन हुआ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर हम जनता के पास गए, जनमत लिया और सरकार बनाई। इसलिए, जब तक यह सरकार सत्ता में है तो हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार क्यों न चलें? हमें एक शब्द, पंक्ति अथवा वाक्य से भी हटना नहीं चाहिए। यह मेरी पार्टी का दृढ़ विचार है। हम इस आधार पर समर्थन दे रहे हैं। जब कभी धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई खतरा उत्पन्न हुआ, तेलुगुदेशम पार्टी ने हमेशा साथ दिया। गुजरात मुद्दे, सरस्वती बंदना तथा अन्य मुद्दों के समय तेलगुदेशम पार्टी ने इस सभा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था?

एक बार उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री रामप्रकाश गुप्ता ने राममंदिर के निर्माण के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उस समय मैंने साथ दिया और यह मुद्दा उठाया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उस समय मैंने कहा कि उनके वक्तव्य के कारण पूरे देश में भ्रम है। तब प्रधान मंत्री, जो महान व्यक्ति और एक राजनयिक हैं, ने कहा कि आप प्रधानमंत्री, राजग सरकार और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विश्वास करें। हम इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अनुसरण करेंगे। यह हमारा संविधान है और यही हमारा बाइबल है। हमारे प्रधानमंत्री ने यह, कहा था।

[श्री के. येरननायडू]

हम अभी भी प्रधानमंत्री, श्री अटलबिहारी बाजपेयी पर विश्वास करते हैं। वह एक राजनयिक हैं। वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के एक शब्द से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें अभी भी उनमें विश्वास है। जब हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचित हुए हैं तो हमें देश के अंदर अथवा बाहर कुछ नहीं करना चाहिए अन्यथा यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम से गुमराह होना होगा। हमें केवल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहिए न कि अपने निजी एजेंडे के बारे में।

अपराह्न 2.00 बजे

मेरी पार्टी की अपनी नीति है। तृणमूल की अपनी नीति है और इसी तरह डी॰ एम॰ के॰ तथा शिव सेना की भी अपनी अपनी नीतियां हैं। राजग के प्रत्येक घटक की अपनी संरचना और एजेंडा है। हमने समस्या वाले मुद्दों को एक तरफ रख दिया है और अपने निजी एजेंडे में से एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमारी बाइबल, गीता और कुरान है।

मैं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाता हूं कि इस प्रस्ताव को लाने के पीछे उसका राजनैतिक उद्देश्य है। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री जयपाल रेड्डी से पूछता हूं कि यदि वे सदाचार, सिद्धांतों के समर्थक हैं तो वे बिहार में श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं? बिहार विधान सभा में कांग्रेस टिकट से 24 विधायक निर्वाचित हुए और इन सभी 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ... *(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी इस संबंध में संदिग्ध भूमिका अदा कर रही है और दोहरे मानदण्ड अपना रही है। यदि इसके दोहरे मानदण्ड नहीं हैं तो इसने तीन मंत्रियों का उल्लेख नहीं किया होता। इसलिए, मैं कहता हूं कि यह राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव है। वे सभा के समक्ष यह प्रस्ताव लाकर राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन भारतीय मतदाता बहुत सुलझा हुआ है। वे कांग्रेस को केवल इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने सभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

तेलुगुदेशम में पार्टी विकास की पक्षधर है। हम महसूस करते हैं कि विधिवत् रूप से निर्वाचित सरकार को पांच वर्षों के लिए विकास, आर्थिक पुनर्निर्धारण तथा इस तरह के अन्य मुद्दों के बारे में ही बातें करनी चाहिए...*(व्यवधान)* एक बार निर्वाचित होने के बाद उन्हें पांच वर्ष तक राजनीति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में गरीबी अनुपात 32 प्रतिशत से कम है। इसलिए, हमें विकास के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं। मैं, सभी दलों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना दृष्टिकोण बदलें। श्री क्लिंटन ने एक बार कहा कि आने वाली शताब्दी में भारत और चीन दोनों महाशक्तियाँ बनेंगे। क्या इस तरह से वाद-विवाद करके हम महाशक्ति बन सकते हैं? हमें नए दृष्टिकोण से नए मुद्दों पर ध्यान देना होगा। तेलुगु देशम पार्टी इस देश की जनता को नई दिशा दे रही हैं। हम विकास कार्य में इस देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य देश का समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन करना, नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य देना, जनसंख्या कम करना आदि हैं। हम इस देश के प्रत्येक नागरिक की प्रगति के पक्षधर हैं। अतः, हम कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश प्रस्ताव का विरोध करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, देश के मशहूर पार्लियामैंटेरियन श्री जयपाल रेड्डी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री चन्द्रशेखर और नेता श्री मुलायम सिंह यादव सभी नेताओं का भाषण इस पर हो चुका है। नियम 184 के अधीन कल से बहस चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहस में श्री मल्होत्रा, शिव सेना के श्री गीते और टी. डी. पी. के श्री येरननायडू ने कहा कि 7-8 दिन तक दिन की कार्यवाही बाधित हुई, समय बर्बाद हुआ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, ये क्या हो रहा है? कृपया अपने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने के लिए कहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, समय की बरबादी हुई, इसमें किसका कसूर है। प्रधानमंत्री जी ने बेलगाम बयान दिया, उन्हीं का कसूर है। जब गुजरात की सरकार ने आर.एस.एस. वाला विवादित आदेश जारी किया था, उस समय भी संसद की कार्यवाही बाधित हुई थी। जब वह आदेश वापस ले लिया गया तो संसद की कार्यवाही चली। यहां भी बहुत सारे इश्यूज बहस के लिए थे लेकिन 8-9 दिनों से यह बयान आता रहा कि सदन चलाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं लेकिन यह सदन न चलने देने के लिये किसका कसूर है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कसूरवार हैं जिन्होंने कम्युनल बयान दिया और संसद की कार्यवाही बाधित हुई। हम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं। अभी श्री येरननायडू जी कह रहे थे यह मोशन पालिटिकल मोटिवेटेड है। प्रधानमंत्री जी का बयान आया। क्या वह पालिटिकल था या कम्युनल था? हमारे पास कम्युनल की काट पोलिटिकल है।

उपाध्यक्ष महोदय, उधर से बी. जे. पी. के बोलने वाले पहले वक्ता श्री जेटली थे। सरकार ने अपनी तरफ से अपने को सबसे ज्यादा होशियार समझने वाले आदमी को खड़ा किया। इस देश के कानून मंत्री का क्या हाल है? प्रो. लास्की, जो पालिटिकल साइंस के विद्वान थे, ने कहा था कि जो कोई एक्सपर्ट जिस विभाग को हो, यदि उसे मंत्री बना दिया जाये, वह सब कुछ फेल कर देता है। इसी प्रकार श्री राम जेठमलानी, पूर्व कानून मंत्री थे जो आज भी चीफ जस्टिस के डेट आफ बर्थ की जांच करने के काम में लगे हुये हैं। सब जानते हैं कि श्री जेटली नये हैं और वे बाहर पार्टी के मामलों की पैरवी करते थे। ये लोग उन्हें यहां ले आये। वे वकील हैं जब आसन का निर्णय हो गया कि नियम 184 के तहत बहस होगी तो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। क्या यह रूलिंग के खिलाफ नहीं हैं? जिस देश के कानून मंत्री को इतनी मर्यादा

नहीं कि अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद उस पर कहे कि बहस नहीं हो सकती, यह पालिटिकल मोटिवेटेड है तथा नियम सम्मत नहीं है, मैटर सब-जुडिस है। उस समय में उन पर गुस्सा जाहिर नहीं कर सका क्योंकि जिस प्रधानमंत्री का हाल चौपट हो, उसके बाद नंबर दो या नम्बर तीन को कहां से खोजते फिरें? आज भी प्रधानमंत्री उस बयान पर कायम रहे तो देखें। इस सरकार की आयु खत्म हो गई है और गिर जायेगी। इतने सब कुछ करने के बावजूद भी यह नहीं गिर रही है क्योंकि हम लोगों की कमजोरी है। हम लोगों की विफलता है। श्री शदर पवार या श्री मुलायम सिंह यादव बैठे हुये हैं, सरकार का कोई विकल्प नहीं बनता है। यह सरकार डैड बॉडी है जिसे दफनाने की जरूरत है लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है। सरकार की विफलता के अनेक मुद्दे हैं, नहीं तो यह सरकार कैसे चल जायेगी?

उपाध्यक्ष जी, श्री जेटली जी कहते हैं कि मैटर सब-जुडिस है लेकिन उन्होंने तमाम मर्यादाओं को उलंघन किया है और कहते हैं कि सी.बी.आई. सरकार के अधीन है लेकिन प्रधानमंत्री या गृहमंत्री बीच में बदलते रहते हैं। सी.बी.आई. ने कहा कि मस्जिद तोड़ने के लिए तीनों मंत्री कसूरवार हैं। लोगों ने पढ़कर बताया है। मैं उसे पढ़ने में समय नहीं लगाना चाहता। लेकिन सी. बी. आई. ने कहा कि वे कसूरवार हैं, मस्जिद तोड़ने में उनका हाथ है, उनकी कान्सपिरेसी है, कौन-कौन सी दफा उन्होंने लगाई है। उस पर प्रधान मंत्री जी ने बाहर कहा कि वे बेकसूर हैं, वे वहां बचाने के लिए गये थे और सदन के अंदर इस देश का कानून मंत्री बोल रहा है कि वे बेकसूर हैं और मैटर भी सबजुडिस है और कह रहा है अनप्रिसीडेन्टिड है। यह अनप्रिसीडेन्टिड बात जरूर है इस देश के कानून मंत्री सदन में आकर सबजुडिस मैटर, पर जिसके बारे में बोलने की मनाही है, मर्यादा का उल्लंघन है, बोलना नियम-सम्मत नहीं है। उस पर कसूरवार मंत्रियों, अभियुक्त मंत्रियो को बेकसूर कह रहा है। न्यायपालिका का क्या हाल होगा। प्रधान मंत्री बोल दें कि गृह मंत्री पर मामला है, गृह मंत्री चार्जशीटेड अभियुक्त हैं और सी.बी.बाई. कहती है कि कसूरवार हैं, मस्जिद तोड़ने में इनका हाथ हैं। कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि वे बेकसूर हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आया कि वह कानून मंत्री हैं, फीस लेकर जैसे वकील उल्टा-सीधा बोलते है वैसा समझते हैं। लेकिन यह सदन है, इसमें मर्यादा होती है, इसमें ऊंचाई होती हैं, इसमें समझदारी होती है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अब बिहार पर बोलिये। ....*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह (विक्रमगंज): आप बीच में टोका-टाकी क्यों करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हां, बिहार पर बोलूंगा। मेरे से कोई विषय नहीं छूटेगा। ...*(व्यवधान)* हम कहते हैं कि एक लड़का मंत्री श्री शाहनवाज है। प्रधान मंत्री के बयान की प्रथम गाज उन पर गिरी, जामा मस्जिद में क्या हुआ ...*(व्यवधान)* भगा दिया, अस्वीकार करते हैं कि गुस्से से नहीं मारा, लेकिन मुर्दाबाद करके भगा दिया।.... *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं सफाई देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मुझे सफाई देने का मौका दिया जाए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जामा मस्जिद की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी आपने उनका नाम लिया है, वह सफाई दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में क्या हुआ, यह नई दिल्ली की जामा मस्जिद की बात है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए गया था, वहां मुसलमानों ने कहा कि इस मुद्दे पर आप चुप क्यों रहते हैं और दल के लोग तो मुसलमानों को बोलने नहीं देंगे, आप कुछ बोलिये। महोदय उनकी भावना प्रधानमंत्री तक पहुंची और आज मैं पार्टी की तरफ से यहां बोला हूं। केवल इतनी बात हुई और अखबरों में ऐसा कुछ नहीं आया जो रघुवंश बाबू कह रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण में बोल रहे थे, इन्हें बुलवाया गया है...*(व्यवधान)* लेकिन भाजपा की ओर से बंगारू साहब जो अध्यक्ष बनाये गये हैं, वह बोले कि मुसलमान लोगों के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। देश में 15 से 20 करोड़ के लगभग मुसलमानों की आबादी है, लेकिन यहां कितने कैबिनेट मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)* कहते हैं कि भाजपा भी माइनोरिटी की बड़ी भारी हितैषी हैं, लेकिन उसमें एक भी कबीना मंत्री नहीं हैं। पुराने मंत्री सिकन्दर बख्त साहब को धकियाकर उधर कर दिया...*(व्यवधान)* एक शाहनवाज लड़का मंत्री है, उन्हें उधर मार, इधर मार, हर तरफ मार, ऐसे मंत्री के लिए हम क्या कहें, क्या दुर्दशा हैं। खेल विभाग से कही और वहां से कहीं और जगह इस तरह का व्यवहार हो रहा है और यह दिखाना चाहते हैं कि हम माइनोरिटीज के बड़े हितैषी हैं। ये कम्युनल लोग माइनोरिटीज के हितैषी कब से हो गये...*(व्यवधान)* आपने बिहार के बारे में कहा था, लीजिए मैं बिहार से शुरू करता हूं। बिहार से जो श्री हुक्मदेव नारायण यादव मंत्री हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जब टाइम मिलेगा तब आप अपनी बात केरना, इस तरह से बात करने की इजाजत नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह घोर लोहियावादी हम लोगों के साथी थे, अब उधर बैठ कर ऊंघ रहे हैं।

पहले इनके पास कृषि विभाग में ऐनिमल हस्बैन्डरी विभाग था, वह छीन लिया गया और अब पोत परिवहन मंत्रालय दे दिया। अब ये कहां बिहार में जहाज चलाएंगे। यह दशा है पिछड़े वर्गों की। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति उधर किस हालत में है - कड़िया मुण्डा को 13 दिन में मुख्य मंत्री बनाने का आश्वासन दिया, फिर यहां मंत्री बना दिया, फिर यहां भी नहीं, झारखंड में भी नहीं, यह दुर्दशा है आदिवासियों की, अनुसूचित जातियों की। क्या यह भाजपा की मानसिकता

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हैं और क्या ये समरस समाज बनाएंगे ? ये लोग भी उधर की वकालत करते हैं और हां में हां मिलाते हैं। असली बात हमसे कहते हैं कि वहां चौपट हाल है, माइनरिटीज और आदिवासियों को बुरा हाल है। येरननायडू जी कह रहे थे कि हम सैक्यूलर सरकार चला रहे हैं। सेक्यूलर कैसे होंगे। प्रधान मंत्री ने जो भाषण दिया, कहा कि मंदिर बनाना राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक बिहार का सदस्य इधर खड़ा होता है तो उधर भी खड़ा हो जाता है। यह क्या है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान जी, आप तो बिहार के नहीं हैं। राधामोहन जी आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पहला खतरा तो सरकार के इन लड़के मंत्री को ही है और दूसरा खतरा उनके सहयोगी घटक दलों को है। जो सहयोगी दल हैं, उनको ज्यादा पीड़ा हुई। सबसे ज्यादा पीड़ा बहन ममता बनर्जी और श्री येरननायडू को हुई। वे प्रधान मंत्री के यहां गए कि ये आपने क्या बोल दिया।...*(व्यवधान)* ये लोग नौकरी करते हैं। बिहार के सारे मंत्री सरकार में नौकरी करते हैं और सांसद लोग भी झुम्मर पाड़ते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : क्या बोलते हैं ये? झुम्मर पाड़ना क्या होता है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो आप वहां कर रहे हैं, उसी को झुम्मर पाड़ना कहते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : इनके रहते संसदीय शब्दकोश को बदलना पड़ेगा। इनके रहते परिभाषाओं को सदन में बदलना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, क्या आप व्यवधान डालना बंद करेंगे, श्री प्रधान? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अन्यथा, मैं आपके व्यवहार को गंभीरता से लूंगा। टीका टिप्पणी करना बंद करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के जार्ज फर्नान्डीज लोहियावादी थे, हमारे साथ थे, लेकिन कल जो उनकी दुर्दशा हमने देखी तो वे प्रधान मंत्री का 1992 का बयान पढ़ रहे थे। हमने कहा उस समय आप कौन सी पार्टी में थे, अपने बयान क्यों नहीं पढ़ते? लोहिया का नाम उन्होंने लिया। डॉ लोहिया कहते थे कि "जिन्दा कौमें पांच साल तक इंतजार नहीं करतीं। इस तरह की नालायक हुकूमत को धक्का देकर गिरा देना चाहिए।"*

और कहते हैं कि डॉ. लोहिया के समर्थक हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह असंसदीय है।...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): एक मंत्री के बारे में इस तरह के शब्द कहना, अगर संसदीय हो तो हमें आपत्ति नहीं हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्द सभ्यतादर्शक नहीं है और इसलिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग माननीय सदस्य को नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम भी कहेंगे*

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, यह तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं हैं, मगर भाषा अच्छी इस्तेमाल करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, खुशामद कर रहे हैं। यदि ये "खुशामद" शब्द से प्रसन्न होते हैं, तो जिसमें इन लोगों की सहमति है, मैं उसी शब्द का प्रयोग करूंगा। जार्ज फर्नान्डीज, हमारे बिहार के मंत्री है। जार्ज फर्नान्डीज खुशामद में लगे हुए हैं। आप इससे सहमत हैं, तो मैं वहीं कहना चाहता हूं जिससे आप सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मामला कितना आगे जा रहा है, वह मैं बताना चाहता हूं। जार्ज साहब ने एन. डी. ए. की एक बैठक बुलाई। उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जो आग लगाने वाला बयान, कम्युनल बयान दिया था उसको किसी प्रकार से गोबर-माटी लगाकर ...*(व्यवधान)*

डॉ राजीव प्रताप रूडी: उपाध्यक्ष महोदय, यह गोबर-माटी क्या होता है?...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: लीपापोती करने को हम गोबर-माटी कह रहे हैं। हम लोग लीपापोती से अपनी भाषा में जो अर्थ लगाते हैं उसका मतलब यही होता है कि जब कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसे गोबर-माटी लगाकर ठीक किया जाए। उसी प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने जो गलत बात कही, उसे जार्ज फर्नान्डीज जी ने, उनके बयान का खंडन करने के उद्देश्य से, जो उनका फेस सेविंग डिवाइस है, उसको बचाने के लिए, वे कम्युनल के सपोर्टर हैं, लेकिन अपने को कह देते हैं कि सैकुलर हैं, इस तरह का जो फैस सेविंग डिवाइस है, उसको करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारा जो नैशनल एजेंडा है, उस पर कायम हैं और वही ठीक है। अब उस बयान में कहा जाता और फिर उसमें कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि जहां मस्जिद टूटी वहीं मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद के लिए अलग स्थान ढूंढना चाहिए, अब इसको ठीक करने के लिए हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा उसको मानेंगे यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को भी कायम रखने का ध्यान रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में एक खबर छपी है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जिसमें स्थान के बारे में विवाद हो...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लगता है, अंग्रेजी ठीक से पढ़ी नहीं।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में बड़े-बड़े विद्वान हुए और बहुत लोगों को मालूम है कि यहां कोई शेक्सपीयर, क्लिंटन और मिलटन पैदा नहीं हुआ और मुझे गर्व है जो मैं लोक भाषा बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुनि लाल (सासाराम): उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. राधाकृष्णन इस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और अंग्रेजी बोलने में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे अंगरेजी बोलते थे। यदि इस सदन में इस प्रकार से बोला जाएगा, तो क्या संविधान की मर्यादा रहेगी, इस प्रकार से देश के उप-राष्ट्रपति के बारे में कहा जाएगा, तो क्या सदन का मान रहेगा? महोदय, मेरा आग्रह है कि उस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उस शब्द, को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाइए। पहले मुझे पता लगा लेने दें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपने डॉ. राधाकृष्णन का नाम लिया था?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदस्य महोदय को ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए सदन से माफी मांगने के लिए कहा जाए। ...*(व्यवधान)*

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही सारांश से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, क्या आपने डॉ. राधाकृष्णन का नाम लिया था?

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. राधाकृष्णन का नाम रिकार्ड से डिलीट कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, यह कहना क्या गलत है कि राधाकृष्णन अंग्रेजी में बोला करते थे?...*(व्यवधान)* इसमें गलत क्या है? वे प्रोफेसर थे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं डा. राधाकृष्णन संबंधी टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं। कृपया इसे हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई लाख काबिल हो लेकिन अंग्रेजी बोलने में शेक्सपियर न्यूटन, मिलटन जैसे नहीं हुए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष कुछ लोगों के विरुद्ध अवमाननना के मामले को छोड़कर मंदिर से संबंधित कोई मामला नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के स्थान से संबंधित कोई विवादित मामला लंबित नहीं है। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में रैफेर हो गया है। लेकिन एन.डी.ए. ने बैठकर यह फैसला किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर जो फैसला होगा, उस पर हम बाद में विचार करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के स्थान संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है तो उस हालत में एन.डी.ए. का यह रैजोल्यूशन देश के साथ धोखाधड़ी करने वाला है, छल करने वाला है। यह बाद में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के संबंध में हमारा प्रस्ताव है जबकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया है। इसलिए अब देश जान रहा है कि वहां ईंट पत्थर एकत्र हो रहा है और ये वहां फिर आग लगाने और देश को जलाने का काम करेंगे।

इसलिए, मैं इस सदन के माध्यम से देश को सावधान करना चाहता हूँ कि जैसे 6 दिसम्बर क काला अध्याय इस देश के इतिहास में हुआ है वैसा काला अध्याय फिर से दाहराया जाने वाला है इसलिए देश सावधान, सजग हो जाये। अब कम्युनल पार्टी में सब स्वर सुने जा रहे हैं कि नहीं? एन.डी.ए. एक तरफ कहती है कि हम सेक्युलर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो होगा, उसे हम मानेंगे लेकिन उससे संबंधित कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। इसलिए इस रैजोल्यूशन के मुताबिक उधर से बजरंग दल वाले वहां जायेंगे और वहां जाकर पत्थर वगैरह जोड़कर उस विवादित स्थान पर उपद्रव करने का काम करेंगे और देश को जलायेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से सबको कम्युनल लोगों से

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सावधान रहने का आग्रह करना चाहता हूं। चूंकि सब स्वर वहां से सुनाई दे रहे हैं। उधर शाहनवाज हुसैन भाषण कर रहे थे कि जुल्म हुआ, बड़ा अन्याय हुआ और उसी तरफ से मस्जिद तोड़ने वाले कह रहे हैं कि हम उसी जगह पर मंदिर बनायेंगे तो इस तरह के सब स्वर सुनने को मिल रहे हैं। इसलिए कभी न कभी इस देश को खतरा होगा। देश को फिर से जलाने का काम यह करने वाले हैं, ऐसा हमको लगता है।

अभी अंग्रेजी के बारे में कहा गया। मेरा कहना है कि अंग्रेज तो चले गये लेकिन अंग्रेजियत अभी बची हुई है। कुछ लोगों को अंग्रेजी में बोलने से ज्यादा होशियारी और काबलियत लगती है। मेरा कहना है कि अंग्रेजों के समय में भी ऐसे लोग थे जो हिन्दी बोलते थे। जो लोग अहिन्दी भाषी हैं, वे भी हिन्दी बोलते हैं। अभी कल श्री मणि शंकर अय्यर जी हिन्दी में बोल रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी, आप व्यवधान डाल रहे हैं। मैं इस बात पर गौर कर रहा हूं। कृपया ऐसा मत कीजिए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिनको अंग्रेजी का ए. बी. सी. भी नहीं आता, वे भी अंग्रेज की तरह दिखना चाहते हैं। इसमें मुझे घोर आपत्ति है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अंग्रेजी के बारे में बोल दिया है।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अंग्रेजी बोलने वाले इधर हैं।

....(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिनको अंग्रेजी का ए.बी.सी. भी नहीं आता, उनको इससे एतराज है। *...(व्यवधान)* यह क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां दशहरे पर रामलीला हो रही थी। उस रामलीला में जो हनुमान का पार्ट करने वाला था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधा मोहन, मैं यहां उपस्थित हूं। यदि कोई असंसदीय या अनुचित शब्द होगा, मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकलवा दूंगा। यही तरीका है आपका उनके सारी व्यवहार करने का? यह क्या हो रहा है, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री प्रधान, श्री राधा मोहन? आप उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसकी भी कोई सीमा है। माननीय सदस्य उन्हें सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: राम लीला हो रही थी। उस दिन हनुमान जी का पाठ करने वाला आदमी बीमार हो गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने फिर यह शुरू कर दिया है। श्री अशोक प्रधान, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। कृपया ऐसा न करें। अन्यथा, मुझे आपके व्यवहार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। यहां कुछ भी अनपार्लियामैंट्री होगा तो मैं उसे एक्सपंज करूंगा। मैं उन्हें अपनी बात वापस लेने के लिए कहूंगा। श्री मुनिलाल चौबे, कृपया उनके बोलने में इस प्रकार व्यवधान न डालें। आप एक वरिष्ट सदस्य हैं। कृपया ऐसा न करें। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, ये टौपिक से बाहर जाकर बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कैसे पेश आऊं? पहले तो आप बोलते है। यहां से प्रिजाइड करना कितना कठिन है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: एक बात हो या कुछ भी हो, जहां तक पार्लियामैंट्री वर्ड है, मैं ऐलाऊ करूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : एक नत्थूर शाह हलवाई था जिसकी पूरी, कचौरी की दुकान थी। उसका शरीर तन्दरुस्त था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं आपसे किस प्रकार निपटूं?

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: रामलीला वाले ने नत्थू शाह से कहा कि आज हनुमान जी का पाठ करने वाला आदमी नहीं है, इसलिए कृपा

करके हनुमान का पाठ कर दो। नत्थू शाह ने कहा कि हम हनुमान का पाठ कैसे कर सकते हैं तो उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जब रावण पूछेगा कौन है तो यह कहना है कि हम राम दूत हनुमान हैं। वह तैयार हो गया। उसका मुंह बना दिया गया और पूंछ लगा दी गई। वह पाठ करने लगा। जब रावण पूछने लगा कि कौन है तो उसने कहा कि हम राम दूत हनुमान हैं। उसके बाद यह पाठ था कि रावण तलवार उठा कर कहेगा कि यदि राम दूत हनुमान है तो हम तुम्हें काटेंगे। जैसे ही रावण ने तलवार उठाई तो वह कहने लगा कि हम हनुमान नहीं हैं, हम नत्थू शाह हैं। प्रधान मंत्री जी जब एन.डी.ए. की बैठक में बैठते हैं तो सैकुलर हो जाते हैं और कहते हैं कि मस्जिद वाला विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आर.एस.एस. के सामने जाते हैं तो नत्थू शाह वाला असली रूप प्रकट हो जाता है। हमने इसी स्थिति का विश्लेषण किया कि इसमें क्या पेच है।

श्री शाहनवाज हुसैन का यहां बयान हुआ, फिर डन.डी.ए. की बैठक में दूसरा रैजोल्यूशन पास हो गया। तब हमें लगा कि नत्थू शाह वाली स्थिति हो गई है कि कहते हैं कि कम्युनल लेकिन हो जाते हैं सैकुलर, मुंह बनाते हैं लेकिन असलियत का ख्याल नहीं रहता। इसलिए मैं उस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है।

राम का नाम आया और यहां भी हिन्दू-हिन्दू हुआ। एक कारेखां थे। उनका कहना था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपने पुल के प्रमुख वक्ता हैं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: वह मैं तय करूंगा, आप नहीं करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: राम के संबंध में कहा-

हिन्दू के हों नाथ तो हमारे कुछ कहना नहीं
जग के हों नाथ तो हमारी सुध लीजिए।।

यह कहा गया है कि राम यदि भगवान और जगन्नाथ है तो दुनिया के जीव-जन्तु, सब धर्म के लोगों के लिए यदि जगन्नाथ है तो हर आदमी का ख्याल करें नहीं तो जो धर्मध्वजी लोग हैं, मनुस्मृति में कहा है कि धर्मध्वजी बड़े छली होते हैं और छल करके उद्देश्य का भी नाश कर सकते हैं। मैं धर्मध्वजियों से कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

6 दिसम्बर के संबंध में एक शेर है-

यूं तो उस पिस्तौल पर लिखा था 30 जनवरी
आपने मिटा कर उसे 6 दिसम्बर लिख दिया ।

देश के साथ गद्दारी हुई, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उन्हीं तत्वों ने 6 दिसम्बर को मस्जिद ढहाने का दुष्कर्म किया। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उस समय नरसिंह राव जी का क्या रोल था, वह भी बता दीजिए। कांग्रेस वालों का क्या रोल था, वह भी बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री रघुनाथ झा उधर से बड़ी जल्दी उठकर आये, कल से यह ज्यादा उत्साह में हैं। ये लालू यादव जी के केबीना मंत्री थे, बहुत ज्यादा दिनों तक उनके साथ रहे, सबसे ज्यादा सम्मानित हुए और यहां कर्मचारी की तरह इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, असंतुष्ट हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: लोगों की क्या दुर्दशा है, क्या पीड़ा है, देखिये। ये लोग बराबर राम-राम कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, रामचरित मानस में इसकी उपमा है, हनुमान जी जब धौलागिरि से संजीवनी बूटी लाने गये तो रास्ते में कालनेमि राक्षस था। वहां राम का नाम लिखा हुआ था और वह राम-राम कहता था। हनुमान जी कन्फ्यूज हुए कि क्या यह सही रामभक्त है। बाद में उनको एक ज्योति मिली कि यह राम का भक्त नहीं है, राम का सही नाम लेने वाला नहीं है, छली है। धोखा करके वह हनुमान जी को मार देना चाहता था। लेकिन वे इससे अवगत हुए और तब उससे बचाव करके उन्होंने कालनेमि को मारा। इसलिए ये लोग राम का असली नाम लेने वाले नहीं हैं, कालनेमि हैं। ये राम का नाम लेते हैं, लेकिन देश में आग लगवाना चाहते हैं। इसलिए मैं देश का आह्वान करता हूं कि कालनेमि की तरह राम नाम लेने वालों से इस देश का बचाइये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब खत्म कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं खत्म करता हूं। मैं इस बयान पर दृढ़ मत का हूं, प्रस्ताव का तो जो हाल होगा, वह होगा, लेकिन प्रधानमंत्री उस कम्युनल बयान को वापस लें और राष्ट्र से क्षमा मांगे, खेद व्यक्त करें, इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो प्रस्ताव माननीय जयपाल रेड्डी जी का है, उसको पारित किया जाये और देश को कम्युनलिज्म से बचाया जाये, साम्प्रदायिक दंगे से बचाया जाये। सैकुलरिज्म और सैकुलर फ्रण्ट के सब नेता एक होइए और कम्युनल सरकार को धक्का मारकर गिराइये, क्योंकि ये देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, जी त्रिलोचन कानूनगो बोलेंगे। परंतु उससे पहले, माननीय सदस्य ने जो असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए, मैं उसे कार्यवाही से हटाता हूं।

....(व्यवधान)

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे इस पर दो बातें कहनी हैं। प्रथम तो इस प्रस्ताव के संबंध में ही है और दूसरा प्रस्ताव पर बीजू जनता दल के विचारों के संबंध में है।

प्रथमत:, मैं इस प्रस्ताव के बारे में बताना चाहता हूं। यह प्रस्ताव पहले भी लाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने इसे 11 सितम्बर, 2000 को इस आधार पर निरस्त किया था कि यह नियम 186 (चार) और 186 (आठ) के अंतर्गत स्वीकार्यता के मानदंड पर खरा नहीं उतरता। प्रथम यह है यह मामला हाल ही का नहीं है और दूसरा यह कि यह न्याय निर्णयाधीन है। परंतु 13 तारीख को, इसी प्रस्ताव को पेश किया गया और उसे स्वीकार किया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में, और किन नियमों के अंतर्गत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। मेरा व्यवस्था का प्रश्न लगभग इसी मुद्दे पर है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो, आपके व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था। इसलिए कृपया, इसका उल्लेख न करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह बात लगभग उसी संदर्भ में है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आपको इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, यह प्रस्ताव हाल ही की घटना से संबंधित है। दूसरा, यह न्यायनिर्णयाधीन है और पुन: यह गंभीर और संवेदनशील मामला है। गंभीर मामलों पर यहां चर्चा की जा सकती है परंतु यदि वह संवेदनशील मामला है जिससे सांप्रदायिक भावना भड़क सकती है, तो इस पर यहा चर्चा नहीं की जानी चाहिए। अन्यथा, इससे सांप्रदायिक भावना ही भड़केगी। इसलिए, मैं वह मुद्दा उठा रहा था।

महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि जहां तक बाबरी मस्जिद या अन्य किसी मस्जिद को किसी व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा ढ़हाए जाने का संबंध है। यह असभ्यतापूर्ण और अधार्मिक कृता है हमने इसका पहले भी विरोध किया था, हम इसका अब भी विरोध करते हैं और हम इसका विरोध भविष्य में भी करेंगे।

महोदय, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी हूं और मेरा दल भी धर्मनिरपेक्ष है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए एक ही बात है। मैं पैगम्बर मोहम्मद, ईसा मसीह का आदर करता हूं। मैं भगवान बुद्ध से उतना ही प्रेम करता हूं जितना भगवान जगन्नाथ से। यह मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या है और धर्मनिरपेक्षता की मेरी समझ भी यही है। मैं किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता और इसलिए मैं धर्मनिरपेक्ष हूं।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कि क्या ये तीन मंत्री मंत्रिमंडल में रहें या नहीं, यह माननीय प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है। हमें कुछ नहीं कहना जब यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है। हमें न्यायालय से आए निर्णय का इंतजार करना होगा। इसलिए, इसकी यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य का प्रश्न है, उस पर मैंने कहा कि हां इस पर चर्चा की जानी चाहिए, परंतु इस पर इस नियम के अंतर्गत चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सभी नियमों को निलम्बित किया जाना चाहिए था और हमें इस प्रस्ताव पर उसी बहाने से चर्चा करनी चाहिए थी और इस पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन से, जो मुझसे पहले बोले थे जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से निपटने और अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में कहा है से पूर्णत: सहमत हूं। पिछले 52 वर्षों में, इसने उनके हितों को क्षति पहुचाई है और हमने उनके आर्थिक विकास, स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया है और हमने उनकी समस्याओं की अनदेखी की है। इसलिए, मेरी मांग है कि उनके लिए कुछ किए जाने की आवश्यकता है और जहां तक उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न है तो इसके लिए संविधान में संशोधन इस प्रकार किया जाए कि अल्पसंख्यकों को भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से बेहतर व्यवहार प्राप्त हो सकें।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए नहीं है। वह उनके हित में नहीं है, परंतु यह प्रस्ताव इस सभा के समक्ष राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लाया या प्रस्तावित किया गया है।

इसलिए, महोदय मैं, इसका विरोध कर रहा हूं। मेरी पार्टी, बीजू जनता दल, एक क्षेत्रिय पार्टी है जहां तक भारत का प्रश्न है, हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं, किस प्रकार के भारत को हमें प्रतिनिधित्व करना है, यह सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हम उसका समर्थन करते हैं। मैं कुछ पंक्तियों पढ़ना चाहता हूं। इससे पता चलेगा कि बीजू जनता दल किस प्रकार के भारत को चाहता है। मैं 'मी हिन्दुस्तान-आय एम इंडिया' से उद्धृत करता हूं।

* "आय एम द डिवाइन मदर आफ ह्यूमैनिटी
आय एम दाई हिन्दुस्तान
दाय सिम्बाल आफ नैंक्टर एण्ड इक्वीलिटी आर इन्टीग्रेशन

आय टेन्ड इन्डॉमिटेबल अर्थ शिवरींग आन द पीक लाइक द क्लाउड कर्टन

प्लोइंग इन महानदी एण्ड गंगा फ्राम मेडिटींग माउनेटन्स कोलोनाइसिंग दिस रेनबे ऑफ द ओशन आफ पिपुल

ब्रेकिंग ऑल द हिल्स आफ डिफरेन्सेस

आय एम रेजिंग माय प्रोटेक्टिंग

आर्मस दाट बिसटो फियरलेसनेस विद् मेडिटेटिंग बुद्धा एण्ड नॉन वायलेंस आफ गाँधी एण्ड

एसपिरेशन आफ लेनिन एंड द लेंगवेज आफ नानक

सम बिनाइन एंड क्रांइग फार वननेस-द लव आफ जिसस एण्ड थर्स्ट आफ कबैीर

द लिडर आफ रेवेलयूशन आफ द आपरेस्ड़ टायडलेसनेस गार्ड

होली कुरान आफ इजरत मोहम्मद

अवेस्ता एण्ड गीता

दिस आर्म रिप्रेसेन्ट्स द ग्रेट 'संघा'

द सेफगार्ड-दिस गेट मार्ग आफ चिल्ड्रेन एण्ड डिप्रेस्ड मिलियनस

होली अर्थ ऑफ निलांचल एण्ड कुतुब मिनार

इको आफ 'अजान' फ्राम जामा मस्जिद

गेट बैक लाइफ आफ द डिप्रेस्ड, आपरेस्ड, चिल्ड्रेन एण्ड धूमन-दिस होली आर्म..."*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, यह आप कहां से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं कोविनारा से उद्धृत कर रहा हूं। मैं बीजू जनता दल के धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सही है। परंतु कार्यवाही-वृत्तांत में पहले यह उल्लेख होना चाहिए कि आप इस पुस्तक से उद्हरण ले रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं आपको अवश्य बताऊंगा, महोदय, यह उड़ीसा संस्करण है।

"आय एम द सोवरजन हिन्दुस्तान"

आय कॉल यू - वर्ल्ड हूयूमॉनिटी एण्ड द चिल्ड्रन ऑफ मनु....."

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया इसका अनुवाद भी करें।

अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए यहां अनुवादक मौजूद नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां उड़िसा अनुवादक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था के अनुसार, जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं इसका हिन्दी अनुवाद किया जाता है। यदि आप हिन्दी में बोलते है, यह अंग्रेजी में अनुदित होता है। यदि आप क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं तो आपको पूर्व सूचना देनी होती है ताकि अनुवादक यहां उपस्थित रहे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मुझे क्षमा करें महोदय, मैंने पूर्व सूचना नहीं दी है। मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ता हूं। मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि यह बीजू जनता दल की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। मेरी पार्टी, बीजू जनता दल, ने इस कविता को धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के रूप में अपनाया है। यह कविता क्रांतिकारी कवि, कामरेड मनमोहन मिश्रा जिन्हें सीथ वामपंथी दल जानते हैं की है मैं इसकी अंग्रेजी को इसके पश्चात पढ़ूंगा। मेरे पास कुछ ही पंक्तियां हैं।

"आय एम द सोवरन हिन्दुस्तान..."

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप पूरी पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है? आप कुछ उद्धृत करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, आप कह रहे हैं कि ये पंक्तियां आपके दल की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को स्पष्ट करती हैं। आप पूरी पुस्तक पढ़ रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं केवल दो पंक्तियां और पढ़ूंगा।

* "मैं उस स्वतांता का स्वागत करता हूं जिसमें सैनिक मानसिंह विश्व के आश्चर्य ताज के लिए शहीद हुए अब्दुल हमीर गुरूद्वारा के पवित्र रक्षक हो

खुर्धा पाणिका - का जीवन

गालिब के गजल के लिए बलिदान करे

हम प्रत्येक के रखरखाव के लिए विश्वसनीय सैनिक हैं

इस प्रकार घनिष्ठ हैं हमारी परम्परा

इस प्रकार जोर शोर से जय जयकार होती है इस महान हिन्दुस्तान की

इस अदभुत एकता का कोई सानी नहीं है

आदिवासियों, द्रविड और आर्यों का

मैं ही हिन्दुस्तान हूँ"

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): हम कुछ भी समझ नहीं सके। *...(व्यवधान)*

* मूलत: उड़िसा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

उपाध्यक्ष महोदय: यही मैंने भी कहा है। उन्होंने कुछ पढ़ा है। वे इसे यहां समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अपनी संतुष्टि के लिए उन्होंने इसे पढ़ा है।

जी हां, श्री त्रिलोचन कानूगोजी आप जारी रखें क्योंकि आपका काफी समय समाप्त हो चुका है। हम नहीं जानते हैं कि आप क्या उद्धृत कर रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: खेद है कि मैंने पहले से नोटिस नहीं दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। आप दे सकते थे। सभी दूसरे सदस्यगण यह जानने के लिए उत्तेजित हैं कि आप यह क्या उद्धृत कर रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुझे अनुमति दें। तमिल कविताएं उद्धृत की गई हैं, बंगला कविताएं उद्धृत की गई हैं और दूसरी भाषाओं की कविताएं भी यहां उद्धृत की गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब विषय पर आइये।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जहां तक धर्मनिरपेक्षवाद का प्रश्न है, हम समझौता करने नहीं जा रहे हैं और न ही हम इसे कम करने जा रहे हैं। यद्यपि हम अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं, तथापि उनके और उनकी सरकार के साथ हमारा संबंध सशर्त है। किसी भी समय यदि धर्मनिरपेक्षवाद खतरे में है अथवा इससे समझौता किया जाता है, यदि अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होंगे तो उसी क्षण हम उनसे सारे संपर्क तोड़ लेंगे। सरकार के साथ रहने के लिए यह शर्त है। इस प्रकार हम यहां कार्य कर रहे हैं। हम बहुत की सहनशील और विनीत लोग हैं किंतु साथ साथ ही हम मजबूत और कृतसंकल्प भी हैं। उड़ीसा में और यहां हम इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं।

आज मैं बताना चाहता हूं कि 6 और 7 दिसम्बर 1992 को क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था। 7 और 8 तारीख को सर्वत्र कुछ घटनाएं हुई। मैं उड़ीसा के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नगर निगम कटक का मेयर था। एक भी व्यक्ति लोगों की सहायता करने के लिए आगे नहीं आया जबकि घोर अपशकुन स्पष्ट था। मुझे मुस्लिम बस्ती और हिन्दू बस्ती में जाना पड़ा। मुझे वहां जाना पड़ा और उन्हें नियंत्रित करना पड़ा। मेरा महत्वपूर्ण गुण यही है तथा बीजू जनता दल का भी मुख्य गुण यही है।

इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट शब्दों में यह जबाब दें कि इस दिशा में राजग की वास्तविक स्थिति क्या है। यह मुद्दा राजग की कार्यसूची में नहीं हैं और हम यहां धर्मनिरपेक्षवाद के लिए हैं। इसलिए मैं पुन: प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता है कि जब वे जबाब देंगे तब वे स्पष्ट शब्दों में कहें कि भारत और भारत के सभी समुदायों के हित में वह धर्मनिरपेक्षवाद अथवा सरकार के कार्यकलाप से समझौता नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज भारतीय प्रजातन्त्र का सर्वोच्च स्थल तीन मंत्रियों के आचरण के खिलाफ अपना मत और अभिमत रखने तथा यह मांग करने के लिए उपस्थित है कि उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अयोध्या प्रकरण, के अनुसार प्रथम दृश्य तथ्य के आधार पर आरोप दायर किए जा सकते हैं। जब उन्होंने यह कहा और कोर्ट ने यह कहा कि ये आरोपित किए जाते हैं, तो आरोप पत्र दायर हुए। इसके बाद भी जब तीन मंत्रियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, तो विपक्ष को नियम 184 के तहत इस बहस को लेकर आना पड़ा। इसके बहुत से कारण हैं। बहुत से सदस्यों ने इस बात को भी उठाया कि इतने वर्षों के बाद हम लोग इस बात की दुहाई देकर इस मत को लेकर क्यों आते हैं।

इसके अनेक कारण इस तरफ से बता दिए गए हैं लेकिन एक कारण छद्म रूप में और भी है। आज देश यह जानता है कि देश की अस्मिता, धर्म और दर्शन का तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्या होगा, जिसके मूल में सिर्फ धर्मनिरपेक्षता है। दिनकर जी ने जो बात कही थी, वह मैं सदन के समक्ष दोहराना चाहता हूं-

> "समर शेष है किन्तु नहीं है दोषी केवल व्याध,
> जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध"

इसलिए समय उन्हें बख्शेगा नहीं, जो तटस्थ रूप से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होने वाले वजूद को, हिंसा को आंख मूंद कर देखते रहेंगे और तटस्थता का आवरण ओढ़ कर हमारी अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत को आग में झोंकने देंगे।

महोदय, यह प्रश्न भी बार-बार आया कि 6 दिसम्बर को यह प्रश्न क्यों आता है। हमने 6 दिसम्बर के इस मूल पाठ को भूलना चाहा, लेकिन देश कभी नहीं भूल पाता और भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाले में खुद फसंती है। छ: और सात दिसम्बर का मामला उनके वक्तव्यों और आचरण से जनता के समक्ष उजागर होता है। ऐसा लगता हैं कि इन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता के घाव दिए, उस पर नमक छिड़कने का काम ये लोग किया करते हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में यहां काफी बातें हुई, कुछ टिप्पणियां भी की गईं। इस समय यहां जार्ज साहब नहीं हैं, वे प्रधानमंत्री जी के स्पोक्स परसन की तरह बोले। इस नये स्पोक्स परसन की नियुक्त के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूं। इस नये शागिर्द को अपनी प्रतिबद्धता और अपनी लायल्टी दिखाने का इससे अधिक मौका क्या मिलता।

महोदय, प्रधानमंत्री जी के संबंध में देश के सामने एक छवि थी। उनकी लिबरल छवि है। हम अपेक्षा करते थे कि एनडीए के साथियों

का उन पर और प्रभाव पड़ेगा और उनकी इस लिबरल छवि में और निखार आएग। अभी इस तरफ से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जार्ज साहब पर उमा भारती जी का काफी प्रभाव रहा, उमा भारती जी पर जार्ज साहब का भी प्रभाव रहा। जो कुछ कल हमारे सामने आया, उससे एक बात निकल कर आई कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर इनका प्रभाव और तो नहीं पड़ा, लेकिन एक तरह से जिसे सेफ्रनाइजेशन कहा जाता है उसका प्रभाव जरूर जार्ज सहब जैसे लोगों पर पड़। जब लोग एनडीए का परिपत्र पढ़ने की बजाए बी.जे.पी. का परिपत्र पढ़ने लगे, विशेषकर जार्ज साहब के भगवाकरण पर उन्हें बधाई दी।

महोदय, मेरे एक साथी ने फ्रायड का जिक्र किया था, मैं भी उनका जिक्र करना चाहती हूं। जितना अधिक निषिद्ध होता है उतनी ही अधिक इच्छा होती है चाहे मुलम्मा कहो, प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक छवि रखने की कोशिश की थी। वे मुलम्मा पर मुलम्मा चढ़ाए जाते रहे, उनके अंदर एक कवि का हृदय है और कवि का हृदय कभी-कभी आरएसएस के एजेंडे पर बगावत भी कर जाता था। लेकिन सत्ता की आंच में लगता है कि वह मुलम्मा पिघल गया और यही कारण रहा कि कभी युनाइटेड स्टेट्स में तथा कभी यहां आकर उन्होंने अपने असली रूप को दिखाना शुरू कर दिया, जिसे वे वर्षों से दबाते रहे। उन भावों को उजागर करने में पीछे नहीं हटे। 50 वर्षों से हम लोग जिस इतिहास को, नाटक को देखते रहे कि किस तरह बहुसंख्यकों को, आरएसएस, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी भड़काती रही। उसका पटाक्षेप होने की बजाए, तटस्थ रहने की बजाए अब प्रधानमंत्री जी ने भी जब उसमें शामिल होकर अपनी भागीदारी दिखाई तो संपूर्ण देश का चौंकना स्वाभाविक था। जब यहां जार्ज साहब ने यह प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री जी पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं तो यह इसलिए भी हुए, क्योंकि उन्होंने जो एक छवि छद्म रूप से बनाई हुई थी, उस छवि पर जब आघात हुआ तो निश्चित रूप से सदन ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश चौंका। इसलिए सदन की तरफ से मांग की गई कि उसका स्पष्टीकरण देश के सामने होना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको 6 दिसम्बर की घटना की ओर ले जाना चाहती हूं। वह घटना जो 6 दिसम्बर को हुई भुलाए नहीं भूलती है। यहां पर सम्पूर्ण घटना पर असत्य का मुलम्मा चढ़ाया जाता रहा है। मैं माननीय आडवाणी जी द्वारा दिए गए 6 दिसम्बर के बयान को यहां उद्धृत करना चाहती हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे दु:ख है कि मैं उस घटना को रोक नहीं सका। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने उस दिन सुरक्षा कर्मियों को अंदर आने से रोका। वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने 6 दिसम्बर की घटना पर दुख प्रकट किया था और उस दिन, उस घटना पर दु:ख में एक कविता भी लिखी थी। लेकिन उनका 6 दिसम्बर का दु:ख 8 दिसम्बर को भूल गया जब उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई हैं, इस प्रकार की तोड़-फोड़ तो पहले भी होती रही हैं। इसी तरह से भंडारी जी ने दिल्ली के ऑफिस से कहा था कि यह घटना अन्फर्चूनेट, अन-एक्सपैक्टेड और अन-जस्टिफाइड है। लेकिन माननीय ठाकरे साहब ने उसी वक्त कहा कि इस घटना पर हमें गर्व है। माननीय देवरस जी ने उसी दिन हिन्दुत्व की दुहाई देकर पीठ थपथपाई थी। माननीय कल्याण सिंह जी ने 16 दिसम्बर को इस घटना पर कोई दु:ख या पश्चाताप प्रकट नहीं किया था बल्कि अपने आपको गौरान्वित महसूस किया था और माननीय वाजपेयी जी 17 दिसम्बर को जब संसद में बोले थे तो एक्सट्रीमली सॉरी जैसे शब्द जो उनके मुख से निकले थे वे 24 दिसम्बर को भुला दिए गये और बीजेपी की एग्जीक्यूटिव के रैजोल्यूशन में ये भावना गायब हो गयी। वह दु:ख, वह पीड़ा, वह कविता, वह संवेदनशीलता जो एक कवि के हृदय से यह देश अपेक्षित कर रहा था वह गायब हो गयी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बात पर न कांग्रेस और न देश का आश्चर्य है कि 50 सालों से बहुसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी अनेक रूपों में भड़काती रही है और उसका फायदा वोटों के रूप में लेती रही है। मैं यह बात आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि इनकी बात तो हमें मालूम थी लेकिन यह सदन यह भी देखना चाहता था कि एनडीए की कल्पना भी क्या वही है जो भारतीय जनता पार्टी की है। उनके सहयोगी जो बढ़-चढ़कर बोल रहे हैं कि हम एक रहेंगे और पांच साल तक सरकार चलेगी। ठीक है पांच साल तक सरकार चले क्योंकि हम लोग जनता का वोट लेकर चुनकर आये हैं लेकिन क्या हिंदुत्व और हिंदू वोटों की राजनीति से यह सरकार चलेगी? क्या धर्म-निरपेक्षता के मुलम्मे को हटाकर सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे - यह बात भी यह सदन जानना चाहता है। चाहे कितनी भी दुहाई एनडीए की सरकार दे दे, बहुत सी बातें उससे निकलकर आई हैं। जिस प्रकार से सदस्य धर्म-निरपेक्षता पर बोले हैं वह एक संकेत है, चाहे कितनी भी जोर से ये बोलें कि सरकार पांच साल तक चलेगी, लेकिन उनको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि बकरे की मां कितने दिन तक खैर मनाएगी। जब भी धर्म-निरपेक्षता का जादू उन पर हावी होगा, जब भी देश की अस्मिता की बात उन पर हावी होगी और जब भी सत्ता का रस उनके मुंह से धुलकर चला जाएगा और जब भी जो लाग केवल पैकेज के रूप में कुछ पाना चाहते हैं, उसकी समाप्ति हो जाएगी, तब निश्चित रूप से वे लोग इस साम्प्रदायिकतावादी पार्टी से विमुख हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी अभी इस पर कुछ बोलेंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन उनकी आदत जग-जाहिर है कि जितनी तीव्रता और संजीदगी से वे अपनी बात कहते हैं उतनी ही तीव्रता से वे अपनी बात का खंडन भी कर देते हैं। यही वजह है कि प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य पर आज देश उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा है।

कांग्रेस का इस पर क्या रवैया रहा, यह बात भी यहां पर की गयी है, लेकिन मैं उसमे जाना नहीं चाहती हूं। अभी माननीय शाहनवाज हुसैन जी भी बोल रहे थे और साथ में पैराडाक्सीकल स्टेटमेंट भी अपने दे रहे थे कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान गौरान्वित हैं कि हमें समान दर्जा दिया गया। महोदय, यह वह देश है जिसमें हिंदू-मुसलमान आजादी की लड़ाई में साथ-साथ लड़े और कदम से कदम मिलाकर आजादी की लड़ाई को मंजिल पर पहुंचाया। प्रजातंत्र और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गयी उसमें हिंदु-मुस्लिम-सिख-ईसाई का भेद नहीं था।

[डा. गिरिजा व्यास]

इसलिए यहां सब को समान अधिकार मिले। 1922 में हरिजन आन्दोलन में गांधी जी ने कहा था कि प्रजातंत्र का अर्थ निरर्थक होगा आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा यदि एक ही पंक्ति में खड़े पहले और आखिरी व्यक्ति को एक जैसे अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए सब को समान अधिकार मिलने चाहिए। उस रात की बात और वाकया सम्भवत: कोई भूल नहीं पाया जब आजादी का जश्न मनाने की भारत तैयारी कर रहा था और ऐसा ही जश्न पाकिस्तान में मनाया जा रहा था लेकिन उस दिन गांधी जी भूखे-प्यासे आजादी के समय रो रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके हाथ के दो बाजू कट कर इधर गिर जाएंगे और दूसरा उधर गिर जाएगा।

हमारे ऊपर लगातार यह आरोप लगते हैं कि हम तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं। यह बात आप किसी मां से पूछें जो अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा दुलारती है बनिस्बत अपने हष्ट-पुष्ट बच्चे को। यही वजह थी कि जो लोग इस मुल्क में अपना मुल्क समझ कर रहे और उसके लिए अपना खून-पसीना बहाया, उस मुल्क में जो कमजोर होता है निश्चित तौर पर उन्हें थोड़ा सहारा दिया जाता है।

मैं रामलला रखने के वाकया की याद दिलाना चाहती हूं। यदि मैं भूल नहीं पाई तो उस समय के कांस्टेबल आरएसएस के वर्कर थे और उस समय के कमिश्नर श्री के.के. नैरूयर ने बाद मे. जनसंघ ज्वाइन कर ली। 1984 में विश्व हिन्दू परिषद्.....*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे और इस देश के प्रधान मंत्री कौन थे?

डॉ. गिरिजा व्यास: मैं इस पर आ रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वह यील्ड नहीं कर रही हैं। अब आप सीनियर बन गए हैं।

....(व्यवधान)

डॉ गिरिजा व्यास: यह आपने बाद नहीं किया। इसे बाद में भी जारी रखा। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदित्यनाथ जब तक माननीय सदस्य आपको अनुमति नहीं देते हैं तब तक कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वे आपको अनुमति नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा है। डॉ. गिरिजा व्यास के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदित्य नाथ जी, कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए। वे सहमत नहीं हो रही हैं। आपको बोलने की अनुमति है। जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया डॉ. गिरिजा व्यास को व्यवधान मत पहुँचाए।

*....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: परम्परा है कि यदि कोई यील्ड करता है तब आप बात कह सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ: सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई गुमराह करेगा तो आप प्रिवलेज मोशन ला सकते हैं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हम सदन को गुमराह करने के लिए किसी को नहीं छोडेंगे।

डा॰ गिरिजा व्यास: सितम्बर 1984 में विश्व हिन्दू परिषद ने सीतामढ़ी से अयोध्या तक झांकी निकाली थी। कहीं न कहीं विश्वास करना पड़ता है कि 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया जो फैजाबाद से हुआ था और पूजा के लिए मंदिर खोला गया था। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि 1989 चुनाव का वक्त था। जैसा मेरे साथी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का हमेशा संवाद में विश्वास रहा है। कांग्रेस ने तोड़-फोड़ की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने भाई को भाई से अलग नहीं किया । कांग्रेस ने दिल में गुबार नहीं भरे। यही वजह थी उस वक्त तत्कालीन राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए और लोगों के दिलों में स्नेह पैदा करने के लिए राम मंदिर की तरफ गए। जैसा कि जेटली साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। निश्चिततौर पर राम के दर्शन करके कौन गौरवान्वित नहीं होगा। उनमें समरसता थी, समन्वय था और समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने की एक भावना थी। 1989 की इस घटना के बाद 1989 में ही दोनों ग्रुपों से बात शुरू हो गई। यह लगने लगा कि बातचीत के जरिये दो सम्प्रदाय एक होकर इस समस्या को हल करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने घृणा की आग इस देश में चलानी शुरू की और इसके लिए उन्होंने कभी राम शिलाएं चुनीं, कभी अपनी यात्राओं को इसके लिए आधार बनाया। वे बार-बार अंडरटेकिंग देते रहे कि ढांचा सुरक्षित रहेगा, मन्दिर भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने रामशिला रखने का आश्वासन देकर उसे तोड़ा।

सईद साहब ने जो कहा था, वह सही था। जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो जगह चुनी गई थी, वह सही थी। वे हमारी पार्टी के गृह मंत्री नहीं थे। नवम्बर, 1992 में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम

कोर्ट ने इस बात को सिम्बौलिकली दोहराया कि केवल कुछ पूजा आदि की जायेगी। एन.आई.सी. और संसद में बयान दिया कि स्टेटस क्यू बनाये रखेंगे लेकिन इस सब के बावजूद 6 दिसम्बर को जो घटना घटी, उस घटना ने न केवल साम्प्रदायिक उन्मादग्रस्त लोगों द्वारा उस ऐतिहासिक भावना के गुम्बद को ही गिराया बल्कि हमारे लोकतंत्र के तीन आधारभूत स्तम्भों को गिराया। संवैधानिक शासन, कानून की वरीयता और न्यायपालिका जिसे देश की अस्मिता और देश की संस्कृति कभी माफ नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष यह बात रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब लोगों के भ्रम में डाला है और हिन्दू कार्ड बार बार चलाकर चुनाव में अपनी सीटों को जीतना है। यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो मालूम होगा कि जनसंघ ने 1952 मे 3.1 प्रतिशत वोटों के साथ 3 स्थान, 1957 में 5.9 प्रतिशत वोटों के साथ 4 स्थान, 1962 में 6.4 प्रतिशत मतों के साथ 14 स्थान, 1967 में 9.4 प्रतिशत मतों के साथ 35 स्थान, 1971 में 7.4 प्रतिशत मतों के साथ 22 स्थान, जीते। 1977 में ये जनता पार्टी के गठजोड़ में थे। 1984 में 7.4 प्रतिशत मतों के साथ 2 स्थान, 1989 मे फिर गठबंधन हुआ। 1991 में 20.08 प्रतिशत मतों के साथ 120 सीटें मिलीं। यदि इस बात पर नजर डालें तो मालूम होगा कि 1967, 1989 और 1999 में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव अभियान में भावनायें भड़काने वाले मुद्दों पर जोर दिया गया। इनमें गो-हत्या, शिलान्यास, विवादित ढांचे पर मन्दिर के निर्माण की मांग। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा बयान देकर तीनों मंत्रियों को क्लीन चिट दिया गया, यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में फिर इस मुद्दे को उठाकर इस देश की अस्मिता और धर्मनिरपेक्षता के तत्व को एक बार फिर से आग लगाना चाहती है। मैं आज इस संसद में बहुत ही सोच-समझकर यह आरोप लगा रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल दूसरे धर्मों की विरोधी है बल्कि हिन्दू धर्म की भी विरोधी है। अभी श्री कटियार जी यहां नहीं बैठे हैं। मैं बताना चाहती हूं कि पिछले चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए गई तो उस समय बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे जिन पर लिखा था-"गर्व से कहो कि मैं हिन्दू हूं" और नीचे स्वामी विवेकानन्द का नाम लिखा हुआ था। मैं उनसे यह कहना चाहती थी कि यदि उन्होंने स्वामी विवेकानन्द जी को पढ़ लिया होता तो सम्भवत: वे यह बात नहीं कहते। स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के एक धर्म संसद में बोलते हुऐ पहला वाक्य यह कहा था:

[अनुवाद]

> "हिन्दुओं के ब्राह्मण, जरथ्रस्टों के अहुर-माज्दा, बौद्धों के बुद्ध, यहूदियों के जेहोआ, ईसाइयों के स्वर्ग में फादर आपको अपने अच्छे आदर्श को जारी रखने की शक्ति प्रदान करे।"

[हिन्दी]

उन्होंने केवल अपने धर्म की बात नहीं कही थी, उन्होंने सभी धर्मों की बात कही थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुये उन्होंने कहा था कि यदि मेरा धर्म संकीर्ण है तो मैं इस बात से इन्कार करता हूं। उन्होंने 11 सितम्बर, 1893 को कहा था कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व अनुभव करता हूं जिसने सार्वभौम संस्कृति शुरू की थी। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सच्चा मानते हैं। मैं आज तक ऐसे राष्ट्र का वासी होने का गर्व अनुभव करता हूं जिसने धरती के सभी देशों के सभी धर्म शरणार्थियों तथा उत्पीड़ितों को शरण दी है। लेकिन उनके केवल एक जुमले को पकड़कर यह कहना कि गर्व से कहो मैं हिन्दू हूं, हिन्दू धर्म की अस्मिता से परे है। गर्व से कहे मैं हिन्दू हूं, वही कह सकता है जो यदि मंदिर के सामने से गुजरे तो प्रणाम करे, यदि मस्जिद के सामने से गुजरे तो सजदे के साथ सिर झुका जाये और गुरूद्वारे की आवाज सुनकर झुककर नमन करे।

योगी आदित्यनाथ: 1984 में आप लोगों ने क्या किया था? मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दू की परिभाषा क्या है। आप हिन्दू किसे कहते हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदित्य नाथ जी, मुझे आपके व्यवधान को गंभीरता से लेना होगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास: मैं विवेकानन्द जी को फिर क्वोट करूंगी। ...*(व्यवधान)*हिन्दू धर्म वह धर्म है जिसमें जज्ब करने की ताकत होती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बार-बार आप उठकर खड़े होकर इंटरप्ट कर रहे हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं। सीनियर मैम्बर भी इस तरह से इंटरप्ट कर रहे हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, इकबाल ने कहा था-

> "कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी", इसलिए नहीं मिटती कि हम लोगों में जज्ब करने की ताकत है और सभी समुदायों को हम लोगों ने पूजा है।"

अपराह्न 3.16 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं]

27 सितम्बर, 1893 को विवेकानन्द जी ने जो कहा, मैं उसे फिर दोहराऊंगी-

> "धार्मिक एकता के सामान्य आधारों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं केवल एक सिद्धांत यहां पर कहना चाहता हूं कि यदि यहां पर कोई यह आशा करता है कि एकता किसी एक धर्म की विजय

[डा. गिरिजा व्यास]

तथा दूसरे धर्मों की विनाश से स्थापित होगी, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आपकी यह आशा मृग मरीचिका के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात् सभी धर्मों और संप्रदायों को साथ लेकर हम चलें तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिन्दू हैं।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अस्मिता के विपरीत आज धर्म की परिभाषा करके कुछ पोलिटिकल पार्टीज राम का नाम लेकर जो बात कहती हैं, उससे राम का जो स्वरूप है वह स्वरूप हटने का खतरा मुझे दिखाई देती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो तुलसी उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा के पाषक थे। मुझे याद है और इसलिए शाहनवाज जी को कहना चाहती हूं कि पोंगा पंथियों का जुल्म जब उनको सहना पड़ा तो अयोध्या से निकाले जाने पर तुलसी जी ने जो बात कही थी वह हमारी धार्मिक विरासत को, आध्यात्मिक विरासत को और हमारी बड़ी दृष्टि को दिखाता है। उन्होंने संभवत: दुखी होकर कहा था- "मांगि के खाइबों, मसीब के सोइबी, लेने को एक न देने को दो।"

मैं मांगकर खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, मुझे न किसी से लेना है न देना है। यह बात वह महापुरुष की कह सकता था जिसके अराध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। हमारे यहां मिली-जुली संस्कृति चलती है। जज्ब करने की ताकत के कारण अनेक धर्म और संप्रदाय यहां पर उसी प्रकार प्रश्रय लेते रहे और यही वजह थी कि एक साथ कृष्ण के भक्त केवल रसखान ही नहीं हुए, राम के भी भक्त दूसरे हुए। लेकिन वाल्मीकि के राम की तरफ यदि मैं जाऊं, तुलसी के राम की व्याख्या से पहले तो वाल्मीकि के राम कहते हैं कि जब सीता का निष्कासन हुआ था तो वाल्मीकि के राम कहते हैं कि "मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रधर्म ही मेरा धर्म हैं।" जब इतने वर्ष पूर्व राम राष्ट्रधर्म की बात कर सकते हैं तो अभी हम राष्ट्रधर्म के रूप में धर्म को प्रतिष्ठापित क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं गौरवान्वित हूं कि मैं हिन्दू हूं, कोई गौरवान्वित है कि वह सिख है, ईसाई है, मुसलमान हैं, लेकिन यदि राष्ट्रधर्म रहा तो हमारे धर्म भी चलेंगे। इसी तरह से तुलसी जी ने राम के जो गुण रखे थे, व गुण राम को सर्वोपरि बनाते हैं। उन्होंने कहा था-

"संबल निसंबल को सखा असहाय को
पागुर के हाथ पांव, आंधरे की आंख को।"

और इसी चित्रण से प्रभावित होकर अनेक सूफी संत उस रंग में रंग गए। लिन्जा मजहद ने उन्हें नबी कहा तो इकबाल ने कहा -

"है राम के वजूद से हिन्दोसतां को नाज
अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिन्द।"

मौलाम जफर ने कहा - "नक्शा-ए-तहजीब हुनूब अब भी नुमाया है अगर तो वह सीता में है, लक्ष्मण में है, राम में है।" ...*(व्यवधान)* सुन लीजिए धर्म की परिभाषा। इसलिए मैं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): कांग्रेस की परिभाषा बताइए।

डॉ. गिरिजा व्यास: सभापति महोदया, जिनमें समभाव हो, ऐसे राम, जिनमें समरसता हो, वह राम भारतीय जनता पार्टी और धार्मिक उन्मादी दलों के आराध्यदेव नहीं हो सकते। वे राम इस देश के राम हैं, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि यह बात इस सदन के माध्यम से इस देश में भी पहुंचे कि जहां राम में समरसता थी, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वे हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो काम किया है उससे हमारे सैकुलर फैब्रिक का आधारभूत ढांचा टूटा है। इसलिए हमने कहा है कि मंत्रिमंडल से तीनों मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए, उसका कारण यह है कि सैकुलर फैब्रिक की रक्षा हो।

सभापति महोदया, 1921 में महात्मा गांधी ने एक बार प्रश्न किया था कि इस घड़ी में भारत के पास विश्व को बांटने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या दुनिया को हम संस्कृति दे दें। उत्तर भी उन्होंने खुद ही देते हुए कहा कि यदि दुनिया को भागीदार बनाना है, तो हमें इस पर अमल करना होगा। आज अगर हम यह पैगाम देते हैं और राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो धार्मिक उन्माद फैलाने की भावना को हमें त्यागना होगा लोक तंत्र का सही क्रियान्वयन और साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करने के लिए हमें धार्मिक अस्मिता की रक्षा का आचरण करना होगा।

सभापति महोदया, श्री आयंगर जी ने कहा था कि लोक-तंत्र के सही क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है कि साम्प्रदायिकता का उन्मूलन कर दिया जाए और यही बात कही गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस भावना का सम्मान करना पड़ेगा कि जिन मंत्रियों को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है और जिनको जघन्य अपराधी की श्रेणी में माना गया और जिनके बारे में हमने यहां प्रस्ताव प्रस्तुत कर उनके इस्तीफे की मांग की है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

सभापति महोदया, 1951 की बात यहां कही गई है। मैं कांग्रेस के संविधान की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि उसमें स्पष्ट घोषणा की गई और आपसी सलाह और न्याय की बात कही गई थी। आपसी सलाह हमारा आधार है। यदि उससे भी मसला न सुलझे, तो न्यायालय तो एक तरह का सम्बल है। आज हम उस पर ही कायम हैं।

सभापति महोदया, अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यू. पी. में भारतीय संविधान के तहत अपने कर्तव्य निर्वहन में कितनी धोखाधड़ी की, यह स्पष्ट उदाहरण उस समय की भारतीय जनता पार्टी की यू. पी. की सरकार में देखने को मिला था। मैं संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय जीवन रेड्डी जी के इन शब्दों को अन्त में कोट करते हुए, अपनी बात समाप्त करूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि 6 दिसम्बर, 1992 के जो लोग दोषी हैं, उनकी लगातार विरोधी कार्रवाइयों के कारण यह हुआ है:

[अनुवाद]

"कि पूरे देश में कई वर्षों से चलाए जा रहे सतत अभियान का यह परिणाम था और यह कि यह भाजपा और दसूरे संगठनों के कई नेताओं के भाषणों, कार्यों और कृत्यों का फल था।"

[हिन्दी]

कम से कम सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ये लोग जो नामजद रूप से चश्मदीद गवाह के बाद दोषी पाए गए हैं, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का प्रयास हमेशा समरसता का रहा। इसीलिए मैं अन्त में यह शेर कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं-

राम रहीम में फर्क नहीं है समझ कब आएगी
मन का मंदिर दिल की मस्जिद पहले तुम बनवाओ तो।

धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदया, श्री पलानीमनिक्कम जी को हिन्दी में बोलने के निर्देश दें। कल जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने भी मुझे तमिल में बोलने के लिए कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): *(व्यवधान)* यह केवल अय्यर के साथ शुरू हुआ।

सभापति महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर कृपया बैठ जाइए। क्या आप बैठेंगे? शांत हो जाइए।

***श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम:** सभापति महोदया, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद' माननीय सदस्य और हमारे वरिष्ठ सहकर्मी श्री जयपाल रेड्डी जी जो जिस किसी दल में होते हैं उपयुक्त तरीके से कार्य करते हैं प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान के लिए मैं सभा को धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए इस सर्वोच्च सभा को तमिल में सम्बोधित कर खुश हूं। यह हमारी मातृभाषा तमिल का पावण सिद्धांत ही है जिसने मुझे अपने दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की ओर आकर्षित किया है जिसकी स्थापना दलितों, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में की गई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इस मुद्दे पर उनकी विद्यमान स्थिति तथा उनकी विचार धाराओं, नीतियों और विचारों से अवगत होता हूँ। इसके फलस्वरूप मुझे उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है जो अपने दुलमुल स्वरूप और दोषपूर्ण नीतियों के लिए जाने जाते हैं।

*मूलरूप से तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

हमारे दल डी एम के की स्थापना सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि इसकी स्थापना दलितों, पिछड़ें वर्गों और अल्पसंख्यों के हितों की रक्षा के उच्च आदर्श के साथ की गई थी। वास्तव में इसकी स्थापना एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में की गई थी।

*....(व्यवधान)***

सभापति महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी कृपया ऐसा न करें। यह क्या है?

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: द्रविड मुन्नेत्र कडगम की स्थापना दलितों, निचले तबकों और वंचितों के उत्थान के लिए की गई थी जिनका इस देश में शताब्दियों से दमन किया गया था। डी.एम. के. इन निचले तबके के लोगों की आवाज को बुलंद करने और उनके अधिकारों हेतु लड़ने के प्रयोजन से आगे आई। लोगों को शिक्षित करने, उन्हें अपनी दशा समझने लायक बनाने और उन्हें अपनी अंतर्बाधा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के जरिए उनकी प्रगति सुनिश्चित करने में डी.एम.के. ने अपने को समर्पित कर दिया। हमारा आंदोलन लोगों की कल्पनाओं को साकार करने और उन्हें डी.एम.के. की ओर आकर्षित करना था। इस दिशा में शुरूआजी कदम उठाने के फलस्वरूप ही कई डी.एम.के. राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया और सत्ता में आयी ताकि हमारे सिद्धांतों और नीतियों को कार्यरूप दिया जा सके और वंचित वर्गों के लिए विधान बनाया जा सके। आज भी हम अपने उसी सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं और उसी आधार पर आज हम केन्द्र सरकार के अंग हैं ताकि हम अपने मिशन को जारी रख सकें। वंचितों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी नीतियों के कार्यान्वयन का हम इसे एक अवसर समझते हैं। हमारी पार्टी डी.एम.के. का चुनाव घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषणा पत्र के साथ अपने को ब्यादेश करता है।

हमारा घोषणा-पत्र धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति हमारे समपर्ण को परिलक्षित करता है। केवल धर्मनिरपेक्षवाद ही भारतीय समाज के सभी समुदायों लेने और वर्गों की एकता को सुदृढ़ कर सकता है। डी.एम.के. पूर्णत: अपने को धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति समर्पित किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नया है। राजग भविष्य है और राजग प्रगति एवं न्याय के लिए व्यापक आंदोलन है। हमारी संकल्पना परिवर्तन के लिए है कि आधुनिक कार्यक्रमों के साथ साथ हम एक प्रगतिशील भारत का निर्माण करें। हम अल्पसंख्यकों के पास जाते हैं और बार-बार यह घोषणा करते हैं कि हमारे संविधान में निहित अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। राजग सम्पूर्ण रूप से भारतीय लोगों का राजनीतिक पहलू है। किसी को अलग-अलग नहीं रखा जाएगा; सभी को निष्पक्षता और न्याय दिए जाएंगे तथा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा। हम अल्पसंख्यक समुदाय के अपने भाईयों एवं बहनों से अपील करते हैं कि इन भ्रातृ भाव से युक्त शब्दों के साथ हम तहे दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाते

[श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम]

हैं; पुनरुत्थानशील, आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए हम हाथों में हाथ लेकर एक साथ चलें।

अपने पुराने अंधविश्वासों को हम दूर फैंक दें।
विभाजनकारी शक्तियों को हम समाप्त करें।
विवादास्पद मामलों पर हम अधिस्थगन लाएं।
विश्वास एवं मित्रता के बंधन से हम अपने को बांधें।

हम ऐसा भारत चाहते हैं, जिसके भविष्य में हमारी भागीदारी हो और हम स्वयं को उसका अंग समझ सकें और हम नई सहस्त्राब्दि में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करना चाहते हैं न कि विघटनकारी अनुभूतियों के साथ। परस्पर मिलकर रहने के लिए यह हमारा आह्वान है। अल्पसंख्यकों के प्रति हमारी वचनबद्धता का यह एक भाग है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया अनुशासन बनाए रखें। आप, माननीय सदस्य की बात में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते।

***श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम:** महोदया, मैं इनको अनुमति नहीं दे रहा हूं। हमने ऐसा बार-बार कहा है और एन.डी.ए. सरकार के प्रशासन के लिए हमने इसे राष्ट्रीय एजेण्डा में शामिल कर दिया है। "हम एक सभ्य, मानवीय और न्यायपूर्ण नागरिक व्यवस्था की स्थापना के प्रति वचनबद्ध हैं जिसमें जाति, धर्म, लिंग, रंगभेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा" हम "सर्व पंथ समादर", सभी धर्मों का समान आदर करने की भारतीय परंपरा के अनुसरण में और सभी व्यक्तियों की समानता के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को सच्चे अर्थों में बनाए रखेंगे। हम, अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के प्रति वचनबद्ध हैं और इस संबंध में हम प्रभावकारी कदम उठाएंगे। हम सभी को प्रिय इस दृष्टिकोण का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए अपने अभिभाषण में बार-बार किया गया। "सरकार भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है, भले ही उनकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा कोई भी हो।" ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भाषण देने के बजाए आप डी.एम.के. का घोषणापत्र पढ़ रहे हैं। आपको संकल्प पर बोलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: श्री नाच्चीयपन, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): ये हिन्दी-विरोधी आंदोलन चला रहे थे। ...*(व्यवधान)*

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* मूलत तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह सारा शोर-शराबा कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)***

***श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम:** हमारी यह वचनबद्धता, हमारे नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलैगनार द्वारा इस महीने की 10 तारीख को जारी किए गए वक्तव्य में भी झलकती है। उन्होंने कहा था कि एन.डी.ए एक धर्मनिरपेक्ष मंच है। एन.डी.ए में विभिन्न विचारधाराओं और अनुभूतियों वाले कई दल हैं। साझे मुद्दों पर सर्व सम्मिति या आम राय बनाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए और हम ऐसे किसी भी विचार को स्वीकार नहीं करेंगे जो हम पर लादा जाए। आप इस पर कोई आपत्ति करें, इससे पहले उन्होंनें यह वक्तव्य जारी किया। आपकी शंकाओं के निवारण के लिए एन.डी.ए. की हमारी राजनैतिक कार्य समिति ने इस बारे में एक संकल्प पारित किया है। "हमारा विश्वास है कि वाद से जुड़े सभी दलों को और देश के प्रत्येक राजनैतिक दल को जिसके संविधान की उद्देशिका उद्देश्य और लक्ष्य उसे भारत के संविधान को बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध बनाते हों, उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता तब तक यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। एन डी.ए. ने धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपनी सुस्पष्ट रुख बार-बार प्रकट किया है। यह अपने राष्ट्रीय एजेण्डों को बिना किसी व्यतिक्रम के लागू करने के लिए कतिबद्ध हैं।" यह शब्दों को संयोजन मात्र ही नहीं है। यह इसके सभी घटक दलों का मूलभूत सिद्धांत है। यह धर्मनिरपेक्षता में हमारे मूलभूत विश्वास को परिलक्षित करता है जो इस देश की अखण्डता सुनिश्चित करके इसकी एकता को मजबूत करता है। वे लोग इसे आसानी से समझ नहीं सकेंगे जो अपने आवरण, अपनी वफादारी और अपने राजनैतिक मंच बदलते रहते हैं। यह इतना आसान नहीं है। मैं, इस सम्मानित सभा में पिछले दो दिनों से विभिन्न राजनैतिक दलों के विचार सुन रहा हूं। हमारे वामपंथी मित्र और सी॰पी॰एम॰ के कामरेड इतिहास और उसकी घटनाओं में विश्वास रखते हैं। इतिहास का वर्णन न करने या उसकी उपेक्षा करने से इतिहास विकृत ही होता है। जब वे अयोध्या के इतिहास की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे तो इन्होंने कांग्रेस की भूमिका की उपेक्षा की। यदि उन्होंने इसका उल्लेख किया होता तो हम जो एक बार उनके साथ थे, हमें बहुत खुशी हुई होती। वे बड़ी आसानी से उसे भूल गए।

आप इस समस्या की उत्पत्ति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने, और अयोध्या से कांग्रेस का चुनाव प्रचार आरंभ करने की बात को क्यों छिपाते हैं। जब डी. एम. के. और मार्क्सवादियों के बीच गठबंधन था तो सी.पी.एम. यही कहता था कि वह मुस्लिम लीग की भागीदारी वाली किसी भी सर्व दलीय बैठक में भाग नहीं लेगा। अब उन मार्क्सवादी कामरेडों ने उनके साथ हाथ मिलाया है। हम, आपके द्वारा उन्हें अपना सहयोगी बनाने के प्रति हृदय परिवर्तन का स्वागत करते

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

हैं। राजनैतिक दलों के निहित स्वार्थ हो सकते हैं। किंतु चुनी गई सरकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता में आने के पश्चात् सरकार का सभी लोगों के प्रति समान दृष्टिकोण होने चाहिए और उसे सबकी प्रगति व विकास के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यह दूसरी बात है कि क्या कांग्रेस के शासन काल में यह उसका निर्देशन सिद्धांत था अथवा नहीं और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी एन.डी.ए. सरकार समान दृष्टिकोण के सिद्धांत का पालन करेगी। मैं यह फिर कहना चाहूंगा कि डी.एम.के., एन.डी.ए. में रहते हुए इसे सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा। इस सम्मानित सभा में, मैं यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहूंगा कि डी.एम.के. अपने प्रधानमंत्री में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है। इस देश के लोगों का भी अपने प्रधानमंत्री में अडिग विश्वास है...*(व्यवधान)*

श्री अय्यर आप मेरी मूल भावना से परिचित ही हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: किंतु पिछले वर्षों तक आपमें यह विश्वास नहीं था।

सभापति महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया इस प्रकार बीच में न बोलें।

***श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम:** कल, मेरे मार्क्सवादी मित्रों ने, जो अब तीसरे मोर्चे का गठन आरंभ कर रहे हैं, कहा था कि उन्हें हमारे प्रधानमंत्री में विश्वास है। यहां तक कि हमारे कांग्रेसी मित्रों ने भी प्रधानमंत्री जी में अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के गलत हाथों में हैं और भाजपा इनके दुरुपयोग का प्रयत्न कर रहा है। तथापि, मैं अपने दल और एन. डी. ए. की ओर से उनका, हमारे प्रधानमंत्री जी में विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। किसी युवा व्यक्ति को तो गुमराह किया जा सकता है किंतु किसी अनुभवी वृद्ध व्यक्ति को नहीं। हमारे गांव में एक कथा प्रचलित है। एक दिन कुछ छोटे चूहे या चूहे के बच्चे जो एक धान के खेत के पास बिल में रहते थे वे अपनी माँ के पास बहुत डरे-डरे से आए। उन्होंने अपनी मां को बताया कि कोई पुश्तों को खोद रहा है और इससे उनका बिल भी नष्ट हो जाएगा। मां ने शांतिपूर्वक पूछा कि वह कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई युवा व्यक्ति। बच्चों ने कहा कि वह कोई युवा व्यक्ति है। मां ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वह युवा व्यक्ति उन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। उसने बच्चों को यह भी कहा कि अनुभवी वृद्ध व्यक्तियों को आसानी से मूर्ख नहीं बनाना जा सकता है इसी तरह हमारे अनुभवी वृद्ध राजनीतिज्ञ वाजपेयी जी का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदया, हम आपके माध्यम से सभा और देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि यदि एन.डी.ए. अपने सिद्धातों और सामूहिक नीति निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो डी.एम.के. उनके साथ नहीं रहेगा। यह हमारा दृढ़ निश्चय है। मैं यह भी इंगित करना चाहूंगा कि हमारे मित्र श्री पी. एच. पांडियन में जो उदारता थी वह श्री मल्होत्रा में नहीं थी। श्री पांडियन बिना कुछ चाहे, मुफ्त में भाजपा के सलाहकार के रूप में काम करते थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है। क्या आपको, उनके द्वारा स्वत: कार सेवक भेजे जाने के लिए, उन्हें मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। मेरे प्रिय कांग्रेसी मित्रों, आप अपने विवेक को जगाकर बताइए कि आपने इस आधार पर तीन मंत्रियों के विरुद्ध यह प्रस्ताव पेश किया है कि उन पर आरोप लगाए गए हैं और दूसरी ओर आप ऐसे लोगों के नेतृत्व वाले दलों या व्यक्तियों से गले मिलते हैं और उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। जिनका दोष सिद्ध हो चुका है। आपने ऐसे व्यक्तियों से गठ-जोड़ किया है जिन्हें कारवास का दंड दिया गया है। क्या यह उचित है? ....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: ये क्या है? कृपया बैठ जाइए। श्री पांडियन, आप एक विधान सभा के अध्यक्ष थे। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): वे सीमेंट की आपूर्ति करेंगे। वे ईंटें बेचेंगे क्योंकि डी.एम.के. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को सीमेंट से जोड़ रहा है। उनके पास काफी मात्रा में सीमेंट है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसके बाद कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.43 बजे

(इस समय, श्री के. के. कलिअप्पन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

सभापति महोदय: श्री पांडियन, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप सभापति-तालिका के सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री पांडियन बस कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री पांडियन, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइए।

*...(व्यवधान)**

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: सभा में बात करने का यह कोई ढंग नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थानों पर वापिस जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: ठीक है, हम चर्चा करेंगे किंतु आप सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए एक नोटिस दीजिए। अब कृपया अपने स्थानों पर लौट जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उस चर्चा के लिए आप अलग से एक नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं अगले वक्ता को बुला रही हूँ। श्री पलानीमनिक्कम आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.46 बजे

(इस समय, श्री ए. कृष्णास्वामी, और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थानों पर लौट जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब सभा अपराह्न 4 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है। कृपया, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस. एस. पालानिमनिक्कम (तंजावूर): मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं कही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात रख दी है। हमारे अभिलेख के अनुसार आपने दस मिनट का समय लिया है। अब किसी भी माननीय सदस्य को दस मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर देना है। कृपया, अब समाप्त करें।

***श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हर साल की बात हो गई है। हम देखते हैं कि हर साल राजनीतिक दल यहां इस मुद्दे को उठाते हैं। एक कहावत है, तमिल में एक पुरानी कहावत है। यदि सास से कोई घड़ा टूट जाता है तो कहा जाता है कि यह बेकार था, वही घड़ा यदि बहू से टूटता तो कहा जाता कि यह बहुत कीमती था। यदि बहू से यह कार्य हो जाता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाता है लेकिन सास द्वारा हो जाने पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कांग्रेस के शासन में जो कुछ हुआ उसे छिपाया जा रहा है तथा भाजपा के सत्ता में रहते समय जो कुछ होता है उसे उजागर किया जा रहा है। यह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की दृष्टि से किया जा रहा है। यह चाल राजनीति से प्रेरित है। इस प्रस्ताव को लाने वाली कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि यह राष्ट्र हित में है कि जिन तीन मंत्रियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनका त्यागपत्र मांगा जाए। लेकिन वे ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे तथा सत्ता में रहते हुए जिन्होंने लूट की है। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही हैं। मैं भाजपा के विषय में कहना चाहता हूं कि उन्हें कुछ कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। मैं यह क्यों कहता हूं। मेरे मित्र और साथी श्री पी. एच. पांडियन किसी प्रतिफल की चाह किये बिना भाजपा के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। उनके दल ने भी कार सेवा के लिए लोगों को भेजा था। उन्हें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं दिया है। आज ही तमिलनाडु के एक पूर्व मंत्री को पांच वर्ष की सजा हुई है। *...(व्यवधान)* यदि पूर्व मंत्री उनके दल के हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुख्य मंत्री से लेकर विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष तक ए. आई. ए. डी. एम. के. सरकार के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति दोषारोपण, अभियोग का सामना कर रहे हैं। उन पर दोष सिद्ध हो रहे हैं। उन्हें कारावास का दण्ड दिया जा रहा है। उनके दल की पूर्व सरकार के

---

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

लगभग सभी मंत्री अपराधिक भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हम तमिलवासी जब बाहर जाते हैं तो गर्व से अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कारावास का दण्ड मिला है। उनको जो सजा दी गई है उससे यहां सांसद भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मेरी इच्छा है कि सारा राष्ट्र इस पर ध्यान दें...*(व्यवधान)* मैं इनको बोलने की अुनमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है। इसीलिए यह समस्या उत्पन्न हुई ... अब भी उन्होंने मेरा नाम लिया है। इसीलिए समस्या शुरू हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक शालीनता तथा संसदीय शिष्टाचार के नाते मैंने अपने साथी श्री सेल्वागनपति तथा उस सदस्य का नाम नहीं लिया जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हैं। आज जिस प्रस्ताव पर बहस हो रही है वह राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है। यह राजनीति से प्रेरित है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष चुनाव हो। उनकी प्रबल इच्छा है कि वे सत्ता में आ जाएं। मैं कुछ कांग्रेस जनों की सत्ता में आने की लालसा को समझ सकता हूं। वे किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं। इससे उनकी अवसरवादिता उजागर होती है। ...

श्री पी॰ एच॰ पांडियन : वह मेरा नाम ले रहे थे। इसलिए मैंने जबाव दिया है। *.

श्री तिरूनावक्करसू (पुडुक्कोट्टई): महोदय, वह उस व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं जो कि इस सभा के सदस्य नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री टी॰ एम॰ सेल्वागनपति (सेलम): हम चाहते हैं कि सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर बहस हो। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी॰ एच॰ पांडियन : *...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति, बहुत हो गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, बहुत हो गया। मैं खड़ा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री पी. एच. पांडियन : वह हमारी तरफ संकेत कर रहे थे। वे मेरा नाम क्यों ले रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका आचरण सदस्य के नाते अनुकूल नहीं है। आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन जी, आप जो आचरण कर रहें है उसे मैं गंभीरता से ले रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ असंसदीय है तो मैं उसे हटा दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पालानीमनिक्कम, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पलानीमनिक्कम: मैं डी. एम. के. की तरफ से राजनीति से प्रेरित इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह से तो सभा की कार्यवाही चलाना एकदम असम्भव है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वहां क्या हो रहा...*(व्यवधान)* है? जो बाहर जाना चाहते हैं, शांतिपूर्वक बाहर जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री तिरूनावक्करसू : मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कार्य मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर श्री जयपाल रेड्डी ने एक तजवीज पेश की है। जिसमें वजीरेआजम से मुतालबा किया गया है कि वे उन तीन मुजरां को, यानी श्री एल.के. आडवाणी, डा. मुरली मनाहर जोशी और कुमारी उमा भारती, जो कि बाबरी मस्जिद के शहीद करने के घिनौने जुर्म-जरायम में मुस्जिम के इल्लाम पर अदालत में खड़े हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसी तजवीज में वजीरेआजम के बयान पर शख्स नापसंदगी का इजहार करते हुए उस बयान को रद्द किया गया है, यह सब अच्छी तरह से जानते हैं।

महोदय, तीन मुजरा ऐसे हैं, जो इन्तहाई घिनौने जरायम में मलब्वस चार्जेज का सामना कर रहे हैं। यह देश की बदकिस्मती है और देश के लिए शर्म की बात है। देश का सिर शर्म से झुक जाता है, मुल्क की हुकूमत और मुजरां में ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर घिनौने जरायम के अंदर मुलब्वस होने का इल्जाम है, यह शर्मनाक बात है। हद तो यह है कि हालात इस कदर संगीन हैं कि होम मिनिस्टर तक इस जुर्म के अंदर मुलब्वस अदालत के सामने खड़े हुए हैं।

अब होम-मिनिस्टर का अदालत के सामने खड़ा होना, एक सिचुएशन सामने पैदा होती है

[अनुवाद]

कि आरोपी तथा अभियोजन एक ही है। यह कानून तथा प्रजातन्त्र के साथ मजाक है।

[हिन्दी]

यह सिचुएशन हमारे सामने आज आ रही है। इसीलिए यह तजवीज आई हुई है ताकि देश को शर्म को सामना न करना पड़े कि उसकी कैबिनेट में ऐसे-ऐसे घिनौने...*(व्यवधान)* जिनके ऊपर क्राइम के चार्जेज हैं, वे पाए जाते हैं।...*(व्यवधान)* आज क्या देश की तस्वीर है जिसको पेश किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* फिर हमारे सामने मुख्तलिफ बातें पेश की जाती हैं जो अफसोसनाक है। बाबरी मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और इल्जाम तराशियां एक-दूसरे के ऊपर हो रही हैं। हमारे दिल छलनी हैं।... *(व्यवधान)* आज मुसलमानों को तरह-तरह के हमदर्द मिलने लगे हैं लेकिन आज कुछ नये मुसलमानों के हमदर्द पैदा हो गये हैं जो मस्जिद को शहीद करके मस्जिद के ढेर पर खड़े होकर कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आज आलम यह है कि मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर किया जा रहा है। वजीरे-आजम ने मंदिर की तामीर को नेशनल-सैंटीमेंट्स करार दिया है। आज यह मुल्क की बदकिस्मती है कि उसका वजीरे-आजम वह हैं जो संघ-परिवार के एग्रैसिव-मोटिव और जरिहाना अजायम को नेशनल-सैंटीमेंट्स करार देता है।

सुप्रीम-कोर्ट अपने फैसले के अंदर नेशनल-शेम कहता है और वजीरे-आजम उसको नेशनल सैंटीमेंट्स करार देने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं यह इख्तबाद।

[अनुवाद]

ए॰ आई॰ आर॰ (1995) एस॰ सी॰ (605)

[हिन्दी]

पैरा (7), पेज 613 से पेश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जिसे नेशनल शेम कहता है वजीरे-आजम उसे नेशनल सैंटीमेंट्स कहने के लिए आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि

[अनुवाद]

लगभग दोपहर को उस भीड़ में से लोग राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे पर चढ़ गए। जिस भीड़ को भाजपा, विहिप आदि के नेता सम्बोधित कर रहे थे तथा गुम्बद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण में सारा ढांचा नष्ट हो गया तथा जमीन पर गिर गया। वास्तव में यह राष्ट्रीय शर्म का कार्य था। केवल एक पुराना ढांचा मात्र ही नहीं रहा बल्कि इससे अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों के न्याय तथा निष्पक्षता की भावना के प्रति जो विश्वास था उसको भी चोट पहुंची। इससे उनका कानून के शासन तथा संवैधानिक प्रक्रिया से विश्वास उठ गया।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): यह किस तारीख का है? ...*(व्यवधान)* ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार वह अनुमति नहीं दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: हमारे वजीरे-आजम को सुप्रीम-कोर्ट का भी कोई लिहाज नहीं है। वे अपनी बात को सुप्रीम-कोर्ट से भी ज्यादा समझते हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मस्जिद पर जो हमला हुआ वह मस्जिद पर हमला नहीं है, वह मुल्क के दस्तूर पर हमला हुआ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह हाउस को मिसलीड कर रहे हैं तो आप प्रिवलेज मोशन ला सकते हैं।

श्री विनय कटियार : मेरे पास सुप्रीम कार्ट के ऑर्डर हैं। यह देश को गुमराह कर रहे हैं। उसने ऐसी कोई रूलिंग नहीं दी।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह सहमत नहीं हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : यह हमला कानून के हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा कर रख दी गईं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? यह सभा कैसे चलायी जाए?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय को उत्तर देना है।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह सदन को गुमराह कर रहे हैं तो आप प्रिवलेज मोशन दे सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैंने यहां हवाला दिया। मेरे पास वह हवाला मौजूद है। एआईआर. 1995 एस. सी. 605 पैरा 7, पेज 613 है। मैं यह हवाला देकर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं इस हाउस का एक जिम्मेदार मैम्बर हूं। वजीरे आजम बयान दे रहे हैं।

वज़ीरे आजम साहब, आपने क्या वक्त का इंतखाब किया? किस जगह का इंतखाब किया? रमजान का महीना है। आपके एक वजीर की इफ्तार की तकरीर में मेहमान मुसलमान जमा है। इफ्तार का वक्त है मुसलमान मगरिब की नमाज में सजाबस्तजूद है, सर्वस्तजूद है, सजदा कर रहे हैं और मुल्क का वजीरे आजम कह रहा है कि उठाओ, अपनी मस्जिद, ले जाओ, किसी और जगह पर। इससे सारे मुसलमान कांप उठे हैं। तड़प उठें हैं। आपने क्या कहा? वजीरे आजम ने यह नहीं कहा कि किसी किस्म का कोई डॉयलाग हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला जो कुछ कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : यह कहते हैं कि एक काम अधूरा रह गया है, उस काम को पूरा करना है।

6 दिसम्बर, 1992 ब्लैक डे था लेकिन आज का दिन उससे भी ज्यादा ब्लैक, उससे भी ज्यादा स्याह दिन है। इसलिए खुद वजीरे आजम हुकूमतेहुन जनूनियों की, फैनेटिक्स की जगह लेकर कहते हैं कि जो काम अधूरा रह गया है, हम उसे पूरा करने वाले हैं।

यह स्याहतरीन दिन है। उस दिन जनूनियों ने मस्जिद को शहीद किया। आज हुकूमत और वजीरे आजम उन जनूनियों की कतार में, लाइन में खड़े होकर उनकी जगह लेकर कहते हैं कि जो काम अधूरा रह गया है, उसे-पूरा करना है। यह ज्यादा स्याहतरीन दिन है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनय कटियार कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : यहा सवाल तीन बुजरा का है जिन पर संगीन जयराम के इल्जामात लगे हैं। ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से इस हाउस के फ्लोर पर इस ऐवान का गलत इस्तेमाल किया गया है।

एब्यूज किया गया है। इन मुल्जमीन के ऊपर इल्लामात को खोटा साबित करने की यहां कोशिश की गई है यह बहुत ज्यादा बात है। सवाल यह नहीं कि इन पर जो इल्जामात हैं। वे सही हैं या नहीं यह तो अदालत फैसला करेगी। यहां इस सभा में इन आरोपित व्यक्तियों को बरी करने का प्रयास कर इसका दुरुपयोग किया गया है। बल्कि हमें खदशाक होने लगा है...*(व्यवधान)* मुझे कहने दीजिए कि हम बराबर हर एक की बात को पूरे सुकून और इतमिनान के साथ सुनते रहे हैं और उसके बावजूद यदि इस ऐवान में नहीं तो फिर मुझे बताइये कि किस ऐवान में जाकर हम अपना दिल चीरकर आपके सामने पेश करें। यही तो एक जगह है जहां हम आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं। हमें कहा जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कटियार मैं आपको चुप रहने के लिए कितनी बार कहूं?

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : जब एक्यूज्ड को एग्जोनेरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाये, लॉ मिनिस्टर खड़ा हो जाये और कहने लगे कि मुकदमात खोटे हैं तो न सिर्फ तीन वजीरों पर बल्कि पूरे कैबिनेट के ऊपर हमारा एहतमाद खत्म हो जाता है। हमें तो खदशाक है कि अब प्राइम मिनिस्टर, उसकी कौंसिल और यह हुकूमत प्रोसीक्यूशन के तकाजे को पूरा नहीं कर सकी है। हकीकत में इस रिजाल्यूशन से प्राइम मिनिस्टर, उसकी हुकूमत को इखलाकी हुकूक नहीं पहुंचता है। अब यह कहा जा रहा है कि यह प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव हक है कि जिसे चाहे वह मिनिस्टर रखे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, कृपया मुझे आधे घण्टे का समय और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हे भगवान, अब कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं तो यह जानता हूं कि उधर से एक मिनिस्टर खड़े हुये और उसने कहा कि मैं इकलौता मुसलमान हूं जो अब तक यहां बोलने के लिये खड़ा हुआ है। यह उस तरफ का दावा है जबकि यहां हमें अपनी बात रखने के लिये मौका नहीं मिलता। क्या-क्या बातें यहां नहीं कही गई हैं? इतने सालों तक मुसलमानों को बरबाद किया गया, कमजोर किया गया और अब उसकी शनाख्त का सफाया करने पर तुले हुये हैं। हमें कहा जा रहा है कि यह प्राइम मिनिस्टर का प्रैरोगैटिव है जिसे चाहे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में लेले। यह बात बिलकुल सही है कि यह उनका प्रैरोगेटिव है लेकिन क्या सियासत, गवर्नेंस या हुकूमत तमाम इखलाकी जिम्मेदारियों में मुबर्रा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनय कटियार, आपको यह शब्द वापिस लेना पड़ेगा।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह शब्द क्या था?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

संख्या के आधार पर हमें भी बात करनी चाहिए। क्या इसके लिए ज्यादा मेहरबानी कर रहे हैं?

[अनुवाद]

ऐसी टिप्पणियां ना करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी मैंने तो ऐसा...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार टोक रहे हैं।

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी सफाई देता हूं आपने जो कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। मैं आप सभी से अपने-अपने स्थानों पर बैठने की अपील करता हूं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठिए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगें?

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगे?

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी): हर जगर सांप्रदायिकता है...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप खेद व्यक्त करते हैं। उन्हें खेद व्यक्त करने दीजिए। उन्होंने कहा है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने केवल इतनी बात कही थी प्रारंभ में कि दो मेम्बर हैं तो उसके हिसाब से अगर आप समय अलॉट कर दें तो सबको बोलने को मौका मिलेगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक एक मेम्बर की कई पार्टियां हैं। एक पार्टी के किसी मेम्बर को अभी नहीं बुलाया है। सारे एक एक पार्टी के मेम्बर्स के एक आदमी को मैंने बुलाया। हर समय यहां संख्या बल के आधार पर नहीं बोलते हैं, आपने कितनी बार बात की है मगर संख्या बल नहीं देखा जाता है।

[अनुवाद]

यह मुझ पर और मेरे व्यवहार पर लॉछन है। इस बात से मुझे दु:ख हुआ।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति किसी प्रकार का कोई असम्मान किसी के मन में नहीं है।

[अनुवाद]

आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, अब आप अपना भाषण जारी रखिए।

....(व्यवधान)

[श्री जी.एम. बनातवाला]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, वह समाप्त हो चुका है। ऐसी कोई बात उनके दिल में नहीं है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, बहस कब तक कराएंगे, यह तो बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद प्रधान मंत्री रिप्लाई देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप समय दे दीजिए कितने बजे तक बहस करेंगे। कई रोजा इफ्तार भी हैं। इसलिए मैंने पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय: रोजा इफ्तार तो मुझे करना है।

श्री जी. एम. बनातवाला: जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि वजीरे आजम का यह अपना प्रोरोगेटिव है कि कौंसिल में वे किस को मिनिस्टर बनाएं और किसको न बनाएं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप मुक्तसर में कहकर खत्म कीजिएगा।

श्री जी.एम. बनातवाला: अगर आपकी यह ख्वाहिश है, तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा लेकिन मुझे एक जुमला तो कह लेने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप एक जुमले के साथ अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जी.एम. बनातवाला: डिप्टी स्पीकर सर, इसका मतलब यह नहीं है कि सियासत गवर्नेन्स, हुकूमत तमामतर इखलाकी जिम्मेदारियों से खाली मुबर्रा और जारी रहे। यह प्रोप्रायटी भी आखिर एक चीज होती है और यह देश के लिए जैसा मैंने कहा कि शर्म की बात होगी, उसकी जमहूरियत के लिए शर्म की बात होगी कि उसकी काबीना के अन्दर ऐसे लोग पाए जाएं, जो अदालत में घिनौने जुर्म के इलजाम में मुलब्बस खड़े हुए हों।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: लिहाजा आज वक्त यह नहीं कि इधर से अलजाम उधर लगाए जाएं या उधर से इलजाम इधर लगाए जाएं। जमहूरिया आपको आवाज दे रही है, जमहूरियत आपकी आजमाइश कर रही है और तारीख लिखेगी कि जमहूरियात ने पुकारा, रूल आफ ला ने पुकारा, लेकिन एन.डी.ए. अपनी साजिश के साथ, पूरे तनाव के साथ फासिज्म की तरफ बढ़ गई है। यह फैसला तारीख का फैसला होगा, यह आप देखेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी. एम. बनातवाला, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला: आज एन.डी.ए. के जो एलाइज, जो बी.जे.पी. में एलाइज हैं वे समझ लें कि एन.डी.ए. के एजेंडे की आड़ में बी.जे.पी. द्वारा संघ परिवार का एजेंडा पूरा किया जा रहा है और इन अलफाज के साथ मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं। इसी किस्म की तजबीज मैंने भी दी और दीगर अराकीन ने भी दी थी। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، آنریبل ممبر جناب جے پال ریڈی نے ایک تجویز پیش کی ہے، جس میں وزیر آعظم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان تین وزراء کو یعنی جناب ایل۔ کے۔ آڈوانی، ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی اور کماری اوما بھارتی، جو کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے گھنونے جرم و جرائم کے طور پر عدالت میں کھڑے ہیں، انہیں برخاست کیا جائے۔ اسی تجویز میں وزیر آعظم کے بیان پر سخت ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس بیان کو رد کیا گیا ہے، یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔

جناب، تین وزراء ایسے ہیں، جو انتہائی گھنونے جرائم میں ملوث چارجیز کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ملک کی بدقسمتی ہے اور ملک کے لئے شرم کی بات ہے۔ ملک کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ملک کی حکومت اور وزارت میں ایسے لوگ شامل ہیں جن پر گھنونے جرائم کے اندر ملوث ہونے کا الزام ہے، یہ شرمناک بات ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حالات اس قدر سنگین ہیں کہ ہوم منسٹر تک اس جرم کے اندر ملوث عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔

اب ہوم منسٹر کا عدالت کے سامنے کھڑا ہونا، ایک سچویشن سامنے پیدا کرتا ہے کہ the accused and the prosecution are the same. It is a mockery of the rule of law and our democracy. یہ سچویشن ہمارے سامنے آج آرہی ہے۔ اسلئے یہ تجویز آئی ہوئی ہے تاکہ ملک کو شرم کا سامنان کرنا پڑے کہ اسکی کیبینٹ میں ایسے ایسے گھنونے... (مداخلت) جن کے اوپر کرائم کے چارجیز ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔... (مداخلت) آج کیا ملک کی تصویر ہے جس کو پیش کیا جارہا ہے۔... (مداخلت) پھر ہمارے سامنے مختلف باتیں پیش کی جاتی ہیں جو افسوسناک ہیں۔ بابری مسجد کو سیاست کا اکھاڑا بنادیا گیا اور الزام تراشیاں ایک دوسرے کے اوپر ہو رہی ہیں۔ ہمارے دل چھلنی ہیں۔ ... (مداخلت) آج مسلمان کو طرح طرح کے ہمدرد ملنے لگے ہیں لیکن آج کچھ نئے مسلمانوں کے ہمدرد ہو گئے ہیں جو مسجد کو شہید کر کے مسجد کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار مسجد کے ملبے پر کھڑے ہو کر کیا جارہا ہے۔ وزیر آعظم نے مندر کی تعمیر کو نیشنل سینٹی مینٹس قرار دیا ہے۔ آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کا وزیر آعظم وہ ہے جو سنگھ پریوار کے ایگریسو موٹیو اور ظالمانہ حرکت کو نیشنل سینٹی منٹیس قرار دیتا ہے۔

سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اندر نیشنل شیم کہتا ہے اور وزیر آعظم اس کو نیشنل سینٹی مینٹس قرار دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ اقتباس AIR(1995)SC(605) پیرا (7)، صفحہ 613 سے پیش کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ جسے نیشنل شیم کہتا ہے وزیر آعظم اسے نیشنل سینٹی مینٹس کہنے کے

لئے آگے آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ:

"Around mid-day a crowd addressed by leaders of B.J.P., V.H.P. etc. climbed the *Ramjānmabhoomi-Babri Masjid* structure and started damaging the domes. Within a short time the entire structure was demolished and razed the the ground. Indeed, it was an act of national shame. What was demolished was not merely an ancient structure, but the faith of minorities in the sense of justice and fair play of majority. It shook their faith in the rule of law and the constitutional process."

شری ونے کٹیار (فیض آباد): یہ کس تاریخ کا ہے؟...(مداخلت) یہ ہاؤس کو مس لیڈ کر رہے ہیں۔

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Vinay Katiyar, he is not yielding. Please take your seat.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *...

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): ہمارے وزیر آعظم کو سپریم کورٹ کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔

مسجد پر جو حملہ ہوا وہ مسجد پر حملہ نہیں ہے، وہ ملک کے دستور پر حملہ ہوا۔ ...(مداخلت)

ڈپٹی اسپیکر صاحب: اگر یہ ہاؤس کو مس لیڈ کر رہے ہیں تو آپ پریویلج موشن لا سکتے ہیں۔

شری ونے کٹیار (فیض آباد): میرے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر ہیں۔ یہ ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایسی کوئی رولنگ نہیں دی۔...(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *... ~~*(Not recorded)*~~

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What are you doing.

...(Interruptions)

* Not recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can have other relief. You can move a Motion of Privilege against him but not like this.

...(Interruptions)

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): یہ حملہ قانون کے حکمرانی، رول آف لاء پر ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اُڑاکر رکھ دی گئی۔

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**...

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is this? How am I to conduct the House.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Prime Minister is to give a reply.

...(Interruptions)

ڈپٹی اسپیکر صاحب: اگر یہ ہاؤس کو گمراہ کررہے ہیں تو آپ پریولیج موشن دے سکتے ہیں۔

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): میں نے یہاں حوالہ دیا۔ میرے پاس وہ حوالہ موجود ہے۔ AIR(1995)SC(605) پیرا (7)، صفحہ 613 ہے۔ میں یہ حوالہ دیکر آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس ہاؤس کا ایک ذمہ دار ممبر ہوں۔ وزیر آعظم بیان دے رہے ہیں۔

وزیر آعظم صاحب، آپ نے کیوقت کا انتخاب کیا؟ کس جگہ کا انتخاب کیا؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کے ایک وزیر کی افطار کی تقریر میں مہمان مسلمان جمع ہیں۔ افطار کا وقت ہے۔ مسلمان مغرب کی نماز میں سجدۂ بسود ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور ملک کا وزیر آعظم کہہ رہا ہے کہ اُٹھاؤ، اپنی مسجد، لے جاؤ کسی اور جگہ پر۔ اس سے سارے مسلمان کانپ اُٹھے ہیں، تڑپ اُٹھے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ وزیر آعظم نے یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ ہو۔... (مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shir G.M. Banatwalla says.

...(Interruptions)

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): وہ کہتے ہیں کہ ایک کام ادھورا رہ گیا ہے، اس کام کو پورا کرنا ہے۔

---

* Not recorded.

۶/ دسمبر ۱۹۹۲ء بلیک ڈے تھا۔ لیکن آج کا دن اس سے بھی زیادہ بلیک، اس سے بھی زیادہ سیاہ دن ہے۔ اسلئے خود وزیر آعظم حکومت ہند جنونیوں کی فینیٹکس کی جگہ لیکر کہتے ہیں کہ جو کام ادھورا رہ گیا ہے، ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔

یہ سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن جنونیوں نے مسجد کو شہید کیا۔ آج حکومت اور وزیر آعظم ان جنونیوں کی قطار میں، لائن میں کھڑے ہو کر انکی جگہ لیکر کہتے ہیں کہ جو کام ادھورا رہ گیا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ یہ زیادہ سیاہ ترین دن ہے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔...(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Vinay Katyar, do not interrupt.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Banatwalla, please conclude.

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): یہاں سوال تین وزراء کا ہے جن پر سنگین جرائم کے الزامات لگے ہیں۔ ارباب اقتدار اور ٹریجری بینچیز کی طرف سے اس ہاؤس کے فلور پر اس ایوان کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ ابیوز کیا گیا ہے۔ ان ملزمین کے اوپر الزامات کو کھوٹا ثابت کرنے کی یہاں کوشش کی گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ بات ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ان پر جو الزامات ہیں، وہ سہی ہیں یا نہیں، یہ تو عدالت فیصلہ کریگی۔ Here, the Floor of the House has been abused in trying to exonerate these accused people. بلکہ ہمیں خدشہ ہونے لگا ہے۔...(مداخلت) مجھے کہنے دیجئیے کہ ہم برابر ہر ایک کی بات کو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ سنتے رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر اس ایوان میں نہیں تو پھر مجھے بتایئے کہ کس ایوان میں جاکر ہم اپنا دل چیر کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہی تو ایک جگہ ہے جہاں ہم آپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے۔...(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Katiyar, how many times, will I have to tell you to keep quiet?

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جب ایکیوزڈ کو ایجیون ریٹ کرنے کے لئے پرائم منسٹر کھڑا ہو جائے، لاء منسٹر کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے کہ مقدمات کھوٹے ہیں تو نہ صرف تین وزیروں پر بلکہ پورے کیبینٹ کے اوپر ہمارا اعتماد ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو خدشہ ہے کہ پرائم منسٹر، اس کی کاؤنسل اور یہ حکومت پروسیکیون کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکی ہے۔ حقیقت میں اس ریزولوشن سے پرائم منسٹر، اسکی حکومت کو اخلاقی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹیو یہ ہے کہ

جسے وہ منسٹر رکھے....(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Banatwalla, please conclude now.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, please me half-an-hour more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Oh, my goodness! please conclude now.

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): میں تو یہ جانتا ہوں کہ ادھر سے ایک منسٹر کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں اکلوتا مسلمان ہوں جو اب تک یہاں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس طرف طرف کا دعوی ہے جبکہ یہاں ہمیں اپنی بات رکھنے کے لئے موقع نہیں ملتا۔ کیا کیا باتیں یہاں نہیں کہیں گئیں ہیں؟ اتنے سالوں تک مسلمانوں کو برباد کیا گیا، کمزور کیا گیا اور اب اسکی شناخت کا صفایا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا جارہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹیو ہے جسے چاہے کاؤنسل آف منسٹرس میں لے لیں۔ یہ بات بالکل سہی ہے کہ یہ انکا پریروگیٹیو ہے لیکن کیا سیاست، گورنیس یا حکومت تمام اخلاقی ذمہ داریوں سے مبرا ہے؟...(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Vinay Katiyar, you have to withdraw that word.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, may I know what that word was?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you please resume your seat.

Do not pass تعداد کے آدھار پر ہمیں بھی بات کرنی چاہیئے۔ کہاں سے لئے زیادہ مہربانی کر رہے ہیں؟ such remarks. ...*(Interruptions)*

شری ونے کٹیار (فیض آباد): اُپادھیکش جی، میں تو ایسا....

ڈپٹی اسپیکر صاحب: آپ بار بار ٹوک رہے ہیں۔

شری ونے کٹیار (فیض آباد): اُپادھیکش جی، میں اپنی صفائی دیتا ہوں آپ نے جو کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کہا؟ میں کچھ نہیں کہا۔ اُپادھیکش جی، میں نے ایسا کچھ نہیں بولا ہے۔

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. I am appealing to you all to please resume your seats.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resumc your seats.

.(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please resume your seats?

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please resume your seats?

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Ramdas Athawale, please resume your seat.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seats?

...(Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Everywhere, there is communalism

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, please resume your seats?

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you express regret. Let him express regret. He has said it.

شری ونے کٹیار (فیض آباد) : مانیے اُپادھیکش جی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے صرف اتنی بات کہی تھی شروع میں کہ دو ممبر ہیں تو اس کے حساب سے اگر آپ وقت الاٹ کر دیں تو سب کو بولنے کا موقع ملے گا۔...(مداخلت)

ڈپٹی اسپیکر صاحب : ایک۔ایک ممبر کی کئی پارٹیاں ہیں۔ایک پارٹی کے کسی ممبر کو ابھی نہیں بلایا ہے۔ سارھ ایک ایک پارٹی کے ممبرس کے ایک آدمی کو میں نے بلایا۔ ہر وقت یہاں تعداد بل کے آدھار پر نہیں بولتے ہیں، آپ نے کتنی بار بات کی ہے مگر تعداد بل نہیں دیکھا جاتا ہے۔ This is casting aspersions on me, on my conduct. I felt it.

ڈاکٹر مُرلی منوہر جوشی: اُپادھیکش مہودیے، آپ کے پرتی کسی پرکار کا کوئی اسمان کسی کے من میں نہیں ہے۔ There is absolutely nothing against you.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Banatwalla, you continue.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shir Ramdas Athawalc, that is over.

...(Interruptions)

شری ملائم سنگھ یادو (سنبھل): اُپادھیکش مہودیے، بحث کب تک کرائیں گے، یہ تو بتا دیجئے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب : اس کے بعد پردھان منتری ریپلائی دیں گے۔

شری ملائم سنگھ یادو (سنبھل): آپ وقت دے دیجئے کتنے بجے تک بحث کریں گے۔ کئی روزہ افطار بھی ہیں۔ اسلئے میں نے پوچھا ہے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب : روزہ افطار تو مجھے کرنا ہے۔

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر آعظم کابیل پر پریروگیٹیو ہے کہ کاؤنسل میں وہ کس کو منسٹر بنائیں اور کس کو نہ بنائیں۔...(مداخلت)

ڈپٹی اسپیکر صاحب : اب آپ مختصر میں کہہ کر ختم کیجئے۔

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): اگر آپ کی یہ خواہش ہے، تو میں اپنی بات کو ختم کردوں گا لیکن مجھے ایک جملہ تو کہہ لینے دیجئے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب : ٹھیک ہے، آپ ایک جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کردیں۔

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی، گورنینس، حکومت تمام تر اخلاقی ذمہ داریوں سے خالی مبرا اور عالی رہے۔ یہ پروپرایٹی بھی آخر ایک چیز ہوتی ہے اور یہ ملک کے لئے جیسا میں نے کہا کہ شرم کی بات ہوگی، اسکی جمہوریت کے لئے شرم کی بات ہوگی کہ اس کی کابینہ کے اندر ایسے لوگ پائے جائیں، جو عدالت میں گھنونے جرم کے الزام میں ملوث کھڑے ہوئے ہو... ...(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri G.M. Banatwalla, will you please resume your seat?

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): لہذا آج وقت یہ نہیں کہ ادھر سے الزام ادھر لگائے جائیں یا ادھر سے الزام ادھر لگائے جائیں۔ جمہوریت آپ کو آواز دے رہی ہے، جمہوریت آپ کی آزمائش کر رہی ہے اور تاریخ لکھے گی کہ جمہوریت نے پکارا، رول آف لاء نے پکارا، لیکن این۔ڈی۔اے۔ اپنی سازش کے ساتھ، پورے تناؤں کے ساتھ فاسسزم کی طرف بڑھ گئی ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ کا فیصلہ ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے۔...(مداخلت)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri G.M. Banatwalla, will you please resume your seat?

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): آج این۔ڈی۔اے کے جو ایلائز، بی۔جے۔پی۔ میں ایلائز ہیں وہ سمجھ لیں کہ این۔ڈی۔اے۔ کے ایجنڈے کی آڑ میں بی۔جے۔پی۔ کے

ذریعے سنگھ پریوار کا ایجنڈا پورا کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان الفاظ کے اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔اسی قسم کی تجویز میں نے بھی دی اور دیگر اراکین نے بھی دی تھی۔...(مداخلت)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को लाकर जिस पालिटिकल मोटिव से बेवक्त शहनाई बजाने का काम किया गया है, मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के आने का यह समीचीन समय नहीं था। तीन साल से हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कर रहे थे। कहां सोए हुए थे। जब यह प्रस्ताव आना चाहिए था, उस समय आप इसको लेकर नहीं आए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम साइंस के विद्यार्थी हैं। हम विज्ञान पढ़े हैं। फिजिक्स में गुड कंडक्टर और बैड कंटक्टर हमने पढ़े हैं। गुड कंडक्टर वह है जिसके एक सिरे को गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। जैसे आयरन है यदि उसके एक सिरे को गर्म किया जाए, तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है और यदि बैड कंडेक्टर का उदाहरण देखें तो, सूखी लकड़ी के रूप में देख सकते हैं जिसके एक सिरों को जलाया जाए, तो धीरे-धीरे दूसरा सिरा जलेगा। गरीबी, मंहगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या यह बैड कंडक्टर की तरह है। आज सदन में जो चर्चा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि सदन में जो चर्चा हो रही है, पालिटिक्स की शार्ट कटिंग की जा रही है। जल्दी-जल्दी पालिटिक्स खेलने के लिए लोगों के सेंटीमेंट्स को उभरकर, कट्टरपंथी चाहे हिन्दू हों या समाज में मुसलमान हों, ये देश के दुश्मन हैं। देश में सैकुलरिज्म ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर देश को चलना है। मैं किसी पार्टी विशेष की या व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं पूरे देश के लोगों के बारे में कह रहा हूं। हम लोग अपनी पालिटिक्स संबंध में इस बारे में किसी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन शार्ट कटिंग पालिटिक्स चल रही है, गुड कंडक्टर वाली, इससे देश नहीं बनेगा। यदि देश को बनाना है तो बैड कंडक्टर वाली बात करनी पड़ेगी और गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई और किसानों की समस्याओं के ऊपर चर्चा करनी होगी, जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। देश की जो ज्वलन्त समस्या है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है सेंटीमेंट उभारने की। हम दोनों पक्षों से कहना चाहते हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सेंटीमेंट को उभारकर, देश को तोड़कर, ये न राम के भक्त हो सकते हैं न रहीम के भक्त हो सकते हैं।

श्री राम ने उत्तर से दक्षिण तक हिन्दुस्तान की यात्रा की थी और जनकपुरी में राजा रामचन्द्र पुरुषोत्तम जी का स्वयंवर रचा गया था। श्री राम जी ने जो दर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, उसे हम समझते हैं। श्री मुरली मनोहर जोशी जी हमसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वे विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उस पर चैलेंज नहीं करता । मैं श्री मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का बड़ा आदर करता हूं। लेकिन जिस तरह से यह प्रस्ताव लाकर उन्हें यहां फोकस किया जा रहा है, वह समय अभी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम ने उत्तर से दक्षिण यानी श्रीलंका तक यात्रा करके हिन्दुस्तान को जोड़ने का काम किया था। इसलिए राम का नाम लेने से किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इसी तरह रहीम का नाम लेने से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। "वही महादेव वही मोहम्मद"। हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण संत परम्परा में सबसे सेक्युलर लाइन संत कबीर ने कही कि वही महादेव, वही मोहम्मद, वही ईश्वर, वही अल्लाह। क्या दर्शन है हमारे देश का? हिन्दुस्तान का जो दर्शन है, उससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। राम ने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम किया तो कृष्ण जी ने हिन्दुस्तान को पूर्व से पश्चिम तक यानी द्वारिकाधाम तक जोड़ने का काम किया। इनके बीच में मथुरा, काशी, जरासन आदि सारी कहानियां हैं। वे विराटनगर यानी नेपाल से चलकर द्वारिका के समुद्र किनारे तक चले गये। उन्होंने पूर्व से पश्चिम तक को जोड़ने का काम किया। श्री कृष्ण जी ने इस देश को जो दर्शन दिया, जो आदर्श दिया, उससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है।

मेरा कहना है कि राम-रहीम के नाम पर देश को बांटना, भावनाओं को बांटना हैं, इससे हम बिल्कुल असहमत हैं, हमारी पार्टी असहमत है। जो भी बयान दिया गया है, वैसे तो आज प्रधान मंत्री जी स्वयं विराजमान हैं और वह सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। राष्ट्रीय प्रकटीकरण के सवाल पर हमको घोर आपत्ति है।...

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जिस तरह से अखबारों में छपा है, मैं नहीं कहता कि यह सरकार का बयान है। प्रधान मंत्री जी कई बार सफाई दे चुके हैं कि न्यायालय का सम्मान किया जायेगा हम आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो या मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, वे सब एन.डी.ए. के एजेंडे के बाहर हैं। नैशनल कार्यसूची से बाहर है इसलिए इसको नैशनल एजेंडे में लाने से पहले सारे घटक दलों को विश्वास में लेने की जरूरत है। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो मामला न्यायालय में लंबित है, जो सबजुडिस है चाहे इलाहाबाद कोर्ट में राम जन्म भूमि का मामला हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो मामला सबजुडिस है, न्यायालय में है तो हमें न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इस बीच में कोई विवादित बात, देश को तोड़ने की बात, निर्माण करने की बात या राष्ट्रीय प्रकटीकरण की बात नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय के लिए राष्ट्रीय प्रकटीकरण मंदिर निर्माण है तो किसी के लिए यह मस्जिद निर्माण जो जायेगा। इसलिए राष्ट्रीय प्रकटीकरण में विभेद नहीं होना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। इसी तरह मुम्बई में जो बम कांड हुआ, वह भी राष्ट्रीय प्रकटीकरण हो सकता है । असम में जो हिंसा हुई...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि इस मामले पर देश को तोड़ा न जाये। यह संवेदनशील मामला है इस मामले में सेक्युलरिज्म जो हमारा संविधान है, संविधान का आदेश है या जो सेक्युलर संविधान हुआ है, उस संविधान का पूरा-पूरा सम्मान होना चाहिए। समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि:

"एक दो जख्म नहीं हैं, सारा बदन है छलनी ।

दर्द बेचारा परेशान है कि उठूं तो कहां से" ...*(व्यवधान)*

जो लोग रिश्ते की बात करते हैं या हिन्दू-मुसलमान कौमी एकता की बात करते हैं, तो मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं कहना चाहता हूं कि :

"जो सलूक बदी के साथ, वहीं सलूक नेकी के साथ हो,
आईना क्या समझता रिश्ते किसके साथ"

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को टाइम नहीं दिया गया है। इसलिए आप हमें भी टाइम दीजिए। ...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी की भी भावनायें हैं और हम भी सहयोगी पार्टी के लोग हैं।...*(व्यवधान)*

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम 184 के तहत जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह बहुत की संवेदनशील चर्चा और विषय है। भारत बहुत महान् देश है। इस देश की संस्कृति प्राचीन है। इसमें राजतंत्र भी रहा, प्रजातंत्र भी रहा और इस देश ने बहुत झकोले झेले। लेकिन एक अरब हिन्दुस्तान की प्रजातंत्र के प्रतिनिधि होते हुए आज जिस बात को लेकर, जिन भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोठियों और फ्लेटों में न बैठ कर अगर प्रजा की बात समझें तो प्रजा हमारे से इस अवस्था में खुश नहीं है। प्रजा का कोई आदमी नहीं चाहता कि उनका प्रतिनिधि कौमियत के मामले उठा कर लोगों की भावनाओं को भड़का कर उनके अंदर फूट डाले। विषय यह है कि तीन मंत्रियों को, जिनके ऊपर इल्जाम है, हटाया जाए। प्रधनामंत्री महोदय का यह प्रैरोगेटिव है। यह चार्जशीट किसी पर भी लागू हो सकती है। जब तक अदालत उसके ऊपर कोई निर्णय न दे, हमें उसका फैसला नहीं करना चाहिए। आज जो मुद्दा उठाया गया है, स्पष्ट रूप से यह राजनीति से प्रेरित है। प्रधान मंत्री महोदय ने कोई वक्तव्य दिया और उसमें शब्दों के हेर-फेर से अगर कोई बात किसी को समझ न आए, उसे लेकर सात दिन तक सदन न चलने दिया जाए, यह ठीक नहीं है। आज नौवां दिन है कि हमें जो कार्यवाही करनी चाहिए वह हम नहीं कर पाए हैं। मेरे एक वोटर का यह कहना है कि मैं पी.आई. एल. दायर करूंगा-काम नहीं, वेतन नहीं। हमारा इंडियन नैशनल लोक दल सैकुलरिज्म में शत-प्रतिशत विश्वास रखता है और वह शत-प्रतिशत विश्वास रखते हुए हम एन.डी.ए. के कॉमन एजैंडा पर कायम हैं। हमारा एक विश्वास है, हम धर्मनिर्पेक्ष हैं और देश की प्रगति, उन्नति और विकास चाहते हैं न कि धर्म की भावना से लोगों को भड़का कर वोट लेने का प्रयास करें। यह हमारा महत्व नहीं है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है, हमारी पार्टी उसका डट कर विरोध करती है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के इतिहास में 6 दिसम्बर, 1992 एक काला दिन है। श्री एस. जयपाल रेड्डी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह अवश्य कहूंगा कि जहां तक बाबरी मस्जिद विध्वंस का संबंध है, इसके लिए भाजपा, शिव सेना, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जिम्मेदार हैं। इसके साथ-साथ कांग्रेस की भूमिका पर मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं इस सभा का सदस्य रहा हूं और मैं अब भी एक सदस्य हूँ। इन्होंने ही 1986 में ताला खोला था।

1986 में इन्होंने ताला खोला और फिर 1989 में इन्होंने रामजन्म भूमि का मार्ग प्रशस्त किया। 1991 की तत्कालीन केन्द्र सरकार की भूमिका बहुत खराब थी। उन्होंने मस्जिद गिराने में भाजपा का साथ दिया। यह स्पष्ट है कि इस विध्वंस से आपने न केवल हिन्दू संस्कृति पर ही हमला किया है बल्कि आपने भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के सार तत्व पर भी हमला किया है।

हिंदुत्व के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे विचार से आपने गीता पढ़ी होगी। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था: सर्व धर्मान् परित्यज्य माम् एकम् शरणम व्रज"। यह 'माम' क्या है? इसका अर्थ है- अहम ब्रह्म, अहम विष्णु और अहम् धर्म: और इस अहम का अर्थ क्या है? स्वामी विवेकानन्द ने इसे स्पष्ट किया है। मेरे ख्याल से आप सभी स्वामी विवेकानन्द के अनुयायी हैं...*(व्यवधान)* वे नहीं हैं।

यदि आप मानवमात्र की सेवा करेंगे तो यह ईश्वर सेवा होगी। यह गॉड हो सकता है, भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है या वह कुछ भी हो सकता है किंतु अब क्या हो रहा है।

यहां माननीय मंत्रीगण - श्री आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी और बहन उमा भारती उपस्थित हैं। राजनीति को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, मैं आप सबका बहुत आदर करता हूं। श्री आडवाणी जी, भारत के राजनैतिक नेता के रूप में आपका कद काफी ऊँचा है। डा. जोशी आपके मंत्रित्व के अतिरिक्त, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका कद काफी ऊंचा है। आप एक वैज्ञानिक हैं। कुमारी उमा भारती जी, जब मैंने आपको दस वर्ष पहले देखा था, आप हिन्दू धर्म की महान भक्त और केसरिया रंग में रंगी महिला थी। आपने क्या कर दिया है?

कल, वाद-विवाद के दौरान माननीय मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि उन्होंने वियतनाम और इंडोनेशिया में सभी हिन्दू मंदिरों की देख रेख मुसलमानों को करते देखा। किंतु यहां, सालों बाद सत्ता में आई आपकी भाजपा सरकार ने मस्जिद का विध्वंस कर उसे नष्ट कर दिया। क्या यही संस्कृति है? क्या यही भारतीय संस्कृति है? ...*(व्यवधान)* आप दोषी हैं। आप हिन्दू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। निश्चय की आपको इसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपने यहां आपराधिक संस्कृति का विकास किया है।

माननीय मंत्रीगण, श्री आडवाणी, डा. जोशी और कुमारी उमा भारती जी, सी. बी. आई. ने आप सभी के नाम लिए हैं। इस पर भी आप बिना किसी नैतिकता के मंत्रालय में बैठे हुए हैं। यदि आप नीति का पालन करते यदि आप दर्शन का पालन करते तो आप स्वयं आगे आकर यह कहते कि हां, हमने ही मस्जिद गिराई है। यदि ऐसा हो तो माननीय प्रधान मंत्री जी, स्थिति क्या होगी? मेरे विचार से उनमें साहस है ही नहीं। श्री आडवाणी, डॉ. जोशी और कुमारी उमा भारती यदि आपमें वह दिलेरी और वह साहस है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। महोदय, इस मामले में, नैतिकता के आधार पर वे अपराधी हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी, मैं जानता हूं कि यह निर्णय लेने का परमाधिकार आपका ही है कि किसे मंत्री बनाना चाहिए और किसे मंत्री नहीं बनाना चाहिए या किसे मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। श्री हरिन पाठक के उदाहरण के अनुरूप आपको इस मामले में भी वैसा ही करना चाहिए था। मेरे ख्याल से भाजपा सरकार का कोई दूसरा एजेण्डा है ही नहीं। यहां बेरोजगारी है, यहां अकाल और बाढ़ का संकट है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस महीने की 6 और 7 तारीख को दिए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य ने इनके गुप्त ऐजेण्डे की पोल खोल दी है कि जहां बाबरी मस्जिद गिराई गई वहीं मंदिर बनाया जाए। हम सभी ने इसकी निन्दा की है।

इस समय, मैं प्रधान मंत्री जी से यह अपील करना चाहूंगा कि दोषी मंत्रियों की निकाला जाए और ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या किसी और धर्म के अनुयायी एक साथ रहे सकें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दिया जाए। मेरी पार्टी जनता दल (सेक्यूलर) को मौका नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय: हर वक्त ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो कभी मौका नहीं मिलेगा।

अपराह्न 4.51 बजे

(इस समय श्री हरीभाऊ शंकर महाले आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 4.51 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: महाले जी, आप अपनी सीट पर जाएं ।

[अनुवाद]

श्री आठवले बहुत हो गया, अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अपराह्न 4.52 बजे

(इस समय श्री हरीभाऊ शंकर महाले अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट का समय मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया अपनी जगह पर जाइए। आपका स्थान कहां है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आठवले, बहुत हो गया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश हुआ है और जिस पर हमने काफी देर तक चर्चा की है, मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कहा गया है कि मैं अपने कुछ साथियों को मंत्रिपरिषद से अलग कर दूं। मुझे भी इस बात के लिए आलोचना का विषय बनाया गया है कि मैं उन मंत्रियों का बचाव कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहली बार नहीं उठा है। यह सिलसिला कई बरसों से चल रहा है। मुझे याद है पिछले साल भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। तब मैंने एक वक्तव्य दिया था, जिसको कल मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज ने उद्धृत किया था।

मैंने कहा था:

[अनुवाद]

"संविधान या कानून, केवल इस आधार पर किसी मंत्री को पद पर बने रहने के अयोग्य नहीं ठहरा सकता कि पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है या न्यायालय ने औपचारिक आरोप लगाए हैं।"

[हिन्दी]

इसे चुनौती नहीं दी गई है। दी भी नहीं जा सकती लेकिन सवाल नैतिकता का उठाया जा रहा है। औचित्य क्या है? औरों ने इस्तीफे दिये। हरिन पाठक का नाम लिया गया है। हरिन पाठक हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों को इतना पसन्द हैं कि यह तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। कल तो उन्हें प्रधान मंत्री बनाने की बात हो रही थी। बड़ी खुशी की बात है अगर हरिन पाठक मेरे बाद प्रधान मंत्री बने, मुझे प्रसन्नता होगी लेकिन फिर हमारे कांग्रेसी मित्रों का क्या होगा? ...*(व्यवधान)* हरिन पाठक का त्याग-पत्र अलग परिस्थितियों में हुआ है, उनका अपनी इच्छा से हुआ है। वह त्याग-पत्र के लिए विवश नहीं किये जा सकते थे। उन्होंने जब त्याग-पत्र की बात आकर कही तो उन्हें सलाह दी गई कि आप थोड़ा रुकिए। देखते हैं कि अदालत में किस तरह से मामला जाता है। लेकिन वह त्याग-पत्र देने पर अड़े हुए थे, इसलिए त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया । ...*(व्यवधान)* यह उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है लेकिन जिन तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की बात की जा रही है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कंफ्रंटेशन अच्छा नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनके त्याग-पत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता । वे अगर त्याग-पत्र भी देंगे तो भी मैं त्याग-पत्र वापस कर दूंगा। यह बात समझने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* यह साधारण अपराध नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह भी समझने की बात है कि वे मेरे सहयोगी हैं। मैं उन्हें जानता हूं। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा गया है जिसका वे अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मामला अदालत में है। फैसले तक रुकना चाहिए। औचित्य की एक परिभाषा अभी होनी बाकी है।

मैं बिहार की बात नहीं करूंगा। आप किनका समर्थन कर रहे हैं, किनके बल पर अपनी पार्टी के साथियों को मंत्री बनाकर बैठे हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करता लेकिन बात स्पष्ट है कि अभी सबकी राय से एक ऐसी आचार संहिता बनना आवश्यक है जिसमें किसी पर भी दोहरे मानदंड का आरोप न लग सके। एकतरफा नहीं हो सकता और इसलिए मेरा अपने विरोधी मित्रों से कहना है कि वे नैतिकता की बात को न उठायें। औचित्य का प्रश्न नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मालूम है, आप कहेंगे कि मैं फिर अदालत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता और करता भी नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि अदालत प्रभावित होगी भी नहीं, भले ही अच्छे से अच्छे वकील भी जायें।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): कोशिश तो हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कोई कोशिश नहीं हुई है।... *(व्यवधान)* आइए, इस सवाल पर हम मिलकर बैठें। आपस में चर्चा करें, एक रास्ता निकालें और आम सहमति का विकास करें। आडवाणी जी को पद से मोह नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

जब आर्थिक गड़बड़ घोटाले का आरोप लगा, आडवाणी जी सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा - मैं जब तक निर्दोश साबित नहीं हो जाऊंगा, निष्कलंक प्रमाणित नहीं हो जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। वे नहीं आए और चुनाव लड़कर आए। जनता किसके साथ है? हमारे वोट गिनाए जा रहे हैं। हम यहां बहुमत में बैठे हैं। मित्र दल इस मामले में हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी जो नेशनल एजेंडा है, उससे बंधे हुए है। जानबूझकर, सोच-समझकर हमने विवादग्रस्त प्रश्नों को छोड़ा है। कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन देश की परिस्थिति, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसमें आवश्यकता है कि मिल-जुलकर काम किया जाए। आखिर आप भी और दलों का सहयोग लेते हैं। उनके साथ सरकार भी बनाते हैं और बाद में तोड़ देते हैं। हमारी सरकार चल रही है। शायद आपको यह पसन्द नहीं है कि सरकार चल रही है। हमारे सहयोगी मित्र कुछ मामलों में मदभेद के बावजूद साथ-साथ काम कर रहे हैं। यह लोकतन्त्र के लिए शुभ सूचना है। आपको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप सोचते थे कि यह मामला ऐसा है, इस पर एन.डी.ए. गिर जाएगी, टूट जाएगी। एन.डी.ए. एक होकर खड़ी है। एन.डी.ए. संगठित होकर खड़ी है, लेकिन इस प्रश्न को एन.डी.ए. और प्रतिपक्ष का प्रश्न मैं नहीं बनाना चाहता हूं। अयोध्या का मसला नाजुक है। मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूंगा, जो कल मेरे विरुद्ध प्रयुक्त की गई। मैं इस सदन में उस तारीख को मौजूद था। मेरा भाषण है। उस समय मैंने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। वह भी रिकार्ड का एक हिस्सा है और मैंने अपनी पीड़ा अपना आक्रोश व्यक्त किया था। "मुखौटा गिर गया"- क्या मतलब है इसका? यह कौन सी भाषा है? यह प्रतिपक्ष के लिए कहा जाएगा। मैंने पार्टियां नहीं बदली हैं, इसलिए मुखौटा बदलने का सवाल ही नहीं है। 40 साल से मैं इस संसद में हूं। मैंने दल नहीं बदले हैं। निर्भीक होकर बातें कही हैं और संकट के समय जो भी सरकार थी, उसके साथ खड़ा रहा हूं। मगर आज तो कोई राष्ट्रीय संकट पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

अभी मैंने कहा, कुछ मामलों पर आम सहमति होनी चाहिए। बिना सहमति तो नहीं चल सकता है। राज्य सभा में हमारा बहुमत नहीं है। हमें और दलों के सहयोग की आवश्यकता है। काम ठप्प कर सकते हैं, लेकिन देश का काम ठप्प करना कोई देश के कल्याण की बात थोड़े ही है। मैंने अभी कहा, मैं इस मामले में अयोध्या कांड के बाद कभी बोला नहीं हूं, लेकिन बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया, जब सदन को नहीं चलने दिया गया। यह सदन को न चलने देने वाली बात क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप हम से पूछ रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, प्रारम्भ से सोमनाथ चैटर्जी जी यहां बैठे हुए हैं और मुझे इन्द्रजीत गुप्त जी का स्मरण हो रहा है।

हम मिल कर बैठे थे, हमने कुछ फैसले किए थे। विरोध प्रकट किये गए, मगर विरोध इस तरह प्रकट होना चाहिए कि सदन का काम चलता रहे।...*(व्यवधान)* देश के भाग्य से जुड़े हुए फैसले हो सकें। अब आप कहेंगे कि जब हम प्रतिपक्ष में थे तो क्या करते थे। सोमनाथ जी, आपको याद होगा मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि प्रश्न-काल को कभी भी उपद्रव का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी किया। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको जो कुछ कहना है वह आप 12 बजे कहिए।...*(व्यवधान)* अब तो अध्यक्ष जी आसन पर बैठने भी नहीं पाते कि उन्हें सत्कार करने वाले चारों ओर से घेरे लेते हैं। ...*(व्यवधान)* यह अच्छी परम्परा है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह नवीनतम घटना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेटस्ट डेवलपमेंट तो अच्छा नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि केवल आप आए होते और विपक्ष से परामर्श का प्रयत्न किया होता तो यह न हुआ होता। आपने अध्यक्ष की बैठकों तक में भाग नहीं लिया ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर समय परामर्श ही चलता रहा।

[हिन्दी]

फार्मली नहीं बुलाया था, क्योंकि स्पीकर साहब का मामला था। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आपको हल करना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आपकी यह शिकायत है तो मैं मानता हूं कि आपकी शिकायत जायज है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब यहां संकट था तो मैंने कई बार पूछा कि प्रधान मंत्री जी कहां हैं, सदन के नेता कहाँ हैं और सरकार के नेता कहां हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। मैंने यह सब अध्यक्ष की बैठकों में भी कहा था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझ से मिलने के लिए इतने व्यग्र हैं, अन्यथा मैं जरूर आता।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपके पास जो चीज मांगने जाते हैं तो आप हमें देते नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर राजनैतिक दलों को संयम से काम लेना होगा। मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल पर निन्दा नहीं की। मैं निन्दा करने वालों में था। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले से कर दी। ...*(व्यवधान)* अब कहा जा रहा है कि राजनैतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है, इस समय यह बात कही गई है। मैं उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना चाहूंगा, जिसके अंतर्गत मुझे कुछ शब्द कहने पड़े। सदन बंद है, कार्यवाही ठप है। क्या इसलिये ठप है कि प्रधानमंत्री जी विरोधी दल के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह नहीं बोले, हमने यह बोला कि प्रधानमंत्री जी कहां हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ और मंत्री तो थे। ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं कि कभी मेरी याद की गई हो और मैं आपके सामने उपस्थित न हुआ हूं, ऐसा नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं तीन दिन तक नहीं बोला। संसद बंद रही, ठप रही, क्यों? मेरे जिस वक्तव्य को लेकर चर्चा हो रही है, मेरी तीव्र आलोचना हो रही है, वह तो बाद में आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी आप बैठिए, आप बाद में बोलिए। इस समय बोलना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

सभा के नेता बोल रहे हैं। कृपया यह समझिए। यह झगड़ा कैसा है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी समझ में नहीं आया कि हाउस

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बंद करने का कारण क्या है। मंत्रियों को निकाल दीजिए, क्यों? आपकी मर्जी है इसलिए। आप समझते हैं कि फूट डाली जा सकती है। मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहता था। अब कहा जा रहा है दबाव था और चन्द्रशेखर जी भी शब्द के प्रभाव में आ गये हैं कि मैंने किसी दबाव में ऐसा कहा है। अध्यक्ष जी, जो मुझे जानते हैं और मेरी प्रकृति से परिचित हैं वह इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : आप तो अटल हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूं। कोई दबाव नहीं था। पार्टी को मजबूत करने के लिए उस मामले को फिर से उठाना जरूरी था, यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं। चुनाव अभी बहुत दूर हैं और चुनाव की तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। उसमें लाभ मिल जाए, इसलिए यह मामला उठा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अटकलबाजियां बहुत हो रही हैं। यह भी कहा गया है कि माननीय आडवाणी जी त्याग-पत्र देने को तैयार थे, इसीलिए यह मामला उठा दिया गया। जब मैं आपके साथ बैठक में से बाहर निकला तो मीडिया ने घेर लिया। अगर किसी का दबाव था तो मीडिया का दबाव था। मैं भी यह कहना चाहता था कि मंत्रियों के त्याग-पत्रों को लेकर जो वातावरण बनाया जा रहा है, जो मांग की जा रही है, वह मांग गलत है और उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद सवाल जवाबों का जो सिलसिला चालू हुआ। उसमें मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं पढ़कर बता सकता हूं और माननीय जार्ज-फर्नान्डीस साहब ने कल मेरे वक्तव्य पढ़े थे। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि मैंने कोई सुओमोटो वक्तव्य नहीं दिया है। सवाल का जवाब न दिया जाए तो कहा जाता है कि प्रश्नों को टाल गये हैं। वे पूछते हैं कि एनडीए में गड़बड़ शुरू हो रही है तो इस पर मुझे कहना पड़ता है कि नहीं हो रही है। अब इस पर आपत्ति की जाती है। माननीय आडवाणी जी के साथ कोई मतभेद नहीं है लेकिन मतभेद हैं यह प्रचार हो रहा है। कहा जाता है कि उन्हें संतुष्ट रखने के लिए मैंने यह मामला उठा दिया है। किसी ने तो यहां तक कहा कि हम हिंदुत्व की धारा पर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए यह मामला उठा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो धारा हमारी मित्र दलों के साथ तय है वह तय है। मित्र दलों के साथ हमने जिस आधार पर समझौता किया है वह कायम है। उससे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह बात मैंने दूसरे सवाल के जवाब में कही। मैंने कहा कि यह मामला हल कैसे होगा? आपने राम मंदिर की बात कही है। मैंने कहा कि राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक, अदालत उस जमीन को दे दें और जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वह अदालत से जीत जाए, अदालत उनके पक्ष में फैसला कर दें तो मंदिर बन सकता है।...*(व्यवधान)* आई एम सॉरी। दूसरा रास्ता यह है कि हिंदू-मुसलमान आपस में बैठकर कोई समझौता कर लें और फिर मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए, मस्जिद बनने का रास्ता खुल जाए। ...*(व्यवधान)* अगर समझौता हो जाए और आप यह स्वीकार करेंगे कि अदालत और पारस्परिक समझौते के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है।

लेकिन गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। अब चन्द्रशेखर जी कहते हैं कि आपने सफाई दी थी और अपनी बात स्पष्ट कही थीं तो हमें पता क्यों नहीं लगी?

श्री मुलायम सिंह यादव : मस्जिद के बारे में कहिए कि वह कहां है? ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): आप बार-बार हमारा नाम ले रहे हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मैंने पहले दिन से यह कहा है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि मंत्रियों का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? मैंने यह कहा कि अगर प्रधान मंत्री का वक्तव्य गलत छपा था तो आठ दिन तक प्रधान मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया? अगर आप सदन के बाहर तीन वक्तव्य दे सकते थे तो चौथा वक्तव्य स्पष्टीकरण का सदन के बाहर दे सकते थे। आप चाहे जितना भाषण दें लेकिन मैं भी बहुत दिनों से आपके साथ हूं और आपको जानता हूं। यदि बाहर बयान दिया जाता तो यह सदन आठ दिन बंद नहीं रहता और हम आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक एक दिन नोटिस भेजा, पार्टियों के नेताओं को बुलाया और कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी को भी बुलाया है। नोटिस मेरे पास भी गया और आपके पास भी गया लेकिन आप नहीं आए। यदि उस दिन आते तो सदन चलता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर बैठक में भाग लेते थे। अगर किसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका तो मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मैं नहीं आ सकता हूं लेकिन क्या मैंने बैठक में भाग नहीं लिया इसलिए संकट पैदा हो गया है।

श्री चन्द्रशेखर : आपने वक्तव्य दिया और स्पष्टीकरण नहीं दिया इसलिए संकट पैदा हुआ।

श्री मुलायम सिंह यादव : स्पष्टीकरण देते तो सदन चलता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए संकट पैदा हुआ कि दो दलों में होड़ लगी थी।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : राष्ट्रीय भावना क्या है? इसे बताए बिना काम अधूरा है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब दो दलों में होड़ लगी कि कौन आगे बढ़ता है, सदन में कौन पहले उठ कर मामला उठाता है। ...*(व्यवधान)*क्या आपने इस बात पर विचार किया? आप दौड़ में नहीं

हैं मगर हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के लोग और इस मामले में मुलायम सिंह जी से जो होड़ कर रहे हैं, यह होड़ बड़ी खतरनाक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उसे डाइवर्ट मत कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां तक तुष्टिकरण का सवाल है, मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया जिससे कोई नहीं आ पाए और कोई परिन्दा पर नहीं मार सके।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने गोली चला कर देश को बचाया। दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में मंदिर टूटे हैं। हमने उन मंदिरों की हिफाजत की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने यह बहुत अच्छा काम किया लेकिन यह सवाल ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक दलों में होड़ हो। इस होड़ से बचना पड़ेगा। मैं विषय को टाल नहीं रहा हूं। वक्तव्य की जो बातचीत हो रही थी, उसमें मैंने कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा सवाल है और इस पर कैसे आपत्ति हो सकती है?

श्री वसुदेव आचार्य : राष्ट्रीय भावना क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे में हाउस कैसे चलेगा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह चर्चा का विषय हो सकता है। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना, शताब्दियां तक वह जगह खंडहर रहने के बाद, विध्वंस के पश्चात देश जब आजाद हुआ तो सोमनाथ को फिर से, चटर्जी नहीं, *...(व्यवधान)* उस समय जो बातें कही गई थी, जो विचार थे, जो भूमिका थी, क्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में उन पर लागू नहीं होती? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसका रिप्लाई देने के लिये श्री जयपाल रेड्डी बैठे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह हिन्दू मन्दिर है, बन रहा है, इसलिए राष्ट्रीय चेतना की भावना है, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : ये सभा को गुमराह कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर कई टिप्पणियां की गई। सभा के अंदर और बाहर किंतु एक भी दल ने यह नहीं कहा कि यहां मंदिर नहीं होना चाहिए। विवाद का मुद्दा केवल यह है कि क्या उसी स्थान पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसलिए श्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल के दौरान यह सुझाव दिया गया कि उस स्थान से आगे जमीन दी जाएगी और आप वहां जो चाहे मंदिर बना सकते हैं। इसलिए मंदिर निर्माण के रास्ते में किसी के आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब आप कहते हैं, अभी अधूरा काम है और आप कहते हैं कि यह राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तभी प्रश्न उठा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्या इस तरह के प्राचीन, पुरातन और पवित्र मंदिर का निर्माण नहीं आता? मगर उस मन्दिर का निर्माण सहमति से होना चाहिए, सब की राय से होना चाहिये, यही मैंने कहा है। *...(व्यवधान)* मस्जिद तोड़ने की आलोचना की गई। मैं अब इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मगर कांगेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वहां गये, शिलान्यास हुआ*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह गलत किया गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं यह भावना थी कि वे जो काम कर रहे हैं, वह कोई चुनाव के लिये नहीं है, कोई अच्छे काम के लिए कर रहे हैं क्योंकि राम मन्दिर का निर्माण होना जरूरी है*...(व्यवधान)*मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि पहले *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : श्री राजीव गाँधी के समय, यह विवादास्पद भूमि पर नहीं किया गया था *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यहां श्री नारायण दत्त तिवारी बैठे हुए हैं। क्या वे सारी स्थिति से अवगत नहीं हैं?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, सभा के नेता सभा को गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास उच्च न्यायालय का आदेश है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी सभा को परेशान कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं सभा को परेशान नहीं कर रहा हूं, महोदय। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले खालसा पंथ की त्रि-शताब्दी मनाने का आयोंजन किया गया - क्या वह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं था? खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पहले हुई जिसका राष्ट्रीय समारोह मनाया गया था। भले ही खालसा पंथ एक पंथ है लेकिन हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुझे याद है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद ने सोमनाथ मन्दिर के अवसर पर ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, यदि आप में धैर्य नहीं है, तो आप सभा छोड़कर जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने फैसला किया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप में धैर्य नहीं है, तो आप सभा छोड़कर जा सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : ठीक है। मैं सभा छोड़कर जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह आरंभ से ही सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चैत्य भूमि में डा. अम्बेडकर का जो स्मारक है...*(व्यवधान)* अभी हमने उसे और भव्य और विस्तृत रूप देने का फैसला किया है। क्या वह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री महोदय, क्या आप स्वीकार करते हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याणक वर्ष को मनाने का फैसला हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बाबरी मस्जिद के आकार, प्रकार और मंदिर शिलान्यास के बारे में कहा, शायद जो तथ्य उनके पास आये हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं, सही

नहीं हैं। ए.बी.सी.डी. निशान लगाकर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में नक्शा अदालत में दिया था, उसके बाहर एक हफ्ते पूरी बातचीत के बाद तब उस जगह शिलान्यास करने की इजाजत दी गई जो ए.बी.सी.डी. से दूर था, उसके दायरे में नहीं था, डिस्प्यूटिड साइट में नहीं था ,और समझौतों में यह शर्त मानी गई थी कि अब कोई काम आगे शिलान्यास के बाद नहीं होगा, कोई भी निर्माण संबंधी कार्यवाही नहीं होगी अदालत का इंतजार और इस सदन में श्री वी. पी. सिंह जी के समय में ...*(व्यवधान)* आप एक सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं...*(व्यवधान)*इस सदन में प्रश्न का जवाब दिया गया था कि शिलान्यास डिस्प्यूटिड जगह पर नहीं हुआ...*(व्यवधान)*डिस्प्यूटिड जगह पर नहीं हुआ। यह वी.पी. सिंह की सरकार ने यहां जवाब दिया था। इसलिए प्रधान मंत्री जी का यह कहना कि वह शिलान्यास डिस्प्यूटिड जगह में हुआ, यह नितान्त असत्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सरकार ने फैसला किया है कि भगवान महावीर का 2600वां कल्याणक जन्म मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाए। अलग-अलग दलों के, अलग-अलग विचारों के व्यक्ति उसमें शामिल हैं। हम मिलकर उसे मनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अगर मैं यह कहूं कि महावीर भगवान के इस तरह के समारोह को मनाने का प्रयास राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है तो क्या यह गलत होगा आप क्या परिभाषा करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*आखिर तो भावना का सवाल है। उस समय भी कुछ लोगों ने डा. राजेन्द्र बाबू की आलोचना की थी। यहां तक प्रयास हुआ था कि सोमनाथ के समारोह के अवसर पर डा. राजेन्द्र बाबू न जाने पायें। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मस्जिद में बुलाया जायेगा तो मैं जाऊंगा, अगर गिरजाघर में आमंत्रित किया जायेगा तो मैं उस आमंत्रण का भी सम्मान करूंगा। हमारा देश धर्म विरोधी नहीं है।...*(व्यवधान)*कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग है। लेकिन सर्वधर्म, समभाव, हर धर्म के प्रति आदर का भाव, बराबरी का भाव, बराबरी का आचरण। डा० राजेन्द्र प्रसाद के ये शब्द हैं:

[अनुवाद]

हालांकि विश्वास और दैन्दिनी में मैं सनातनी हिन्दू हूं फिर भी मैं मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वास से प्रेरित होकर ईश्वर की पूजा करके उस को प्राप्त कर सकता है। मैं न केवल सभी धर्मों और उनके पूजा स्थलों का सम्मान करता हूं अपितु जब कभी संभव हो, जाकर पूजा पाठ भी करता हूँ जब कभी भी मौका मिलता है, मैं उसी भावना से दरगाह, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जाता हूं, जिस भावना से मैं अपने धर्म-मंदिर जाता हूँ।

[हिन्दी]

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। राम मन्दिर के साथ भी इसी तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मिलकर बैठकर समझौता होगा, तभी राम मन्दिर के निर्माण की संभावना होगी। यही बात मैंने कही। इसी को बात का बतंगड़ बना दिया ओर उसके पीछे राजनीति थी वह भी विशुद्ध राजनीति। राजनीति में थोड़ी सी मिलावट होती है लेकिन इस खेल में विशुद्ध राजनीति के अलावा कोई खेल नहीं था। ...*(व्यवधान)* कोई ऐक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे दुख है कि मेरी ईमानदारी पर शक किया गया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, जी नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरियालगुड़ा) : आपके घटक दल आप पर शंका करते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जिन्दगी खुली हुई किताब है। मेरे विचारों से मतभेद आप रख सकते हैं और मतभेद के विषय भी मैं छिपाता नहीं हूं। लेकिन यह कहना कि मैं एक मुखौटा धारण किये रहता हूं...*(व्यवधान)*जो पार्टियां बदलते हैं, मुखौटा नहीं, पूरे का पूरा शरीर बदल देते हैं और शरीर के साथ शायद आत्मा भी बदलते हैं, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने तो सुखराम जी को लिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण केवल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ही नहीं होता है। हमारी राष्ट्रीय भावना अन्यानेक महापुरुषों और महास्थलों से जुड़ी हुई है। इस संबंध में मैंने चैत्य भूमि का उदाहरण दिया। वहां भव्य राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण करने का हमारा फैसला है। राजेन्द्र बाबू के भाषण का एक और उद्धरण मैं देना चाहता हूं -

"हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक प्रतीक हैं जिन पर हम सबको गर्व है। अजमेर की दरगाह शरीफ हो या दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर हो या गोवा का सैन्ट फ्रांसिस का गिरजाधर, ये सब हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं।"

क्या उनमें राष्ट्रीय भावना प्रतिबिम्बित नहीं होती? यह समझने का कोई कारण नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : बाबरी मस्जिद भी देश का सेन्टिमेन्ट था। उसको क्यों तोड़ा? वह भी तो राष्ट्रीय भावना का प्रतीक था। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : बाबरी मस्जिद को किस किस ने तोड़ा, उसमें कौन-कौन लोग हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठें। बहुत हो गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि इस सवाल को दलगत दृष्टि से देखने की एक सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव लड़े जाएंगे, चुनावों में पराजय होगी, लेकिन राष्ट्र की एकता को क्षति न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिन्होंने त्यागपत्र के सवाल को जानते हुए भी कि वह राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, संसद को तीन दिन ठप्प रखा और तीन दिन के बाद विरोध की कार्रवाई चलती रही। उन्होंने इस सवाल और फिर से हमारे राष्ट्रमंच पर उपस्थित कर दिया है, क्यों? हमने तो नहीं उठाया था, हम तो बंधे हुए हैं एन. डी. ए. के घोषणापत्र के साथ। क्या आवश्यकता थी त्यागपत्र की मांग करने की? पिछले साल मांग हो चुकी थी। त्याग पत्र की मांग ठुकराई जा चुकी थी। उसके बाद पार्लियामेंट चलने नहीं दी जाए?

अध्यक्ष महोदय, यह संसार का सबसे बड़ा लोक तंत्र है। मतभेदों के बावजूद, हम लोग लोक तंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उसमें सफलता भी पा रहे हैं, लेकिन अगर भावना से जुड़े हुए मसले उठाए जाएंगे, तो लोक तंत्र कैसे आगे बढ़ेगा। आखिर पार्लियामेंट क्यों बन्द रखी गई, क्या उत्तेजना था? आपसे मैंने अभी कहा कि मुलायम सिंह से आप इस होड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको स्वतंत्र होकर, जरा गंभीर होकर, विचार करना पड़ेगा, यह प्रमुख विरोधी दल से मेरा आग्रह है। हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। हमने जो काम किए हैं, उसकी कसौटी जनता होगी, वह फैसल करेगी, लेकिन भावनात्मक मुद्दे उठाने का काम, कोई भी अगर एक दल करेगा, एक व्यक्ति करेगा, तो उसका कुछ परिणाम तो होगा ही।

अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ मुद्दे छोड दिए। इस पर हमारा मजाक बनाया गया। उनमें एक राम मंदिर भी है और राम मंदिर का मामला उठाकर अगर सवाल पूछे जाते, तो मैं उत्तर न देता। मैंने प्रैस कान्फ्रेंस नहीं बुलाई, सुओमोटा प्रैस कान्फ्रेंस नहीं बुलाई। अगर मैं उत्तर नहीं देता, तो आरोप लगाए जाते कि उत्तर नहीं दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सही उत्तर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सही उत्तर दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सही उत्तर है - और यही खतरा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस पर बहस हो सकती है कि क्या सही उत्तर है और इसका फैसला जनता भी आखिर में करेगी, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भानाएं भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप हमारे पार्टनर्स की चिन्ता मत करिए। आप नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। है कोई ज्योति बाबू के साथ चलने के लिए तैयार। मुलायम सिंह जी की राय अलग है।

जब तक कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन रहेगा तब तक श्री मुलायम सिंह जी आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सही है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसके लिए तो आप हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस तरह की भावना से जुड़े हुए मसले उठाने से पहले हम थोड़ा गंभीरता से सोचें। दलगत राजनीति को एक सीमा तक रखें और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए तैयार रहें। मतभेद तो रहेंगे। कल तक आप एक अर्थव्यवस्था के हामी थे, अब उससे आप रास्ता बदल रहे हैं। आपको पूरा अधिकार है। आर्थिक प्रश्न पर आप अपनी राय बदल सकते हैं लेकिन राय बदलते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जो सरकार सही फैसले कर रही है, उन फैसलों के कार्यान्वयन में भी रोड़े अटकाये जायें। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम तो गले मिलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* अगर मिलाने की बात है तो फिर गले मिलना चाहिए और इफ्तार का भी मौका है।...*(व्यवधान)* हाथ मिलाने से काम नहीं बनेगा। मगर गले मिलाना चाहिए, गले काटना नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, एक-दो से गले मिलने का सवाल नहीं है। सारा देश जब चुनौतियों का सामना करने के लिए इकट्ठा होगा तब सारे देश को सफलता मिलेगी। हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरियालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे वक्ता होने की बहुत पहले से सराहना करता हूं। मैंने उन्हें इस सभा में ईसापूर्व के अर्धकाल्पनिक ग्रीक नाटककार कवि की भांति बोलते हुए सुना है। परंतु आज यह जानकर दु:ख होता है कि उनका कार्य केवल उन्हीं के नहीं अपितु दूसरों के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार थी बहुत खराब था ...*(व्यवधान)*

कल जब मैं प्रस्ताव पेश कर रहा था तो भारी व्यवधान का माहौल था। कोई सदस्य जो इतने वर्षों तक इन सभाओं का सदस्य न रहा हो, जितने वर्षों तक श्री वाजपेयी रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब किसी प्रस्ताव करने वाले को इतने व्यवधान का सामना करना पड़ा हो। यह प्रधान मंत्री, जो संसदीय शिष्टाचारों का सबसे आगे बढ़कर सम्मान करते हैं, ने व्यवधान के बीच अपराध बोध में ग्रस्त हो चुपचाप बैठे रहे। मेरी बात में वे व्यवधान क्यों डाल रहे थे? मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे आपके प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के तरीके पर आपत्ति कर रहे थे? उन्होंने आपके अधिकार को चुनौती दी ...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमने सभा की कार्यवाही रोक दी थी। मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक बता सकता हूँ कि गलती दूसरे पक्ष की है? यदि पहले दिन ही आप इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत हो गए होते, तो सभा की कार्यवाही में व्यवधान नहीं आता।

आप पहले दूसरे या तीसरे दिन इस पर चर्चा के लिए सहमत क्यों नहीं हुए? हमें मालूम है कि आपको तीनों ओर से संघ परिवार, भाजपा और राजग से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत:, आपको, श्री प्रमोद महाजन और अन्य को समय चाहिए था। आपने समय लिया और हमने समय दिया। अत:, यहां जो कुछ हुआ, उसके लिए आप हमें दोष नहीं दे सकते।

आज, जब मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कहा कि वह मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप करने के स्तर तक उतर आये हैं, तो उन्हें उसका गहरा दु:ख हुआ। ठीक है, श्री वाजपेयी जी जिस स्तर पर है, वहीं रहें। परंतु मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। महोदय, यह स्पष्टीकरण केवल आपके लिए ही नहीं अपितु आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के लिए भी है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता।

वर्ष 1975 में जब मैंने आपातकाल के संदर्भ में कांग्रेस दल को छोड़ा था, तो आपने इसे मेरा आदर्शवाद माना था। वाजपेयी जी, 1999 में उसी आदर्शवाद के तहत मैंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कांग्रेस में पुन: आया। यह उच्च-आर्दशवादिता और सैद्धान्तिक बचनबद्धता या उत्कृष्ट उदाहरण और महान प्रमाण था। जब मैं कांग्रेस में आया तो प्रत्येक को, यहां तक कि संकीर्ण दृष्टि रखने वाले लोगों को, भी यह बोध था कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में होगी। ...*(व्यवधान)* उस समय, मेरे पुराने कांग्रेसी सहयोगी श्री शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। महोदय, यह त्याग का कार्य था ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : मुझे निकाला गया था।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ - आपके निकाले जाने के पश्चात् कम से कम आप मुझे भारतीय राजनीति की कुछ समझ होने का श्रेय देंगे। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की संभवना थी। बेंजामिन डिसरेली ने राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार दी है-

"राजनीतिक दल संगठित मत का नाम है, इस प्रकार राजनीतिक दल न तो सिद्धान्त साधन, सत्तासीन होने का उपकरण है और न ही पद-प्राप्ति का साधन"।

यहाँ तक कि विस्टंन चर्चिल ने भी कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़ा था। वह उदारवादी (लिबरल) पार्टी में इसलिए गये क्योंकि उन के विवेक ने यह महसूस किया कि उन्हें उदारवादी होना चाहिए। ऐसा पद के लिए नहीं था। यह बड़ी अजीब बात है कि मैं ये सब बातें एक ऐसे प्रधानमंत्री को बता रहा हूँ जिनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पिछले 20 सालों में 20 से भी अधिक दल बदले हैं, जो हमारे सहयोगी हैं ...*(व्यवधान)*

आप आज भी बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना की निंदा करने से इंकार करते हैं। हमने आपको उत्प्रेरित किया, कटाक्ष किया और उत्तेजित करने का प्रयास किया। आपने उत्तर देने से इंकार कर दिया। मैं आप के भावनिग्रह, मितभाषिता की सराहना, प्रशंसा करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मुक्त व्यक्ति नहीं हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: तो आप भी श्री आडवाणी की भांति इसे दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक मानते हैं परंतु निंदनीय नहीं। मैं राजग के घटक दलों का इस विभेद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

आज, हमारे प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर का प्रश्न उठाया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में, राजनीति में 1964 में आया। उस समय ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गालिम्पक्षिज ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी और जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय मैं नेहरूवादी था, तब से लेकर आज तक नेहरूवादी हूँ। यह सैद्धान्तिक अनुरूपता का राजनीतिक प्रक्रिया का मुख्य सार है।

महोदय, मैं पुन: सोमनाथ मंदिर के प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ। स्वीर्गीय श्री मधु लिमये ने श्री आडवाणी को यह बताने के लिए कि सोमनाथ मंदिर और राम जन्म भूमि विवाद में जमीन आसमान का भेद है, लेख लिखें। सोमनाथ मंदिर के स्थान के बारे में कभी कोई विवाद नहीं था। ...*(व्यवधान)* श्री मधु लिमये ने ऐसा लिखा। ऐसा नहीं है

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

कि मैं उन्हें ऐसा लिखने का अधिकारी मानता हूँ और उन्होंने श्री आडवाणी और उनकी धर्मनिरपेक्षवादिता के बारे में काफी लिखा। इतिहास की इस सच्चाई के बारे में कोई विवाद नहीं है कि सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया गया था। प्रश्न यह था कि मंदिर किसे बचाना चाहिए, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह मत भी व्यक्त किया कि सोमनाथ मंदिर सरकार के नहीं अपितु जनता के पैसे से बनाया जाये। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों इस पर सहमत थे और सोमनाथ मंदिर बनाने में वे साधन स्वरूप था। श्री राजेन्द्र प्रसाद का मंदिर जाने पर कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ कि उन्हें राष्ट्रपति होने के नाते अथवा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा करना चाहिए था अथवा नहीं। श्री राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि वह ऐसा व्यक्तिगत तौर पर कर रहे है। तो इसका उचित स्वागत हुआ और यह ठीक भी था।

अत:, जब प्रधान मंत्री इन दो बातों में समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ऐसा करके वह संघ परिवार को संकेत भेजते हैं। मैं समस्या समझ सकता हूँ। जहां तक शिलान्यास और विवादित स्थल का संबंध है श्री एन. डी. तिवारी ने स्वंय स्पष्टीकरण दिया है और मेरा उसमें कुछ जोड़ने का विचार नहीं है। जहां तक 'मुखौटा' शब्द का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने श्री वाजपेयी के अप्रभावी व्यक्तित्व पर प्रभाव डाला है।

श्री वैको (शिवकाशी) : आपने 'अप्रभावी' क्यों कहा?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : जी हाँ, मेरा यही मत है। आप अपने विचार रखने के हकदार हैं। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं यह मानता हूँ, मेरा हिन्दी भाषा पर अधिक अधिकार नहीं है। श्री गेविन्दाचार्च का हिन्दी भाषा पर अधिकार है। मैंने उस वाक्यांश को नहीं लिखा है। हमारे प्रधान मंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे वह और अधिक अस्पष्ट हो गया है। क्या वह स्पष्टीकरण दे चुके। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अथवा उसे और अधिक उलझा दिया है? कुछ मित्रों ने कल और आज चर्चा के दौरान यह पूछा कि हम तीन वर्ष पुराने अभियोग-पत्र के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय आपके मानदंडों के अनुसार हमारा ज्ञान बहुत कम है। आपने तीन सौ वर्ष पुरानी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था। हम इस कला में एकाएक आपका मुकाबला नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

मेरे विचार से हमारे प्रधान मंत्री ने और हमारे विधि मंत्री ने संवैधानिक नैतिकता के एक नये सिद्धांत, एक अनुचित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उस दृष्टि से, विधिनुसार कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था नहीं बचेगी। कानून के अंतर्गत ही इसका अस्तित्व रहा है, और विकास होता है।

लोकतांत्रिक संविधान की उच्च नैतिकता की नींव और किसी ने नहीं बल्कि स्वयं सीजर ने डाली थी जिनका कहना था कि, "सीजर की पत्नी को शक के दायरे से परे होनी चाहिए।" यह बात मैं तीन मंत्रियों के संदर्भ में कह रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जिनकी हम सभी पूजा करते हैं, देवी सीता को एक अपवित्र शक के आधार पर वनवास दे दिया था। आज भगवान राम के अपने ही प्रकार के भक्त जानबूझकर उन उच्च आदर्शों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनका अनुपालन श्रीराम ने किया था। न्यायशास्त्र वकीलों के लिए है। मैं राजनीतिज्ञ हूँ। मैं संवैधानिक नैतिकता के सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहता हूँ। यदि आपके द्वारा निर्धारित इस सांविधानिक नैतिकता का श्री नेहरू के समय से ही पालन हुआ होता, तो श्री टी टी आचारी से लेकर श्री रामेश्वर ठाकुर में से कोई भी इस्तीफा न देता। सैंकड़ों लोगों ने त्यागपत्र दिया। जब स्व॰ श्री संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय के केवल यह कहने पर त्यागपत्र दे दिया था, "उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया गया है।" न्यायालय ने कभी भी यह नहीं कहा कि आरोप सही है। यह सरसरी तौर पर की गई टिप्पणी थी और उस टिप्पणी पर श्री संजीव रेड्डी ने त्यागपत्र दे दिया था। यह नेहरू युग में स्थापित नैतिकता का सिद्धान्त है जो वाजपेयी युग के लिए वैध नहीं है *...(व्यवधान)*

जहां तक राजग का संबंध है क्या मैं सभा में उपस्थित सभी लोगों को बता सकता हूँ कि इसकी उत्पत्ति दोषपूर्ण है? यह भाजपा के साथ बंधन में बंधा किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बंधन में नहीं बंधा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, एक बहुभुजीय ऑक्टोपस के समान है, भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक भुजा है। ये 24- 25 पार्टियों या उनकी संख्या जो भी हो उसकी एक भुजा से बंधी है। वे कहते हैं, "हमने एक एजेंडा बनाया है।" यह एजेंडा राष्ट्र के लिए नहीं है। यह केवल शासन करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, कृपया याद कीजिए कि यह एजेंडा केवल शासन करने के लिए है। यदि किसी कारण से यह सरकार गिर जाती है तो उस एजेंडा का क्या होगा? भाजपा अपने मूल एजेंडा पर वापस आ रही है। श्री आडवाणी की वैचारिक भाव भंगिमा के अनुसार यथास्थिति पूर्व की स्थिति चक्रवृद्धि ब्याज सहित भूतल व प्रभाव से बहाल की जाएगी।

सायं 6.00 बजे

उसके लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। राजग के एजेंडा के लागू होने के बावजूद पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो सभा में और सभा के बाहर उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। वह एजेंडा जो भगवा एजेंडा है, साथ-साथ लाकर किया जा रहा है। यदि राजग के घटक दल उस ओर आंख मूंदना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो।

श्री वैको: यदि उन्हें असलियत दिखाई नहीं देती तो हम क्या करें?

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में इस सरकार का नेतृत्व ऐसी पार्टी द्वारा किया जा रहा है जिसने महात्मा गंधी को राष्ट्रपिता कभी नहीं माना, जिसने तिरंगे झंडे की पवित्रता को अस्वीकार किया *...(व्यवधान)* जिसने रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान को अस्वीकार किया। हमारी दीदी ममता कहां है? वे टैगोर की कविताएं गा रहीं थी। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शोकगीत है जिसका मानना था कि रवीन्द्र नाथ टैगोर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट थे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): जम्मू-कश्मीर में जब आर. एस. एस. वाले राष्ट्रीय गान गाने गये तो उन्हें मार दिया गया था। ...*(व्यवधान)* सात लोग मारे गये थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी :वे विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय उनके जैसे व्यक्ति सभा में उस तरह कैसे बोल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : यह पार्टी चाहती है कि भगवा झंडा राष्ट्रीय झंडा हो।

अध्यक्ष महोदय : अब छह बज गए हैं। सभा का समय इस वाद-विवाद के पूरा होने तक बढ़ाया जा सकता है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : महोदय, वे भगवा झंडे की वकालत करते हैं। सभा में उपस्थित सभी सदस्य जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। किंतु हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए किया था। उस धर्मनिरपेक्ष भारत की रक्षा की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं शिव सेना और भाजपा से भिन्न राजग के घटक दलों के मित्रों को बताता हूँ कि राजग संघ परिवार के लिए केवल एक सीढ़ी है। इसे उस दिन हटा दिया जाएगा जिस दिन इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। वह मात्र एक सीढ़ी है। जिस पर चढ़कर वाजपेयी जी शीर्ष पर पंहुचने का प्रयास कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : सभा में उपस्थित हमारे मित्रों ने 'फेबियन समाजवाद' शब्द अवश्य सुनें होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : संघ परिवार द्वारा फेबियन कट्टरवाद का अनुसरण किया जा रहा है। वे मुझे पूछ सकते हैं कि फेबियन क्या है? मैं स्पष्ट करूंगा ...*(व्यवधान)* कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ।

एक रोमन जनरल फेबियाज था जो रोमन साम्राज्य के शत्रुओं पर विलम्ब करने और पीछे से हमला करने की युक्तियों से विजय पाना चाहता था। इसीलिए फेबियन समाजवाद के संस्थापक फर्नांड शाह और सिडनीवेब ने सोचा कि वे पूंजीवाद पर क्रमिक रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने इसे फेबियन समाजवाद कहा। अब संघ परिवार फेबियान युक्तियां अपना रहा है। वे कट्टरवाद को क्रमिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि हम उनके मन्तव्य के बारे में अनावश्यक रूप से संदेह पैदा कर रहे हैं। आपके पास तृणमूल कांग्रेस और तेलगु देशम पार्टी के नेता ही स्पष्टीकरण मांगने आए थे। अत: वे अब सीजर की पत्नी की तरह नहीं हैं अपितु स्वयं सीजर हैं जिन पर संदेह किया जा रहा है। और वह सीजर कोई अन्य नहीं अपितु भारत के प्रधानमंत्री हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल रेड्डी जी, इफ्तार का समय हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं इफ्तार धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करता हूँ। यह राष्ट्र दो मुंहे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो अपने एक चेहरे को संघ परिवार को और दूसरे चेहरे को राजग को दिखाता है। वर्तमान में देश में यह अच्छी स्थिति नहीं है

श्री के॰ मुरलीधरन (कालीकट) : यह क्या हो रहा है

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखे। कृपया शोर मत करें।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : श्री बंगारू लक्ष्मण आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वे भाजपा अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची है। उस लक्ष्मण रेखा का बंगारू लक्ष्मण के ब्रहमा अर्थात प्रधानमंत्री ने ही उन्हें भाजपा अध्यक्ष बनाया और उन्होंने ही वह लक्ष्मण रेखा लांघी है। अब आज श्री बंगारू लक्ष्मण ने स्वयं एक बयान दिया है कि यदि श्री लालकृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया और न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया गया तो वे इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। श्री बंगारू लक्ष्मण ने अपने द्वारा खींची गई रेखा को स्वयं लांघ दिया है।

मैं नहीं मानता कि मेरे कल के भाषण से प्रधानमंत्री को आहत होना चाहिए। कल मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीज इस संबंध में दुख के साथ प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त वेदना का उल्लेख कर रहे थे। हम इस सभा में किसी के बारे में और कम से कम भारत के

प्रधानमंत्री के बारे में कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहते हैं। वे हमारे भी प्रधानमंत्री है किंतु यदि सच्चाई से किसी को पीड़ा पहुंचती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यदि कटु सच्चाई से पीड़ा पहुंचती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उम्र के कारण प्रधानमंत्री जी आदरणीय है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में वे दबाब के समक्ष झुके। अत: भला इसी में है कि आप जब तक सब ठीक-ठाक चल रहा है त्यागपत्र दे दें। आपका राजनीतिक जीवन अपने चरमोत्कर्ष पर पंहुच गया है। इसके पतन से पूर्व आपको त्याग पत्र देना चाहिए। ऐसी मेरी राय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) :अध्यक्ष महोदय, तीन मंत्रियों और प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में मैने जो कहना था, कह लिया है, लेकिन उन्होंने मस्जिद के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

सायं 6.09 बजे

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखे।

श्री• के• येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के• येरननायडू : महोदय, अभी मत विभाजन की घोषणा नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया नहीं है।

श्री के• येरननायडू : अभी अध्यक्षपीठ द्वारा मत विभाजन की घोषणा नहीं की गई है। माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंद्योपाध्याय, यह क्या है?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी और क्या वहां मस्जिद बनाई जाएगी?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने भाषण में यह बात बोल दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा, वह माना जाएगा, उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*यह कांग्रेस की परम्परा है कि फैसला होते हैं और वे फैसलों के प्रकाश में संविधान बदल देते हैं, फैसले लागू नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एस• जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा प्रधान मंत्री से उन तीन मंत्रियों अर्थात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा• मुरली मनोहर जोशी और कुमारी उमा भारती, जिनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाने में शामिल होने के आरोप पाये गये हैं, को अपनी सरकार से हटाने का आग्रह करती है तथा प्रधान मंत्री द्वारा उन मंत्रियों को दोषमुक्त ठहराये जाने का निरनुमोदन करती है।"

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हम मत विभाजन करवाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते

समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।

2. जैसा कि दिख ही रहा है मेरी कुर्सी के दोनों ओर प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब" जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली शुरू हो चुकी है।

3. मतदान के लिए पहली घंटी के तुरत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को एक साथ दबाएं यथा:

   (i) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक "लाल" बटन, और

   (ii) सीटों के डेस्कों से ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन :

"पक्ष में" - हरा रंग
"विपक्ष में" - लाल रंग
"भाग नहीं लिया" - पीला बटन

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब "बुझ" न जाएं।

महत्वपूर्ण निर्देश

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाये नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को दबाएं।

6. पदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं।

यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा प्रधान मंत्री से उन तीन मंत्रियों अर्थात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा॰ मुरली मनोहर जोशी और कुमारी उमा भारती, जिनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाने में शामिल होने के आरोप पाये गये हैं, को अपनी सरकार से हटाने का आग्रह करती है तथा प्रधान मंत्री द्वारा उन मंत्रियों को दोषमुक्त ठहराये जाने का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं. 3 **पक्ष में** *सायं 6.22 बजे*

श्री अजय कुमार, श्री एस.
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.
अमीर आलम, श्री
अम्बरीश, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अहमद, श्री ई.
आचार्य, श्री बसुदेव
आठवले, श्री रामदास
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
ईडन, श्री जार्ज
उस्मानी, श्री ए. एफ गुलाम
ओला, श्री शीश राम
कमलनाथ, श्री
कलिअप्पन, श्री के. के
किन्डिया, श्री पी. आर.
कुमारासामी, श्री पी.
कुरूप, श्री सुरेश
कृष्णदास, श्री एन. एन.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री सुनील
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्रीमती सोनिया
गामलिन, श्री जारबोम
गालिब, श्री जी. एस.
गावित, श्री माणिकराव होडल्या
गोगाई, श्री तरूण
गोविन्दन, श्री टी.
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी*
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

---

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती रेणूका
चौधरी, श्रीमती संतोष
जहेदी, श्री महबूब
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस
जोस, श्री ए. सी.
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तोपदार, श्री तरित वरण
थामस, श्री पी. सी.
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.
दीपक कुमार, श्री
दूलो, श्री शमशेर सिंह
देव, श्री संतोष मोहन
नरह, श्रीमती रानी *
नायक, श्री ए. वेंकटेश
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दहया भाई, वल्लभ भाई
पटेल, श्री दिन्शा
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पवार, श्री शरद
पांडियन, श्री पी. एच.
पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव
पाटिल, श्री आर. एस.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री लक्ष्मणराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री सुकदेव
पुगलिया, श्री नरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.
प्रसाद, श्री जितेन्द्र
प्रेमाजम, प्रो. ए. के.
फारूक, श्री एम. ओ. एच.
फूलन देवी, श्रीमती
बंसल, श्री पवन कुमार
बखला, श्री जोवाकिम
बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह
बनातवाला, श्री जी. एम.
बब्बर, श्री राज*
बराड़, श्री जे. एस.
बर्मन, श्री रनेन
बसवनागौड श्री कोलुर
बसवराज, श्री जी. एस.
बसु, श्री अनिल
बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बेगम नूर बानो
बौरी, श्रीमती संध्या
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह*
भाटिया, श्री आर. एल.
भूरिया, श्री कांतिलाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्री बीर सिंह
मान, श्री सिमरनजीत सिंह
मीणा, श्री भेरूलाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मुरूगेसन, श्री एस.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मोल्लाह, श्री हन्नान

---

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मोहन, श्री पी.
मोहोल, श्री अशोक ना.
यादव, श्री अखिलेश
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री भालचन्द्र
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री रमाकान्त
रंगपी, डा. जयन्त
राजवंशी, श्री माधव
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राधाकृणन, श्री वरकला
राय, श्री सुबोध
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, श्री रामसागर
रिजवान जहीर, श्री
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द
लाहिड़ी, श्री समीक
वंग्चा, श्री राजकुमार
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश
शहाबुद्दीन, मोहम्मद
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
शेरवानी, श्री सलीम आई.
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्रनाथ
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री बलबीर *
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह देव, श्री के. पी.
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.
सुधीरन, श्री वी. एम.
सुनील दत्त, श्री
सुमन, श्री रामजीलाल
सुरेश, श्री कोडीकुनील
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेल्वागनपति, श्री टी. एम.
सोराके, श्री विनय कुमार
हक, मोहम्मद अनवारूल
हमीद, श्री अब्दुल
हसन, श्री मोइनुल
हान्दिक, श्री विजय

विपक्ष में

अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा
अनंत कुमार, श्री
अब्दुल्ला, श्री उमर
अर्गल, श्री अशोक
आंग्ले, श्री रमाकांत
आचार्य, श्री प्रसन्न
आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदि शंकर, श्री
आदित्यनाथ, योगी
आर्य डा. (श्रीमती) अनिता
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
उमा भारती, कुमारी
उराम, श्री जुएल
ए. नरेन्द्र, श्री
एटकिन्सन, श्री डन्जिल, बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
एलानगोवन, श्री पी. डी.
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कटियार, श्री विनय
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कानूनगो, श्री त्रिलोचन
काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव
कुप्पुसामी, श्री सी.
कुमार, श्री अरूण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृपलानी, श्री श्रीचन्द
कृष्णन, डा. सी.
कृष्णमराजू, श्री
कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम
कृष्णास्वामी, श्री ए.
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी. आर.

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गढ़वी, श्री पी. एस.
गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री रामदास रूपला
गीते, श्री अनंत गंगाराम
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोहेन, श्री राजेन*
गौतम, श्रीमती शीला
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चन्देल, श्री सुरेश
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री हरिभाई
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा. एस
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री*
जयशीलन, डा. ए. डी. के.
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जावमा, श्री वनलाल
जावीया, श्री जी. जे.
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जैन, श्री पुष्प
जोशी, डा. मुरली मनोहर
जोशी, श्री मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयबहन बी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
डिसूजा, डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढिकले, श्री उत्तमराव
तिरूनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
दग्गुबाटि, श्री राम नायडू
दतात्रेय, श्री बंडारू
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दुरई, श्री एम.
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्रीमती कुमुदनी
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री प्रकाश
पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पांजा, श्री अजित कुमार
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल)
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री बालासाहिब विखे
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
पार्थसारथी, श्री बी. के.
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बचदा, श्री बची सिंह रावत
बदनौर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बन्शीवाल, श्री श्याम लाल
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बालू, श्री टी. आर.
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोस, श्रीमती कृष्णा
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
संजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मलिक, श्री जगन्नाथ
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महताब, श्री भृर्तुहरि
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई. जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मांझी, श्री रामजी
माझी, श्री परसुराम
मान, श्री जोरा सिंह
माने, श्री शिवाजी
मल्याला, श्री राजैया
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस
मुखर्जी, श्री एस. बी
मुण्डा, श्री कडिया
मुनि लाल, श्री
मूर्ति, श्री ए. के.
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद*
यादव, श्री देवेन्द प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुकमदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रमण, डा.
रमैया, डा. बी. बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए.
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री सी. पी.
राधाकृष्णन्, श्री पोन
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री*
रामैया, श्री गुनीपाटी
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राव, श्री गंता श्रीनिवास
राव, श्री डी. वी. जी. शंकर
राव, श्री वाई. वी.
राव, श्री सीएच विद्यासागर
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावले, श्री मोहन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. आर. के.
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री बी. वी. एन.
रेनु कुमारी, श्रीमती
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
विजयन, श्री ए. के. एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकट्स्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, डा. एस.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त
शाडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
संकेश्वर, श्री विजय
संघाणी, श्री दिलीप
सरकार, डा. बिक्रम
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री टी एच. थाओबा
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर*
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री विश्वेन्द्र*
सिंह, श्री साहिब
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री मनोज
सिन्हा, श्री यशवन्त
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सेठी, श्री अर्जुन
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में - 179
विपक्ष में - 291

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 15 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांच 6.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2000/24 अग्रहायण, 1922(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने मत पर्ची के माध्यम से मतदान किया : पक्ष में 179 + सर्वश्री राज बब्बर, अवतार सिंह भडाना, जी. पुट्टास्वामी गौड़ा, बलवीर सिंह, श्रीमती रानी नरह - 184

विपक्ष में 291 + सर्वश्री विश्वेन्द्र सिंह, जगदम्बी प्रसाद यादव, महेश्वर सिंह, रामशकल, जय प्रकाश, राजेन गोहेन - 297 ।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरूवार, 14 दिसम्बर,2000/ 23 अग्रहायण,1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
7	23	पर्यटन का बढ़ावा	पर्यटन को बढ़ावा
70	5	श्री जसवंतसिंह यादव	डा.जसवंत सिंह यादव
146	19	रक्षा मंत्री श्री (जार्ज फर्नान्डीज)	रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)
261	5	पत्तन	पत्तन
366	1	जगर	जगह
423	34	सिंह, श्री टी एच.थाओबा	सिंह, श्री टीएच. थाओबा

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 द्वारा मुद्रित ।